नवम माला, खंड 6, अंक 46

मंगलवार, 22 मई, 1990
1 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जावेगी। इनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

193	1	"मंत्रालल" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
211	नीचे से 8	"9474" के स्थान पर "9974" पढ़िये।
212	अंतिम पंक्ति	"{ख}" के स्थान पर "{घ}" पढ़िये।
249	17	"आलकृष्ण" के स्थान पर "लालकृष्ण" पढ़िये।
256	7	पंक्ति 7 का लोप कीजिए तथा पंक्ति 5 इस प्रकार पढ़िये – {ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल0टी0 959/90}
259	3	"955" के स्थान पर "935" पढ़िये।
281	पाद टिप्पणी	"दिनांक" के स्थान पर "दिनांक" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम सभा, खंड 6 दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 46 मंगलवार, 22 मई, 1990/ 1 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 923	...	7-8
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव		
प्रश्नकाल का निलम्बन—अस्वीकृत	...	14-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	17-215
*तारांकित प्रश्न संख्या : 924 से 942	...	17-29
अल्प सूचना प्रश्न संख्या : 4	...	29-30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9744 से 9979	...	30-215
मन्त्री द्वारा वक्तव्य		
21 मई, 1990 को श्रीनगर में मौलवी फारुक की हत्या		
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	...	238-239
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	239-240
प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य	...	242-244
हरियाणा में हाल की घटनाएं		
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	242-244
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	245-262
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश		
सभा पटल पर रखा गया	...	262

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ... 262

पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... 264-278

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में बढ़ते हुए तनाव के समाचार

श्री भवानी शंकर होटा 264, 267-270

श्री चिमनभाई मेहता 264-267 और 275-278

श्री अनादि चरण दास ... 270-272

श्री गोपाल पचेरवाल ... 272-273

श्री बृज भूषण तिवारी ... 273-275

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक ... 278-281

पुरः स्थापित

श्री राम विलास पासवान ... 278

श्री हरीश रावत ... 278 280

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक ... 281-283

पुरःस्थापित

श्री दिनेश गोस्वामी ... 281-283

श्री हरीश रावत ... 281-282

नियम 377 के अधीन मामले ... 283-285

(एक) रोगों के उन्मूलन के लिए तथा जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराए जाने हेतु कदम उठाए जाने की मांग

श्रीमती विजयन्तीमाला बाली ... 283-284

(दो) बिहार में बिजली की कमी दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव ... 284

(तीन) इन्दौर, मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग ... 284-285

(चार) राजस्थान में बीकानेर के उदासर गांव के उन किसानों को, जिनकी भूमि रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की गई है, मुआवजा दिए जाने की मांग

श्री गोपत सिंह मक्कासर ... 285

(पांच) कच्छ, गुजरात के लिए विकास बोर्ड स्थापित किए जाने की मांग

श्री बाबूभाई मेघजी शाह ... 285

नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वहां के राज्यपाल के आचरण का निरानुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव ... 286- 01

श्री दिनेश सिंह ... 286-291

श्री [illegible]वराज ... 291-292

श्री शिकिहो सेमा ... 292-295

श्री गुमान मल लोढा ... 295-.99

श्री पीटर जी. मरबनियांग .. 299-300

डा. बिप्लव दास गुप्त ... 300-301

लोक सभा

मंगलवार, 22 मई, 1990/1 ज्येष्ठ, , 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : कश्मीर पर मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका एडजोर्नमैंट मोशन मिला।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : शोक मनाने वाले निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गयी और 52 लोग मारे गये तथा 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मुझे आपका प्रस्ताव मिल गया है। आप इसे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठाएं ।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : कश्मीर जल रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, मैं बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैं बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, यह प्रश्नकाल है । आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं । प्रश्नकाल निलम्बित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैंने प्रधानमन्त्री को बुलाया है । अब प्रधानमन्त्री बोलने के लिए खड़े हैं और वह इसका प्रत्युत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । श्री साठे, आप एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । अध्यक्ष बोल रहे हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सोज को बोलने की इजाजत दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सोज को इजाजत दे रहा हूं । श्री शर्मा, अपने स्थान पर जाईए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, मैं आपको नहीं सुन सकता हूं । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। हाउस चलाने का क्या यह तरीका है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्नकाल को निलम्बित करने का प्रस्ताव नहीं दिया है। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सत्तारुढ़ दल के सदस्यों से कहूँगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा होऊं तो खड़े मत होईये। कम से कम इस आचार संहिता को तो याद रखिए। मैं आपको कह रहा हूं कि यदि सभा चाहती है कि प्रश्नकाल नहीं हो···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, बैठ जायें। मैं आपको बाद में बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब को हाऊस के रूल्स मालूम हैं। क्वश्चन आवर सस्पैंड करने के लिए आज कोई मोशन हमारे सामने नहीं था। अभी विलम्ब से मोशन आया है। आप और हाऊस जब चाहेंगे कि क्वश्चन आवर को सस्पैंड करना चाहिए तो मैं आपको···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन सवाल यह है कि सोज साहब हमें मिले थे, इस पर मेरा कहना है कि···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा, अध्यक्ष पीठ की इस तरह से अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि यदि आप प्रश्नकाल को निलम्बित करना चाहते हैं तो आप एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और यदि सभा चाहती है कि इसे पारित किया जाये तो फिर मैं तदनुसार उसके अनुसार चलूंगा। मैं श्री सोज को बताना चाहूँगा कि मैं उन्हें लोक महत्व के सभी मामले उठाने की अनुमति दूंगा, लेकिन 12.00 बजे के बाद। प्रश्नकाल जारी रहना चाहिए। कृपया मुझे प्रश्नकाल जारी रखने की इजाजत दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्नकाल जारी रखने की इजाजत दें।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आप कृपया मुझे स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट की इजाजत दें। (व्यवधान) आपने मुझे बुलाया है। (व्यवधान) आप मुझे एक मिनट दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा सवाल है कि क्या क्वश्चन-आवर सस्पेण्ड होगा ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार चलाना चाहता हूँ। वस्तुतः यद्यपि देर से ही, लेकिन मुझे प्रश्न काल को निलम्बित करने संबंधी एक प्रस्ताव मिला है। मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मैं सभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलाऊं या सभा को स्थगित कर दूं।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मेरे लोग कश्मीर में जल रहे हैं। मेरे लोग वहां मर रहे हैं। कश्मीर में नरसंहार हो रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो आपने फरमाया, अभी एक मोशन पुजारी जी का हमारे सामने है [illegible] आफ द क्वेश्चन आवर"। कुछ सदस्यों का कहना है कि यह सस्पेंड न हो, मैं भी चाहता हूँ कि यह सस्पेंड न हो। लेकिन आपकी सेंस में देख रहा हूं तो स्पेशल केस के नाते

[अनुवाद]

मैं इजाजत दे रहा हूं—मैं समझता हूं कि मेरा विनिर्णय यह है कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सिवाय श्री पुजारी के किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, आपने सभा को सूचित किया है कि आपको प्रश्न काल के निलम्बन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नियम 388 में कहा गया है :

> "कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।"

अब श्री पुजारी ने एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यद्यपि उन्होंने यह 11 बू. पू. से पहले नहीं दिया है फिर भी आपने अपने स्व-विवेक से उन्हें अपनी सम्मति दे दी है। अब आप उन्हें वह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन प्रश्नकाल को केवल तभी निलम्बित किया जा सकता है। जब सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, अन्यथा नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, अब आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पुजारी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री पुजारी को अनुमति दी है; अब और कोई निवेदन की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। श्री पुजारी का मामला मेरा मामला नहीं है। श्री पुजारी का मामला एक अलग मामला है। मैं यहाँ एक वक्तव्य देना चाहता हूँ और इस पर प्रधानमन्त्री को प्रत्युत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा। लेकिन श्री सोज मुझे नियमों के अनुसार चलने दीजए।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कश्मीर अब संकट में है। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर आज कैसे जल रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, आप प्रश्नकाल के निलम्बन सम्बन्धी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)। श्री पुजारी

को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए। आपने उनके प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपनी सम्मति दे दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : *नहीं, मैं केवल श्री पुजारी को ही बोलने को अनुमति दूंगा।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैं प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही का संचालन करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, आप गलत पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम मत लीजिए, यह सदन की बात है। आप एक सुविज्ञ सदस्य हैं। आप इस बात को जानते हैं कि सदन की कार्यवाही किसी प्रकार चलायी जाती है। मुझे खेद है···

श्री पुजारी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको श्री पुजारी को बुलाने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मैं नियम जानता हूं। मैं उस अधिकार का प्रयोग करना जानता हूं। मैं केवल श्री पुजारी का नाम पुकारूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। अत. इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और श्री पुजारी को इसे प्रस्तुत करना चाहिए। और इसके बाद आप सदन की राय प्राप्त करें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री पुजारी के अतिरिक्त और किसी अन्य की बात नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी।

मुझे नोटिस की सूचना केवल श्री पुजारी से प्राप्त हुई है, अन्य किसी से नहीं। यदि किसी और ने भी उसका नोटिस दिया होता, तो मैं उस पर भी विचार करता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपने सदस्य को इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे। श्री रावत, मुझे खेद है; मैंने श्री पुजारी को अनुमति दी है।

आप नियमों के बारे में जानते हैं। उन्होंने प्रस्ताव का नोटिस दिया है··· मैं श्री पुजारी को इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री पुजारी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, मैं श्री पुजारी को ही बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, यदि आप इसे प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं तो बताइये। आप यह बताते क्यों नहीं हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, कल···(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : फैसला क्या हुआ ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्र शेखर मैं··· को बुलाने वाला हूं।

श्री चन्द्र शेखर : मैं अपने मित्र श्री सोज से निवेदन करूंगा कि वे मामले को मध्याह्न 12.00 बजे उठायें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी उन्हें यही बताया था।

श्री चन्द्रशेखर : मैं समझता हूं कि उनके द्वारा प्रतिदिन प्रश्नकाल मे बाधा डालना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार उन्हें समुचित रूप से सन्तुष्ट करेगी।

अध्यक्ष महोदय : अतः, अब हम प्रश्नकाल को लेंगे। हां, श्री गजपति।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री महोदय जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ गजपति : महोदय, इसे ध्यान में रखते हुए कि···।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल प्रश्न संख्या बोलनी है।

श्री गोपी नाथ गजपति : प्रश्न संख्या 923।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री जेना।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औद्योगिक क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण

*923. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधकीय कुशलता और उत्पादन में सुधार लाने के लिए इसका कम्प्यूटरीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओकांत केना) : (क) और (ख) औद्योगिक क्षेत्र की कार्यक्षमता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार इसमें कम्प्यूटर के ऐसे प्रयोग को प्रोत्साहित करती है जो उचित हो तथा जिसके प्रयोग से मजदूरों में बेकारी ना फैले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने "एप्रोप्रिएट आटोमेशन प्रोमोशन सेन्टर," और "माइक्रोप्रोसेसर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग सेन्टर" आदि जैसी कई सुविधाओं की व्यवस्था की है।

(ग) जी. नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बशीर, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब प्रश्न काल आरम्भ कर दिया है। मैं अब प्रश्न काल की कार्यवाही का संचालन कर रहा हूँ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, आपने मेरा नाम भी पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपका नाम पुकारा था तब आप नहीं बोले थे। श्री पुजारी, वास्तव में, जब मैंने आपको अनुमति दी थी, तब आपने अपनी बात कहनी आरम्भ ही नहीं की थी। मैं अब आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये अब कह रहे हैं कि ये पुनः इसे उठायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह उचित नहीं है। आपने उस समय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री पुजारी। हां श्री गजपति।

श्री गोपी नाथ गजपति : महोदय, इसको ध्यान में रखते हुए कि···(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : महोदय, आपने श्री पुजारी का नाम पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री गजपति का नाम पुकारा है। यदि आप अपने हाथ उठाकर मेरा ध्यान आकृष्ट करते हैं, तो मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मंगलम, वह ठीक नहीं है। मुझे प्रश्न काल की कार्यवाही संचालित करने दीजिए।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, आपने उनसे प्रश्न काल स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा था।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मगलम, क्या आपको ज्ञात है कि आपने उनसे आपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा था। जब मैंने उनका नाम पुकारा था, तब उन्होंने वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद मैंने प्रश्न काल की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : महोदय, वह ऐसा नहीं कर सके थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। जब श्री गजपति ने अपना प्रश्न पूछा था तो वह खड़े हो गये थे।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आपने मुझे अनुमति देकर उसके बाद श्री चन्द्रशेखर को बोलने की अनुमति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री गजपति, क्या आप प्रश्न पूछना नहीं चाहते ?

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : आपने कल वायदा किया था कि 'मेहम' के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद···

श्री डी. बशीर : माननीय प्रधान मन्त्री ने कल बताया था कि वे आज एक वक्तव्य देंगे। वे यहां मौजूद हैं। आपको उन्हें मेहम पर एक वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अत्यधिक गैर-जिम्मेदार विपक्ष है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न काल आरम्भ हो चुका है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : प्रश्नों से पहले मुझे एक बात कहनी थी। आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे ?

अध्यक्ष महोदय : नही, मैंने श्री गजपति को बोलने की अनुमति दी है। यह प्रश्न काल चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आपने अनेक बातों की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी थी। आप बैठ गये। आपने उस मामले को नहीं उठाया। आपने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। आपको बैठा दिया गया। उन्हें बैठा दिया गया। उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। मैंने स्वयं देखा है उन्हें बैठा दिया गया।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आपके अतिरिक्त, अन्य कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं बैठा सकता।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैंने आपको बताया था कि हम आपकी चिन्ता समझते हैं। परन्तु क्या आप यह नहीं समझते कि मेहम और कश्मीर में जो कुछ हुआ है, वह प्रश्न काल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ? क्या आप ऐसा नहीं मानते ?

अध्यक्ष महोदय : आप उस पर मेरे दृष्टिकोण के बारे में मत पूछिये। मुझे प्रश्न काल पूरा करना है और प्रश्न काल के बाद आप मामले को उठा सकते हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : कश्मीर में जो कुछ हुआ वह, अधिक गम्भीर मामला है। मेहम में जो हुआ वह, काफी गम्भीर मामला है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री जसवन्त सिंह।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो मामला है वह बिलकुल सीधा है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं प्रश्न काल की कार्यवाही संचालित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं जब अपनी बात कह रहा था तब आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे थे। आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे ?

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, आप पहले अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको कह रहा हूं, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

श्री जनार्दन पुजारी : जब मैं अपनी बात कह रहा था तब आप मुझे नहीं सुन रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुनने के लिए दस मिनट की प्रतीक्षा की।

श्री जनार्दन पुजारी : आपने प्रधान मंत्री को बोलने की अनुमति दी। फिर, आपने मुझे बुलाया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपको बैठने के लिए कहा गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, आपने श्री चन्द्र शेखर को बोलने की अनुमति दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बैठाया गया था। आपको बैठाया गया था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न काल निलम्बित न किया जाए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं सम्पूर्ण सभा के समक्ष अनुरोध करना चाहता हूं। (व्यवधान) महोदय, कृपया मेरा अनुरोध सुनिए। यह हमारा अधिकार है कि प्रश्न काल हो। (व्यवधान) प्रश्न काल को निलम्बित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वस्तुतः मैंने श्री पुजारी को 5 से 10 बार कहा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्तजार करता रहा कि श्री पुजारी प्रश्न काल को स्थगित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके बाद ही मैंने उन्हें अनुमति दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बोलना चाहते थे। उनकी पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने उन्हें बैठने के लिए कहा और वह अपने स्थान पर बैठ गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह है। इसके बाद मैंने प्रश्न शुरू किए और श्री गोपी नाथ गजपति को प्रश्न पूछने के लिए कहा और श्री जेना ने उत्तर दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह है कि श्री पुजारी अब पुनः कह रहे हैं कि वह बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, क्या आपका मुद्दा यह है कि आप प्रश्न काल निलम्बित करने के अपने प्रस्ताव को रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं, मैं नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न काल को स्थगित करने के अपने प्रस्ताव को रखना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न काल के निलम्बन संबंधी अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं यह कह रहा हूं कि क्योंकि उन्होंने अपना प्रस्ताव नहीं रखा इसलिए मैं अगला विषय लेने लगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, यदि श्री पुजारी प्रश्न काल के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपने प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहता हूं। अब श्री पुजारी बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं इस मामले का निपटारा करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पुजारी बोलें। मैं इस प्रस्ताव को निपटाना चाहता हूं। मैं अन्य सदस्यों को नहीं बुला रहा हूं। आप कृपा अपना स्थान ग्रहण करें। पुजारी जी, क्या आप बोलेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामधन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

डा. विप्लव दास गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामधन जी आप बैठ जायें।

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। जिस तरह से आज सदन---

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कहें, आपका क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

(व्यवधान)

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आपने कहा पुजारी जी को, लेकिन आपके बार बार कहने पर भी पुजारी जी ने मोशन मूव नहीं किया और आपने धन्यवाद आबर के लिए श्री गजपति जी को बुलाया और मिनिस्टर साहब ने उस का जवाब भी दिया, फिर आपने अपना निर्णय क्यों बदल दिया ?

महोदय अध्यक्ष : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैं शांति से काम लेना चाहता हूं आप लोग बैठ जायें। विप्लव बाबू आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष के नाते आपको सभा का संचालन करना है। आपने एक सदस्य को बोलने के लिए कहा जैसे आपने श्री पुजारी को कहा। जब आप एक सदस्य को बोलने के लिए कहें तो यह देखें कि उस सदस्य को बोलने का अवसर मिले।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी बोलें।

———

11.42 म. पू.

नियम ३८८ के अधीन प्रस्ताव

प्रश्न काल का निलम्बन

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने कल एक नोटिस दिया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

डा. विप्लव दास गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिए।

डा. विप्लव दास गुप्त : मैं देख रहा हूं कि अनेक सदस्य जानबूझकर सभा की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। यदि वे आपको सुनना नहीं चाहते तो आप उनका नाम लेकर पुकारें और उन्हें सभा से बाहर निकाल दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमार मंगलम जी आप बैठ जाएं। चार्ल्स जी आप भी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने ही सदस्य को बोलने देना नहीं चाहते ? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चार्ल्स जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। सईद जी, मैंने आपको अनुमति नहीं है कृपया बैठ जाइए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं तो सदैव ही आपके आदेश का पालन करता रहा हूं। मैंने कभी भी आपकी अवज्ञा नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा का सही तरह से संचालन करने दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अपने ही सदस्य को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने कल भी 10 म. पू. से पहले नियम 388 के अधीन एक प्रस्ताव दिया था। नोटिस आफिस में अधिकारी ने यह पत्र पढ़ा था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि प्रश्न काल निलम्बित करने पर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। मैंने आपको नोटिस दिया था। (व्यवधान) लेकिन आपने कहा है, "कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।" (व्यवधान)

अब, बाद में आपके कार्यालय ने टेलीफोन किया और कहा कि मैंने एक नोटिस दिया है। (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री खड़े हुए और उन्होंने हमें बताया कि वह सभी संवैधानिक मुद्दों पर विचार करके आज आएंगे और सभा को बताएंगे (व्यवधान) जब मैं प्रश्न काल निलम्बित करने के लिए अपना प्रस्ताव रखना चाहता था तब आपने मुझे अनुमति नहीं दी···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है, इस प्रकार मत कहिए .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं एक वक्तव्य देना चाहता था (व्यवधान) कृपया मुझे सुनिए। इस दौरान आपने श्री चन्द्र शेखर को एक वक्तव्य देने की अनुमति दे दी और मैं एक अनुशासित सदस्य की तरह बैठ गया···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रस्ताव रखेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल अपना प्रस्ताव रखने के लिए एक सैकिंड देता हूं। मैं किसी अन्य मुद्दे की अनुमति नहीं दूंगा . आप केवल प्रस्ताव रखिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं तो इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप प्रस्ताव रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : आपको लोकतन्त्र के एक संरक्षक के नाते हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री एक वक्तव्य दें ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक सैकिंड की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं एक अनुरोध करता हूँ। आप कृपया मन्त्री को एक वक्तव्य देने के लिए कहें। आप अपना निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री जनार्दन पुजारी : आप प्रधान मन्त्री का वक्तव्य देने से रोक रहे हैं ? (व्यवधान)

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जिसमें यह प्रावधान है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, को निलम्बित करती है ताकि महम के प्रश्न पर चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जिसमें यह प्रावधान है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, को निलम्बित करती है ताकि महम के प्रश्न पर चर्चा की जा सके।"

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो विरोध में हों वे कृपया "नहीं" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : "नहीं"।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ।

श्री वसंत साठे : निर्णय "हां" वालों के पक्ष में है।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली कर दी गयी है। प्रश्न यह है···

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न काल समाप्त हो गया है महोदय ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। एक अल्प सूचना प्रश्न भी है। अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जिसमें यह प्रावधान है कि बैठक का पहला घन्य प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, को निलम्बित करती है ताकि महम के प्रश्न पर चर्चा की जा सके।"

अध्यक्ष महोदय : जो पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो विरोध हों वे कृपया "नहीं" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अस्वीकृत होता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना, प्रश्न को लेंगे। प्रो. के. वी. थामस···वह उपस्थित नहीं हैं ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

— ———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंजनों का तुलनात्मक कार्य निष्पादन

*924. श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी रेल लाइन के विद्युत, डीजल और भाप चालित इंजनों की लागत के अनुसार उनके कार्य निष्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और इन तीन श्रेणियों में इस समय कुल कितने-कितने इंजन हैं;

(ख) कुल परिवहन में से इंजनों की प्रत्येक श्रेणी द्वारा कितने प्रतिशत परिवहन किया जाता है; और

(ग) कार्य कुशलता बढ़ाने और बचत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊर्जा बचत तथा अनुरक्षण पद्धतियों पर कड़ी निगरानी।

विवरण

वर्ष 1988-89 से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

(क) प्रति हजार सकल टन किलोमीटर के हिसाब से लागत तथा संख्या :—

कर्षण	यात्री यातायात (रुपये) (अनंतिम)	माल यातायात (रुपये) (अनंतिम)	31.3.89 को संख्या
बिजली	41.41	23 45	1513
डीजल	33.87	24.58	2665
भाप	140.85	411 61	1958

(ख) ढुलाई का वर्षवार हिस्सा :—

कर्षण	यात्री	माल
बिजली	33.60	40.29
डीजल	48.69	58.76
भाप	17.71	0.95

सागर दिघी और बज-बज ताप विद्युत परियोजनाएं

*925. **श्री समत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल सरकार की दो ताप विद्युत परि. परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिन्हें सागर दिघी और बज-बज में स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या राज्य में बिजली की संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार इस मामले में फिर से जांच कराने तथा इन दोनों विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) वेस्ट बंगाल पावर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यू. बी. पी. डी. सी.) द्वारा मुर्शिदाबाद में सागर दिघी में (210-210 मेगावाट के 5 यूनिट तथा 500-500 मेगावाट के 2 यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना है) और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन (सी. ई. एस. सी.) द्वारा कलकत्ता के बज-बज क्षेत्र में) 250-250 मेगावाट के दो यूनिट) ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव क्रमशः दिसम्बर, 1985 तथा मार्च, 1990 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) में प्राप्त हुए थे। सागर दिघी कार्यस्थल के सम्बन्ध में कुछ सुरक्षा-उपायों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

बज-बज प्रस्ताव के सम्बन्ध में मार्च, 1990 में के. वि. प्रा. द्वारा सी. ई. एस. सी. के साथ विचार-विमर्श किया गया था। सी. ई. एस. सी. ने संशोधित परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सहमति प्रकट की थी जो कि अभी तक के. वि. प्रा. में प्राप्त नहीं हुई है। इस स्कीम के सम्बन्ध में किसी प्रकार के निवेश/स्वीकृति को सुनिश्चय नहीं किया है।

कोयला लिंकेज, विद्युत की सप्लाई की व्यवस्था आदि जैसे सभी निवेश सुनिश्चित किए जाने और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद ही के. वि.

प्रा. द्वारा उपर्युक्त दो प्रस्तावों के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु विचार किया जा सकेगा।

महाराष्ट्र में मालगाड़ियों से सामान की चोरी

*926 श्री बसंत साठे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विभिन्न रेलवे स्टेशों पर मालगाड़ियों से सामान की चोरी से सम्बन्धित अनेक मामले दर्ज किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इससे रेलवे को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं। वस्तुतः पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी की घटनाओं में गिरावट का रुख दिखायी दिया है।

(ख) नीचे दी गई तालिका में ब्योरा दिया गया है :—

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य (आंकड़े लाख में)
1987	418	10.75
1988	378	3.90
1989	249	4.59

(ग) किए गए निवारक उपायों में कड़ी निगरानी, अन्य प्राधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय तथा आसूचना एकत्र करना शामिल है।

विदर्भ एक्सप्रेस

*927. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ एक्सप्रेस नागपुर से मुम्बई और मुम्बई से नागपुर सप्ताह में केवल चार दिन ही चलाई जाती है;

(ख) क्या विदर्भ एक्सप्रेस को सप्ताह में सभी सात दिन चलाने की निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण मांग फिलहाल पूरी नहीं की जा सकती।

दावणगेरे और तुमकुर के बीच सीधा रेल सम्पर्क

*928. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तुमकुर और दावणगेरे के बीच का रेलमार्ग घुमावदार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिरा, हिरियूर, चित्रदुर्गा होते हुए तुमकुर और दावणगेरे के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं। मौजूदा मार्ग अरसीकेरे, बिरुर तथा चिकजाजुर से होकर है तथा बेंगलुरु-हुबली मीटर लाइन ट्रंक मार्ग पर पड़ता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाया जाना

*929. श्री टी. बशीर : क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोई सर्वेक्षण किया है तथा देश के कुछ विमानपत्तनों का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1984-85 और 1986 में अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के परिचालन की संभावना का पता लगाने के लिए छः अन्तर्देशीय हवाई अड्डों का यातायात सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार साप्ताहिक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात इस प्रकार था :—

हवाई अड्डा	अनुमानित साप्ताहिक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात
1	2
1. तिरुअनन्तपुरम	7900

1		2
2.	हैदराबाद	4700
3.	बंगलूर	2600
4.	अहमदाबाद	1700
5.	मंगलूर	1550
6.	नागपुर	170

(ग) कुल मिलाकर बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के मौजूदा चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत से जाने वाले और भारत को आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की संभाल करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। यद्यपि कुछ अन्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उनमें इस समय सीमित अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं परिचालित की जा रही हैं। ये हैं, तिरुअनन्तपुरम, हैदराबाद, गोवा, वाराणसी, तिरुचिरापल्ली और अमृतसर।

पूर्वी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन

*930 श्री सुधीर गिरि : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1987 से 1989 की अवधि के दौरान, वर्षवार तथा राज्य-वार, कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) विभिन्न राज्यों को कोयले के उत्पादन में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कोयले के उत्पादन में असंतुलन को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) देश के पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1987 से वर्ष 1989 की अवधि के दौरान हुए कोयले के उत्पादन को वर्षवार तथा राज्य वार नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष निम्नलिखित राज्यों में हुआ कोयले का उत्पादन

(मि. टन)

	बिहार	प. बंगाल	उड़ीसा	असम
1987-88	64.41	20.26	8.96	1.00
1988-89	67.91	21.12	10.93	0.93
1989-90	63.89	20.28	13.25	0.84

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य के कोयले का उत्पादन स्तर कोयले के भण्डारों के स्वरूप, संचयन, संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर निर्भर करती है जिसमें भूमि, कोयले की मांग, आदि शामिल हैं। उदाहरण स्वरूप पं. बंगाल के रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में कोयले का खनन कार्य 200 वर्षों से पूर्व शुरू किया गया था और अन्य कोयला क्षेत्रों को बहुत बाद में विकसित किया गया था। अतः विभिन्न राज्यों के उत्पादन के विभेदन होने को असन्तुलन के रूप नहीं समझा जा सकता है।

ट्रेड यूनियन को कार्यों के लिये प्रताड़ित किया जाना

*931. श्री ए. के. राय :क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आल इंडियस रेलवे एम्पलाइज कान्फेडरेशन, ए. आई. एल. आर. एस. आर. एस. ए. तथा अन्य यूनियनों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया है कि पिछले प्रशासन के दौरान ट्रेड यूनियन के कार्यों के लिए बड़ी संख्या में प्रताड़ित किये गए सभी रेल कर्मचारियों को दोष मुक्त कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इन यूनियनों द्वारा बताये गये प्रताड़न संबंधी मामलों का मण्डलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों के निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) 26.3.1990 को लोक सभा में 1990-91 के रेल बजट पर आम बहस का उत्तर देते समय, रेल मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि ट्रेड यूनियन आंदोलनों में भाग लेने के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम 14 (ii) के अन्तर्गत 1980-81 से सेवा से हटाये गये कर्मचारियों के सभी मामलों की उनके समग्र परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जाएगी और उस तरह का निर्णय लिया जायेगा ताकि इस समस्या का समाधान ढूंढने में मदद मिले। यूनियनों/फेडरेशनों/कंफेडरेशनों से जो व्यक्ति उनसे मिले थे उन्हें भी उन्होंने यही आश्वासन दिया है

(ख) आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, दिल्ली एकमात्र एसोसिएशन है जिसने अभी तक प्रताड़ित किये जाने के कथित मामलों का ब्यौरा मंत्रालय स्तर पर प्रस्तुत किया है। यह ब्यौरा जो बर्खास्तगी/सेवा से हटाने/वेतन वृद्धि को रोकने, ओहदा घटाने/वेतन घटाने/सुविधा पासों को रोकने/सेवा-भंग/अनिवार्य सेवा विवृत्ति/निलम्बन/स्थानांतरणों आदि से संबंधित हैं, नीचे दिया गया है :—

रेलवे	मंडल	मामलों की संख्या
1	2	3
मध्य	शोलापुर	1
	बम्बई	1

1	2	3
पूर्व	धनबाद	1
	मुगलसराय	2
उत्तर	इलाहाबाद	1
दक्षिण	तिरुवन्नतपुरम	6
	मैसूर	8
	मदुरै	8
	तिरुच्चिरापल्ली	56
	पालघाट	1
	बेंगलूरु	2
	मद्रास	12
	उल्लिखित न किये गये	7
दक्षिण-मध्य	हुबली	17
	विजयवाडा	6
	सिकन्दराबाद	3
दक्षिण-पूर्व	चक्रधरपुर	1
	आद्रा	1
उल्लिखित न किया गया		1

इनमें से केवल तीन मामले (मुगलसराय मंडल-2, मैसूर मंडल-1) रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 14 (ii) के अधीन बर्खास्तगी से सम्बन्धित हैं। इन तीनों मामलों में भी सभी कर्मचारियों को पहले ही बहाल किया जा चुका है।

(ग) रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 14 (ii) के अधीन मामलों की समीक्षा एक जटिल प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई की जाने वाली बिजली का मूल्य

*932. श्रीकान्त वस नरसिंह राज वांडिया : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को यह सुझाव दिया है कि वह राज्य बिजली बोर्डों को कम मूल्य पर बिजली की सप्लाई करें;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का राज्य बिजली बोर्डों को द्विभागीय विद्युत टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत कम मूल्य पर बिजली की सप्लाई करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने टैरिफ के निर्धारण के कुछ मानकों का सुझाव दिया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित टैरिफ विद्यमान टैरिफ से कम होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं द्वारा रसोई गैस के डीलर बदलना

*933. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रसोई गैस डीलरों द्वारा गैस सिलिंडरों की सप्लाई में विलम्ब करने तथा कम भार वाले गैस सिलिंडरों की सप्लाई करके कदाचार और परेशान करने के अनुचित तरीकों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी शिकायतों का शीघ्र निवारन सुनिश्चित करने हेतु कौन सा संस्थान तंत्र गठित किया है;

(ग) क्या इस प्रकार की स्थिति अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में भी गैस डीलर बदलने की अनुमति दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और डीलर बदलने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम एम गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) एल. पी. जी. वितरकों के विरुद्ध मिली ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार दोषी वितरकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। यदि रिफिल सिलिंडर कम भार का पाया जाता है तो उसे निःशुल्क बदला जाता है।

(ग) और (घ) डीलर को छोड़ने की योजना के अनुसार मौजूदा वितरक की सेवाएं संतोषजनक न होने अथवा स्थान की असुविधा के मामले में एक एल. पी. जी. उपभोक्ता अपनी पसन्द का कोई भी एक वितरक चुन सकता है यह योजना महानगरों, राज्यों की राजधानियों और शहरों में एक चरणबद्ध रूप से आरम्भ की गई है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार वितरक को बदलने के इच्छुक उपभोक्ता को अपना कनेक्शन उसके यहां से समाप्त करवाने के लिए सम्पर्क करना होता है और अपनी पसन्द के दूसरे वितरक से यदि वह उसी तेल कम्पनी का है तो अन्तरण वाउचर के साथ पुनः कनेक्शन देने के लिए सम्पर्क करना होता है। और यदि दूसरी तेल कम्पनी का वितरक बदलना होता है तो समापन वाउचर के साथ सम्पर्क करना होता है। तथापि, ऐसे अन्तरण

की अनुमति उन्हीं मामलों में दी जाती है जहां उपभोक्ता ने पिछले वितरक के साथ कम से कम 6 महीने पूरे कर लिए हों और उस उपभोक्ता का निवास स्थान नए वितरक के विपणन क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो।

एअर इण्डिया में महिला कर्मचारियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

*314. श्री हरि शंकर भदौरिया : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया में रात की पाली में काम पर आने वाली महिला कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एअर इंडिया द्वारा रात की पाली के दौरान महिला कर्मचारियों को अन्य क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) रात्रि शिफ्टों के दौरान महिला कर्मचारियों को टर्मिनल भवन के अन्दर ही ड्यूटी दी जाती है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करना

*935. डा. महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा प्रत्येक वर्ष चतुर्थ श्रेणी के अनेक कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं और उनके स्थान पर नई भर्ती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जब नियमित कर्मचारी फालतू हो जाते हैं तब उन्हें अन्य काम पर पुनः तैनात कर दिया जाता है। इसलिए वर्ग "घ" के नियमित कर्मचारियों (पूर्ववर्ती चतुर्थ श्रेणी) की सेवा समाप्त करने का सामान्यतया प्रश्न नहीं उठता।

तथापि नियमित पदधारियों के अभाव में वर्ग "घ" के अवधि के रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए एजेंसियों को सेवा में बनाए रखने के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने पर सेवा से हटा दिया जाता है।

इसी प्रकार नैमित्तिक श्रमिकों को उनके लिए कार्य उपलब्ध न होने पर सेवा से हटा दिया जाता है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तट पर तेल और गैस का पता चलना

[अनुवाद]

*916. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :

श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तट पर गोरी क्षेत्र में खोदे गए पहले कुएं में तेल और गैस मिली है;

(ख) यदि हां, तो वहां तेल और गैस कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) क्या मोरी के आस-पास के क्षेत्रों मे भी तेल और गैस प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरे क्या है; और

(ङ) इन स्थानों से तेल निकालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। कृष्णा गोदावरी बेसिन में नरसापुर शहर के दक्षिण पूर्व मोरी नामक स्थान पर मोरी कुंआ खोदा गया है। ऊर्ध्वाधर जांच में उत्पादित तेल और गैस की दर क्रमश: 595 बैरल प्रति दिन और 92·081 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन थी।

(ग) से (ङ) : मोरी संभावित क्षेत्र के पड़ोसी क्षेत्रों में रजोल, नरसापुर और चिंतलापल्ली संभावित क्षेत्रों में केवल गैस पाई गई है। रजोल और नरसापुर स्थान को प्रारम्भिक उत्पादन प्रणाली में रखा गया है। चिंतलापल्ली में अभी भी रूपांकित्रण चल रहा है।

पारले फूड प्रोडक्ट्स के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की जांच

*937. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने पारले फूड प्रोडक्ट्स द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 1990 को विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में जनता को गुमराह करने वाले बाले इस विज्ञापन के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है कि उनके शीतल पेय पदार्थों के निर्माण में "ब्रोमिनेटेड वैजिटेबल आयल्स" का प्रयोग नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने दिनांक 3·5·1990 के आदेश द्वारा महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) और निदेशक (अनुसंधान) को शीतल पेयों के विनिर्माण हेतु ब्रोमीनेटेड वनस्पति तेलों के अभिकथित प्रयोग के बारे में प्रारम्भिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है। एकाधिकार तथा अवरोधक

व्यापारिक आयोग को, एक न्यायिक कल्प निकाय होने के नाते इस विषय में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शक्तियां प्राप्त है ।

मंगलौर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र

*938. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कर्नाटक में मंगलौर में एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आई. एम. जो. के आयात की सम्भाव्यता और आयातित आई. एन. जी. की मंडारण व्यवस्था हेतु टर्मिनलों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की जांच कर रहा है। गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि. अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही परियोजना की संभाव्यता और टर्मिनलों के लिए विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा ।

औषध मूल्यों की पुनरीक्षा के लिए समिति

*939. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन औषधों के मूल्यों की पुनरीक्षा करने के लिए कोई पुनरीक्षा समिति नियुक्त की थी जिनके संबंध में न्यायालयों में चुनौती दी गई थी,

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्धीन विषय क्या है और उन औषधों के नाम क्या हैं जिनके मूल्यों की पुनरीक्षा की गई; और

(ग) समिति द्वारा प्रत्येक औषध के लिए कितने मूल्य की सिफारिश की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय में अंतर्ग्रस्त कम्पनियों के मूल्य समीक्षा आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए 9 मई, 1988 को श्री एम एस. मूर्ति, सलाहकार (रसायन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपने निष्कर्ष सरकार को दे दिये हैं । इन निष्कर्षों के विरुद्ध काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि इस समिति के निष्कर्षों और उसके बाद की स्थितियों की नये सिरे से जांच की जाए ।

मुगलसराय से पटना तक पैसेंजर रेलगाड़ी

[हिन्दी]

*940. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतास जिले से पटना के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पी. जी. डी. 1 और पी. जी. डी. 2 पैसेंजर रेलगाड़ियों को मुगलसराय तक बढ़ाकर इनको ससाराम और गया होते हुए मुगलसराय से पटना तक चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं । दो सीधी गाड़ियां हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रीमियर पदमिनी कारों का उत्पादन और मांग

*941. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदमिनी कारों की सप्लाई इनकी मांग की तुलना में कम है जिसके परिणामस्वरूप इनकी काला बाजारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पदमिनी कार निर्माताओं को अपनी क्षमता में वृद्धि करने और उत्पादन बढ़ाने हेतु अन्य कारखाने उपलब्ध करने के निर्देश देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) निर्माता ने सूचित किया है कि प्रीमियर पदमिनी कारों की आपूर्ति वार्षिक आधार पर इसकी मांग के अनुरूप है । किन्तु, कारों की मांग में कमी और वृद्धि होती रहती है और किसी खास अवधि में इसकी मांग अपनी चरम सीमा पर होती है जिसके परिणामस्वरूप डिलिवरी की अवधि अस्थायी तौर पर लम्बी हो जाती है । सामान्य डिलिवरी अवधि 3 से 4 सप्ताह बताई गयी है ।

(ख) और (ग) सरकार वाहनों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं लगाती है । निर्माता मांग को ध्यान में रखकर अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर यात्री कारों के निर्माण में वृद्धि करने के प्रयास करते रहते हैं । प्रिमियर पदमिनी कारों का कुल उत्पादन 1988 में 31059 कारों से बढ़कर 1989 में 34049 कारें हो गया है ।

खाना पकाने की गैस के सिलिंडर भरने के संयंत्र

[अनुवाद]

*942. **श्री एस. कृष्ण कुमार** :

श्री काशाराम राणा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वर्ष 1990-91 के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलिंडर भरने के लिए और अधिक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कम्पनी-वार प्रत्येक संयंत्र कहां-कहां पर स्थापित किया जाएगा और उसकी क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) निम्नलिखित निर्माणाधीन बोटलिंग संयंत्रों के (1990-91) के दौरान आरम्भ होने की संभावना है।

क्रम संख्या	राज्य एवं स्थान	क्षमता (एम. टी. पी. ए)
इंडियन आयल कार्पोरेशन		
1.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	25,000
2.	विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	10,000
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन		
3.	उरान (महाराष्ट्र)	1,32,000
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन		
4.	उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	5,000
5.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	5,000

त्रिवेन्द्रम (केरल) में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन का 22,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक बोटलिंग संयंत्र ने 4.5.90 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

डीजल में मिलावट

[हिन्दी]

श्री पू. प्र. 4. प्रो. के. वी. थामस : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई संगठनों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि डीजल के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी के तेल में वृद्धि न करने के कारण डीजल में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो डीजल में मिलावट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं। तथापि पेट्रोल/डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट के संबंध में मंत्रालय में समय समय पर शिकायतें आमतौर पर मिलती रहती हैं।

(ख) पेट्रोल और डीजल के साथ मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है ।

(1) पेट्रोल पंपों पर फिल्टर पेपर परीक्षण ।

(2) आपूर्ति तथा प्राप्ति दोनों ही स्थानों पर एच. एस. डी. का तापमान और उसका घनत्व रिकार्ड करना ।

(3) मिट्टी के तेल को फर फुरल के साथ मिलाया जाना ।

(4) पेट्रोल पंपों पर अचानक निरीक्षण करने के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं आरंभ करना ।

(5) तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पंपों और मिट्टी के तेल की एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करना ।

(6) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वितरण, व्यापार और वाणिज्य तथा किसी भी प्रासंगिक और अनुषूरक मामले के लिए समुचित आदेश जारी करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

एअर इंडिया के कर्मचारियों को विशेषअवकाश

9744. **श्री अमल दत्त** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1989 के "मिडडे" बम्बई में 'एआईज स्पेशल लीव फार फेवरड एम्पलाइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार का एअर इंडिया में कुछ व्यक्तियों को ऐसा विशेष अवकाश की मंजूरी रोकने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) यह आरोप सही नहीं है कि ऐअर इंडिया द्वारा पक्षपात के तौर पर कर्मचारियों को विशेष छुट्टी मंजूर की जाती है । प्रक्रिया के अनुसार, निगम मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों ने जब कभी भी इस प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हे विशेष छुट्टी मंजूर करता है जिससे वे समिति की बैठकों, प्रबंधकवर्ग और संगठनात्मक कार्य की बैठको मे भाग ले सकें । इस प्रकार की छुट्टी एअर इंडिया में सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों को दी जाती है ।

निजामुद्दीन स्टेशन पर लाइसेंसशुदा कुली

9745. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने निजामुद्दीन स्टेशन पर लाइसेंसशुदा कुलियों को भिन्न-भिन्न

रेलगाड़ियों के लिए सामान तथा पार्सल बुक करने तथा उनमें सामान चढ़ाने और उतारने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन पर पार्सल कुलियों के कार्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो ऐसी गैर-कानूनी प्रथा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा ताप विद्युत केन्द्र

[हिन्दी]

9746. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा ताप विद्युत केन्द्र ने, 210 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना के बावजूद कोयला हैंडलिंग संयंत्र की स्थापना न किए जाने के कारण अभी कार्य शुरू नहीं किया है;

(ख) क्या उक्त संयंत्र की स्थापना का कार्य जिस कम्पनी को दिया गया था उसने अब तक कोयला हैंडलिंग संयंत्र स्थापित नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कम्पनी द्वारा संयंत्र के स्थापना कार्य को शीघ्र करवाने हेतु क्या कार्रवाई की है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कोटा ताप विद्युत परियोजना चरण-दो की 210-210 मेगावाट की यूनिट 3 व 4 को क्रमशः सितम्बर, 1988 तथा मई, 1989 में समकालिक किया गया था । इन्हें क्रमशः दिसम्बर, 1988 एवं अक्तूबर, 1989 में कोयला से चलाया गया था ।

(ख) और (ग) कोयला हैण्डलिंग संयंत्र की आपूर्ति/प्रतिष्ठापित करने का कार्य भारत सरकार एक उपक्रम मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि. को सौंपा गया था । कुछ सप्लाई/कार्य लम्बित हैं जिनके लिए फर्म के साथ आगे कार्यवाही की जा रही है ।

एअर इंडिया में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन

[अनुवाद]

9747. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 1990 के फ्री प्रेस जनरल (बम्बई) में "वाइलेशन आफ सेफ्टी नार्म्स इन एअर इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी घटनाओं की जांच की गई थी और उपयुक्त अनुदेश जारी किये गए थे। जहां भी आवश्यक समझा गया, जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ कारंवाई की गई थी।

अजमेर में रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

9748. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में अजमेर में संचालित रसोई गैस एजेंसियों द्वारा कम वजन की गैस के सिलिंडरों की सप्लाई और गैस की चोरी, सिलिंडरों की कालाबाजारी, सिलिंडरों की अनियमित सप्लाई, सिलिंडरों की घर की बजाए सड़क किनारे पर सप्लाई, कनैक्शन देते समय उपभोक्ताओं को एजेंसी से ही गैस चुल्हा खरीदने पर विवश करने और उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार जैसी उपभोक्ताओं की कथित शिकायतों के विरुद्ध एजेंसी-वार क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : अजमेर नगर में कार्य कर रहे एलपीजी वितरकों के विरुद्ध वर्ष 1989-90 के दौरान तेल कम्पनियों को लगभग 138 शिकायतें मिलीं। जांच के बाद 13 शिकायतें सही पाई गई। विपणन अनुशासन विधा निर्देशों के अनुसार दोषी पाए गए वितरकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। इस संबंध में एजेंसीवार और शिकायतवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	वितरक का नाम		शिकायतों की संख्या	शिकायत की प्रकृति	की गई कार्यवाही
1	2		3	4	5
1.	मै. अजमेर सहकार उपभोक्ता होलसेल भण्डार		3	सिलेण्डरों की अनियमित सप्लाई	वितरक को सावधानी पत्र जारी किया गया
2.	मै. अवन्तिका	(1)	1	वही	वही
		(2)	2	हाटप्लेट खरीदने के लिए जोर देना	वही
		(3)	1	दुर्व्यवहार	वही

1	2	3	4	5
3. मै. भगवती गैस	(1)	1	क. अधिक पैसा लेना ख. अनियमित रीफिल सप्लाई ग. कम वजन वाले सिलेण्डर देना घ. वितरक के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 3 महीने यथा जन, 90 से मार्च, 90 तक इस वितरक के मार्फत नए कनक्शनों की रिलीज रोक दी गई।
	(2)	2	टर्मिनेशन वाउचर देने में देरी करना	वितरक को साथ ही साथ पत्र जारी किया गया इस बीच टर्मिनेशन वाउचर जारी किए गए।
4. मै. मातृछाया गैस		2	वही	वही
5. मै. ओम गैस		1	टर्मीनेशन वाउचर के प्रति कनेक्शन देने में देरी करना	चेतावनी पत्र जारी किया गया इसी बीच कनेक्शन दे दिया गया

सिले सिलाये परिधानों में अमरीकी संयुक्त उद्यम

9749. **श्री आत्माराम पोटदुखे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अमरीकी सिले-सिलाये परिधानों वाली बड़ी कम्पनियां अपने डेनिम और जीन्स उत्पादों के साथ शीघ्र भारत में प्रवेश करने जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में पहले से विद्यमान एवं प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे ऐसे अमरीकी संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें किस आधार पर इसकी अनुमति दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में ऐसा

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें विशेष रूप से डेनिम तथा जीन्स उत्पादों के विनिर्माण के वास्ते किसी भी यू. एस. ए. कंपनी के साथ विदेशी सहयोग हेतु अनुमोदन मांगा गया हो।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने सिले-सिलाये वस्त्रों तथा निटवियर एवं चमड़े के परिधान जिसमें एक यू. एस. ए. के साथ सहयोग अन्तर्ग्रस्त है, के विनिर्माण हेतु सरकार ने एक प्रस्ताव मई, 1988 में अनुमोदित किया था। प्रस्ताव का अनुमोदन करने में मुख्य विचार ये थे :

(1) परियोजना लघु उद्योग क्षेत्र में होगी।

(2) परियोजना में कुल उत्पादन के 75% का निर्यात करने की परिकल्पना है।

(3) केवल निर्यात पर ही रायल्टी (राजशुल्क) देय है तथा इसमें अन्य कोई भुगतान अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

कलकत्ता में उपनगरीय रेल सेवाओं को समाप्त करना

9750. श्री मानिक साग्याल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन आयोजना समिति ने कलकत्ता में उप-नगरीय रेल सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कन्फैडरेशन आफ सियालदह पैसेंजर्स एसोसिएशन, कलकत्ता का दिनांक 20 मार्च, 1990 का कोई ज्ञापन मिला है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

और अधिक शक्तिशाली इंजिनों को प्रयोग में लाना

9751. श्री विश्वंभर नाथ शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे में और अधिक शक्तिशाली इंजिनों के प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान इस प्रकार के कितने इंजिनों के प्रयोग करने का विचार है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए चुने गए मार्गों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों की खरीद के लिए सभी आर्डर दिये जाते हैं। अतः इन्हें 1990-91 के दौरान चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उच्च क्षमता वाले मार्ग।

मत्स्यन क्षेत्र के लिए डीजल की सप्लाई

9752. श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती राज्यों को मत्स्यन क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर डीजल तेल सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर डीजल सुविधा कराने के प्रस्ताव को संसाधन संबंधी अड़चनों के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि. द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग समझौता

9753. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि. ने संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनी "दुपान्ट" के साथ एक्स-रे फिल्मों और graphic arts फिल्मों के लिए एक तकनीकी सहयोग संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी को, उससे तकनीकी जानकारी लेने के शुल्क के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया/किया जाना है;

(ग) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में एक दूसरी कम्पनी, बिना कोई तकनीकी जानकारी का शुल्क देकर, इसी प्रकार की परियोजना स्थापित कर रही है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) सरकार ने किस आधार पर उसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अर्थात् "दुपान्ट", संयुक्त राज्य अमेरिका से पालिएस्टर आधारित फिल्मों का निरन्तर आयात करने की मंजूरी दी है।

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि. ने पालिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे एवं ग्राफिक आर्ट फिल्मों के निर्माण हेतु मैसर्स डुपान्ट, अमरीका के साथ एक तकनीकी सहयोग करार किया है। 46·45 मिलियन अमरीकी डालर (कर रहित) की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाना है।

(ग) वर्ष 1989 में निजी क्षेत्र को एक इकाई को पालिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे फिल्मों आदि का निर्माण करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया था। इस आशय पत्र की एक शर्त यह थी किसी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) और (ङ) गुणवत्ता, प्रौद्योगिक लागत आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थी जो तथ्यों की कसौटी पर सही नहीं पाई गई।

(च) इस समय हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि. फिल्मों की गुणवत्ता को देखते हुए भारतीय विपणन से परिचित होने के लिए विपणन तैयार करने के लिए मैसर्स डुपान्ट, अमरीका से पालिस्टर पर आधारित जम्बो रोलों का आयात कर रहा है, जिसका उत्पादन एच. पी. एम. द्वारा अक्तूबर, 1991 से किया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगार युवावर्ग को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत केरल को दिया गया ऋण

9754. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को शिक्षित बेरोजगार युवावर्ग को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण के उपयोग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) इस संबध में किए गए नवीनतम अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए मार्ग निर्देश जारी किए हैं कि जिला औद्योगिक केन्द्र इस योजना के अन्तर्गत ऋण संबंधी आवेदन पत्रों पर सिफारिश करते समय समुचित कार्यवाही करें; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में ऋण दिए जाने तथा उसका समुचित उपयोग होने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओकार्त जेना) : (क) केरल के कोझीकोड और त्रिचूर जिलों में शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार की योजना के कार्यकरण का मूल्यांकन क्रमशः सेन्टर फार मैनेजमैंट डेवलपमैंट, त्रिवेन्द्रम और केरल कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार निदेशालय द्वारा किया गया है।

(ख) रिपोर्टों में बताया गया है कि कोझीकोड और त्रिचूर जिलों में जिन एककों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें से क्रमशः 84% और 73 प्रतिशत एकक काम कर रहे हैं। रिपोर्टों में अन्य बातों के अलावा यह भी बताया गया है कि कार्यशील एककों से होने वाली आय पर्याप्त नहीं है और यह भी देखा गया है कि लाभग्राही लोग बैंकों को ऋणों की किस्तें अदा करने के मामले में नियमित भुगतान नहीं कर रहे है।

(ग) और (घ) : योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को समय-समय पर विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है कि इस योजना सहित जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यपालन का निरीक्षण करने के लिए जिला सलाहकार समितियों की बैठक भी हर महीने कम-से-कम-एक बार अवश्य हो।

खड़गपुर स्टेशन का नवीकरण

9755. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खड़गपुर स्टेशन के नवीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : भारतीय रेलों पर जिन 67 स्टेशनों को बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है उनमें से एक खड़गपुर भी है। इस संबंध में 70·31 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। इस संबंध में 31·3·1990 तक 13·98 लाख रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं। वर्ष 1990-91 के लिए 19·64 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इन सभी कार्यों के पूरा हो जाने पर खड़गपुर स्टेशन पर सभी बुनियादी और अतिरिक्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

दिल्ली से तिरुवावाडपुरम के लिए सीधी विमान सेवा

9756. **श्री ए. विजयराघवन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में तिरुवावाडपुरम और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह विमान सेवा कब से शुरू कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत दोनों को विमान क्षमता की भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वे इस समय किसी नए स्टेशन को विमान मार्ग से जोड़ने की स्थिति में नहीं है।

लटूर रोड-निजामाबाद-रामागुण्डम की बड़ी रेल लाइन

9757. **डा. वेंकटेश काबडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व-पश्चिम तटीय रेलवे लाइन परियोजना के एक हिस्से के रूप में लटूर रोड-निजामाबाद-रामागुण्डम के बीच एक नई बड़ी रेल लाइन बिछाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण सुझायी गयी लाइन पर विचार करना कठिन है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केल्पोंग पन-बिजली परियोजना

9748. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केल्पोंग पन-बिजली परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब स्वीकृति दिए जाने और इसका निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 37·5 मैगावाट की केल्पोंग जल विद्युत परियोजना हेतु तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया है तथा संघ राज्य प्रशासन को परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए सलाह दी गई है। संशोधित स्कीम संघ राज्य प्रशासन से अभी प्राप्त होती है। तथापि, प्रारम्भिक कार्य किए जाने के लिये वर्ष 1990-91 हेतु योजना आयोग द्वारा अनन्तिम रूप से 10·00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

राजकोट मंडल में रेलवे स्टेशनों का सुधार करना

9759. श्री जगदीश पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1987 से 30 अप्रैल, 1990 के दौरान राजकोट मंडल के रेलवे स्टेशनों में कोई सुधार, परिवर्तन और अतिरिक्त निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्माण कार्य का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1·1·1987 से 30·4·1990 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं—

राजकोट		लागत (लाखों रुपयों में)
(i)	यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था	9·78
(ii)	यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं सुलभ	9·74

	कराने के लिए स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन	
(iii)	मौजूदा सी बी आई दीवार वाले शेड के स्थान पर पक्की चिनाई वाले पार्सल कार्यालय की व्यवस्था	6·83
(iv)	अब क्षीण प्लेटफार्म को ऊंचा करना तथा उस पर छत डालना	20·43
द्वारा		
(v)	बुकिंग कार्यालय सहित मौजूदा अस्थायी ढांचे के स्थान पर स्थायी ढांचे की व्यवस्था	3·08

ये सभी कार्य प्रगति के भिन्न-भिन्न चरणों में हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

9760. श्री एम. एम. पल्लम राजू : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य में बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग करने के लिये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने के संबंध में किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों पर वर्ष-वार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बड़े पैमाने पर उपयोग की संभावना वाले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में तापीय और प्रकाश वोल्टीय रूपान्तरण दोनों ही माध्यमों से सौर ऊर्जा, बायोगैस सहित बायोमास, पवन ऊर्जा और लघु एवं सूक्ष्म पन बिजली के क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)
1985-86	119·84
1986-87	124·83
1987-88	99·50
1988-89	115·48
1989-90	108·42

हाथरस स्टेशन

[हिन्दी]

9761. डा. बंगाली सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के हाथरस रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या स्वीकृत की गई उपरोक्त धनराशि पूरी वर्ष कर दी गई है, और नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अन्तरिम राहत

[अनुवाद]

9762. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, जिन्हें 200 रुपये प्रति माह अन्तरिम राहत प्राप्त करने का पात्र घोषित किया गया है,

(ख) इन में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें वास्तव में अन्तरिम राहत दी जा रही है और

(ग) सभी प्रभावित व्यक्तियों को यदि अब तक अंतरिम राहत नहीं दी गई है, तो कब तक दे दी जायेगी,

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) दुर्घटना के समय भोपाल के सबसे ज्यादा प्रभावित 36 म्युनिसिपल वार्डों के सभी निवासी प्रति माह 200 रु. की अंतरिम राहत पाने के पात्र हैं । पात्र व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है और राहत का वितरण उसके तुरन्त बाद किया जायेगा ।

दिल्ली-राजकोट-दिल्ली विमान उड़ानों को पुनः शुरू करना

9763. श्री बलवंत मणवर : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-राजकोट-दिल्ली विमान उड़ानें पुनः शुरु करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये उड़ानें कब से पुनः शुरु करने का विचार है;

(घ) किन-किन अन्य स्थानों के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं; और

(ङ) इन स्थानों के लिए उड़ानें कब से पुनः शुरु कर दी जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) राजकोट चेम्बर आफ कामर्स, राजकोट से दिल्ली-राजकोट-दिल्ली उड़ानों को पुनः शुरु करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ग) से (ङ) 20 नवम्बर, 1989 के बाद से इण्डियन एयरलाइंस ने नीचे दिये गए शहरों के बीच हवाई संपर्क बन्द कर दिया है :—

1. लखनऊ—अहमदाबाद
2. पटना—अहमदाबाद
3. कलकत्ता—अहमदाबाद
4. कलकत्ता—गोरखपुर
5. वाराणसी—गोरखपुर
6. दिल्ली—ढ़ाका
7. पटना—काठमांडू
8. कलकत्ता—वाराणसी
9. कलकत्ता—जयपुर
10. वाराणसी—जयपुर
11. उदयपुर—राजकोट
12. दिल्ली—पोर्ट ब्लेयर
13. भुवनेश्वर—पोर्ट ब्लेयर
14. बंगलौर—मदुरै
15. बंगलौर—त्रिची
16. बम्बई—भुवनेश्वर
17. दिल्ली—विशाखापत्तनम
18. रायपुर—विशाखापत्तनम
19. गोवा—त्रिवेन्द्रम

20. दिल्ली—इम्फाल

21. दिल्ली—गोरखपुर

22. कानपुर—गोरखपुर

एयरबस ए-320 विमानों के प्रचालनों को रोक दिये जाने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स के पास विमान क्षमता की भारी कमी है। उपर्युक्त उड़ानों को तभी फिर से चालू किया जा सकेगा जब पर्याप्त विमान क्षमता उपलब्ध होगी और यात्रियों की मांग होगी।

उद्योगों को राजस्थान में अन्तरित करने के लिए लाइसेंस जारी करना

[हिन्दी]

9764. प्रो. राजा सिंह रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गये कितने आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु विचाराधीन हैं;

(ग) क्या लाइसेंस जारी करने में पिछड़े क्षेत्रों को कोई छूट दी जाती है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान से प्राप्त उन आवेदनों की जिलावार संख्या कितनी-कितनी है जिन्हें अस्वीकृत किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्रों की जांच के लिए जो मानदण्ड अपनाये जाते हैं, वे ये हैं :—पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए उल्लेख के अनुसार उद्योग की प्राथमिकता, निर्मित की जाने वाली मद के लिए दर्शायी गयी मांग व उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पुनः लाइसेंस देने की गुंजाइश, निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भुगतान संतुलन पर पड़ने वाला कुल प्रभाव, स्थापना-स्थल संबंधी पहलू, रोजगार की संभावना, लघु तथा सहायक एककों को ठेका देने की सम्भावना और परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता।

(ख) 1987 से 1990 (31-3-90 तक) के दौरान राजस्थान के विभिन्न राज्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से 30 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिनमें से 16 का अनुमोदन कर दिया गया है और आशय पत्र मंजूर कर दिए गए हैं। शेष 14 आवेदन पत्रों में से 13 को नामंजूर कर दिया गया अथवा निपटा दिया गया है और एक आवेदन पत्र पर कार्रवाई हो रही है।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए औद्योगिक नीति विवरण, 1973 के परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध 49 उद्योगों को केन्द्र द्वारा घोषित किए गए पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हेतु एम. आर. टी. पी./फेरा कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट-1 में न आने वाले 23 और उद्योगों को वर्ग 'क' के पिछड़े क्षेत्रों में लगाने के लिए एम. आर. टी. पी./फेरा कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। एम.

आर. टी. पी./फेरा कम्पनियों को 60 प्रतिशत निर्यात दायित्व के साथ गैर-पिछड़े क्षेत्रों में परिशिष्ट-I से भिन्न उद्योग लगाने की अनुमति है। किंतु, वर्ग 'क' के पिछड़े जिलों में लगाए गए उद्योगों के लिए कोई निर्यात दायित्व नहीं लगाया जाता है और वर्ग 'ख' तथा वर्ग 'ग' जिलों के लिए 25 प्रतिशत निर्यात दायित्व है।

गैर-एम. आर. टी. पी./गैर-फेरा कंपनियों को 50 करोड़ रु. तक के निवेश वाली परियोजनाएं शुरू करने के लिए, यदि परियोजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में लगाया जाय; उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस लेने सम्बन्धी उपबंधों से कुछ शर्तों पर छूट है। यदि परियोजनाओं को गैर-पिछड़े क्षेत्रों में लगाया जाता है तो छूट की सीमा 15 करोड़ रु. है।

(ब) राजस्थान के विभिन्न जिलों में उद्योग लगाये जाने के लिए प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी 43 आवेदन पत्रों को 1988 और 1989 के दौरान नामंजूर कर दिया गया था। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राजस्थान राज्य में नामंजूर किए गये राज्यवार आवेदन पत्र
(1988, 1989)

क्र. सं.	जिले का नाम	नामंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या
1.	अलवर	23
2.	जयपुर	3
3.	सिरोही	4
4.	उदयपुर	3
5.	नागपुर	1
6.	जिवाडी	1
7.	कोटा	1
8.	भरतपुर	2
9.	झालावार	1
10.	चित्तौड़गढ़	1
11.	भीलवाड़ा	1
12.	जिले का नाम नहीं बताया गया है	2
	योग :	43

त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी के लिए रेलगाड़ी

[अनुवाद]

9765. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच रेल सेवाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी के लिए और रेल गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं, तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल और कन्याकुमारी के बीच मौजूदा गाड़ी सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं,

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता,

दिल्ली में लाइसेंस रहित ईंट-भट्ठे

9766. **श्री कालका दास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय ईंट-भट्ठों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से लाइसेंस शुदा तथा लाइसेंस रहित ईंट-भट्ठों की, क्षेत्र-वार, संख्या कितनी है;

(ग) कितने लाइसेंस रहित ईंट-भट्ठा मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में लाइसेंस रहित ईंट-भट्ठों को रोकने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग विकास में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 1988 में किये गये सर्वेक्षण के समय 384 ईंट भट्टे कार्य कर रहे थे।

(ख) लाइसेंस प्राप्त और लाइसेंस रहित ईंट भट्ठों के क्षेत्रवार ब्यौरे दिये गये हैं :—

क्षेत्र	लाइसेंस प्राप्त भट्टे	लाइसेंस रहित भट्टे
उत्तर	124	138
दक्षिण	51	29
पूर्व	6	—
पश्चिम	19	17
योग :	200	184

(ग) और (घ) लाइसेंस रहित ईंट भट्टों के विरुद्ध चार एफ. आई. आर. दर्ज की गयी। अन्य ईंट भट्टों के विरुद्ध कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी क्योंकि दिल्ली में विकास की गति को पूरा करने के लिए भट्टों की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखकर नये भट्टों को लाइसेंस देने संबंधित मामला प्रशासन के विचाराधीन है।

चम्बल पनबिजली परियोजना की स्थापना

9767. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने चम्बल पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटनायें

9768. श्री वासवपुन्नय्या सिगम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कितनी रेल दुर्घटनायें हुई, और तत्सम्बन्धी कारण क्या थे;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए; और

(ग) घायल व्यक्तियों को तथा मारे गये व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) गाड़ी दुर्घटनाओं और उनसे सम्बन्धित जानकारी के आंकड़े रेलवे क्षेत्र-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार।

चेरियनाड स्टेशन

9769. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम डिवीजन में चेरियनाड रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस स्टेशन के लिए मंजूर किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पानी के दो नलों की व्यवस्था करने का कार्य स्वीकृत किया गया है।

विदेशी सहयोग की स्वीकृति के मामले

9770. श्री के. एस. राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में विदेशी सहयोग की स्वीकृति के मामलों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1989 में सहयोग की स्वीकृति के मामलों की संख्या में कमी आने के बावजूद विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) वर्ष 1987 से विदेशी सहयोग की स्वीकृति के मामलों और विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी पूंजी निवेश का देशवार ब्यौरा क्या है और किन-किन परियोजनाओं में विदेशी पूंजी निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1987—1988 तथा 1989 के दौरान मंजूर किए गए विदेशी सहयोग अनुदानों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अनुमोदित विदेशी सहयोगों की कुल संख्या	उन विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या, जिनमें विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त है (कालम (2) में दिखाए गए आंकड़ों में से)	
1987	853	242	(28.37%)
1988	926	282	(30.45%)
1989	605	194	(32.07%)

(घ) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा तथा इन्हीं वर्षों के दौरान मंजूर किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों का उद्योगवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और 2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश का देश-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	देश का नाम	1987	1988	1989
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	188.1	10.01	300.00
2.	आस्ट्रिया	44	163.90	52.80

1	2	3	4	5
3.	बहामा	—	—	—
4.	बेल्जियम	275	—	35.52
5.	बहरीन	1	—	—
6.	बरमुडा	—	—	—
7.	ब्राजील	—	40.00	—
8.	बुल्गेरिया	—	—	—
9.	कनाडा	67	26.00	117.00
10.	चेकोस्लावाकिया	—	15.00	139.00
11.	डेनमार्क	19.44	176.30	980.00
12.	दुबई	—	—	—
13.	फरैओ आइलैंड	—	—	—
14.	एफ. आर. जी.	986.915	3099.90	12032.85
15.	फिनलैंड	69	46.64	105.50
16.	फ्रांस	535.35	1177.97	845.69
17.	जी. टी. आर.	48	—	—
18.	हांग कांग	113.2	56.10	110.25
19.	हंगरी	—	10.40	—
20.	ईरान	—	—	—
21.	आयरलैंड	—	10.00	—
22.	इटली	297.07	2786.74	690.44
23.	जापान	690.92	1742.58	877.93
24.	कोरिया (दक्षिणी)	13.91	45	33.75
25.	कुवैत	—	—	285.00
26.	लाइबेरिया	—	—	—
27.	लक्जमबर्ग	—	40	—
28.	मलेरिया	50	—	—
29.	मैक्सिको	120	200	257.25

1	2	3	4	5
30.	नीदरलैंड	100.65	105.30	230.56
31.	नार्वे	—	349.90	338.50
32.	पनामा	16	—	—
33.	पुर्तगाल	—	—	—
34.	साउदी अरेबिया	—	—	—
35.	सिंगापुर	85.325	462.60	348 68
36.	स्पेन	100	160	—
37.	श्रीलंका	—	—	—
38.	स्वीडन	109.2	84	416.80
39.	स्विट्जरलैंड	885.3	273.73	774.26
40.	ताइवान	40	56.22	—
41.	यू. ए. ई.	—	—	—
42.	यू. के.	845.1	1390.75	3346.14
43.	यू. एस. ए.	2951.495	9713.73	6215.59
44.	यू. एस. एस. आर.	29.60	44.00	958.00
45.	यूगोस्लाविया	12	9.00	—
46.	एन. आर. आई.	2077.4	1679.90	2117.76
47.	चीन	—	—	20.00
48.	ग्रीस	—	—	8.00
49.	पोलैंड	—	—	33.00
	कुल	10770.575	23975.75	31666.56

विवरण-2

वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग मामलों का उद्योगवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं.	उद्योग का नाम	1987	1988	1989
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मक उद्योग	29	27	30

1	2	3	4	5
2.	ईंधन	1	6	1
3.	वायरलैस और तार अभिप्रेषण संयंत्र	1	2	11
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत उपकरणों के अलावा)	—	6	2
5.	विद्युत उपकरण	183	183	99
6.	दूर संचार	16	23	37
7.	परिवहन	39	38	30
8.	औद्योगिक मशीनरी	132	141	59
9.	मशीनी औजार	10	21	9
10.	कृषि सम्बन्धी मशीनरी	—	3	3
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	—	—	—
12.	विविध मकै. तथा इंजी. उद्योग	50	68	26
13.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	—	10	18
14.	चिकित्सा तथा सर्जीकल उपकरण	10	18	6
15.	औद्योगिक उपकरण	47	43	35
16.	वैज्ञानिक उपकरण	4	3	5
17.	गणितीय सर्वेक्षण एवं ड्राइंग उपकरण	—	2	2
18.	उर्वरक	—	2	4
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	84	96	67
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और कागज	2	2	—
21.	रंगाई का सामान	—	1	—
22.	औषध एवं भेषज	13	10	12
23.	वस्त्र (रंगीन, छपे अथवा अन्य अन्यथा प्रसाधित सहित)	6	8	6
24.	कागज एवं लुगदी (कागज उत्पादों सहित)	6	7	7
25.	चीनी	—	1	—

1	2	3	4	5
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	6	—	—
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	16	11	15
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	1	2	5
29.	साबुन, कान्तिवर्धक एवं टायलेट प्रैपरेशन	—	3	—
30.	रबड़ का सामान	10	11	14
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान एवं परिस्कारक	4	8	10
32.	सरेस तथा जिलेटिन	—	—	—
33.	कांच	4	8	10
34.	सरैमिक	18	20	18
35.	सीमेंट तथा जिपसम उत्पाद	7	5	3
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	1	1	2
37.	रक्षा उद्योग	—	—	—
38.	सिगरेट	—	—	—
39.	परामर्शदायी	47	39	20
40.	विविध उद्योग	94	97	41
	कुल	853	926	605

गुजरात में कोयले का अवैध रूप से खनन

9711. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले में थान के नजदीक बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध रूप से किए जा रहे खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कोयला भण्डारों का कोई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है; यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में नियमित रूप से कोयले का खनन करने सम्बन्धी कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले में थानगढ़ में कुछ अवैध रूप से कार्बनमय शेलों तथा निम्न श्रेणी के कोयले की निकासी का खनन कार्य किया जा रहा है।

(ख) मार्च तथा अप्रैल, 1990 की अवधि की के दौरान भौमिकी एवं खनन निदेशालय, गुजरात से अधिकारियों द्वारा 3 कार्बनमय शेलों से भरे हुए ट्रकों को पकड़ा गया था। राज्य सरकार की पुलिस तथा राज्य के भौमिकी एवं खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा गश्त को तेज करने का मन्तव्य कर रही है।

(ग) भौमिक एवं खनन निदेशालय, गुजरात द्वारा किए गए अन्वेषण के अनुसार यह पता चला है कि कार्बनमय शेलों का पतला बैन्ड (जिसकी औसत मोटाई 0.45 मीटर है) तथा लगभग 7 मीटर की बहुत सतही गहराई के अग्नि बले के साथ निम्न श्रेणी का कोयला विद्यमान है। भौमिकी एवं खनन निदेशालय, गुजरात के अनुसार लगभग 4.7 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र में ऐसे कार्बनमय शेलों तथा निम्न श्रेणी के कोयले के भण्डार की मात्रा 2.59 मि. टन होने का अनुमान है। कोयले की मोटाई कुछ असंगत है तथा यह अग्नि बले के साथ निकलता है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि वे इस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् गुजरात खनिज विकास निगम को पट्टेदारी पर दिए जाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है।

मद्रास एगमोर और तंजावुर के बीच अतिरिक्त गाड़ी

9772. श्री एस. सिगरावडीवेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास एगमोर और तंजावुर के बीच यात्रियों का भारी यातायात रहता है तथा मुख्य लाइन पर एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी आरंभ करने की जनता द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) तंजावूर और मद्रास के बीच एक और एक्सप्रेस गाड़ी की व्यवस्था करते हुए, 6179/180 तिरुनेलवेली एक्सप्रेस को 1.11.1989 से मद्रास एक्म्बूर तक बढ़ा दिया गया था। यातायात के वर्तमान स्तर के लिए मौजूदा 4 जोड़ी गाड़ियां कुल मिलाकर पर्याप्त हैं। इस मार्ग पर एक सुपरफास्ट गाड़ी के लिए मांग है जो संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

बल्क औषधियों के निर्धारित मूल्य

9773. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत विभिन्न "बल्क" औषधियों के मूल्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) विभिन्न बल्क औषधि उत्पादकों को कर लगाए जाने के पश्चात् (पोस्ट टैक्स रिटर्न) कितना लाभ सुनिश्चित है; और

(ग) लघु उत्पादकों को अच्छा लाभ सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों के निर्धारित/संशोधित मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ख) प्रपुंज औषध निर्माताओं को उक्त आदेश के पैरा 3 के उप पैरा (2) के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य पर कराधान पश्चात 14 प्रतिशत लाभ दिया जाता है।

(ग) लघु क्षेत्र की इकाइयों द्वारा विनिर्मित प्रपुंज औषधों के मूल्य निर्धारित करते समय उन्हें भी निर्धारित दर पर लाभ दिया जाता है, जैसा डीपीसीओ में प्रावधान है।

विवरण

औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत निर्धारित/संशोधित प्रपुंज औषधों के मूल्यों के ब्यौरे।

औषध का नाम	इकाई	डीपीसीओ 1987 के अन्तर्गत अधिसूचित अधिकतम बिक्री मूल्य रु.	मूल्य संशोधन की तारीख
1 2	3	4	5
1. इफीड्रीन एचसीएल	कि.ग्राम	1016.00	3.9.87
2. एसिटाजोलामाइड	,,	746.00	16.9.87
3. डोक्सिल पीएएस	,,	129.00	27.10.87
4. आईडीपीएम	,,	130.00	16.2.88

1	2	3	4	5
	बे. आर्गेनिकल्स सिन्थेटिकल ड्रिग्स थेटिक्स प्रोडक्टस	किग्राम	145.00	16.2.88
	सूत्रयोग	,,	138.00	16.2.88
		,,	151.00	16.6.89
4.	बेन्झाथोन पेनि.जी.	,,	1639.80	16.8.89
5.	सल्फाडियाजाइड	,,	461.00	16.10.87
6.	क्वीनीन सल्फेट गवर्नमेंट क्वीनोल फेक्ट्री पं. संभाल	,,	2184.00	7.12.87
	गवर्नमेंट क्वीनोल फेक्ट्री लखिसलगढ़	,,	1232.00	7.12.87
	6(क) स्यूडो इफीड्रीन एचसीएल	किग्राम	1621.00	7.12.87
	6(ख) स्यूडो इफीड्रीन सल्फेट		1529.00	7.12.87
7.	सल्फाडीमीडाइन	किग्राम	258.40	.112.87
			271.00	21.12.88
			278.00	27.6.89
8.	क्लोरोक्वाइलिन		224.36	1.12.88
			279.00	28.3.89
			290.00	14.9.89
9.	प्रेडनीसोलोन	किग्राम	22420.76	11.2.89
	प्रेडनीसोलोन एसिटेट	,,	28451.33	11.2.88
	कैलसियम बी पीएएस	,,	129.00	16.2.88
10.	हाइड्रोकोर्टिसोन	,,	19143.50	11.2.88
11.	क्लोरमफेनिकोल पावडर	,,	1035.00	7.3.88
			1110.00	11.8.89
	क्लोरमफेनिकोल पालमीटेट	,,	1115.00	11.8.89
	क्लोरमफेनिकोल मोनो स्टीराइल ग्लूकोनेट	,,	951.00	11.8.89

1	2	3	4	5
12.	बियासिटाजोन	किग्राम	216.00	5.4.88
	डिमेथाइलक्लोरोडेट्रा	,,	1951.00	6.4.88
	साइक्लीन		2382.00	26.10.'7
	हाइड्रोकोर्टिसोन	,,	17572.76	11.2.88
13.	मेट्रानिडाजोल	.,	453.30	11.4.88
			483.00	9.9.88
14.	एसपीरन	,,	80.00	2 6 88
			71.00	20.1.89
			90.00	26.10.89
15.	इथाम्बुटोल मे. लुपिन लेब्स	,,	699.00	17.8.88
	मे. केडिला लेब्स	,,	984.00	17.8.88
	मे. बेमिस	,,	861.00	17.8.88
	मे. आरती लि.	,,	752.00	17.8.88
	फार्मूलेशन के लिए	,,	759.00	17.8.88
16	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट	,,	2054.00	6.9.88
			1925.00	21.3.89
	एम्पीसिलिन	.,	2790.00	6.9.88
			2631.00	21.3.89
17.	एमोक्सीलिन	किग्राम	2865.00	6.9.88
			2660.00	21.3.89
18.	डिहाइड्रालाजोन सल्फेट	किग्राम	472.00	20.9.88
19.	बरालगन कोटोन	,,	1926.00	25.10-88
20.	क्लिनिरेमाइन मेलिएट		684.00	7.10.88
			725.00	17.3.89
21.	डाइक्लोरो मेटाक्सीनोल (डीओएमएस)	,,	211.00	31.00.88

1	2	3	4	5
22.	आइडोक्लोराहहाइड्रोक्वीनोलीन			
	मे. अतुल प्रोडक्टस	किग्राम	269.00	7.10.88
	मे. ईस्ट इण्डिया फार.	,,	269.00	7.10.88
	मे. एलबर्ट डेविड लि.	,,	307.00	7.10.88
	फार्मूलेशन के लिए	,,	281.00	7.10.88
23.	क्लिफेम्पीसिन	किग्राम	2500.00	26.9 88
			3500.00	29.6.89
24.	स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट			
	मे. सिनबायोटिक्स लि.	किग्राम	1040.04	31.10.88
			1147.00	31.10.88
	अन्य			
	फार्मूलेशन के लिए		1049.00	31.10.88
25.	सालबूटामोल सल्फेट	किग्राम	16.02	17.10.88
26.	सिट्रीमाइड	किग्राम	137.23	31.10.88
27.	इब्युप्रोफिट	किग्राम	400.00	15.11.88
		किग्राम	502.00	27.6.89
28.	फसेमाइड	किग्राम	1911.00	22.11.88
	डेक्सामेथासोन ट्राइमिथाइल एसिटेट	किग्राम	90557.00	14.12.88
29.	डेपसोन	,,	259.00	14.12.88
30.	क्लोरहेक्सीडीन डिग्लूकोनेट	,,	681.00	14.12.88
31.	मिथाइल सेलीसाइलेट	,,	58.00	14.12.88
32.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	,,	679.00	14.12.88
			752.00	10.3.89
			833100	6.11.89

1	2	3	4	5
33.	लाइडोकेन (लिडोकेन)	किग्राम	281.00	14.12.88
			410.00	16.6.89
34.	डेक्सामेथासोन शुद्ध	ग्राम	66.51	14.12.88
			92.00	10.11.89
	डेक्सामेथासोन 21 फास्फेट	ग्राम	80.80	14.12.88
			97.00	10.11.89
35.	एनलजिन	,,	313.00	20.12.88
	एरिथोमाइसिन टीआईपीसी/ एक्टिवीटली यूनिट बेस	किग्राम किग्राम	29.83	29.12.88
			2983.00	
36.	एरिथोमाइसिन एस्टोलेट	,,	2489.00	28.12.88
	एरिथोमाइसिन स्टीरेट	,,	2076.00	29.12.88
	एरिथोमाइसिन इथाइल सक्सीनेट	,,	3532.00	28.12.88
37.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन एचसीएल	किग्राम	822.00	18.12.88
	आक्सीटेटासाइक्लीन एनफोटोरिड	,,	914.00	28.12.88
38.	बेटामेथासोन एलकोहल	किग्राम	144.19	2.1.89
	बेटामेथासोन वेलीरेट	ग्राम	136.58	2.1.89
	बेटामेथासोन डिसोडियम फास्फेट	ग्राम	144.58	2.1.89
39.	जेन्टीनिल जाइसेम्टीनेट	किग्राम	335.00	2.1.89
			409.00	11.9.89
40.	सल्फासिटामाइड	किग्राम	335.00	2.1.89
			352.00	20.6.89
	सल्फासिटामाइड सोडियम	किग्राम	240.00	2.1.89
			247.00	20.8.89

1	2	3	4	5
41.	एलमुनियम हाइड्रोक्साइड (ड्राइड जेल)	किग्राम	22.00	20.1.89
42.	आइसोनाइजड	,,	27.00	4.12.89
	आइसोनाइड	,,	252.00	3.12.86
43.	सल्फाफेनिजोल	,,	294.00	7.8.89
	इफेड्रीन रेनीनेट हाइड्रोक्सीइथाइल	,,	579.00	9.3.89
	थियोफाइलिन	,,	354.00	9.3.89
			414.00	27.6.89
			427.00	26.10.89
	क्लोरोक्वीन सल्फेट	किग्राम	967.00	10.3.89
			1013.00	6.11.89
44.	पेरासिटामोल	,,	115.32	17.3.89
45.	एमोडियाक्वीन एचसीएल	,,	564.00	17.3.89
46.	हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड	,,	5000.00	17.3.89
47.	सेफलेक्सिन मोनोहाइड्रेट	,,	4842.00	6.9.89
48.	एमीनोफाइलिन	किग्राम	240.00	27.3.89
			253.00	28.3.89
49.	पाराक्लोरोमिथाइलहेक्सीनोल (पीसीएमएक्स)	,,	175.00	24.4.89
50.	टरबूटालाइन सल्फेट	,,	226.00	16.6.88
			23.00	12.10.89
51.	डिक्लोक्सनाइड फयूरेट	किग्राम	472.00	16.6.89
52.	लेवमीसोल हाइड्रोक्लोराइड		2369.90	16.6.89
53.	क्रोकेन पेनिसिलिन जी.	यूए	112[illegible].00	21.3.89

1	2	3	4	5
54. क्लोरोफेनिरमाइन मेलिएट		किग्राम	वर्तमान मूल्य में रखने का निर्णय किया गया।	
55. स्पीरोनोल एक्सोन		किग्राम	1677.00	वर्तमान मूल्य में रखने का निर्णय किया गया
56. डाइक्साइल कारबेमेजाइन सिट्रेट		किग्राम	284.09	11.8.89
57. फेनाग्रेटोन		,,	743.00	11.8.89
58. फेनोबारबिटोन सोडियम		,,	970.00	11.8.89
58ए. ओक्सीटोसिन		,,	5707.00	5.9.89
59. फ्यूरोजोलीडोन		किग्राम	337.00	11.9.89
60. डाइजोक्सिन			वर्तमान मूल्य में रखने का निर्णय लिया गया।	
61. विटा.ए एसिटेट 1000 एम आई यू (0.5/ग्राम प्रति ग्राम शुष्क पाउडर)			1608.00	14.9.89
विटा. ए पालमीटेट) 1.00 एम आईयू/ग्राम तेलीय कन्सनट्रेट/1000 एमआईयू			1253.00	14.9.89
62. विटा.ए पालमीटेट (1.7 एमआईयू/ग्राम तेलीय कन्सनट्रेट/1000 एमआईयू)			1293.00	14.9.89
62ए. विटा.डी. प्लेन		किग्राम	221.00	14.9.89
			272.00	9.2.70
विटा.डी. कोटेड		,,	232.00	14.9.89
			280.00	9.2.90
सोडियम एसकोरबेट		,,	247.00	14.9.89
			289.00	9.2.90
63. सल्फामेथोक्साजोल			वर्तमान मूल्य में ही रखने का निर्णय किया गया।	

1	2	3	4	5
	xविटा. ए एसिटेट (1.00 एमआईयू/ग्राम तेलीय कन्सन्ट्रेट/1000 एमआईयू)		1253.00	14.9.89
64.	ट्राइमेथोप्रिम	किग्राम	995.00	12.10.89
65.	जेन्टामाइसिन सल्फेट	ग्राम	12.50	19.10.89
	क्लियोफाइलिन इथोनेट			
	पिपराजाइन	किग्राम	407.00	12.10.89
66.	पाइराजीनामाइड	,,	1222.00	13.10.89
67.	क्लोफेजीमाइन	किग्राम	7100.00	12.10.89
68.	इन्सुलिन	एमयू	13991.00	6.3.'0
69.	एसिटाजोलामाइड	किग्राम	735.64	14.4.90

विमान परिचारिकाओं को उड़ानों में फर्स्ट क्लास ड्यूटी

9774. श्री पीटर जी. मरबनियांग : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा उड़ानों में विमान परिचारिकाओं को 'फर्स्ट क्लास ड्यूटी' आवंटित करने में क्या सिद्धांत अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बद्ध विमान परिचारिकाओं को उड़ानों में 'फर्स्ट क्लास ड्यूटी' आवंटित की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) उप मुख्य विमान परिचारिकाओं और वरिष्ठ चैक विमान परिचारिकाओं का सामान्यता या प्रथम श्रेणी/क्लब श्रेणी में कार्य करने को कहा जाता है। अन्य विमान परिचारिकाओं को भी उड़ान पर्यवेक्षकों द्वारा वरिष्ठता और रोटेशन के आधार पर उस समय प्रथम श्रेणी की ड्यूटी पर लगाया जाता है जब उप मुख्य विमान परिचारिकाएं/वरिष्ठ चैक विमान परिचारिकाएं विमान में नहीं होती। इन्हीं मानदण्डों के आधार पर भारत के सभी भागों से विमान परिचारिकाओं को ड्यूटी पर लगाया जाता है।

मुजफ्फरपुर और दरभंगा को विमान सेवा से जोड़ना

[हिन्दी]

9775. श्री जगेन्द्र झा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुजफ्फरपुर और दरभंगा को विमान सेवा से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विमानन क्षमता की कमी के कारण वायुदूत की निकट में मुजफ्फरपुर और दरभंगा को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

जीवन रक्षक औषधों के मूल्य

9776. श्री सत्यनारायण जाटिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंटीबायोटिक और अन्य जीवन रक्षक औषधों के मूल्यों में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक औषध के मूल्य में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ औषधों और सूत्रयोगों की कीमतों में वृद्धि हुई है। तथापि, मूल्यों पर नियंत्रित इकाइयों की कीमतों में वृद्धियां औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत दिये गये मानदण्डों पर आधारित है। आज तक कुछ एन्टिबायोटिक्स सूत्रयोगों की कीमतें और दो तीन वर्ष पहले उनकी कीमतें संलग्न विवरण में दी जाती हैं।

विवरण

क्रम स.	सूत्रयोग का नाम और पैक आकार	वर्तमान मूल्य	पूर्व मूल्य तिथि सहित (रुपए)
1	2	3	4
1.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट केपसूल्स (500 मिग्रा.) 8 का पत्ता पैक	23.46	22.72 (5.8.1988)
2.	बेन्जाथीन बेन्जाइल पेनि. इन्जे. (5 लाख प्रति शीशी) 5 शीशी	19.66	12.39 (17.12.1987)

1	2	3	4
3.	बेन्जाथीन बेन्जाइल पेनि. इन्जे (24 लाख प्रति शीशी) 1 शीशी	10.48	7.74 (17.12.1987)
4.	क्लोरमफेनिकोल केपसुल्स (100 मिग्राम) 12 का	5.12	4.44 (29.1.1988)
5.	क्लोरमफेनिकोल केपसुल्स (250 मिग्राम प्रति केपसूल्स) 100 की बोतल	76.50	61.30 (29.1.1988)
6.	क्लोरमफेनिकोल सस्पेंशन/सिरप (125 मिग्राम 4 मिलि) 450 मिलि	65·32	56.32 (29.1.1988)
7.	क्लोक्सेक्युक्विन गोलियां (125 मिग्रा प्रति गोलि) 10 का	5.44	5.44 (25.5.1988)
8.	आक्सीटेटासाइक्लीन इन्जेक्शन (100 मिग्राम प्रति शीशी (10 मिली शीशी	5.16	4.42 (11.1.1988)
9.	आक्सी टेट्रासाइक्लीन इन्जे. (50 मिग्रा प्रति शीशी 30 मिलि शीशी)	8.46	7.82 (11.1.1988)
10.	स्ट्रेप्टोमाइसिन+प्रोकेन पेनिसिलिन+सोडि. पेनिसिलिन जी इन्जे) 1 खुराक प्रति शीशी) 1 शीशी	4.55	4.22 (30.12.1987)
11.	स्ट्रेप्टोमाइसिन+पेनिसिलिन इन्जे प्रति शीशी	3.97	2.80 (30.12.1987)
12.	टेट्रासाइक्लीन एचसीएल केपसुल्स (250 मिग्राम प्रति केपसुल्स) 10×10 का	70.02	70.02 (11.1.1988)

भारत ब्रिटेन मार्ग पर स्टयुअर्डस तथा सह-चालकों के विरुद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

9777. कुमारी उमा भारती : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत-ब्रिटेन मार्ग पर एअर इंडिया के विमानन में यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में स्टयुअर्डस तथा सह चालकों इत्यादि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्येक शिकायत के मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में, भारत-यू. के. सेक्टर पर स्टुवर्ड के खिलाफ दुर्व्यवहार की तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन सह-विमानचालक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई नीचे बतायी गई है :—

शिकायत	की गई कार्रवाई
(1) बम्बई-लन्दन मार्ग (20.3.88 की उड़ान संख्या ए आई 115) पर विमान परिचारिका का क्रूर व्यवहार	(1) विमान परिचारिका को यात्री हैंडलिंग के समय अधिक नम्रता बरतने को कहा गया था।
(1) दिल्ली-लन्दन मार्ग (10.10.89 की उड़ान संख्या ए आई 135) पर सीटों की व्यवस्था के बारे में उड़ान पर्यवेक्षक के खिलाफ शिकायत	(2) उड़ान पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया था परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। सेवा विनियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
(3) दिल्ली-लन्दन मार्ग (12.9.89 की उड़ान संख्या ए आई-131) पर कर्मीदल का नम्र न होना।	(3) शिकायत में कर्मीदल सदस्य का व्यक्तिगत उल्लेख नहीं है और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

मध्य प्रदेश में विकास केन्द्रों की स्थापना

9778. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दस नए औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने के प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने विकास केन्द्र मंजूर किए गए हैं;

(घ) क्या विदिशा जिले में भी एक नया विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) नयी विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को शुरु में पांच तथा उसके बाद एक अतिरिक्त विकास केन्द्र आवंटित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित स्थानों के सम्बन्ध में पांच विकास केन्द्रों के चयन हेतु प्रस्ताव भेजे थे :—

	विकास केन्द्र का नाम	जिले का नाम
1.	बेड़ा	धारा
2.	चिरोंगी	झिंड
3.	सिल्तरा	रायपुर
4.	चैनपुरा	गुना
5.	बोराई	दुर्ग
6.	कृपाल पुर	सतना
7.	बोरेगांव	खिरवाड़ा
8.	विदिशा	विदिशा
9.	खंडवा	खंडवा
10.	भांडेर	ग्वालियर
11.	गोसालपुर	जबलपुर
12.	सतलापुर	रायसेन
13.	बरगावन	सिवनी

(ग) से (ङ) सभी प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात 5 विकास केन्द्रों, धार, झिंड, रायपुर, गुना तथा दुर्ग जिले में प्रत्येक में एक-एक विकास केन्द्र का अनुमोदन कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में रायगंज में पेट्रोल पम्प का बन्द होना

9779. डा. गुलाम यजदानी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री पश्चिम बंगाल में रायगंज में पेट्रोल पम्प बन्द होने के बारे 6 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बन्द पेट्रोल पम्प ने किसी अन्य नए स्थान पर काम करना शुरु कर दिया है।

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) रायगंज, पश्चिमी बंगाल का बन्द किया गया खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) नए स्थान पर कार्य करने के लिए तैयार है। तथापि, सिटी दीवानी कचहरी में एक मुकदमा दायर कर दिया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उक्त खुदरा बिक्री केन्द्र का आरम्भ होना स्थगित कर दिया है। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है अतः इसके आरम्भ होने की सम्भावित तारीख के बारे में बताना सम्भव नहीं होगा।

नार्दन इण्डियन बल्क एल. पी. जी. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन

9780. श्री पी. एम. सईद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नार्दरन इंडियन बल्क एल. पी. जी. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ मांगे की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन की मांगें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या उन्होंने धमकी दी है कि यदि भारतीय तेल निगम ने उनकी मांगें स्वीकार नहीं की तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) नार्दरन इंडिया बल्क एल. पी. जी. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में इंडियन आयल कारपोरेशन के समक्ष मुख्यतः निम्नलिखित मांगे रखी हैं :

(1) नये ठेकों को अंतिम रुप शीघ्र दिया जाए क्योंकि पिछला ठेका समाप्त हो गया है।

(2) टैंक ट्रक फ्लीट का अधिक उपयोग और

(3) एच. एस. डी., स्नेहक तेल, टायर, ट्यूब आदि की मूल्य वृद्धि को देखते हुए दर बढ़ाना।

(ग) नार्दन इंडिया बल्क एल. पी. जी. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से इंडियन आयल कारपोरेशन, जो इस मामले में मुख्य रुप से सम्बन्धित है, को हड़ताल का कोई नोटिस नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नरेला, दिल्ली परियोजना में औद्योगिक भूखण्डों का आबंटन

9781. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को नरेला परियोजना में औद्योगिक भूखंडों का आबंटन करने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए,

(ख) वहां पर कितने भूखण्ड हैं और भूखण्डों का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है,

(ग) भूखंडों का आबंटन कब तक होने की सम्भावना है, और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई विलम्ब है, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार वैध आवेदनों की संख्या 3715 है।

(ख) लगभग 350 वर्ग मी. के 1800 प्लाटों के आबंटन की पेशकश की गई है।

(ग) इन प्लाटों के आबंटन के लिए ड्रा की तारीख 21-5-1990 से 25-5-1990 तक रखी गई है।

(घ) प्लाटों के आरक्षण के लिए कुछ वर्गों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में निर्णय लम्बित होने के कारण आबंटन पहले नहीं किया जा सका।

त्रिपुरा में तेल शोधन कारखाने की स्थापना

9782. **श्री के. बी. के. देब बर्मन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने तेल शोधन कारखाने की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति कब दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस को आगे तक चलाना और नार्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस में अतिरिक्त यात्री डिब्बा लगाना

9783. **श्री नन्दू बाबा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू जलपाईगुड़ी से सिक्किम के लिए तथा सिक्किम राज्य से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए नॉर्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस और तिनसुकिया मेल में अतिरिक्त वातानुकूलित कुर्सीयान तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी शायिका/सवारी-डिब्बा लगाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस को आगे न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री आर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) इन गाड़ियों में सवारी डिब्बों और उपलब्ध स्थान की कमी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा और कलकत्ता के बीच एक्सप्रेस यात्री रेलगाड़ी चलाना

9784. **डा. विश्वनाथम** : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य-दक्षिण पूर्व रेलवे में विजयवाड़ा और कलकत्ता के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री आर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

[हिन्दी]

9785. **श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में औषध मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अधिकृत विक्रेता

[अनुवाद]

9786. श्री तेज नारायण सिंह : क्या रेल मन्त्री दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अनधिकृत विक्रेताओं के बारे में 4 अगस्त, 1989 के अतारांकित प्रश्न सं. 2601 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर पुलिस और रेलवे कर्मचारियों की सांठ गांठ से अनधिकृत विक्रेताओं/हाकारों के कार्यरत होने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) इस प्रयोजन के लिये गठित विशेष कार्य दल द्वारा अब तक पकड़े गये अनधिकृत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अप्रैल 1989 से मार्च 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर फेरीवालों/बेंडरों द्वारा अनधिकृत बेंडिंग की रोकथाम के लिए विशेषकृतिक दल द्वारा जिसमें रेलवे वाणिज्यिक कर्मचारी, रे. सु. ब. और रा. रे. पु. के कार्मिक शामिल हैं, 197 बार जांच की गई, 780 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए जिसमें से 124 को जेल भेज दिया गया और जुर्माने के रूप में 94, 103 रुपये वसूल किए गए।

इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी के ठेकों को कार्य-समाप्ति पूर्व रद्द करना

9787. श्री दिलीप सिंह जू देव :
श्री शांताराम पोटदुखे :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड ने इराक में अपने तकनीकी सेवा ठेकों में से एक ठेके को कार्य-समाप्ति पूर्व रद्द किये जाने के लिए उस देश से मुआवजा मांगा है;

(ख) यदि हां तो इराक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज की इस समय उक्त देश में तथा अन्य मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में चल रही परामर्श सेवा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कैसे सुनिश्चित करने का विचार किया गया है कि इन ठेकों को कार्य-समाप्ति पूर्व ही रद्द न किया जा सके तथा प्रदत्त सेवाओं का भुगतान सम्बन्ध ठेकों की शर्तों के अनुसार हो सके ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) इसकी रेलवे ने राइट्स के दावे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसने दावे की 12 मदों में से दो मदों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

(ग) इस समय राइट्स पास के इराक में कोई अन्य चालू परामर्श सेवा परियोजना नहीं है।

इस समय निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में परामर्श ठेके निष्पादित किए जा रहे हैं :

1. जाम्बिया (विश्व बैंक की पुर्नस्थापन परियोजना के लिए तकनीकी सहायता)

2. मोजाम्बिक (तकनीकी तथा प्रबन्ध सहायता सेवाएं)

3. बोत्सवाना (प्रबन्ध सहायता सेवाएं)

4. जिबाती (हवाई अड्डा के आधुनिकीकरण का कार्य)

5. जिम्बाब्वे (कारखाना अनुरक्षण के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक सेवाएं)

6. स्वाजीलैंड (क्षेत्रीय रेल प्रणाली समर्थन के लिए तकनीकी सहायता)

7. अल्जीरिया (निर्माण प्रबन्ध)

8. घाना (घाना रेलवेज के लिए पुनर्स्थापन परियोजना)

(घ) ठेका समाप्त कर दिये जाने के मामले में दावों के निपटान के लिए ठेकों में सामान्यतया एक खंड का प्रावधान किया जाता है तथा मुआवजे का भुगतान इसका भाग है। तथापि, बगदाद-अल कयाम-अकाशात रेल परियोजना ठेके को छोड़कर जहां स्थानीय विकासों को देखते हुए इराकी प्राधिकारियों द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया गया था, राइट्स के सामने कभी भी ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब किसी ठेके को समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया।

ऐसे मामलों में कम्पनी द्वारा विभिन्न स्तरों पर ग्राहकों से विचार विमर्श करके तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की सहायता से खातों का बेहतर ढंग से निपटान किया जाता है।

उपनगरीय रेलवे, मुम्बई में स्टालों का आवंटन

9788. श्री राम नाईक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मध्य और पश्चिम रेलवे पर मुम्बई (बम्बई) के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर एक व्यक्ति या फर्म को दो से अधिक चाय स्टाल और/या जलपान स्टाल नहीं दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर किन-किन फर्मों के पास दो से अधिक स्टाल हैं; और

(घ) इस निर्णय को लागू करने में क्या कठिनाईयां सामने आ रही हैं और इसे लागू करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

मध्य और पश्चिमी रेलों के उपनगरीय स्टेशनों पर दो से अधिक स्टालों के धारक ठेकेदारों के नाम इस प्रकार हैं :—

	ठेकेदार का नाम	स्टेशन का नाम
मध्य	1. मैसर्स सी. के. गुप्ता	भायखला
रेलवे	2. मैसर्स चन्दू लाल	कुर्ला
	3. मैसर्स एम. ए. इरानी	कुर्ला
	4. मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स	थाणे ।
	5. मैसर्स दिवाकर एस. एस.	कल्याण
पश्चिम	1. श्री एस. सी. अग्रवाल	मैरिन लाइन्स
रेलवे	2. मैसर्स दराम फूल एन्ड सन्स	चरनी रोड
	3. मैसर्स दीप चन्द एंड कंपनी	ग्रांट रोड
	4. मैसर्स महेश चन्द एन्ड कंपनी	बम्बई सेन्ट्रल
	5. मैसर्स मजंभान एन्ड सन्स	बांद्रा और अन्धेरी
	6. मैसर्स पी. एल. शाह एन्ड कंपनी	दादर
	7. मासकाहेंन्ज एन्ड कपनी	दादर
	8. मैसर्स भवन दास एन्ड कंपनी	दादर
	9. श्री आर. पी. अग्रवाल एन्ड कंपनी	अंधेरी
	10. हिम्मत राय मल्होत्रा	गोरेगांव
	11. मैसर्स सुभाष एन्ड कंपनी	मलाड
	12. मैसर्स रघुवीर शरण एन्ड कंपनी	बोरिविली
	13. मैसर्स छोलेश चन्द एन्ड कंपनी	बोरिविली

झेलम एक्सप्रेस का रनिंग टाईम

9789. श्री वी. एन. गाडगिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का झेलम एक्सप्रेस का रनिंग टाईम कम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दि इंस्टिट्यूट आफ कोस्ट्स एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के नाम में परिवर्तन

9790. श्री आर. जोवरत्नम् : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि इंस्टिट्यूट आफ कोस्ट्स एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया का नाम बदल कर इंडिया कोस्ट् एण्ड मैनेजमेंट एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिलासपुर से बोकारो स्टील सिटी तक रेल सेवा शुरू करना

[हिन्दी]

9791. श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर अथवा दुर्ग से बोकारो स्टील सिटी और अन्य नगरों के लिए एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू करने के लिए जनता निरन्तर मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

एरिथ्रोमाइसिन थियोसाइनेट का उत्पादन

[अनुवाद]

9792- श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एरिथ्रोमाइसिन थियोसाइनेट का देश में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है,

(ख) वर्ष 1990 के दौरान इस दवा के स्वदेशी उत्पादकों के पास मांग की तुलना में इसकी कितनी मात्रा उपलब्ध होगी, और

(ग) सरकार ने शेष मात्रा की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच. एल. सुब्बस्वामी) : (क) से (ग) हाइड्रोमाइसीन हिमोक्लाइवेट जो एन्ट्रोमाइसीन प्रतुंब के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मध्यवर्ती है, के उत्पादन को प्रत्यक्ष से मानीटर नहीं किया जाता है। इसकी मांग का आकलन भी नहीं किया गया है। किन्तु कच्चे के मामले में पूरक-आइटेमों के माध्यम से आयात की अनुमति दी जाती है।

रेल कर्मचारियों के लिए वर्दी

9793. श्री रवि नारायण वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार समरूपता लाने के लिए रेल कर्मचारियों के सभी वर्गों को वर्दी देने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री आर्वे फर्नान्डीज) : (क) केवल कुछ विनिर्दिष्ट कोटियों के रेल कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं।

(ख) रेलवे वर्दी विनियमों, जिनमें वर्दी की किस्म (गर्मी और सर्दी), वर्दी की बनावट, सप्लाई के मापदंड, आदि का पूर्ण ब्यौरा दिया गया है, के अंतर्गत वर्दी के पात्र रेल कर्मचारियों की कोटियां 42 ग्रुपों में वर्गीकृत की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण कोटियों के कर्मचारियों, जिन्हें वर्दियां दी जाती हैं, में स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर टिकट जांच कर्मचारी, जाब-प्लान कर्मचारी, आरक्षण लिपिक, आदि आते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) केवल उन कोटियों के कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं जो या तो जनता के संपर्क में आते हैं और जिनको उनके द्वारा पहचान की आवश्यकता होती है अथवा जिनकी ड्यूटी ऐसी हो जिन्हें वर्दियों की सप्लाई करना अपेक्षित हो।

रसोई गैस सप्लाई में धोखाधड़ी

9794. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस की सप्लाई करने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है जिसमें कुछ कंपनियां इच्छुक एजेंटों/खरीदारों से बड़ी जमाराशियां ले रही हैं और गैस की कुछ खेप सप्लाई करने के बाद खरीदार के साथ धोखा करके करोड़ों रुपये की जालसाजी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो धोखाधड़ी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) ऐसा करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन कंपनियों ने इस प्रकार से गैस की बिक्री करने की अनुमति किस प्रकार कर ली ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) जहां तक एल. पी. जी. का संबंध है सरकार को ऐसी किसी भी रेकैट की जानकारी नहीं है। तथापि, वैकल्पिक रसोई ईंधन जो कि एल. पी. जी. नहीं है देने से संबंधित जो विज्ञापन समय-समय पर निकलते हैं उसकी सूचना सरकार को है। जिन उत्पादों का इस प्रकार प्रचार किया जा रहा है वे लिक्वीड प्राडक्ट आफ सैल्युलोज (एल. पी. सी.) कालगैस, एल. पी. किचेन गैस, हिन्दुगैस बिनाटोन ब्लू फ्लेम आदि हैं। संबंधित राज्य सरकारों को इसमे संलग्न कंपनियों की प्रामाणिकता के बारे में जांच करने को कहा गया है और उसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है ताकि ग्राहक अनैतिक तत्वों द्वारा ठगे न जाएं। इसके अतिरिक्त विस्फोटक विभाग ने भी राज्य सरकारों से पेट्रोलियम अधिनियम एवं कानून के अन्तर्गत इस तरह की रसोई गैस व्यापार में संलग्न पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं बिना लाइसेंस के संचित घोल को जब्त करने का आग्रह किया है।

कोयले की तस्करी

हिन्दी]

9795. श्री दसई चौधरी :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री इरा अन्वारासु :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कोयला खानों से प्रतिमाह भारी मात्रा में कोयले की अवैध रूप से तस्करी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ग) इस संबंध मे क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) बिहार की कोयला खानों से प्रतिमाह अवैध रूप से कोयले की बड़ी मात्रा में तस्करी होने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

किन्तु ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें बिहार पुलिस कोयले की तस्करी/कोयले के व्यापार में अवैध रूप में कार्यरत कुछ पार्टियों/व्यक्तियों को पकड़ने में सफल हुई। कोयले के खनन सम्बन्धी अवैध रूप में क्रियाकलापों को बन्द खानों तथा खनन कार्य के लिए छोड़ी गई खानों में कहीं-कहीं तथा लुक-छिपकर किया जाता है। अवैध रूप में खनन कार्य करने के मामले कोयला

कंपनियों के ध्यान में जब भी आए हैं उन्होंने इन मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज कराई है। कोयला कंपनियों के सुरक्षा कर्मी अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखे हुए हैं ताकि कोयले की तस्करी तथा उठाईगीरी को रोका जा सके।

जापान के विदेश आर्थिक सहयोग कोष द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

9796. **श्री राजवीर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वर्ष 1989 के दौरान जापान के विदेश आर्थिक सहयोग कोष सहित बहु-देशीय एजेंसियों से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा है; और

(ग) इससे क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ओ. ई. सी. एफ. समेत बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ बातचीत की गई थी।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि	हस्ताक्षर करने की तारीख	ऋण देने वाली एजेंसी
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र विद्युत परियोजना	400.00 मिलियन अमरीकी डालर	11.9.89	आई बी आर डी
2.	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली परियोजना	375.00 मिलियन अमरीकी डालर	अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए	आई बी आर डी
3.	रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना	230.00 मिलियन अमरीकी डालर	14.3.90	ए डी बी
4.	मंधार गैस आधारित सीसी-विद्युत परियोजना	1304.00 मिलियन जापानी येन	26.12.89*	ओ ई सी एफ
5.	बेसिन ब्रिज गैस टरबाइन परियोजना	11450.0 मिलियन	26.12.89*	ओ ई सी एफ
6.	भवानी कट्टलाई जल विद्युत परियोजना	5410.0 मिलियन जापानी येन	—वही—	—वही—

1	2	3	4	5
7.	अनपारा ट्रांसमिशन परियोजना (II)	19318.0 मिलियन जापानी येन	—वही—	—वही—
8.	विद्युत प्रणाली सुधार और लघु जल-विद्युत परियोजना	24379.0 मिलियन जापानी येन	—वही—	—वही—

*प्रारूप ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख ।

मध्य प्रदेश में मंड सुपर ताप विद्युत परियोजना

9797. श्री नन्द कुमार साय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में मंड नदी पर सुपर ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था;

(ख) इसके कब तक पूरा होने और कार्य आरम्भ करने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी थी और इस समय इसकी लागत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिजली की चोरी

[अनुवाद]

9798. श्री मानिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर. एन. राकेश :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 90 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को बिजली की चोरी के कारण बहुत घाटा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हो रहे ऐसे घाटे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां ।

(ख) समग्र पारेषण और वितरण हानियों में से अलग से बिजली की चोरी के कारण हुई हानि का पता लगाना सम्भव नहीं है तथापि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप जिनमें, बिजली की चोरी के लिए कठोर कठोर कार्यवाही करना तथा बकाया राशियों को वसूल करना शामिल है, पारेषण और वितरण हानियां जो कि 1988-89 में 24.07% थी 1989-90 में घटकर लगभग 19% रह गई हैं।

(ग) बिजली की चोरी के कारण होने वाली हानियों को रोकथाम के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विभिन्न उपाय किये गये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ बिजली की चोरी, स्वीकृत भार का दुरुपयोग, अनधिकृतरूप से बिजली प्राप्त करना, सबलेटिंग आदि जैसे उल्लंघनों की रोकथाम के लिए व्यापक रूप से छापे मारना शामिल है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, डेसू को राजस्व वसूली की राशि जो 988-89 में 366.63 करोड़ रुपये थी, 1989-90 में बढ़कर 392.09 करोड़ रुपये हो गई।

बिजली कनेक्शनों में अनियमितताएं

[हिन्दी]

9799. श्री शिव चरण वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1990 के "नवभारत टाइम्स" में "बिजली के कनेक्शन में भारी अनियमितताएं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार उत्तम खुज्जुपुर तथा ज्योति नगर (पूर्वी दिल्ली) की अनधिकृत कालोनियों का सितम्बर, 1989 में विद्युतीकरण कर दिया गया था। वैध कब्जे के प्रमाण समेत निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने पर ही विद्युतीकृत कालोनियों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत कनेक्शन मुहैया कराए जाते हैं। उपयुक्त रसीद जारी किए बगैर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर से किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की भुगतान की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि अनियमितता का कोई विशेष मामला दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की जानकारी में लाया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का सतर्कता विभाग है जो कि कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर कार्यवाही करता है।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में नल कूपों को बिजली की सप्लाई

9800. श्री तारीफ सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में नल-कूपों को बिजली की सप्लाई बिजली के खम्भों पर तार खींच कर दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बाद में इन तारों की चोरी हो जाती है और तारों को फिर से लगाने तथा बिजली सप्लाई व्यवस्थित करने में देरी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली की सप्लाई भूमिगत लाइनों के माध्यम से करने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैलों को विद्युत सप्लाई सिरोपरी बिजली की लाइनों के माध्यम से की जाती है। तारों की चोरी से संबंधित मामलों के बारे में पुलिस को रिपोर्ट की जाती है तथा पुन: तार लगाकर सप्लाई यथा संभव जारी कर दी जाती है।

(ख) और (ग) कृषि क्षेत्र में भूमिगत केबलों की प्राय: क्षतिग्रस्त होने की संभावना निहित है और जन जीवन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। कृषि क्षेत्र में भूमिगत केबलों का अनुरक्षण कार्य भी और कठिन हो जाएगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैल कनेक्शनों के लिए भूमिगत केबलों का इस्तेमाल किया जाना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य एवं वांछनीय नहीं पाया गया है।

करुणामूलक आधार पर रोजगार

[अनुवाद]

9801. श्री राम सागर (संबलपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या करुणामूलक आधार पर रोजगार देने के लिए उनके मंत्रालयों अथवा इसके अधीन अन्य विभागों में कोई आवेदन पत्र विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर विभाग-वार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्तमान स्थिति के अनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम में अनुकम्पा आधार पर रोजगार प्रदान करने संबंधी दो आवेदन लंबित हैं।

(ख) प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1989 का है और दूसरा आवेदन-पत्र 30 मार्च 1990 का है। ग्राम विद्युतीकरण निगम सेवा निगमों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का प्रावधान न होने के कारण ये दोनों मामले लंबित पड़े हुए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण

9802. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम और विशेषकर से पम्पसैटों के लिए बिजली की व्यवस्था करने के लिए वित्त पोषण की एक समान नीति तैयार करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम में अनियमितताओं की शिकायतें

[हिन्दी]

9803. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में बिहार के प्रतिनिधि ने निगम में गम्भीर अनियमितताओं के बारे में फरवरी-मार्च, 1989 में शिकायत की थी;

(ख) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार वाली औषधों का उत्पादन

[अनुवाद]

9804. **श्री रामदास सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में औषधों की बिक्री पर निगरानी रखती है,

(ख) केलकर समिति ने औषधों की बिक्री से संबंधित आंकड़े किन-किन स्रोतों से एकत्रित किए; और

(ग) वर्ष 1989-90 में उत्पादित एकाधिकार वाले औषधों के नाम क्या-क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) औषधों की बिक्री के संबंध में केन्द्र सरकार समिति ने विभिन्न स्त्रोतों, विशेषकर आपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओ. आर. जी.) द्वारा तैयार की गयी खुदरा मण्डारण लेखा परीक्षा रिपोर्ट से आंकड़े एकत्र किए थे।

(ग) अपेक्षित जानकारी जो भी उपलब्ध है संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

क्रम स.	प्रपुंज औषध का नाम
1	2
1.	बरालगन किटोन (हैक्स्ट)
2.	बेटामिथासोन (ग्लेक्सो)
3.	कार्बेजापीम (एस. जी. फार्मा)
4.	क्लोरप्रोमाजीन (मे एण्ड बेकर)
5.	डाइहाइड्रोमाइटोन (रोस)
6.	डाइड्रालिजन (हिन्दुस्तान सीरम गेगी)
7.	डाइहैनोक्सिलेट (सीरम)
8.	फोलिक एसिड (आइडीपीएल)
9.	जेंटामाइसिन (एचएएल)
10.	हाइड्रालिजन (सारा भाई)
11.	हाइड्रोकोर्टीसोन (बेय)
12.	इंसुलीन (दुट्स)
13.	इनटेस्टोपन सबसलेंस (सेंडोज)
14.	आयरन डेक्सट्रेन (रेलीस)
15.	आइसोसक्सप्राइन (डफर)
16.	केनामाइसिन (एलेम्बिक)
17.	मेथाहाइड्रोलीन (बेयर)
18.	नालडिक्सिन एसिड (रेनबैक्सी)
19.	पेनसलाइन मेलोइट (हैक्स्ट)

1	2
20.	ग्रे जीसोलोन (बेयर)
21.	प्रीटेनएसिड (सुनीता)
22.	प्रोबेथाजीन (मै एण्ड बेकर)
23.	पायमेथामाइन (बुरोज वैल्कम)
24.	[illegible] (सीरल)
25.	सल्फाडाइजाइन (मे एण्ड बेकर)
26.	सल्फागुनाइडाइन (आइडीपीएल)
27.	सल्फानीलामाइड (जर्मन रेमेडीज)
28.	[illegible] (आई सी आई)
29.	विटामिन "बी" 1 (आईडीपीएल)
30.	विटामिन "बी" 2 (आईडीपीएल)
31.	विटामिन "डी" 3 (ड्रूपर)
33.	वारफेरीन (यूनिकेम)
33.	जाइनाथिनोल (जर्मन रेमेडीज)

दक्षिणी राज्यों को जाने वाली रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा

9805. श्री एम. रामन्ना राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों को जाने वाली रेलगाड़ियों में सप्लाई किये जाने वाले खाद्य पदार्थ इन राज्यों में लोगों द्वारा खाये जाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन दक्षिणी राज्यों के लोगों के स्वाद और शैली के अनुसार खान-पान सेवा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है,

(ग) क्या एल्युमीनियम की पन्नियों की कीमत अधिक हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य भी अधिक हो गये हैं,

(घ) क्या खाने की तश्तरियों के निर्माण में एलुमीनियम की पन्नियों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,

(ङ) क्या इन रेलगाड़ियों में इन पन्नियों को इकट्ठा करने के लिए भिखारियों की भीड़ रहती है और इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) जहां तक संभव होता है व्यंजन सूची विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की आदतों तथा रुचि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

(ग) हालांकि केसेरोल भोजन थोड़ा-सा मंहगा होता है, के स्वास्थ्य तथा भोजन को लम्बे समय तक गर्म बनाए रखने और आसानी से परोसने आदि से संबंधित कुछ अंतर्निहित लाभ हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) नटखट लड़कों तथा भिखारियों के कारण उत्पन्न बुराई को समाप्त करने के लिए अधिकारियों तथा पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा बार-बार जांच की जाती है।

रेल द्वारा रद्दी लोहे का निपटान

9806. श्री बाई. एस. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में विभिन्न रेल यार्डों में अनुमानतः कितना रद्दी लोहा पड़ा हुआ है;

(ख) इस रद्दी लोहे के निपटान के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने रद्दी लोहे का निपटान किया गया और इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) देश के विभिन्न रेलवे यार्डों में पड़ी पटरी स्क्रैप की अनुमानित मात्रा लगभग 47,000 टन है।

(ख) रेलों के अपने उपयोग के लिए अनापेक्षित स्क्रैप सार्वजनिक नीलामी/निविदा द्वारा बेच दी जाती है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान बेची गई पटरी स्क्रैप की मात्रा लगभग 1·40 लाख टन थी तथा इसकी बिक्री से प्राप्त राशि लगभग 97·33 करोड़ रुपये थी।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिये जाने वाले बिजली के कनेक्शन

[हिन्दी]

9807. श्री आर. एन. राकेश : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में बिजली के वाणिज्यिक पावर-कनेक्शन मंजूर करते समय उपभोक्ताओं पर कुटीर-उद्योग का लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु जोर देता है;

(ख) क्या कई मामलों में लाइसेंस में स्वीकृत विद्युत लोड से कम विद्युत-लोड के कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराने का विचार किया है तथा क्या इन सभी कुटीर-उद्योगों से उनके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करके अधिक बिजली की खपत का विद्युत प्रभार वसूल किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता, के अनुसार दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के आवासीय क्षेत्रों में घरेलू प्रयोजन उद्योगों/कुटीर उद्योगों समेत औद्योगिक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 416 के अधीन निगम का वैध लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ख) म्युनिसिपल के लाइसेंस में निर्धारित भार अथवा उपभोक्ता द्वारा आवेदन में उल्लेख किए गए भार, इसमें जो भी कम हो, स्वीकृत किया जाता है।

(ग) इस प्रकार के उल्लंघन की रोकथाम के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आकस्मिक रूप से छापे भी मारे जाते हैं। स्वीकृति भार का दुरुपयोग किए जाने से संबंधित मामलों की जानकारी पर जुर्माना प्रभार/अधिकार लगाए जाते है।

विमानपत्तनों पर विमान यातायात को नियंत्रित करने वाले और विमान-मार्ग दर्शक उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

[अनुवाद]

9808. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. एल. एस. राडार आदि जैसे उपकरणों की स्थापना द्वारा विमान पत्तनों को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वित में धनराशि की कमी बाधा बन रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय संबंधी कमियों को किस प्रकार पूरा करने का विचार है; और

(घ) विभिन्न विमानपत्तनों पर विमान यातायात नियंत्रण और विमान मार्ग दर्शक उपकरणों के आधुनिकीकरण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) उपस्कर अवतरण प्रणाली (आईएलएस) राडार इत्यादि जैसी दिक्चालन सुविधाओं सहित हवाई अड्डों पर सुविधाओं को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है और इन सुविधाओं को बदलकर अथवा नई सुविधाओं की व्यवस्था करके चरणबद्ध रूप से इनका उन्नयन किया जा रहा है जो एयरलाइनों द्वारा आंकी गई आवश्यकताओं धन, भूमि इत्यादि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह उनके उपयोग कर्ताओं और विनियामक प्राधिकारियों के परामर्श से किया जाता है।

करक्का में जल विद्युत केन्द्र की स्थापना

9809. श्रीजायनन अबेदिन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार करक्का में एक जल विद्युत केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के तहत विद्यमान फरक्का बराज के बायें तट पर अनुकूल धारा पर एक जल विद्युत केन्द्र के निर्माण का विचार किया गया है। इसके तहत 25-25 मैगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता 5 बल्ब प्रकार की टर्बाइनें प्रतिष्ठापित करने की परिकल्पना की गई है; अर्थात् विद्युत केन्द्र की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 125 मेगावाट होगी।

(ग) उक्त प्रस्ताव के तकनीकी मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विभिन्न विशेषज्ञता-प्राप्त निदेशालयों को परियोजना रिपोर्ट परिचालित कर दी गई है। तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिए जाने के बाद परियोजना प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-स्वीकृति दिए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

टिहरी बांध सम्बन्धी समीक्षा समिति

[हिन्दी]

9810. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 1990 के दैनिक जनसत्ता में "पुनर्मूल्यांकन कमेटी में टिहरी बांध सम्बन्धी समीक्षा समिति की रिपोर्ट नामंजूर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना क्षेत्र का भूकम्पीय क्षेत्र में होने को मद्देनजर रखते हुए बांध सुरक्षा के बारे में पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उनको देखते हुए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है ताकि टिहरी बांध परियोजना की सुरक्षा सम्बन्धी विशिष्ट पहलुओं से संबंधित आशंकाओं का समाधान किया जा सके।

(ग) उच्च स्तरीय समिति ने जिसमें सम्बन्धित क्षेत्रों के उच्च स्तर के वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स भी शामिल हैं, मामले का समुचित रूप से अध्ययन करने तथा अत्यधिक प्रतिकूल भूकम्प परिदृश्य को धारणा पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि यथा प्रस्तावित टिहरी बांध सुरक्षित रहेगा तथा टिहरी बांध परियोजना की आयोजना में भूकम्पीय परिस्थितियों से संबंधित सभी प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखा गया है तथा जलाशय के कारण संभावित भूकम्पीय परिस्थितियों पर और विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है। टिहरी परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन के समय समितियों के निर्णयों तथा सिफारिशों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

ब्रह्मपुत्र पर उपरि-पुल का निर्माण

[अनुवाद]

9811. श्री लेइसा अम्बारी : रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने अपर असम में डिब्रूगढ़ के निकट ब्रह्मपुत्र पर एक उपरि-पुल का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हां ।

(क) डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल के लिए 1984 में सर्वेक्षण किया गया था । उस समय के प्रचलित मूल्यों पर, इस पुल पर 317 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल उपर्युक्त पुल का निर्माण-कार्य शुरू करना कठिन है ।

मैसूर पेपर मिल्स में तालाबन्दी

9812. श्री जी. एस. बासवराज :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी स्रोतों से अखबारी कागज की सप्लाई में कोई कमी हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या मैसूर पेपर मिल्स में तालाबन्दी चल रही है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख) देश को अखबारी कागज की मांग स्वदेशी उत्पादन तथा आयातित, दोनों से पूरी की जाती है । अखबारी कागज बनाने वाली सभी मिलों द्वारा 1989-90 में 2·64 लाख मी. टन अखबारी कागज का उत्पाद किया गया था, जबकि वर्ष 1988-89 में 2·76 लाख मी. टन का उत्पादन हुआ था । वर्ष 1989-90 के दौरान उत्पादन में जो कमी हुई उसका कारण अन्य कारणों के अलावा मैसूर पेपर मिल्स लि. में मशीनों का खराब हो जाना तथा नेपा लिमिटेड में पेपर मशीनों का नवीनीकरण किया जाना और बिजली में कटौती आदि होना था ।

(ग) मैसूर पेपर मिल्स लि. में 12 से 24 अप्रैल, 1990 तक तालाबन्दी रही थी ।

(घ) मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के प्रबन्धक ने रिपोर्ट दी है कि वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा गैर कानूनी रूप से हड़ताल कर दिए जाने के कारण उन्हें तालाबन्दी करनी पड़ी थी।

(ङ) समझौता वार्ता के बाद प्रबन्धकों ने 24 अप्रैल, 1990 से तालाबन्दी समाप्त कर दी थी।

राज्य विद्युत बोर्डों का वित्तीय कार्य निष्पादन

9813. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि विद्युत क्षेत्र की, विशेष रूप से राज्य विद्युत बोर्डों का वित्तीय कार्य निष्पादन गम्भीर चिन्ता का विषय रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड स्वायत्त निकाय है जिन्हें बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, उन्हें अपने प्रचालन एवं कार्यकरण में पूरी स्वायत्तता है। राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को विशेष रूप से बता दिया गया है। राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण को जीवन क्षम उपक्रम के रूप में प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं—विद्युत चोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए संविधि में संशोधन करना, विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु नवीकरण एवं आधुनिकरण सम्बन्धी केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम का क्रियान्वयन ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अच्छे कार्य निष्पादन के लिए सराहनीय उत्पादकता पुरस्कार योजना लागू करना, पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करना।

तमिलनाडु में विद्युत संयंत्रों की क्षमता

9814. श्री इरा अन्बारासु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विभिन्न विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक संयंत्र अपनी क्षमतानुसार उत्पादन कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में, संयंत्र-वार ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद) : (क) से (ग) तमिलनाडु में विभिन्न संयंत्रों की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता और अप्रैल, 1990 के दौरान उनके द्वारा किया गया विद्युत उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात भी विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

तमिलनाडु में ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता, उनके वास्तविक उत्पादन तथा संयंत्र भार अनुपात का केन्द्रवार ब्योरा।

केन्द्र का नाम	प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	अप्रैल, 90 के दौरान विद्युत उत्पादन (मेगावाट)	अप्रैल, 90 के दौरान ताप विद्युत संयंत्र भार (प्रतिशत)
1	2	3	4
ताप विद्युत			
एन्नोर	450	212	65·4
तूतीकोरिन	630	394	86·9
मैत्तूर	840	314	69·2
जोड़ (त.ना.वि.बो. (ता.वि.)	1920	920	74·7
नेवेली	1210	628	70·9
जोड़ ताप विद्युत	3150	1548	
न्यूक्लीय			
कलपक्कम	470	171	
जल विद्युत			
पायकारा	72	26	
मोयार	36	11	
कुंडाह	555	74	
मैत्तूप	240	5	
अल्लीयार	60	12	
कोलायार (I—II)	95	13	
सरकारपथी	30	8	
पेरियार	140	14	
सुरुलीयार	35	5	

1	2	3	4
पापा नास्साम	28	3	
काडायार (I—II)	100	10	
सरवालयर×बगई	23	2	
लोअर मैत्तूर	120	4	
कदमपराई	400	17 प्रतिशत	
जोड़ ज. वि.	1934	200	

मिर्जापुर स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

9815. **श्री वी. राजरवि वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर स्टेशन पर हाल में प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म और विश्राम कक्षों आदि जैसी यात्री-सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्रीजार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) शहर की ओर बैठने की व्यवस्था सहित दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय, प्रसाधन और स्नानघर, चाय स्टाल, प्लेटफार्म पर सायबान, गैर वातानुकूल के दो विश्राम कक्ष, बुकिंग पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय, पीने के पानी की सुविधाएं और पहुँच मार्ग सहित परिचलन क्षेत्र जैसी अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की हाल ही में व्यवस्था की गयी है।

रतलाम डिवीजन के गार्डों और इंजिन ड्राइवरों द्वारा सुझाव

[हिन्दी]

9816. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम डिवीजन के गार्डों और इंजिन ड्राइवरों ने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गार्डों और इंजिन ड्राइवरों की प्रस्तावित योजना से सरकार को लाखों रुपये की बचत होगी और इन कर्मचारियों की कठिनाइयां कम हो जाएंगी ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इसकी जांच की जा रही है।

पुरवाखेड़ा में भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का गिराया जाना

9817. डा. एस. पी. यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदौसी-बरेली लाइन पर पुरवाखेड़ा हाल्ट पर स्टेशन-भवन और स्टाफ क्वार्टरों आदि को गिरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एअर बस ए-320 को पट्टे पर देना

[अनुवाद]

9818. श्री यशवन्तराव पाटिल :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को एयरबस ए-320 को पट्टे पर लिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो एयरबस ए-320 को उपयोग में लाने के बारे में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) एयर बस ए-320 विमानों को लीज पर लेने/उनकी बिक्री के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइंस से अनन्तिम तौर पर कुछ पूछताछ की गई है किन्तु अभी उन्हें कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रेल व सड़क आरक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

9819. श्री हरीश रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रेल व सड़क आरक्षण केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में ऐसे आरक्षण केन्द्र लैंसडाऊन, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, चमोली, बागेश्वर, लोहाघाट, धारचूला, रुद्रप्रयाग और नरेन्द्र नगर में, खोलने का विचार किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंजूरी कब तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपयुक्त ठेकेदार के अभाव में लंसडौन, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और नरेन्द्र नगर में बुकिंग और आरक्षण केन्द्र पहले नहीं खोले जा सके। बहरहाल पर्वतीय क्षेत्रों में इन एजेंसियों के संचालन के लिए अभी हाल में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गढ़वाल मंडल विकास निगम, देहरादून, और कुमाऊं मंडल विकास निगम, नैनीताल (दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम हैं) के नामों की सिफारिश की है। यद्यपि बागेश्वर और लोहाघाट में माल की बुकिंग की सुविधा सहित आउट एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन इन स्थानों पर टिकटें जारी करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। चमोली और धारचुला में किसी आउट एजेंसी/यात्री बुकिंग आरक्षण केन्द्र के खोले जाने का कोई प्रोविजन नहीं है।

राजस्थान में बिजली की कमी

[अनुवाद]

9820. श्री धान सिंह जाटव :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के अन्त तक राजस्थान में बिजली की लगभग 35 प्रतिशत कमी रहने का अनुमान है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने धौलपुर, सूरतगढ़, मदालगढ़ और चित्तौड़गढ़ में ताप बिजली घर स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजे थे; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राजस्थान राज्य में 8वीं योजना के अन्त में ऊर्जा की कमी कुल मिलाकर 34.9% होने का अनुमान लगाया गया है जब कि देश में 38, 369 मे. वा. की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) राजस्थान से प्राप्त परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम और क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	सूरतगढ़ 2×210 मे. वा.	इस परियोजना के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्य मूल्यांकन अभिकरणों के साथ-विचार किया जा रहा है और कोयला-लिंकेज सुनिश्चित किये जाने

1	2
	के बाद इसके सम्बन्ध में तकनीकी-वाणिज्यिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।
2. धौलपुर 3×210 मे. वा.	पर्यावरण विभाग ने प्रस्तावित कार्यस्थल को अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि इससे पर्यावरण एवं ताज महल पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। तदनुसार, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को सूचित कर दिया गया था और उनसे वैकल्पिक कार्यस्थल का पता लगाने तथा संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जो अभी भी प्रतीक्षित है।
3. मंडल 3×210 मे. वा. | 4. चितौड़गढ़ 2×210 मे.वा. |	जल और अन्य निवेशों को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा और अन्वेषण किये जाने है। तदनुसार, उन्हें सलाह दी गई है कि आवश्यक निवेश सुनिश्चित करने के बाद संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संशोधित रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित हैं।

तमिलनाडु में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

9821. **श्री एम. डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में किन-किन जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के निम्नलिखित नौ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया था :—

1. धर्मपुर
2. कन्याकुमारी
3. मदुरई
4. नार्थ आर्कोट
5. रामनाथपुरम
6. साउथ आर्कोट
7. तंजावूर
8. तिरुचिरापल्ली
9. पुडुकोटई

ऊर्जा बचत सप्ताह

9822. श्री प्रकाश कोको ब्रह्ममट्ट :
श्रीमती वासव राजेश्वरी ।
श्री जी. एस. वासवराज :
क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अप्रैल, 1990 में एक "ऊर्जा बचत सप्ताह" प्रायोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य प्रयोजन क्या था;

(ग) बंगाल में प्रायोजित "ऊर्जा सप्ताह" में कितने विशेषज्ञों ने भाग लिया और इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान)। (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने कलकत्ता में 21 से 28 अप्रैल, 1990 तक ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया था।

(ख) ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य, उद्योग के विभिन्न विशेष समूहों परिवहन, घरेलू एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों में सेमिनार, कार्यशालाओं प्रदर्शनी, प्रचार अभियान आदि के साथ-साथ विभिन्न शिक्षाप्रद कथानकों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

(ग) पश्चिम बंगाल में आयोजित किए गए ऊर्जा संरक्षण सप्ताह में देश के विभिन्न भागों से आए 1000 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इस सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न सेमिनारों/कार्यशालाओं में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया इनमें औद्योगिक, कृषि, ग्रामीण, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन एवं वितरण में ऊर्जा संरक्षण; में संचार माध्यम की भूमिका; और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं।

(घ) प्रमुख निष्कर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा समुपयोजन की क्षमता में सुधार करने के लिए यूटिलिटीज द्वारा सघन उपाय किए जाने चाहिएं।

(2) प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, हस्त पुस्तिका (पम्प फलैट) के माध्यम से प्रभावकारी अभियान चलाकर ऊर्जा संरक्षण के बारे में जन जागरण संबंधी कार्यों में विस्तार किया जाना चाहिए।

(3) विलोमित हो रहे जीवाश्म ईंधन संसाधनों की सुरक्षा तथा इसके साथ-साथ पर्यावरण में सुधार करने के लिए सौर, पवन, गोबर गैस तथा ग्रामीण ऊर्जा आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर समुपयोजन किया जाना चाहिए।

दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई

9823. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा चालू ग्रीष्म ऋतु के दौरान बिजली की नियमित सप्लाई के लिये उठाये जा रहे उपायों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों को की जा रही बिजली की सप्लाई भी नियमित आधार पर की जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या ठोस उपाय करने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) दिल्ली में आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विद्युत सप्लाई को बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र समेत तथा उत्तरी ग्रिड से अपेक्षित मात्रा में विद्युत प्राप्त करके, दिल्ली के विद्युत उत्पादन केन्द्रों में इष्टतम विद्युत उत्पादन करके पूरा किये जाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक क्षेत्रों समेत विभिन्न क्षेत्रों को नियमित विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न वोल्टता स्तरों पर परेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और इसका विस्तार करना, वोल्टता सम्बन्धी परिदृश्य के अनुरक्षण के लिये शन्ट केपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना तथा उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड में नियन्त्रित परिस्थिति बनाये रखना आदि शामिल हैं। दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति को मानिटर करने के लिये तथा शहर राजधानी को जहां तक सम्भव हो अधिकतम विद्युत उपलब्ध कराये जाने के लिये समन्वित प्रयास किये जाने को विद्युत विभाग ने एक कृतिक बल का भी गठन किया है।

दिल्ली-उदयपुर और उदयपुर-अहमदाबाद के बीच सुपरफास्ट गाड़ियां

[हिन्दी]

9824. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली-उदयपुर और उदयपुर-अहमदाबाद के बीच सुपरफास्ट गाड़ियां आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का चेतक एक्सप्रेस गति बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

औषधों तथा भेषजों की पैकिंग सामग्री के मूल्य की अधिकतम सीमा की अधिकतम सीमा में संशोधन

[अनुवाद]

9825. श्रीमती वासव राजेश्वरी :

श्री शिकिहो सेमा :

श्री जी. एस. बासवराज :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को औषधों तथा भेषजों की पैकिंग सामग्री के मूल्य की अधिकतम सीमा में संशोधन करने के लिए कहा है,

(ख) यदि हां, तो इससे मई, 1989 से पूर्व के स्तर पर मूल्यों को लाने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी,

(ग) भेषजों के मूल्यों को कम करने के लिए और कौन-से उपाय किए जा रहे हैं, और

(घ) अब तक इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) पूरे मामले की नए सिरे से पुनः जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) 21 प्रमुख औषधों की सरकार पहले ही फरवरी, 1990 में मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत ले चुकी है और उसके परिणामस्वरूप ऐसी औषधों पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त डॉ. पी. सी. ओ. 1987 से संबंधित विभिन्न मसलों पर विचार करने के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में एक स्थाई समिति गठित की गयी है।

लघु उद्योगों पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश लागू करना

9826. श्री एस. बी. चोरट : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 लघु औद्योगिक एककों पर लागू नहीं होता है,

(ख) क्या इन एककों पर कारोबार संबंधी कोई सीमा लागू होती है,

(ग) क्या ऐसे अनेक लघु औद्योगिक एकक हैं जो मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं, यद्यपि उनका कारोबार करोड़ों रुपये से भी अधिक का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) का. आ. सं. 719 (ई) दिनांक 21.7.1988 के अनुसार लघु एकक औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त आदेश के परिशिष्ट 3 की श्रेणी 2 में विनिर्दिष्ट सूत्रयोगों से है, से मुक्त है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, डी पी सी ओ, 1987 से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति श्रेणी-2 सूत्रयोगों के सम्बन्ध में लघु एककों को उपलब्ध छूट के सम्बन्धी विषय पर भी विचार करेगी।

कोंकण क्षेत्र में तेल और गैस के लिए खुदाई

9827. श्री ए. आर. अन्तुले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और गैस प्राप्त होने की संभावना वाले कोंकण क्षेत्र विशेष रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरि-रायगढ़ जिलों और आस-पास के अन्य क्षेत्रों से कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) रत्नगिरी और रायगढ़ जिले सहित कोंकण प्रदेश दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, रत्नगिरी रायगढ़ जिला एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, दक्कन ट्रैप में अन्य स्थानों पर कुछ सर्वेक्षण कार्य किया गया और कुछ परामीट्रिक ड्रिलिंग करने की योजनाएं भी बनाई गई हैं। भविष्य में महाराष्ट्र के बेसिनों में अन्वेषण कार्यक्रम अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

जम्मू तवी में बुक स्टाल कन्ट्रक्ट

9828. श्री आर. मुथिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में जम्मू तवी में बुक स्टाल कन्ट्रक्ट को समाप्त कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बुक स्टाल को अब पुनः आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री मार्क फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) जिस बुक स्टाल ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया गया था वह अभी भी न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के अधीन ठेका चला रहा है तथा मामला न्यायाधीन है।

कच्चे तेल का आयात

9829. श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान कच्चे तेल का आयात करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से कच्चे तेल का आयात किया जाएगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) वर्ष 1990 के लिए कैलेण्डर वर्ष के आधार पर यू. एस. एस. आर. के साथ एक सावधिक अनुबंध किया है । 1990-91 के लिए क्रूड तेल की खरीद के लिए करार करने के बारे में सऊदी अरब, इरान, इराक, यू. ए. ई., कुवैत और मलेशिया के साथ बातें की गई है। इसके अलावा स्पाट पर खरीद भी की जाती है । रिफाइनरियों की मांग एवं प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके में पूरे वर्ष आयात किया जाता है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

9830. श्री ए. चार्ल्स : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस राज्य में कितनी अतिरिक्त वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई;

(ग) क्या इस बारे में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सातवीं योजना में केरल राज्य में 480 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई थी ।

(ख) सातवीं योजना के दौरान 465 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई है ।

(ग) और (घ) कल्लाडा जल विद्युत परियोजना (15 मेगावाट) जिसे सातवीं योजना के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम था, यूनिट के उत्थापन में विलम्ब होने के कारण अब 1990-91 में पूरी की जा सकेगी ।

चल-पुस्तकालय और पुस्तक दुकान

9831. श्री एम. ओ. शेखर : क्या रेल मंत्री बेंगलौर एक्सप्रेस में चल पुस्तकालय और

पुस्तक दुकान के बारे में 4 अगस्त, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2598 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चल पुस्तकालय-एवं-पुस्तक दुकान के प्रयोजनार्थ रेलवे रेकों में स्थान आरक्षित रखने और निःशुल्क कार्ड-पास जारी करने के संबंध में क्या नीति है, और

(ख) प्रत्येक रैक में एक ही समय कितने प्रतिनिधियों/व्यक्तियों को यह सुविधा प्राप्त करने की अनुमति होती है ?

रेल मंत्री (श्री भार्गव फर्नान्डीज) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार चल पुस्तकालय एवं बुक स्टाल वाली विशिष्ट गाड़ी के लिए न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों के लिए बंध केवल दूसरे दर्जे के पास जारी किये जाते हैं। प्रत्येक रेक में केवल एक शाखिका आबंटित की जाती है।

(ख) ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को जो वस्तुतः किसी विशेष रेक पर चल पुस्तकालय एवं बुक स्टाल का प्रबन्ध करते हैं, मुफ्त पासों की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

"उद्योग रहित जिला" घोषित करने के लिए मानदंड

[हिन्दी]

9832. श्री राम कृष्ण यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी जिले को 'उद्योग रहित जिला' घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले को 'उद्योग रहित जिला' घोषित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जिन जिलों में 1979-80 की जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजना के अनुसार कोई बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है उन्हें 'उद्योग रहित जिलों' के रूप में माना गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) देश के 'उद्योग रहित जिलों' की मौजूदा सूची में कोई जिला जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोल, डीजल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां

9833. श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कितनी-कितनी एजेंसियां हैं और एक एजेंसी औसतन कितने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आबंटित की गई है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

जबकि एल. पी. जी. वितरक के लिए कोई भी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है, प्रत्येक वितरक के लिए नगरों और शहरों की जनसंख्या के आधार पर रिफिल आपूर्ति के लिए एक निश्चित सिलिंग निर्धारित की गई है जो 4000 से 8000 के बीच होती है। पेट्रोल और डीजल के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र इस प्रयोजन के लिए मात्रा दूरी मानदंड के आधार पर निश्चित किये जाते हैं न कि जनसंख्या के आधार पर।

विवरण

1.4.1990 को एल. पी. जी. एजेंसियों की राज्यवार संख्या

	राज्य/संघ शासित राज्य	एल. पी. जी. एजेंसियों की संख्या
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	332
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	87
4.	बिहार	137
5.	गोआ	27
6.	गुजरात	278
7.	हरियाणा	112
8.	हिमाचल प्रदेश	33
9.	जम्मू और कश्मीर	53
10.	कर्नाटक	222
11.	केरल	154
12.	मध्य प्रदेश	207
13.	महाराष्ट्र	527
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	9
16.	मिजोरम	5
17.	नागालैंड	11
18.	उड़ीसा	75
19.	पंजाब	151

1		2
20.	राजस्थान	141
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	298
23.	त्रिपुरा	9
24.	उत्तर प्रदेश	403
25.	पश्चिम बंगाल	212
26.	अंडमान और निकोबार	1
27.	चंडीगढ़	24
28.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	दमन और दीयू	2
30.	दिल्ली	202
31.	लक्यद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	5
	योग :	3738

1.4 1990 को पेट्रोल और डीजल पम्पों की राज्यवार संख्या

राज्य संघ शासित राज्य		पेट्रोल और डीजल पम्पों की संख्या
1		2
1.	आंध्र प्रदेश	1181
2.	अरुणाचल प्रदेश	26
3.	असम	315
4.	बिहार	892
5.	गोवा	63
6.	गुजरात	948
7.	हरियाणा	482
8.	हिमाचल प्रदेश	75

1		2
9.	जम्मू और कश्मीर	115
10.	कर्नाटक	915
11.	केरल	690
12.	मध्य प्रदेश	841
13.	महाराष्ट्र	1489
14.	मणिपुर	26
15.	मेघालय	46
16.	मिजोरम	12
17.	नागालैंड	24
18.	उड़ीसा	316
19.	पंजाब	940
20.	राजस्थान	868
21.	सिक्किम	9
22.	तमिलनाडु	1394
23.	त्रिपुरा	28
24.	उत्तर प्रदेश	1820
25.	पश्चिम बंगाल	981
26.	अंडमान और निकोबार	3
27.	चंडीगढ़	18
28.	दादरा और नगर हवेली	3
29.	दमन और द्वीयू	4
30.	दिल्ली	234
31.	लक्यद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	25
	योग :	14783

कपूरथला स्थित आर. सी. एफ. में कुशल कर्मचारी

[अनुवाद]

9834. श्री शिकिहो सेमा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला स्थित आर. सी. एफ. में सभी स्तरों पर कुशल कर्मचारियों की अपेक्षित और पर्याप्त संख्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कपूरथला स्थित आर. सी. एफ. के कर्मचारियों को दिये जाने वाले परिवोजना भत्ता और अन्य सम्बन्धित लाभों में समानता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हां।

मौजूदा लक्षित उत्पादन के लिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन यूनिटों से रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला में स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों को जुलाई, 1986 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार कुछ प्रोत्साहन दिए गए हैं। ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों के मामले में ये प्रोत्साहन मुख्यतः उनके मूल ग्रेडों से ऊपर एक या दो ग्रेडों में पदोन्नति और/अथवा अग्रिम वेतनवृद्धियों के रूप में दिए गए हैं। विनिर्दिष्ट ग्रेड तक के अधिकारियों के मामले में विनिर्दिष्ट सीमा तक केवल अग्रिम वेतनवृद्धियां दी जा रही हैं। इन दोनों मामलों में प्रोत्साहनों की अनुमेयता की शर्तें अनुबंधित की गयी हैं।

उस यूनिट से सम्बन्धित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला के कर्मचारियों को ये प्रोत्साहन (जो फिलहाल 31.7.1990 तक उपलब्ध हैं) दिये गये हैं।

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया गया था लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं पाया गया था।

ह्वास-उपकरणों का निर्माण

9835. प्रो. के. वी. थामस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ह्वास-उपकरणों (स्प्रिंदिंग इक्विपमेंट) का देश में ही निर्माण करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : इस समय ह्वास उपकरण/बंफर बनाने वाले दो एकक संगठित क्षेत्र में और एक एकक लघु क्षेत्र में है। चूंकि ये मोटर वाहन घटक हैं, इसलिए सरकार औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाती है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा फोटो संवेदी सामग्री का आयात

9836. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

श्री डी. एम. पुट्टे गौडा :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का एक भाग ऐसी कम्पनी है, जो फोटो संवेदी सामग्री का आयात और वितरण करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को फोटो संवेदी सामग्री के मामले में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का एकाधिकरण होने के बारे में "दिल्ली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन" की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्री ((श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म ही केवल ऐसा संगठन नहीं है जो फोटो संवेदी सामग्री का आयात और वितरण करता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन से एच. पी. एफ. की उत्पाद गुणवत्ता, फोटो संवेदी सामग्री निर्माण में इसके एकाधिकार, विदेशी प्रौद्योगिकी की उच्च लागत, कीमत वृद्धि, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को हटाऐ जाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड अपने समेकित उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से श्वेत-श्याम फोटोग्राफिक उत्पादों की मांग को लगातार पूरा करता रहा है। एक्स-रे फिल्मों, ग्राफिक आर्ट फिल्मों तथा सिने कलर पॉजिटिव फिल्म आदि की मांग को पूरा करने के लिए एच. पी. एफ. आयातित जम्बो रोलों से प्रत्यावर्तन का कार्य करता है। चालू आयात नीति के अन्तर्गत एक्स-रे फिल्म को चार किस्में ओ. जी. एल. से 'सीमित अनुमत मदों' में स्थानान्तरित कर दी गई है। फिल्मों की गुणवत्ता और कमी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की जानबीन की जाती है और सामग्री को बदलने या सामग्री के उचित प्रयोग की सलाह देने के समुचित उपचारी उपाय किए जाते हैं। कीमतों के सम्बन्ध में, औद्योगिक लागत और कीमत कार्यालय द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

ओरियेन्टल पावर केबल्स, कोटा का बन्द होना

[हिन्दी]

9837. श्री बाऊ दयाल जोशी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा जिले में ओरियेन्टल पावर केबल्स फैक्टरी बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसे पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान में मैं. ओरिएन्टल पावर केबिल्स लि., कोटा का संयंत्र फरवरी, 1986 से बन्द पड़ा है। बन्द होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित बताए गए हैं :—निरन्तर अलाभकर कार्य प्रणाली, विस्तार तथा विविधिकरण योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब, बिजली की कमी, भुगतान की समस्याएं तथा प्रबन्ध में खामियां होना।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन गठित एक अर्ध न्यायिक निकाय, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा इस कंपनी के मामले की जांच की जा रही है।

दक्षिण रेलवे में नई गाड़ियां

[अनुवाद]

9838. श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्धनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान जोन-वार कितनी नई गाड़ियां आरम्भ की गई,

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में कम संख्या में गाड़ियां आरम्भ की गई हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री आर्य फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रसोई गैस का उत्पादन लक्ष्य

9839. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान रसोई गैस उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1989 और 31 मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक तेल कम्पनी (इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, आदि) के रसोई गैस उत्पादन सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) 1990-91 के लिए एल. पी. जी. के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 1960 टी. एम. टी. है।

(ख) दिसम्बर वर्ष 1989 और वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान कम्पनीवार लक्ष्य की तुलना में वास्तविक एल. पी. जी. उत्पादन निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े 000 टन में)

	1989		1989-90	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
आई. ओ. सी.	451	493	460	499
एच. पी. सी.	197	179	172	169
बी. पी. सी.	203	223	203	232
सी. आर. एल.	141	143	141	152
एम. आर. एल.	117	129	115	128
ओ. एन. जी. सी.	638	710	662	711
ओ. आई. एल.	49	50	50	51
टोटल	1776	1917	1803	1942

पंजाब में रसोई गैस की आवश्यकता

9840. **श्री कमल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में रसोई-गैस की मासिक आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) पंजाब में प्रतिमाह कितने गैस सिलिंडरों की आवश्यकता होती है तथा पंजाब को प्रति माह कितने गैस सिलिंडरों की सप्लाई की जा रही है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एल. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय हर माह करीब 5.24 लाख एल. पी. जी. रिफिल सिलिंडरों की आपूर्ति की जा रही है। इनसे इनकी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी हो जाती हैं।

(घ) एल. पी. जी. की बल्क उपलब्धता में समग्र कमी के कारण हाल में पंजाब में कुछ स्थानों से एल. पी. जी. रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी कमी आने की सूचना मिली थी। पहले ही किए गए उपायों से स्थिति में अब सुधार आया है। उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

ठाणे क्रीक पर पुल का निर्माण

9841. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाणे-बेलापुर रेलवे लाइन के साथ ठाणे क्रीक पर निर्माणाधीन रेल पुल की एक स्पेन ढह जाने के कारण इस पुल का निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से रुका रहा;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पुल के निर्माण का ठेका किस कम्पनी को दिया गया था; और क्या उक्त दुर्घटना के कारण पुल का निर्माण कार्य पूरा करने का ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दे दिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैसर्स एसिया फाउंडेशन एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (ए. एफ. सी. ओ. एन. एस.), बम्बई।

चूंकि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी इसलिए इस कार्य के लिए लगाये गये ठेकेदार को बदलने का प्रश्न नहीं उठा।

विद्युत क्षेत्र के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी

9842. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं ठोस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी सहायता के लिए अनुरोध किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने के लिये अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) देश में विद्युत क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता के इष्टतम समुच्चयोजन

के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा पता लगाए गये क्षेत्रों में ये शामिल है :—

(1) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

(2) विद्यमान जल विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं उनकी क्षमता में वृद्धि

(3) प्रणालियों का सुधार

(4) पारेषण और वितरण हानियों में कमी

(5) भार प्रबन्ध और

(6) ऊर्जा संरक्षण

(ग) इन क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग और इस संबंध में विदेशी सहायता की आवश्यकता से संबंधित समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच, प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर की जाती है।

(घ) विद्युत क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु क्षेत्रों का निर्धारण करना और इसे अपनाना एक सतत् प्रक्रिया है।

मिराज-लातुर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

9843. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिराज-लातुर मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है,

(ग) क्या यह परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट का उत्पादन और इसकी मांग

[हिन्दी]

9844. **श्री दौलतराम सारण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न किस्म की सीमेंट का कितना उत्पादन होता है और इसकी अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्रमशः तकनीकी रूप से प्रमाणित और गैर प्रमाणित विभिन्न किस्म की सीमेंट का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गैर-प्रमाणित सीमेंट के निर्माण और इसके उपयोग की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) कलैंडर वर्ष 1989 के दौरान, देश में बड़े सीमेंट संयंत्रों द्वारा सीमेंट का किस्मवार उत्पादन इस प्रकार रहा :—

किस्म का नाम	मिलियन मी. टन में राशि राशि
साधारण पोर्टलैंड सीमेंट	29.82
पोज्जोलाना पोर्टलैंड सीमेंट	7.47
पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस	4.37
सफेद सीमेंट	0.22
विशेष उद्देश्य हेतु सीमेंट	0.33
(आयल वैल, कम उष्मा, उच्च शक्ति सीमेंट इत्यादि)	
योग :	42.21

सीमेंट की किस्मवार आवश्यकता हेतु कोई अनुमान नहीं दिये गये हैं। तथापि, 7वीं योजना के लिए, सीमेंट उद्योग पर कार्य दल द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार, वर्ष, 1989-90 के लिए देश में सीमेंट की कुल मांग 49 मिलियन मी. टन आंकी गई है।

(ख) बी. आई. एस. ने सीमेंट की 13 किस्मों के भारतीय मानक तैयार किये हैं जिसमें से 9 भारतीय मानकों को बी. आई. एस. प्रमाणन चिन्ह योजना के तहत सम्मिलित किया गया है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) प्रमाणन योजना के तहत आने वाले भारतीय मानक :—

आई. एस. 269-1976 सामान्य और निम्न ताप पोर्टलैंड सीमेंट (तीसरा संशोधन)।

आई. एस. : 455-1976 पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट (तीसरा संशोधन)

आई एस-1489-1976 पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (दूसरा संशोधन)

आई एस : 3466-1967 मसोनरी सीमेंट (पहला संशोधन)

आई एस : 8041-1978 रैपिड हार्डेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट (पहला संशोधन)

आई एस : 8042-1978 व्हाई पोर्टलैंड सीमेंट (पहला संशोधन)

आई एस : 8112-1976-43 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट

आई एस : 12269-1987-53 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट

आई एस : 12330-1988- सल्फेट रेसीस्टींग पोर्टलैंड सीमेंट

(II) इस समय प्रमाणन योजना के तहत न आने वाले भारतीय मानक :—

आई एस : 6452-1972 हाई एलुमीना सीमेंट फार स्ट्रक्चुरल्स यूज,

आई एस : 6909-1973 सुपरसल्फेटिड सीमेंट

आई एस : 8043-1978-हाई ड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट (पहला संशोधन)

आई एस-8329-1986 आयल-वेल सीमेंट (पहला संशोधन)

(ग) इस समय सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश 1983 के अंतर्गत आने वाले ऊपर (क) में दर्शाए गए 13 मानकों में से केवल 11 भारतीय मानक है जिसके लिए बी आई एस प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है । तदनुसार यदि कोई निर्माता इन 11 भारतीय मानकों में आने वाली सीमेंट को अन्य किसी किस्म का उत्पादन करता है तो इस समय बी आई एस प्रमाणीकरण चिन्ह योजना के अंतर्गत सीमेंट की ऐसी किस्मों को शामिल करना अनिवार्य नहीं है ।

दिनांक 3.5.89 को संशोधित उक्त आदेश के अंतर्गत उद्योग मंत्रालय निर्दिष्ट अवधि के लिए बिना बी आई एस चिन्ह के इन 11 मानकों के अंतर्गत आने वाले सीमेंट के उत्पादन और बिक्री की अनुमति देता है ताकि ये निर्माता इस अवधि के दौरान बी आई एस प्रमाणीकरण चिन्ह लाइसेंस प्राप्त कर सके ।

मधुपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार

9845. **श्री जनार्दन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान मधुपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार करने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मधुपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूदा सुविधाएं संभाले जा रहे यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

दिल्ली में रेलवे भूमि पर चलाई जा रही औद्योगिक/वाणिज्यिक कम्पनियां

[अनुवाद]

9846. **श्री लाल कृष्ण आणवाणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों, वाणिज्यिक कम्पनियों तथा अन्य पार्टियों के नाम क्या हैं जो नई दिल्ली/दिल्ली में रेलवे भूमि पर अपना कार्य संचालित कर रही हैं और जिनसे रेलवे विभाग अपनी भूमि खाली कराने हेतु प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या उनमें से कुछ की ओर कोई राशि बकाया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन मामलों में बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है उनके मामले में ब्याज सहित बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो न्यायालयों में अथवा मध्यस्थ निर्णय के अधीन हैं और ये कब से विचाराधीन हैं और इनके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु कोई नई कार्य योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां। रेलें न्यायालयों में पड़े मामलों की पैरवी कर रही हैं। मुख्यालय स्तर पर विभागाध्यक्षों की एक सीमित गठित की गई है जो लाइसेंस शुल्क की दरों, आदि में संशोधन के बारे में लाइसेंस धारियों की शिकायतों की जांच करती है।

विवरण

(क) औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि के नाम	(ख) बकाया तथा ब्याज की राशि का ब्यौरा	(ग) न्यायालय में पड़े मामलों आदि का ब्यौरा
1	2	3
1. मैसर्स ओरियण्टल बिल्डिंग एंड फर्नीशिंग कम्पनी, दिल्ली।	बकाया और ब्याज की राशि के मामले न्यायालयों में विवादास्पद पड़े हुए हैं और जो न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करते हैं।	24.9.84 को विवाचक द्वारा दिये गये निर्णय को न्यायालय का नियम बनाने के लिए इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। यह मामला उच्च न्यायालय में नवम्बर 1984 से लम्बित पड़ा हुआ है। अगली सुनवाई की तारीख 21.5.90 है।

1	2	3
		31.7.89 को सम्पदा अधिकारी ने फर्म के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया था। फर्म ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिल्ली के न्यायालय में अपील दायर की है जो लम्बित पड़ी हुई है। न्यायालय द्वारा 11.8.89 को बेदखली के स्थगन आदेश दिये गये हैं। अगली सुनवाई की तारीख 10.7.90 है। रेलवे ने सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में क्षति की वसूली के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया है। फर्म ने सम्पदा अधिकारी के पास चल रही कार्यवाही के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। यह मामला 22.3.1990 से उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा हुआ है। अगली सुनवाई की तारीख 18.5.90 थी।
2. मैसर्स बत्रा ब्रदर्स, शकूरबस्ती।	बकाया और ब्याज की राशि के मामले न्यायालयों में विवादास्पद पड़े हुए हैं और जो न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करते हैं।	सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही चल रही है। पार्टी ने जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था और उसने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
3. मैसर्स जगन्नाथ धूपाधर, शकूरबस्ती।	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास चल रही बेदखली की कार्यवाही के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया है। पार्टी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किया गया मामला फरवरी, 1989 से लम्बित पड़ा हुआ है।
4. मैसर्स हरी राम आयल कम्पनी शकूरबस्ती	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास यह मामला 30.4.1989 से लम्बित पड़ा हुआ है।

1	2	3
5. मैसर्स प्रदीप ब्रास कार्पोरेशन, शकूरबस्ती	बकाया और ब्याज की राशि के मामले न्यायालयों में विवादास्पद पड़े हुए हैं और जो न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करते है।	सम्पदा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय, दिल्ली में दायर की गई अपील 9.4.1990 से लम्बित पड़ी हुई है।
6. मैसर्स केसर एंटरप्राइजेज शकूरबस्ती	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली की कार्यवाही 13.2.1989 से लम्बित पड़ी हुई है। पार्टी ने रेलवे के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है।
7. मैसर्स पेट्रोलियम केमिकल सर्वेयर्स, शकूरबस्ती	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली की कार्यवाही 24.4.1989 से लम्बित पड़ी हुई है। अब पार्टी ने रेलवे के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है।
8. मैसर्स वेस्टर्न इंडिया डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी, शकूरबस्ती	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली की कार्यवाही दिसम्बर, 1989 से लम्बित पड़ी हुई है।
9. मैसर्स इंडियन लुब्रिकेंट्स एण्ड स्पेशलिटीज शकूरबस्ती	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली की कार्यवाही दिसम्बर, 1989 से लम्बित पड़ी हुई है।
10. मैसर्स एसोसिएटेड इंजीनियर्स कम्पनी दयाबस्ती	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली की कार्यवाही 24.4.1989 से लम्बित पड़ी हुई है।
11. मैसर्स राम मूर्ति, मोल्ड रोहतक रोड	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी ने रेलवे द्वारा दायर किये गये बेदखली के आवेदन-पत्रों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के पास अपील दायर की है जो लम्बित पड़ी है।

1	2	3
12. मैसर्स गुल्लु राम निहाल चन्द ओल्ड रोहतक रोड	बकाया और ब्याज की राशि के मामले न्यायालयों में विवादास्पद पड़े हुए हैं और जो न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करते हैं।	सम्पदा अधिकारी ने नये आवेदन दायर करने के निर्देश देने के साथ बेदखली का आवेदन रद्द कर दिया है। रेलवे ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के पास अपील दायर की है जो लम्बित पड़ी है।
13. मैसर्स एसोसिएटेड गैस कंपनी, ओल्ड रोहतक रोड	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी ने 29.5.1989 को अपना निर्णय दिया है। रेलवे ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में अपील दायर की है जो लम्बित पड़ी है।
14. मैसर्स एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी, दयाबस्ती, ओल्ड रोहतक रोड	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी ने रेलवे के विरुद्ध 6.4.90 को अपना निर्णय दिया है। रेलवे ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिल्ली के न्यायालय में अपील दायर की है जो लम्बित पड़ी हैं।
15. मैसर्स जे. एण्ड के. फारैस्ट कार्पोरेशन, शकूरबस्ती	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली की कार्यवाही 9.3.89 से लम्बित पड़ी हुई है। अगली सुनवाई की तारीख 25.5.1990 है।
16. कुतुब रोड, दिल्ली में 53 दूकानें	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास दायर किए गए 52 मामलों में से 27 मामलों में निर्णय 2.9.1989 को दिया गया है। पार्टियों ने जिला न्यायालय में अपील दायर की है।
17. लाहोरी गेट दिल्ली में 30 दुकानें	—यथोक्त—	सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली की कार्यवाही लम्बित पड़ी हुई है। अगली सुनवाई की तारीख 25.5.1990 है।
18. तुगलकाबाद में 10 दुकानें	—यथोक्त—	बेदखली तथा बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

1	2	3
19. इंडियन आयल कार्पोरेशन, ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड	—यथोक्त—	28.12.88 को सम्पदा अधिकारी के पास बेदखली का आवेदन-पत्र दायर किया गया था और पिछली कार्यवाही 28.12.89 को हुई थी। पार्टी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के पास अपील दायर की है।
20. मैसर्स राम सिंह महा सिंह दयाबस्ती	4,56,932 रुपये + ब्याज और क्षति	
21. मैसर्स रिलायबल आयरन स्टोर, दयाबस्ती	48,39,733 रुपये + ब्याज और क्षति	लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। पार्टी का अभ्यावेदन प्रधान कार्यालय में प्राप्त हुआ था।
22. यूनाइटिड आयरन मैन्यूफैक्चरिंग वर्क्स दयाबस्ती	15,41,000 रुपये + ब्याज और क्षति	—यथोक्त—
23. गणेश फ्लोर मिल्स, शकूरबस्ती	34,88,540 रुपये + ब्याज और क्षति	—यथोक्त—
24. मैसर्स सेल्स ट्यूब कारपोरेशन सब्जी मण्डी।	19,87,639 रुपये + ब्याज और क्षति	—यथोक्त—
25. मैसर्स भारत ट्रेडर्स, सब्जी मण्डी	19,13,015 रुपये + ब्याज और क्षति	—यथोक्त—
26. मैसर्स मदन लाल जग्गी एंड सन्स, सब्जी मण्डी	13,58,268 रुपये + ब्याज और क्षति	पार्टी का अभ्यावेदन प्रधान कार्यालय में प्राप्त हुआ था।
27. मैसर्स एम. के. श्री चन्द एण्ड कं. सदर बाजार	8,94,970 रुपये + ब्याज और क्षति	—यथोक्त—
28. मैसर्स दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	52,30,791 रुपये + ब्याज और क्षति	—यथोक्त—

1	2	3
29. मैसर्स फूड मर्चेन्ट, एसोसिएशन, नया बाजारपुर	8,93,963	रुपये+ ब्याज और क्षति

एथिलीन-ओक्साइड की मांग

9847. श्री कल्पनाथ राय :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एथिलीन-ओक्साइड, जो पालिएस्टर फाइबर और अन्य कई रसायनों के उत्पादन का एक घटक है, की लगभग कितनी मांग है; और

(ख) गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में एथिलीन-आक्साइड का उत्पादन करने वाले एककों के नाम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) पालिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए इथाइलीन आक्साइड का घटक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। पालिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाला घटक मोनोइथाइलीन ग्लायकोल है। इथाइलीन का उपयोग अनेक अन्य रसायनों और व्युत्पादों के लिए किया जाता है। कपूर-रिपोर्ट के अनुसार 1989-90 के लिए इथाइलीन आक्साइड की मांग लगभग 19000 टन होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में इथाइलीन आक्साइड का उत्पादन करने वाली इकाइयों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड।
2. एनओसीआइएल

दिल्ली में बिजली के खम्भों को हटाकर अन्यत्र लगाना

9848. श्री मदनलाल खुराना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिये सड़कों को बीच से विभाजित करने हेतु चौड़ा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्ट्रीट लाइट के लिये सड़क के दोनों ओर लगे बिजली के खम्भों जिनके कारण यातायात के सुरक्षित रूप से संचालन में बाधा आती है, को हटाने और रात के समय उचित प्रकाश की व्यवस्था हेतु उन्हें सड़क के बीचों बीच लगाने की भी नीति है;

(ग) क्या बिजली के खम्भों को हटाकर अन्यत्र लगाने का उक्त कार्य अनेक स्थानों पर काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे सभी खंभो को शीघ्र हटाने और उन्हें सड़क के बीचों बीच लगाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(चुखा) पन-बिजली परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी

9849. श्री समरेन्द्र कुन्डु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में "चुखा" पन-बिजली के कर्मचारियों की भारी संख्या में छंटनी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को कोई अन्य वैकल्पिक रोजगार देने का वायदा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें वैकल्पिक रोजगार कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना के प्रमुख कार्य पूरे हो जाने पर, भारतीय वित्तीय एवं तकनीकी-सहायता से भूटान की महामहिम सरकार की एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है तथा कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक पाई गई है ।

(ग) और (घ) परियोजना प्राधिकारियों ने भारत सरकार समेत विभिन्न संगठनों से सम्पर्क स्थापित किया है ताकि इन आवश्यकता से अधिक पाए गए कर्मचारियों को खपाए जाने की संभाव्यताओं का पता लगाया जा सके एवं इसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों को पहले ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण

[हिन्दी]

9850. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का शिक्षित युवकों को प्रकासनिक प्रबन्ध में प्रशिक्षण पाने हेतु विदेश भेजने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस सम्बन्ध मे कोई आवेदन मांगे गए थे; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से बिहार से कितने युवाओं को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे पूछ-ताछ कार्यालय में नये डाक-तार के कनेक्शनों पर "हन्टिंग" सुविधा

[अनुवाद]

9851. **श्री प्रतापराव बी. भोसले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित रेलवे पूछ-ताछ कार्यालयों में दिये गये नये डाक-तार कनेक्शनों पर कुछ "हन्टिंग" सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालयमें उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के केन्द्रीकृत टेलीफोन पूछ-ताछ कार्यालय में हंटिंग सुविधा वाले डाक-तार विभाग के निम्नलिखित कनेक्शन उपलब्ध है—

क्रम सं.	टेलीफोन नं.	हंटिंग सुविधा वाली लाइनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	131	47	गाड़ियों के चलने से सम्बधित पूछ-ताछ के लिए
2.	3313535	8	आरक्षणों से सम्बन्धित पूछ-ताछ को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की पूछ-ताछ के लिए,
3.	3717171	15	आरक्षणों से सम्बन्धित पूछ-ताछ को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की पूछ-ताछ के लिए,

1	2	3	4
4.	स्वत: उत्तर देने वाली टेलीफोन मशीन		
(i)	1331	2	अगले दो घंटों के दौरान उत्तर की ओर से आने वाली गाड़ियों के पहुंचने संबंधी सूचना के लिए,
(ii)	1332	5	अगले दो घंटों के दौरान पूर्व की ओर से आने वाली गाड़ियों के पहुंचने सम्बन्धी सूचना के लिए,
(iii)	1333	3	अगले दो घंटों के दौरान पश्चिम की ओर से आने वाली गाड़ियों के पहुंचने संबंधी सूचना के लिए,
(iv)	1334	3	अगले दो घंटों के दौरान दक्षिण की ओर से आने वाली गाड़ियों के पहुंचने सम्बन्धी सूचना के लिए

(ग) जी हां,

(घ) यह सुविधा महानगर तथा अन्य कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहले ही उपलब्ध है,

इस सुविधा का अन्य स्टेशनों पर भी उत्तरोत्तर विस्तार करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

बिहार में मारुति उद्योग लिमिटेड की इकाई की स्थापना

[हिन्दी]

9852. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मारुति उद्योग लिमिटेड की एक इकाई की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह इकाई कब से काम करना शुरू कर देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, मारुति उद्योग लिमिटेड के दूसरे कारखाने को भारत में कहीं भी स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

बंगलौर हवाई अड्डे पर कम्प्यूटरों द्वारा जांच किया जाना

[अनुवाद]

9853. **श्री एच. सी. श्री कान्तय्या** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमानपत्तन पर कम्प्यूटरों द्वारा जांच की सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी; और

(ग) किन-किन विमानपत्तनों पर यह सुविधा पहले से ही विद्यमान है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ख) बंगलौर हवाई अड्डे पर 14 जनवरी, 1990 से कंप्यूटरीकृत चेक-इन सुविधा पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) कंम्प्यूटरीकृत चेक-इन सुविधा बंगलौर के अलावा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर उपलब्ध है।

औषधों का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना

9854. **श्री के. मानवेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में मूल्य निर्धारित औषधों का अधिक मूल्य लिए जाने के कई मामले आए हैं,

(ख) यदि हां, तो दिनांक 30 अप्रैल, 1990 तक के ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है, और

(ग) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम एस. गुपदस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी, जहां तक सरकार के पास उपलब्ध है संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) अनेक दोषी कम्पनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वास्तव में, एक मामले में दण्डात्मक कार्रवाई का काम भी शुरू कर दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	औषध/सूत्रयोग का नाम	मंत्रालय को जानकारी में मामला कब आया	आयुक्त/औषध नियन्त्रण प्रशासन को कब अधिक राशि वसूली के बारे में ब्यौरे एकत्र करने के लिए अनुरोध किया गया
1	2	3	4	5
1.	बल्क ड्रग्स			
	1. सिन्थ्यो लेब्स केमि. एण्ड रिसर्च	क्लोरमफेनिकोल पावडर	अगस्त, 1987	जुलाई, 1989
	2. मालाडी ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स	इफेड्रीन एचसीएल	नव. 1988	जुलाई, 1989
	3. सूक केमिकल्स	थियोफाइलिन	फर. 1 88	जुलाई, 1989
	4. जर्मन रिमेडीज	,,	,,	,,
	5. पेपको इंक लि.	,,	,,	,,
	6. टेरोकेम लेब्स	,,	,,	,,
	7. बकुल एरोमेटिक एण्ड केमि. लि.	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
	8. श्री कृष्णा फार्म.	पेरासिटामोल	नव. 88	दिस. 89
	9. ए. पी. केमि.	,,	,,	,,
	10. फरमसन एनलजेसिक्स प्रा. लि.	,,	,,	,,
	11. फार्मसन फार्मा.	,,	,,	,,
	12. निरलेक केमि.	क्लोरमफेनिकोल पावडर	अगस्त. 87	दिसम्बर 1989 में कम्पनी से ब्यौरे देने के लिए कहा गया था।
	13. केमीफाइल	,,	,,	,,
	14. सिलपेक्स लेब्स प्रा. लि.	,,	,,	,,
	15. जी केमि.	,,	अक्तू. 89	दिस. 89
	16. लुपिन लेब्स लि.	रिफेम्पिसिन	अगस्त 89	दिस. 89 में कम्पनी से ब्यौरे लेने के लिए कहा गया था।
	17. लुपिन लेब्स लि.	इथाम्बुटोल	सित. 89	दिस. 89 में कम्पनी से ब्यौरे देने के लिए कहा गया था।

18. एस. आर. पी. केमिकल्स	पेरासिटामोल		राज्य औषध नियन्त्रकों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार इन कम्पनियों ने भी अधिक पूरी की है। पूरी रिपोर्ट अभी आनी चाहिए।
19. वशिष्ठा पार्मा.	,,		
20. वीना आर्गेनिक केमि. लि.	,,		
21. ट्रिटोन लेब्स प्रा. लि.	,,		
22. सेरडोनिक्स	,,		
23. मेहता फार्मा.	क्लोरमफेनिकोल पावडर		
24. प्राग पी फार्मा.	,,		
25. निरलेक फाइन केम.	,,		
26. उसन लेब्स	,,		
27. वोमिस एजेन्सीज	,,		
28. आईडीपीएस	मल्फायुनीडाइन		पूरे ब्यौरे प्राप्त करने के लिए कम्पनी को लिखा जा रहा है।
2. फार्मूलेशन्स			
29. केरियूब फार्मा.	कोमीफेलम गोलि.	अगस्त. 88	सित. 89
30. सेलमन फार्मा.	इम्युडेक्स केपसुल्स	अग. 88	जन. 90
31. इनफार (आई) लि.	डेक्सीटोपिक क्रीम	सित. 89	मार्च. 90
32. लाइका लेब्स	फ्लुकोर्ट रेन और उसके फार्मू	1984	1984 में कम्पनी को जानकारी देने के लिए कहा गया था।
33. मे. नेवोकेमर प्रा. लि.	मेवेडोल गोलियां	दिस. 89	मई. 90

1	2	3	4	5
34.	अलटाइन फार्मा.	प्रोक्सीवोन रेब आफ फार्मा.	अग. 88	जन. 90
35.	सेण्डोज आई. लि,	मल्टी विटा.	मार्च. 86	अगस्त. 89 (कम्पन से ब्यौरे देने के लिए कहा गया)
36.	अबोट लेब्स.	,,	मार्च, 86	,,
37.	फाइजर लि.	,, पल्स प्रोटिनेक्स	,,	,,
3 .	पार्क डेविस इनकलूडिंग वारनर	मल्टी विटा.	अक. 83	,,

रेल सेवाओं में वृद्धि

[हिन्दी]

9855. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान नियमित और अस्थायी रेल कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलगाड़ियों, मालगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों, हाल्टों, रेल लाईनों, रेल फाटकों तथा सिगनल केन्द्रों की संख्या में अलग-अलग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) 15 प्रतिशत

(ख)		प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (—)
1.	गाड़ियां	+ 33·2
2.	मालगाड़ियां	+ 42·4
3.	रेलवे स्टेशन	— 0·21
4.	हाल्ट	+ 70·5
5.	रेलवे लाइनें (मार्ग कि. मी.)	+ 3·05
6.	रेल समपार	+ 0·5
7.	सिगनल पाइंट (आधार भूत सिगनल एवं दूर संचार यूनिटें)	+ 128·36

धर्मवरम स्टेशन पर कमीशन विक्रेताओं/धारकों को नियमित किया जाना

[अनुवाद]

9856. श्री एस. गंगाधर क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के डिवीजन में धर्मवरम रेलवे स्टेशन पर कमीशन विक्रेताओं (वेंडरों) धारकों को अभी नियमित किया जाना शेष है,

(ख) क्या सरकार का इन कमीशन विक्रेताओं/धारकों को नियमित किये जाने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे में गुंतकल मण्डल के धर्मवरम स्टेशन पर अब किसी भी कमीशन बेयरर को नियमित किया जाना शेष नहीं है। केवल 11 कमीशन वेंडर शेष रहते हैं जिनका नियमन के बारे में गुंतकल मण्डल में रिक्तियां उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8·10·1987 के निर्णय में यह आदेश दिया था कि जिन कमीशन बेयरों के नाम रजिस्टर में पहले दर्ज किये गये हैं, उनकी सेवायें नियमित कर दी जाएं और उसके बाद रिक्तियां उपलब्ध होने पर इसी प्रकार कमीशन वैंडरों के नियमन पर उनकी वरीष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा। तदनुसार, दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल में 25 कमीशन बेयरों को नियमित किया गया था।

अपील करने की विशेष इजाजत और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करना

9857. श्री गंगा चरण लोधी क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विशेष रूप से पश्चिमी रेलवे में प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक के कार्यालय, जयपुर में विशेष इजाजत दायर किये गये कई कई अपीलीय मामलों में उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयादेश 1984 से लागू नहीं किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय लागू न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इन निर्णयों को कब तक लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) चूंकि रेल प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित न करने के संबंध में किन्हीं विशिष्ट मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इस संबंध में पश्चिम रेलवे पर विद्यमान स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा नई बिल प्रणाली लागू करना

9858. प्रो. राम गणेश कापसे :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री के. एस. राव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने मार्च, 1990 से बिल बनाने की नई प्रणाली आरम्भ की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिल बनाने की नई प्रणाली से उपभोक्ताओं के मन में कुछ शंकाएं पैदा हो गई हैं, जिन्हें उनकी बिजली की औसत खपत के अनुसार अग्रिम पैसे जमा कराने को कहा गया है; यदि हां, तो सरकार का इसका किस प्रकार समाधान करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दिल्ली के कुछ जिलों में "स्पाट बिलिंग सिस्टम" (तत्काल बिल तैयार करने की प्रणाली) आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का दिल्ली के अन्य क्षेत्रों/जिलों में भी यह प्रणाली आरम्भ करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जनवरी, 1990 से त्रैमासिक बिल बनाने की नई प्रणाली लागू की गई है जिसके अनुसार उपभोक्ता को तीन बिलों का एक सेट जारी किया जाता है। प्रथम मास का बिल मीटर की वास्तविक रीडिंग पर आधारित होता है तथा आगामी दो बिल औसत मासिक उपभोक्ता के आधार पर तैयार किए जाते है। वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर इस राशि को अगले त्रैमासिक बिलों में समायोजित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार बिल बनाने की नई प्रणाली से किसी प्रकार की शंका उजागर नहीं हुई है। इससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि उपभोक्ता द्वारा अग्रिम राशि के रूप में भुगतान किया गया है। क्योंकि बिलों में निर्धारित तारीखों पर एक महीने के अन्तराल से बिलों का भुगतान किया जाना है।

(ग) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अप्रैल, 1990 से निजामुद्दीन जिले के कुछ हिस्सों में स्पाट बिलिंग सिस्टम" (तत्काल बिल तैयार करने की प्रणाली) लागू की है। इस प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर का रीडिंग लेकर बिल तैयार किया जाता है और उसे छूट दी जाती है, यदि वह चाहे तो नकद के द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के दौरा करने वाले दल को उसी स्थान पर भुगतान कर सकता है। यह प्रणाली प्रायोगिक अवस्था में है तथा इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना इसके कार्य निष्पादन और उपभोक्ताओं की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

पोलिएस्टर के उत्पादन के लिये मैसर्स गरवारे को लाइसेंस

9859. श्री पी. जी. नारायणन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज गरवारे को पोलिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, पोलिएस्टर आधारित औद्योगिक एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्मों के निर्माण हेतु कोई लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों को प्रति वर्ष क्या मांग रही;

(ग) इस उपर्युक्त उत्पादों में से प्रत्येक उत्पाद के लिए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कितनी क्षमता का सृजन किया जा रहा है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए मैसर्ज गरवारे द्वारा कितनी लागत के पूंजीगत माल/कच्चे माल और तकनीकी सहायता का आयात करने का विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) मैं गरवारे प्लास्टिक्स एण्ड पालीएस्टर लि. को निम्नलिखित मदों के विनिर्माण हेतु दिनांक 20-7-89 को आशय पत्र मंजूर किया गया था—

विनिर्माण की मद	वार्षिक क्षमता
I. ग्राफिक आर्ट फिल्म्स (पालीएस्टर पर आधारित)	30 लाख वर्ग मीटर
II. एक्स-रे फिल्म्स (पालीएस्टर पर आधारित)	30 लाख वर्ग मीटर

(छ) किए गए एक मूल्यांकन के अनुसार, निम्नलिखित मदों की विद्यमान खपत तथा 1993-94 तक अनुमानित मांग को नीचे बताया गया है—

मद	अनुमानित विद्यमान खपत लाख वर्ग मीटर	1993-94 तक मांग लाख वर्ग मीटर
1. एक्स-रे सहित एक्स-रे फिल्म्स (औद्योगिक)	86	18
2. ग्राफिक आर्ट तथा अन्य फिल्म्स	22·8	5

(ज) मै. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि. को निम्नलिखित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस सं. सी. आई. एल. : 18 (90) दिनांक 19·1·90 मंजूर किया गया है—

विनिर्माण की मद	वार्षिक क्षमता
क. एक्स-रे फिल्म्स	100 लाख वर्ग मीटर
ख. ग्राफिक आर्ट फिल्म्स	20 लाख वर्ग मीटर

(झ) मै. गरवारे प्लास्टिक्स एण्ड पालिस्टर लि. ने अब तक पूंजीगत सामान के आयात या कच्चे माल या तकनीकी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा पेट्रोल का उत्पादन

9860. श्री एल. बी. सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बरौनी तेल शोधक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता क्या रही है और वहां वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) यदि उत्पादन कम हुआ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एस. गुरुपदस्वामी) : (क) किसी रिफाइनरी की अधिष्ठापित क्षमता का सम्बन्ध उसके क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता से है और इसका सम्बन्ध पेट्रोल, एच. एच. डी. किरासन आदि जैसे किसी उत्पाद विशेष से नहीं है। बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता गत तीन वर्षों से 3.3 एम. टी. पी. ए. रही है। बरौनी रिफाइनरी में गत तीन वर्षों के दौरान हुआ पेट्रोल का उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	(आंकड़े हजार टनों में)
1987-88	171.7
1988-89	213.5
1989-90	238.4

(ख) उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के संयंत्रों में कागज उत्पादन की लागत

9861. श्री बापूसाहेब जी शाह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के संयंत्रों में कागज उत्पादन की लागत गैर सरकारी क्षेत्र के पेपर संयंत्रों की तुलना में अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा कागज की उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. की पांच मिलों में से नौगांव पेपर मिल और कछार पेपर मिल में इन मिलों के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अलाभकारी स्थान पर होने के कारण, पूंजीगत लागत तथा अन्तर्वस्तुओं की लागत ज्यादा होने से निजी क्षेत्र की मिलों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक है। नागार्जुन पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड अपनी प्रारम्भिक अवस्था से ही, अलाभकारी स्थान बजरंगी, मूलभूत सुविधाओं, बिजली की कमी, बायलर के असंतोषजनक कार्य निष्पादन आदि के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। मांडया नेशनल पेपर मिल्स लि. का अधिग्रहण एक रुग्ण इकाई के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. द्वारा किया गया था और इसके आधुनिकीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आधुनिकीकरण के पूर्ण हो जाने के पश्चात इसके

उत्पादन की लागत निजी क्षेत्र की मिलों के समान हो जाएगी। हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि. में अखबारी कागज की उत्पादन लागत, अन्य अखबारी कागज की मिलों की लागत के समान है।

उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें गतिरोधों को दूर करने, उपकरणों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने, मिलों के विभिन्न प्रभागों की क्षमता का संतुलन बनाने, को ध्यान में रखकर सभी प्रचालनों का पूरी तरह से पुनर्गठन, दीर्घकालिक आधार पर प्रचालनों की स्थापना ऊर्जा संरक्षण, मशीनी घंटों के अधिकतम उपयोग के लिए उत्पाद मिश्र में परिवर्तन, उपकरण के खाली समय में कमी/विलोपन, माल सूची नियंत्रण, आयात प्रतिस्थापन के लिए विक्रेता विकास, सही अनुरक्षण योजना द्वारा स्टाक रखने में कमी, अचल और अविशेष माल सूची का निपटान, अनुरक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन, मुख्य रूप से बजटीय नियंत्रण, बेहतर नकद/निधि प्रबन्धन के लिए विद्यमान वित्तीय नियंत्रण उपायों को दृढ़ता से लागू करना शामिल है।

टीटागढ़ कागज मिल को फिर से खोलना

9862. **डा. देवी प्रसाद पाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल स्थित टीटागढ़ कागज मिल को फिर से खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मिल के बन्द होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अनुसार टीटागढ़ पेपर मिल्स एक रोगी औद्योगिक कंपनी है। अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, कंपनी ने जून 1987 में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को लिख दिया है। बी. आई. एफ. आर. के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियोंअनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

9863. **श्री बचिराम अर्गल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बनाए गए आरक्षण नियमों की उपेक्षा करके पदोन्नति सामान्य वरिष्ठता के आधार पर दी जा रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) पूर्व रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। तथापि, विशिष्ट संवर्गों में जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व पहले दिया जा चुका है वहां न्यायालयों के आदेशों के अनुसार आरक्षण

की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पास विशेष अनुमति याचिकायें लम्बित पड़ी रहने के कारण यह मामला न्यायाधीन है।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें

9864. श्री जगराज गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1984 में संशोधन किए जाने के बाद इसके अन्तर्गत अनुचित व्यापारिक व्यवहार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और मुआवजा संबंधी आवेदन पत्रों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी शिकायतों को निपटाया गया;

(ग) कितनी शिकायतों को निपटाया जाना अभी शेष है; और

(घ) लम्बित पड़ी शिकायतों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हें कब तक निपटा लिया जाएगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त हुई, निपटाई गई तथा लम्बित शिकायतों/प्रतिकर आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को शिकायतों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पदधारियों की नियुक्ति करके सुदृढ़ बनाया जा रहा है। शिकायतों/प्रतिकर आवेदनों के निपटान में लगने वाला समय मुद्दों के स्वरूप, पक्षकारों के व्यवहार आदि पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष	शिकायतों का स्वरूप-अनु. व्या. प्र./अव. व्या. प्र./ प्रतिकर के आवेदन पत्र	वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटान किए गए आवेदनों की संख्या	वर्ष के अन्त में लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1985*	अनु. व्या. प्र.	24	159	87	96
**	अव. व्या. प्र.	40	325	180	185
	मुआवजा के आवेदन पत्र	—	105	1	104

1	2	3	4	5	6
1986	अनु. व्या. प्र.	96	333	114	315
	अव. व्या. प्र.	185	550	198	537
	मुआवजा वाले आवेदन पत्र	104	65	104	65
1987	अनु. व्या. प्र.	315	1549	518	1364
	अव. व्या. प्र.	537	1376	584	1329
	मुआवजा के आवेदन पत्र	65	1992	363	1694
1988	अनु. व्या. प्र.	1351	1626	758	2273
	अव. व्या. प्र.	1329	1639	747	2221
	मुआवजा के आवेदन पत्र	1694	2865	873	3686
1989	अनु. व्या. प्र.	2273	1794	1337	2730
	अव. व्या. प्र.	2221	3306	1905	3622
	मुआवजा के आवेदन पत्र	3686	2848	3069	3465

* अनु. व्या. प्र. — अनुचित व्यापार प्रथा

* अव. व्या. प्र. — अवरोधक व्यापर प्रथा

रामेश्वरम एक्सप्रेस और चोलन एक्सप्रेस में वातानुकूलित यात्री डिब्बों का प्रावधान

9865. **श्री एस. सिगरावडीवेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैयादुथुरई और तंजापुर होते हुए मद्रास, इगमोर और त्रिची के बीच मुख्य लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के डिब्बों में वातानुकूलन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या रामेश्वरम एक्सप्रेस में ए. सी. 2-टीयर स्लीपर कोच और चोलन एक्सप्रेस में ए. सी. चेयर कार सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में बार-बार अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ग) पर्याप्त सवारी डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

एच. एम. टी. घड़ियों का अभाव

9866. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच. एम. टी. घड़ियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष में विभिन्न मॉडलों की कितनी घड़ियों का उत्पादन होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एच. एम. टी. घड़ियों की मांग को देखते हुए, कुछ किस्म की घड़ियों, जैसे महिला, स्वचालित आदि की आपूर्ति में कमी है। इसके मुख्य कारण 'मूवमेंट्स' तथा बाहरी पुर्जों की उपलब्धता में क्षमता सम्बन्धी व्यवरोध हैं। फिर भी, एच. एम. टी. ने वर्ष 1990-91 के दौरान अपने उत्पादन को 7 मीलियन घड़ियों तक बढ़ाने की कोई योजना बनाई है।

चीकबेल्ला और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन

9867. श्री पलाइ के. एम मैथ्यू। क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चीकबेल्ला-त्रिवेन्द्रम के बीच कोजहनचेरी, पाचनमथिट्टा, कोझी पचनापुरम, पुनलूर, नेटुमंगगड आदि दक्षिण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों से होकर एक नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, और

(ख) समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत रेल लाइन बिछाने का कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और गोरखपुर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी चलाना

[हिन्दी]

9868. श्री हर्षवर्धन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-गोरखपुर रेलवे लाइन पर "शताब्दी एक्सप्रेस" जैसी गति वाली नयी रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स की स्थापना

9869. स. अतिन्दर पाल सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पंजाब में रसायन पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पंजाब में एक पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स स्थापित करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) पंजाब में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं :—

(1) मे. पंजाब स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. को पटियाला जिले की राजपुरा तहसील में प्रतिवर्ष 405 टन नाइट्रोजन हाइड्रेट के विनिर्माण के लिए एक आशयपत्र दिया गया है।

(2) मे. इण्डियन एक्रीलिक्स संगरुर के लिए प्रतिवर्ष 20 हजार टन की एक एक्रीलिक फाइबर परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

(3) मे. पंजाब खाण्ड उद्योग लि. को प्रतिवर्ष 5 हजार टन का साइट्रिक एसिड प्लांट फिरोजपुर जिले में स्थापित करने के लिए एक आशयपत्र जारी किया गया है।

(4) मे. जे.सी.टी. को होशियारपुर जिले में इसके विद्यमान पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की क्षमता का प्रतिवर्ष 3500 टन से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 25000 टन तक करने के लिए एक आशयपत्र जारी किए गए गया है।

(5) मे. पंजाब पालिफाइबर्स को प्रतिवर्ष 18000 टन क्षमता वाले एक पोलिस्टीन स्टेपल फाइबर प्लांट की स्थापना हेतु एक आशयपत्र जारी किया गया है। उन्होंने 18,000 हजार टन की क्षमता को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है।

(6) मे. हिन्दुस्तान लीवर को प्रतिवर्ष 60,000 टन सीनियर अल्काइल बेन्जीन के लिए एम आशयपत्र जारी किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इस प्रकार के मामलों में निर्णय तकनीकी आर्थिक बातों के आधार पर लिए जाते हैं।

जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पम्प

[अनुवाद]

9870. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल/डीजल पम्पों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या बनेरा के लिए एक पेट्रोल/डीजल पम्प को मंजूरी दी गई, लेकिन इसे मण्डल चौराहा के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बनेरा में पेट्रोल/डीजल पम्प के लिए किसी नये डीलर को नियुक्ति की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री [illegible] एस. गुरुपदस्वामी) : (क) भीलवाड़ा जिले में 28 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिप के दिये गये विवरण के अनुसार कार्यरत हैं :

स्थान	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	स्थान	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1. भीलवाड़ा शहर	10	12. सरेरी	1
2. मंडल घोड़जा	1	13. करेल	1
3. मंडल चौराहा	1	14. रुपाहेला	1
4. असन्दि	1	15. गंगापुर	1
5. रायपुर	1	16. शाहपुर	1
6. कोटरी	1	17. हमीरगढ़	1
7. जहाजपुर	1	18. बीजोलियम	1
8. चीकली	1	19. एस एच-4 मांडलगढ़ भीलवाड़ा रोड़ के बीच	1
9. समवटिया	1		
10. कछोला	1		
11. कोरीरा	1	कुल	28

(ख) और (ग) क्षेत्र की सम्भावित मांग की प्रत्याशा में बनेरा को खुदरा बिक्री केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। तथापि प्रत्याशित सम्भावित मांग उत्पन्न नहीं की गई इसलिए दूसरी तेल कम्पनियों की सहमति से यह खुदरा बिक्री केन्द्र मण्डल चौराहा में स्थानान्तरित कर दिया गया जो उसी वर्ग का बाजार हैं और उसी जिले में है।

(ग) और (ङ) फिलहाल बनेरा की मांग सम्भावना किसी खुदरा बिक्री केन्द्र के खोले जाने के लिए न्यायसंगत नहीं है।

नष्ट होने योग्य वस्तुओं के रेल भाड़े में राज सहायता

9871 श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे नष्ट होने योग्य फलों और ऐसे ही अन्य कृषि उत्पादों को ले जाने के लिए रेलवे माल भाड़ा दरों में राज सहायता देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या पान के पत्ते भी नष्ट होने योग्य कृषि उत्पादों की श्रेणी में आते हैं, यदि हां, तो इस वस्तु के लिए कितनी रियायत दी जाती है, और

(ग) यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) फल, सब्जी आदि जैसी नश्य वस्तुओं पर रियायती पार्सल (सी आर-2) की दरों के हिसाब से भाड़ा वसूल किया जाता है जो सामान्य पार्सल (जी पी) की दरों का लगभग 50 प्रतिशत है।

(ख) पान के पत्तों पर रियायती पार्सल (सी आर-1) की दरों के हिसाब से भाड़ा वसूल किया जाता है जो सामान्य पार्सल की दरों का लगभग 80 प्रतिशत है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

के. के. एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जाना

9872. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम से नई दिल्ली जाने वाली के. के. एक्सप्रेस में अनेक बिना टिकट वाली अथवा द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदने वाले यात्री विशेष रूप से आगरा से आगे सीट और बर्थ आरक्षित करने वाले यात्रियों को परेशान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) इस रेलगाड़ी में विशेष रूप से चार महीने के दौरान बिना टिकट यात्रियों से जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

(ख) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए नियमित वहन जांच की जा रही है और अनधिकृत रूप से यात्रा करते हुए पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) चार्ट्स-बार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

कुट्टिपुरम-गुरुवायूर रेल लाइन

9873. श्री पी. ए. एन्टनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुट्टिपुरम और गुरुवायूर के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) 1981 में गुरुवायूर के रास्ते चिथूर से कुट्टीपुरम तक बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था। फिलहाल, केवल चिथूर और गुरुवायूर के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य अनुमोदित किया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रिग किराये पर लेना

9874. श्री एम. वी. राघवा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने चाऊगल्स के साथ दो रिगों को किराये पर लेने के लिए एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या है;

(ग) इन दोनों रिगों को कहां-कहां स्थापित किया जायेगा; और

(घ) ये रिग कितने लाभदायक होंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) जी, हां। राजस्थान में खुदाई कार्यों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रतिदिन की दर के आधार पर दो वर्ष के लिए दो लैंड रिग भाड़े पर लेने के लिए मैसर्स चौगुले के साथ दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन दो रिगों को मैसर्स चौगुले द्वारा अभी चलाया जाना है।

(ङ) इन रिगों से खुदाई करने से राजस्थान में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण/दोहन में गति लाने में मदद मिलेगी।

खींव-पानीपत सेक्शन पर रेलगाड़ी के चलने का समय

[हिन्दी]

9875. श्री कपिल देव शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या खींव-पानीपत सेक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ी दिल्ली से पूर्वाह्न 4.10 बजे छूटती है और अपराह्न 10.30 बजे वापस पहुँचती है और क्या सरकार का विचार कर्मचारियों

असुविधा दूर करने के लिए इस रेलगाड़ी को जींद से पूर्वाह्न 5.30 बजे और दिल्ली से अपराह्न 6.30 बजे चलाना आरम्भ करके, पांच वर्ष पूर्व के पुराने समय को पुनः लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां तथापि पुराने समय पर गाड़ी चलाने के लिए कोई और परिवर्तन करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर और भुवनेश्वर के बीच नई रेलगाड़ी

[अनुवाद]

9876. श्री वी. कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर और भुवनेश्वर के बीच मद्रास, विजयवाड़ा आदि होकर, एक नई रेलगाड़ी चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में कम्प्यूटर से आरक्षण

9877. श्री उदयसिंहराव नानासाहिब गायकवाड़ : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री आरक्षण सेवा से कंप्यूटरीकरण के लिए रेलवे स्टेशनों के चयन हेतु मानदंड क्या है,

(ख) महाराष्ट्र के किन रेलवे स्टेशनों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण पहले ही आरम्भ किया जा चुका है, और

(ग) क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पर भी ये सेवायें आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) आरक्षण सेवाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए स्टेशनों का चयन उनके आरक्षण संबंधी कार्य भार और महत्व के आधार पर किया जाता है जैसे राज्य की राजधानी या क्षेत्रीय मुख्यालय ।

(ख) महाराष्ट्र के बम्बई वी. टी., बम्बई सेन्ट्रल और चर्चगेट स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली पहले ही आरम्भ की जा चुकी है ।

(ग) कोल्हापुर के आरक्षण संबंधी कार्य-भार को देखते हुए, फिलहाल कंप्यूटरीकरण का औचित्य नहीं बनता है ।

राज्य बिजली बोर्डों के लिये ब्याज दर में कमी

9878. श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेटों को बिजली देने हेतु राज्य बिजली बोर्डों को दिये गये ऋणों पर ब्याज दर कम करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रणजीत सागर बांध की स्थापना के कारण बेदखल हुए लोगों को भूमि का आवंटन

9879. श्रीमती खुशवंश कौर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणजीत सागर बांध की स्थापना के कारण बेदखल हुए लोगों को अपने आवासीय मकान बनाने हेतु वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन लोगों को कब तक भूमि का आवंटन करने का विचार है और उन्हें यह भूमि कहां दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) रणजीत सागर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रगति पर है।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

[हिन्दी]

9880. श्री छेदी पासवान :

श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1990 को पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से कितने पेट्रोल पम्प और कितनी रसोई गैस एजेंसियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पृथक-पृथक आवंटित की गई है;

(ग) क्या एजेंसियों का आवंटन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे केअनुसार दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कोटे को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे को कब तक पूरा किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए वार्षिक विपणन योजना तैयार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए 25% आरक्षण निर्धारित किया जाता है। इस नीति को सभी तेल कम्पनियों में केवल 1977 में एक समान रूप से लागू किया गया था जबकि इंडियन आयल कारपोरेशन ने अपने "ए" स्थल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25% का आरक्षण 1974 से आरम्भ किया था 1977 में तब से इस कोटे को सभी तेल कम्पनियों में एक समान रूप से लागू किया गया है उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता तथा इसके लिए किए गए विज्ञापनों के जवाब में कमजोर प्रतिक्रिया होने के कारण इस कोटे को प्राप्त करने में कुछ कमी बनी रही है। ऐसे मामलों में जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के तहत किसी खास विपणन योजना में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरंभ न की जा सकती हो तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके बाद की विपणन योजना में वह आरक्षण दिया जाए इस बात का ध्यान रखा जाता है। तेल चयन बोर्डों से इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के चयन में उच्च प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

देश भर में कार्य कर रहे पेट्रोल पम्पों और एल. पी. जी. की एजेंसियों की राज्य वार संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित पंपों/एजेंसियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप			एल. पी. जी. के वितरण केन्द्र	
	कुल	अ. जा.	ज. जा.	अ. जा.	अ. जा.
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	1181	59	12	332	43	13
2. अरुणाचल प्रदेश	26	—	21	10	—	5
3. असम	315	8	15	87	3	5
4. बिहार	392	39	12	137	17	10
5. गोवा	63	3	1	27	3	—
6. गुजरात	948	29	25	278	15	24

1	2	3	4		6	7
7. हरियाणा	482	32	—	112	24	—
8. हिमाचल प्रदेश	75	8	—	33	6	2
9. जम्मू और कश्मीर	115	3	—	53	5	—
10. कर्नाटक	915	42	2	222	38	2
11. केरल	690	28	1	154	34	—
12. मध्य प्रदेश	841	13	17	207	11	21
13. महाराष्ट्र	1489	31	24	527	32	32
14. मणिपुर	26	—	10	8	—	3
15. मेघालय	46	—	23	9	—	5
16. मिजोरम	12	—	7	5	—	3
17. नागालैण्ड	24	—	18	11	—	6
18. उड़ीसा	316	15	14	75	6	8
19. पंजाब	940	52	—	151	27	—
20. राजस्थान	868	50	28	141	16	10
21. सिक्किम	9	—	1	2	—	—
22. तमिलनाडु	1394	103	3	298	55	2
23. त्रिपुरा	28	—	3	9	—	4
24. उत्तर प्रदेश	1820	94	—	403	63	—
25. पश्चिम बंगाल	981	55	9	212	29	6
26. अंडमान और निकोबार	3	—	—	1	—	—
27. चंडीगढ़	18	1	—	24	6	—
28. दादर और नागर हवेली	3	—	1	—	—	—
29. दमन और दीयू	4	—	—	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7
30. दिल्ली	234	3	—	202	23	—
31. लक्यद्वीप	—	—	—	1	—	—
32. पांडिचेरी	25	4	—	5	1	—
योग :	14783	672	236	3738	457	161

जौनपुर में गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

[अनुवाद]

9881. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जौनपुर में कार्यरत गैस एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या जौनपुर की गैस एजेंसियों के विरुद्ध गैस की काला बाजारी की आम शिकायत है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम गुरुपदस्वामी) : (क) जौनपुर में कार्यरत एलपीजी वितरकों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैं. आशीर्वाद गैस सर्विस
2. मैं. जौनपुर गैस सर्विस

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, मैं. जौनपुर गैस सर्विस के विरुद्ध नए गैस कनेक्शन विलम्ब से जारी करने, हाट-प्लेटों की जबरन बिक्री करने, रिफिल आपूर्ति में विलम्ब करने और अभद्र व्यवहार से संबंधित शिकायतें थीं। जांच करने पर हाट-प्लेटों की जबरन बिक्री और रिफिल की आपूर्ति में विलम्ब करने से संबंधित दो शिकायतें साबित हो गई थीं। वितरक को सतर्क कर दिया गया है और एक चेतावनी भी दे दी गई है।

गुजरात में पेट्रोल/डीजल पम्प

[हिन्दी]

9882. **श्री चन्दू भाई देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन जिलों और स्थानों के नाम क्या है जो पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने हेतु वित्तीय दृष्टि से अनुकूल पाए गए हैं;

(ख) कुल कितने पेट्रोल/डीजल पम्पों की मंजूरी दी गई और इनमें से कितने पम्प चालू हो गए हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कितने पेट्रोल/डीजल पम्प आरक्षित किए गए हैं; और

(घ) नए पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने के लिए राज्य के आदिवासी जिलों में चयन किए गए स्थलों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1980-81 विपणन योजना तक गुजरात के विभिन्न जिलों में 229 प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) में से 165 ने परिचालन कार्य आरम्भ कर दिए हैं।

(ग) 60 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए उद्दिष्ट किए गए है।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित स्थानों को पेट्रोल और डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए विकसित करने का फैसला किया गया है :

	स्थान	जिला
1.	संनोर	बड़ौदा
2.	कटरगाम	सूरत
3.	बरदोली	सूरत
4.	व्यारा	सूरत
5.	आवा	डीग
6.	डेडियापाड़ा	भरुच
7.	वहोद और छोटिला गांव के बीच	बड़ौदा

विवरण

खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलने हेतु गुजरात में विनिर्दिष्ट बिलों के नाम

अहमदाबाद

1. रामपुर
2. केथोसन रोड
3. सरकज गांधीनगर एन. एच.-8
4. सौटीएम 4 रास्ता
5. नेरोल-बरेजी एन. एच.-8
6. बर्दवाला
7. डेगोदरा
8. मोरीया/घिलीपुरा
9. सरकेज/थएलतेज के बीच में एन. एच.-8
10. सोकलो गांव
11. शास्त्री नगर
12. मानीनगर
13. मनकोल
14. डोलेरा

अमरेली

15. कोडा
16. कुमकावव
17. लिलिया
18. बामनगर
19. अफरवाद
20. डोलेसा
21. टिम्बी
22. समाधीवाला

बनासकांठा

23. अमीरगढ़
24. पालमपुर
25. डियोडर
26. पालमपुर एस. एच.-6
27. थारड
28. डिसा
29. पंथवडा
30. सेथालपुर
31. डन्टा
32. डन्टीवडा
33. बालासरा
34. बद
35. वदगम
36. लखानी
37. नमीबवन

बड़ोदा

38. एलमगिर
39. बड़ोदा एन. एच.-8
40. जलपुर पवी
41. सिनोर
42. हलोल क्रासिंग
43. जमबुसर प्रदरा रोड
44. तिलकवारा
45. कुमेता
46. पार
47. वगोदिया
48. मोहवा रोड बन.
49. रनौली

50. बड़ोदा

भेराच

51. गदंश्वर पाथा
52. एनकेश्वर
53. बाधेरा
54. वदीयापांडा
55. भरोच बयापास

धुलसर

56. मीलाद
57. बापी
58. अमरगाम
59. पानीखडक

जामनगर

60. रतनपुर
61. अलगशिप बेकिंग यार्ड
62. एन. आर. शेतरंज डैम
63. एडलाए
64. गधेडाइ
65. बलुकड
66. पालीयाड
67. ताना
68. वाचा
69. मैनर/एलंगीर

गांधीनगर

70. मेनोचीलोडा
71. दाब मवन 4 से 14 किलो. के बीच
72. खोबा
73. अमरुव
74. हुरखाद
75. जामनगर
76. बधर
77. सिक्का
78. लिमदी
79. खनदेरा
80. अमन
81. बागासारा-देव
82. गिरगादा
83. मलीया
84. बनथाली
85. मोतीखवादी
86. दवारका
87. निकावा
88. बालभा
89. नरवाला

खेरा

90. तारापुर
91. वोरइवी
92. आनन्द
93. नावापुरा
94. नवागम
95. नतरोली
96. रस
97. बसन
98. खेडा (ओएमएल)
99. भुमल
100. दामन
101. मोगर
102. कपदवन्ज
103. पुनसरा
104. लिवसी

105. बबाद
106. लसुनदरा गांव
107. देव
108. चिक्रोद
108. (क) न्यू सवया

कच्छ

109. देसलपुर
110. पनढारे
111. गांधीधाम
112. रावापुल
113. जाखव
114. सेमियाखाली
115. भुज
116. मुनोरा दुधाई
117. फतेहगढ़
118. चिरई मोती
119. कुकमा
120. रामक्याली
121. गधरीसा

जूनागढ़

122. मिलखा
123. आउना "ऐ" साइट
124. भेसन
125. पोरबंदर
126. मधुपुर
127. विसावल
128. संतरापाडा
128. (क) मानक्वर

मेहसाड़ा

मेहसाणा

129. चांदीपुर
130. गोजारिया
131. सतलासना
132. कोईता
133. कलोल
134. झोतानव
135. सामों
136. कल्याणपुरा
137. धीनाज
138. खतराल
139. नद्रीपुर
140. कंडी
141. विसानगर
142. करवो

पंचमहल

143. देवगंधर्वरिया
144. बसका
145. गोदरा
146. सेरा
147. दाहोदा और खंगलिया गांव के बीच
148. सतरामपुर
149. बाजलपुर

राजकोट

150. भावनगर रोड
151. मार्केट यार्ड
152. माकनसर
153. जातपुर

154. सुलतानपुर
155. कुवाडवा
156. धोराजी
157. राजकोट (कुवाडव रोड)
158. राजकोट (80 फुट रोड)
159. कच्छ काम्प्लेक्स पृ. 248 व पृ. 249
160. राजकोट
161. भालगाव
162. जामकंदोरा
163. लोधीका
164. सिध्वडार
165. कोटादासनगानी
166. गोमता फाडिन
167. मोटा गोंडला
168. गोंडल बायपास
169. जामनगर रोड
170. धोनचिया
171, मोरबी
172. ऊपलेटा
173. मलीयासन
174. रमोड
175. भयावादर

जावरकंठ

176. काठियावाड़
177. मालपुर
178. मोडासा
179. विजयनगर
180. सामलाजी
181. मेघरज

सुरत

181. (क) नीजार
181. (ख) सायन
182. कोलवाड़
183. कातरगांव
184. सूरत नगर
185. बाजीपुरा
186. बारडोली
187. हरजीरा
188. करचालिया
189. औलादपाद
190. मधदाला
191. मंगरोल
192. व्यारा

सुरेन्द्र नगर

193. मालवान
194. धारंगधा
195. चिनजुवाडा
196. मूली
197. राजसीतापुर

पंजाब और चंडीगढ़ में रसोई गैस एजेन्सियां और पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

[अनुवाद]

9883. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब और चंडीगढ़ में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आबंटित किए गए;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लिये कोई कोटा निर्धारित है; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब और चंडीगढ़ में 26 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपें और 44 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई है जिनमें से 8 खुदरा बिक्री केन्द्र और 4 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति के लोगों को आबंटित की गई हैं।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित 25% डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को इस तरह से भरा जाता है कि इन दोनों समुदायों को एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष में अपनी आबादी के अनुपात में अपना हिस्सा मिल सके।

(घ) तेल चयन बोर्डों ने इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के चयन में उच्च प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया गया है।

बम्बई और नासिक के बीच वायुयान सेवा

9884. **डा. दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और नासिक के बीच चलने वाली वायुयान सेवा हाल ही में बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा को कब से पुनः शुरू किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) नासिक में धावनपथ की मरम्मत के कारण बम्बई और नासिक के बीच वायुयान परिचालन बंद कर दिए हैं। जैसे ही हवाई पट्टी परिचालन योग्य हो जाएगी सेवाएं पुनः चालू कर दी जाएगी।

अम्बाला रेलवे डिवीजन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का चयन

[हिन्दी]

9885. डा. किरोड़ीलाल मीणा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर उत्तर रेलवे के अम्बाला डिवीजन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के "घ" श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कोई अधिसूचना 14 अगस्त, 1989 को जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तदनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती की गई है और उनकी तैनाती कर दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल राज्यमंत्री में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ग्रुप "घ" के पदों पर चयन केलिये अनुसूचित जाति के 4718 और अनुसूचित जनजाति के 4685 पात्र उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, अनुसूचित जाति के 4718 उम्मीदवारों में से 218 का चयन किया गया है और अनु. जाति के लिए आरक्षित बकाया पदों पर नियुक्त किया गया है। बहरहाल, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत उड़ानों द्वारा प्रधानमन्त्री की यात्राएं

[अनुवाद]

9886. श्री पुषाम मल जोड़ा :

श्री जी. एम. बनातवाला :

श्री जनार्दन पुजारी :

श्रीमती उमा गजपति राजू :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) जनवरी और फरवरी, 1990 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत की निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा प्रधानमन्त्री ने कितनी विमान यात्राएं की;

(ख) इनमें से प्रत्येक उड़ान पर कितने सामान्य यात्रियों ने यात्रा की और सुरक्षा के कारण इच्छुक सामान्य यात्रियों को कितनी सीटें उपलब्ध नहीं कराई गईं;

(ग) क्या प्रधानमन्त्री की यात्रा से एक दिन पूर्व, प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए उपयोग में लाये जाने वाले विमान की उड़ान बंद कर दी गई थी; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जनवरी और फरवरी, 1990 के महीनों में, प्रधान मन्त्री जी ने इंडियन एयरलाइन्स की 8 उड़ानों पर यात्रा की। उन्होंने वायुदूत की उड़ान पर कोई यात्रा नहीं की।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स को इस प्रकार की उड़ानों पर साधारण यात्रियों की संख्या नीचे दी गयी है।

दिनांक	उड़ान संख्या	सैक्टर	साधारण यात्रियों की संख्या
28.1.90	आई. सी.-469	दिल्ली-नागपुर	59+2 शिशु
29.1.90	आई. सी.-470	नागपुर दिल्ली	44
19.2.90	आई. सी.-491	दिल्ली-औरंगाबाद	92
20.2.90	आई. सी.-630	नागपुर-बम्बई	34+2 शिशु
20.2.90	आई. सी.-115	बम्बई-राजकोट	40
22.2.90	आई. सी.-409	दिल्ली-पटना	101
24.2.90	आई. सी.-467	दिल्ली-गोवा	112+2 शिशु
25.2.90	आई. सी.-450	पुरी-दिल्ली	120+1 शिशु

सुरक्षा कारणों से कोई भी सीट खाली नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं है।

रसोई गैस कनेक्शनों का दुरुपयोग

9887. श्री अनादि चरण दास : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अति विशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिश पर रसोई गैस कनेक्शन जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है; और

(ख) प्राथमिकता के आधार पर जारी किए गए ऐसे कनेक्शनों को आबंटितों द्वारा हस्तांतरण करने या इसके दुरुपयोग करने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निगरानी रखी जाती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) ऐसी सिफारिशों को गुण दोषों के आधार पर मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है और प्राथमिकता आधार पर एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए जाने के लिए इन्हें तेल कम्पनियों को भेजा जाता है। तेल कम्पनियों के क्षेत्रीय/क्षेत्र कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को प्राथमिकता पत्र रजिस्टर्ड ए. डी. से जारी किए जाते हैं।

(ख) ऐसे कनेक्शन जारी करते समय सम्बन्धित वितरक द्वारा सम्भावित उपभोक्ता की पहचान और उसके पते की जांच की जाती है। कनेक्शन लेने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाने और यह पता चल जाने के बाद कि उसके नाम से पहले से कोई एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं है, उस उपभोक्ता को कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। ये कनेक्शन अहस्तान्तरणीय होते हैं।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

[हिन्दी]

9888. श्री अशोक आनन्द राव देशमुख : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड-काचिगुडा सेक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिये कोई ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी चलाई गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा सीधी तीन गाड़ियों के अलावा, अतिरिक्त यातायात को संभालने के लिए मई, 90 से 7569/7570 जयपुर-काचेगुडा और 7593/7594 नांदेड-मनमाड एक्सप्रेस में 4 प्र. साधारण डिब्बे चलाए गए हैं।

फारबिसगंज से ठाकुरगंज तक रेल लाइन

9889. श्री सुखदेव पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमा रेल में फारबिसगंज से ठाकुरगंज तक रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस लाइन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण फिलहाल इस लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मधेपुरा-प्रतापगंज रेल लाइन

9890. **श्री रमेन्द्र कुमार यादव रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधेपुरा से प्रतापगंज तक बरास्ता सिंघेश्वर रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव सरकार के पास काफी समय से लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या मधेपुरा से सिंघेश्वर तक रेल लाइन बिछाने की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है और सिंघेश्वर से प्रतापगंज तक की स्वीकृति अभी तक लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का मधेपुरा से प्रतापगंज तक बरास्ता सिंघेश्वर होकर रेल लाइन बिछाने और साथ ही सिंघेश्वर प्रतापगंज रेल लाइन को भी मन्जूरी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (घ) दौरान मधेपुरा से सिंघेश्वर स्थान तक मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था लेकिन रेलवे लाइन को निर्माण के लिए अनुमोदित नहीं किया गया ।

संसाधनों की अत्यधिक तंगी और भारी वचनबद्धताओं के हाथ में होने के कारण दौरान मधेपुरा से सिंघेश्वर स्थान तक रेल लाइन का निर्माण करना और उसका प्रतापगंज तक विस्तार करने के सम्बन्ध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

[अनुवाद]

9891. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. जिसको स्थापना केवल 'बेसिक स्टेज' से "फोटोग्राफिक उत्पादों" का उत्पादन करने हेतु की गई थी वास्तव में अपना 60 प्रतिशत से अधिक कार्य आयातित "जम्बो रोलों" की स्लिटिंग/कानफेक्शनिंग तथा जापान/पश्चिम जर्मनी में निर्मित फिनिशड कलर ऐमट्यूअर फिल्म के व्यापार में कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि. की स्थापना 1960 में की गई थी और इसके पास श्वेत-श्याम श्रेणी के उत्पादों तथा मेडिकल एक्स-रे फिल्मों के निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं । रंगीन उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने

के लिए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स में आयातित अम्बो रोलों से इन उत्पादों के प्रस्थापन का कार्य पूरा किया है। इस समय यह कार्य-कलाप, इसके कारोबार के 60 प्रतिशत से अधिक है।

पालिएस्टर पर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्मों के निर्माण के लिए मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि. एकीकृत सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना के अक्तूबर, 1991 तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है।

बांकुरा दामोदर नदी रेल मार्ग (दक्षिण पूर्व रेलवे) का राष्ट्रीयकरण

9892. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में बांकुरा दामोदर नदी रेल मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का निर्देश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजयसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में विद्युत उत्पादन की लागत

9893. श्री कमालुद्दीन अहमद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विद्युत उत्पादन की लागत पर उपभोक्ताओं से वसूल किए गए प्रभार की तुलना में प्रतिमाह औसतन कितना खर्च आता है;

(ख) क्या दिल्ली में विद्युत उत्पादन की लागत उपभोक्ताओं से वसूल किए गए प्रभार से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) डेसू के अनुसार, वर्ष 1989-90 में उसके अपने विद्युत उत्पादन केन्द्रों का औसत मासिक व्यय लगभग 12.74 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा, अन्य स्रोतों से बिजली की खरीद पर प्रतिमाह खर्च लगभग 39 करोड़ रुपये है। ऊर्जा के वितरण की लागत लगभग 7.20 करोड़ रुपए प्रतिमाह है। इसकी तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान औसत बिक्री राजस्व लगभग 41.16 करोड़ रुपये प्रतिमाह बैठता है।

(ख) और (ग) डेसू के अनुसार, बिजली की खरीद और इसके वितरण आदि पर ब्याज सहित विद्युत उत्पादन की लागत लगभग 1.27 रुपये प्रति यूनिट बैठती है। इसकी तुलना में औसत बिक्री वसूली लगभग 0.82 रुपये प्रति यूनिट है।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

9894. श्री जगदीश सिंह कुशवाहा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर बलिया, मऊ और आजमगढ़ जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है और यदि हां तो कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) तेल उद्योग व्यवहार्य और उपयुक्त स्थानों पर पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु समय समय पर सर्वेक्षण करवा रहता है। ऐसे सर्वेक्षण इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़ जिलों में किए गए हैं.

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1989-90 के दौरान आवंटित की गई खाना पकाने की गैस की आवंटित कीगई नई एजेंसियां

[अनुवाद]

9895. **प्रो. शैलेन्द्र नाथ श्री वास्तव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान खाना पकाने की गैस की आवंटित की गई नई एजेंसियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पुरानी एजेंसियों को रद्द करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार कितनी एजेंसियां रद्द की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस गुरुपदस्वामी) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ऐच्छिक इस्तीफा और डिस्ट्रिब्यूटरशीप के शर्तों के अनुसार समाप्ति के मामले के अलावा समझौते को तोड़ने या गलती करने वाला डिस्ट्रिब्यूटरशीप बारम्बार सलाह निर्देश या चेतावनी के बावजूद अपने कार्य निष्पादन को सुधारने में विफल हो जाता है तभी डिस्ट्रिब्यूटरशीप को समाप्त करने जैसा कठोर कदम उठाया जाता है। वितरक को चेतावनी या कारण बताओ सूचना दी जाती है कि क्यों नहीं उसकी डिस्ट्रिब्यूटरशीप रद्द कर दी जाय। वितरक के उत्तर के असंतोषजनक होने की स्थिति में तेल कम्पनियां डिस्ट्रिब्यूटरशीप समझौते की धाराओं के अन्तर्गत डिस्ट्रिब्यूटरशीप समाप्त करने का सहारा लेती है।

(ग) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1989-90 में 9 डिस्ट्रिब्यूटरशीप रद्द की गई हैं।

	राज्य	वितरक केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	बिहार	1
3.	हरियाणा	1
4.	महाराष्ट्र	1
5.	तमिलनाडु	3
6.	दिल्ली की संघ राज्य क्षेत्र	1
	कुल	9

उपरोक्त में वे चार वितरक भी शामिल हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

वर्ष 1989-90 में आवंटित एल.पी.जी. एजेन्सियां

	राज्यसंघ/राज्य क्षेत्र का नाम	एल.पी.जी. एजेन्सियों की संख्या
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	12
4.	बिहार	5
5.	गोआ	1
6.	गुजरात	13
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	6
11.	केरल	9
12.	मध्य प्रदेश	6
13.	महाराष्ट्र	23

1		2
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	3
19.	पंजाब	5
20.	राजस्थान	12
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	9
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	19
25.	पश्चिम बंगाल	7
26.	अंडमान और निकोबार	—
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादरा और नगर हवेली	1
29.	दिल्ली	7
30.	दमन और द्वीयू	—
31.	लक्ष्यद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—
	योग :	156

उद्योगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बिजली पर राज सहायता

[हिन्दी]

9896. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में उद्योग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बिजली पर राज सहायता दी जाती है तथा यह राज सहायता कितने प्रतिशत दी जाती है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पांच वर्ष की अवधि के लिए नए उद्योगों को दी जाने वाली राज सहायता को कम किया गया है जबकि उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का पिछले स्तर पर राज सहायता पुन: आरम्भ करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उद्योगों द्वारा उपयोग में लायी जा रही बिजली के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा इस समय दी गई सहायता का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के औद्योगिक उपभोक्ताओं के विषय में बिजली पर दी जा रही कुछ निश्चित विकासात्मक छूट को 17.10.89 से प्रभावी दर-सूची में कम किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन कमियों को अब समाप्त कर दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना, दिनांक 21.4.90 के द्वारा, संशोधन के पहले लागू छूटों को फिर से लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे छोटे एवं मझौले औद्योगिक उपभोक्ताओं जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार बिजली प्राप्त कर रहे हैं, के लिए बिल की सम्पूर्ण राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों द्वारा, उद्योगों द्वारा उपयोग में लायी जा रही बिजली के लिए दी गई सहायता का ब्योरा

क्रम सं.	राज्य	उद्योगों द्वारा उपयोग में लायी जा रही बिजली के लिए सहायता का ब्योरा
1	2	3
1.	गुजरात	राज्य के विकासशील क्षेत्रों में स्थापित नए उद्योग सम्भरण प्रारम्भ की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक (i) 10 हार्सपावर से अधिक के संकुचित भार के लिए 'लो टेंशन मोटिव पावर' की स्थिति में 2 पैसे/कि. वा. घ. की दर से (नए कनैक्शनों की स्थिति में 125 हार्सपावर तक एवं पुराने कनैक्शनों की स्थिति में 150 हार्सपावर (छूट दी जाएगी।
		(ii) ऐसे नए उद्योगों के लिए जो उच्च वोल्टता पर 500 के. वी. ए. से अधिक की बिजली की अपेक्षा नहीं रखते या प्राप्त नहीं करते, मुख्य मांग एवं

1	2	3
		ऊर्जा प्रभारों के तहत बिल की कुल राशि के 10% के बराबर छूट ।
2.	मध्य प्रदेश	20 बी. एच. पी. से कम का संबंधित भार वाले नए ग्रामीण उद्योग उपभोक्ता बोर्ड की शर्तों के अनुसार बिजली की दर की 80% के बराबर शुल्क के लिए पात्र हैं ।
3.	तमिलनाडु	टैरिफ एच. टी.-I के अन्तर्गत पड़ने वाले मद्रास मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नए उच्च टेंशन उद्योगों पर, उपभोक्ता को दिए गए सर्विस कनैक्शन की तिथि से प्रथम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रभार लगाया जाएगा । प्रथम वर्ष के लिए : एच. टी. दरों का 60% द्वितीय वर्ष के लिए : एच. टी. दरों का 70% तृतीय वर्ष के लिए : एच. टी. दरों का 80% चतुर्थ वर्ष के लिए : पूर्ण शुल्क उपरोक्त छूट यूनिट रेट तथा इष्टतम मांग प्रभार दोनों पर लागू होगी। तथापि यह छूट 3 मई, 1989 से पूर्व स्थापित किए गए उद्योग पर लागू नहीं होगी यह छूट ऐसे उपभोक्ता जोकि अपने विद्युत उत्पादन यूनिटों से उत्पादित विद्युत का समुपयोजन करते हैं अथवा उत्पादन प्रयोजन के लिए अन्य प्रबंध करते हैं और बोर्ड द्वारा सप्लाई की गई विद्युत का केवल आनुषंगिक प्रयोजन के लिए उपयोग करते हैं ।
4.	उत्तर प्रदेश	(1) वृहत तथा भारी विद्युत औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग जोकि बिल में शामिल किए जाने योग्य होगी । यह अनुबंधित भार मांग के 75% अथवा वास्तविक मांग की अपेक्षा जो भी अधिक होगी ।
		(2) अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ीगढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून और नैनीताल जिलों में नए औद्योगिक उपभोक्ताओं को 33⅓% की दर से पर्वतीय क्षेत्र विकास छूट दी जाएगी तथापि

1 2 3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक उपभोक्ता को पांच साल के लिए 50% की दर से छूट दी जाएगी, राज्य संस्थानों सिंचाई परियोजनाओं, रेलवे, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभाग/कारपोरेशन/उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को इस प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

(3) लघु तथा मध्यम विद्युत औद्योगिक उपभोक्ताओं की जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सूची के अनुसार विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं, बिल की समग्र राशि पर 10% की छूट दी गई है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता

[अनुवाद]

9897. श्री चित्त बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार से उस राज्य की औद्योगिक रुग्णता के बारे में हाल ही में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) उद्योग मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच 4.1.1990 को एक बैठक हुई जिसमें कुछ चुनी औद्योगिक इकाइयों के बारे में विचार-विमर्श किया गया। सरकार की नीतियों के अनुरूप सुझावों पर कार्यवाही की जाएगी।

पवन हंस हेलीकाप्टरों की घातक दुर्घटनाएं

9898. श्री माधव राव सिंधिया : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन हंस विमानन सेवा के प्रारम्भ से लेकर अब तक इसके अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों को कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और प्रत्येक प्रकार के विमान को कुल कितनी घातक दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) पवन हंस के बेड़े में हेलीकाप्टरों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने हेलीकाप्टर दुर्घटनाओं में नष्ट हुए हैं अथवा कितने हेलीकाप्टर मरम्मत किये जाने अथवा उनमें आवश्यक कलपुर्जे लगाने के लिए प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं; और

(ग) उपर्युक्त कारणों से प्रत्येक विमान को कितने समय तक उपयोग में नहीं लाया जा सका ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) मुंबई में पवन हंस के पास 21 डाफिन और उतने ही वेस्टलैंड हेलीकाप्टर थे पवन हंस की चार गम्भीर दुर्घटनाएं हुई थीं। दुर्घटनाओं में डाफिन और दो वेस्टलैंड हेलीकाप्टर के अन्तर्ग्रस्त थे। इस समय पवन हंस के पास डाफिन और वेस्टलैंड प्रत्येक के 19-19 हेलीकाप्टर हैं जो परिचालन के लिए उपलब्ध हैं। सरकार के अनुदेशों पर सभी वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों को ग्राउंडिंग कर दिया गया है और वे प्रचालन में नहीं हैं। डाफिन हेलीकाप्टरों में से तीन हेलीकाप्टरों को अतिरिक्त पुर्जों के अभाव के कारण ग्राउंड किया गया है।

जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

डाफिन पंजीकृत संख्या	कब से ग्राउण्ड किया गया है
वी टी — ई एल डी	19.1.90
वी टी — ई एल ए	07.4.90
वी टी — ई एल जैड	30.4 90

विद्युत परियोजनाओं का निर्धारित कार्यक्रम के अन्दर पूरा न होना

[हिन्दी]

9899. श्री बृजभूषण तिवारी : क्याऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के दौरान उन पर निगरानी रखती है और निर्धारित कार्यक्रम के अंदर विद्युत परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण उनकी लागत में वृद्धि होने और अन्य हानियों का परियोजना-वार ब्यौरा रखती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रायगढ़, उड़ीसा में ऊपरी पुल का निर्माण

[अनुवाद]

9900. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोरापुट जिले के रायगढ़ शहर में रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी-पुल के निर्माण हेतु रेलवे विभाग तथा उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान रेलवे विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि दिये जाने का विचार किया गया है; और

(घ) इस कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) इस कार्य के लिए रेलों द्वारा मार्च, 90 तक कुल 1.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अभी कार्य के निष्पादन के लिए योजना बनायी जानी है।

(ख) नक्शों और अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। रेलवे ने रेल पथों पर पुल खास के निर्माण के लिए अपने हिस्से का निविदा कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) रेलवे ने इस कार्य हेतु वर्ष 1990-91 के लिए 80 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है।

(घ) कार्य को यथोचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने की योजना बनाने हेतु रेलवे का राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाये रखे जाने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग कार्य

[हिन्दी]

9901. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर तेल और गैस के लिए पेट्रोल ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में कौन-कौन सी परियोजनायें शुरू की गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश में अब तक 11 कूप खोदे हैं जिनमें कोई सफलता नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में इस समय कोई खुदाई कार्य नहीं किया जा रहा है। तथापि, चालू वित्त वर्ष अर्थात 1990-91 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की चंगरतलाई 1 में एक कूप की खुदाई करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश में खुदाई के लिए कुछ अन्य स्थानों का भी पता लगाया गया है।

गंजबड़ोदा, मंडी बामोरा और विदिशा रेलवे स्टेशनों को वैगनों की सप्लाई

9902. श्री राघवजी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-भोपाल रेल लाइन पर गंजबड़ोदा, मंडी बामोरा और विदिशा रेलवे स्टेशनों जैसी प्रमुख अनाज मंडियों से अनाज की ढुलाई हेतु 1 अक्तूबर, 1989 से 28 फरवरी, 1990 के बीच वैगनों की उपलब्धता अपर्याप्त रही है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त तीनों रेलवे स्टेशनों पर कितने-कितने रेलवे वैगनों की मांग की गई थी और कितने-कितने वैगन उपलब्ध कराये गये थे; और

(ग) विशेषकर मार्च से जून तक के फसल मौसम के दौरान वैगनों की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए सीमा से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजयसिंह) : (क) रेलों में लदान की भारी मांग के कारण फुटकर यातायात की निकासी में अपरिहार्य विलम्ब हो जाता है ।

(ख) 1.10.89 से 28.2.90 तक की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	गंजबासोदा	गंजबासोदा	मंडी बामोरा	विदिशा
जितने माल डिब्बों की मांग की गयी	501	141	209
वापस लिए गए/अस्त किए गए मांग पत्र	160	35	24
लादे गये माल डिब्बे	190	37	43

माल डिब्बों की सप्लाई के बाद वापस लिए गए और अस्त किए गए मांग पत्रों से पता चलता है कि कुछ मांगें वास्तविक नहीं थीं ।

(ग) फुटकर यातायात की निकासी आस-पास के एक या दो गंतव्यों या दूरस्थ जंक्शनों के लिए अलग रैकों की संरचना के लिए प्राप्त मांग पत्रों के साथ मिलाकर की जा रही है ।

रेलवे अस्पताल, दाहोद में डाक्टर

[अनुवाद]

9903. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पताल, दाहोद (पश्चिम रेलवे) में नेत्र विशेषज्ञ, ई.एन.टी. विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि विशेषज्ञों, चिकित्सकों और जनरल डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना तथा रक्षा विभाग की भांति रेलों पर विशेषज्ञ संवर्ग या विशेषता पूल नहीं है । अतः पदों का विशेषज्ञतावार कोटीकरण संभव नहीं है । भारतीय रेलों के कारखानों में से दाहोद में कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है तथा तैनात किए गए डाक्टरों की संख्या भी सबसे अधिक है 19

पदों में से 4 पद रिक्त हैं। ऐसा भारतीय रेलों पर डाक्टरों की समग्र कमी के कारण है। संघ लोक सेवा आयोग से संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के माध्यम से और अधिक डाक्टर प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं :

उड़ीसा में खुर्दा रोड डिवीजन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार

9904. श्री डी. अमात : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में खुर्दा रोड डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार देने के मामले में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनियमितताएं समाप्त करने और उन्हें न्याय देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि खोरधा रोड मंडल में ग्रुप "ब" के पदों के लिए अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों का चयन सही और न्यायोचित नहीं था। मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी हो जाने के बाद समुचित उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हुई, की जायेगी।

सोनभद्र और मिरजापुर जिला, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

[हिन्दी]

9905. श्री सुबेदार : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शक्ति नगर, रेणुकूट, दुद्धी और चोपन तथा मिरजापुर जिले में चुनार में रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी एजेंसियां आवंटित की जाएंगी और आवंटितियों में से कितने प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे; और

(ग) इन एजेंसियों के कब तक आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एस. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत रेणुकूट में एक एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप और "ओपन" श्रेणी के तहत चुनार में दूसरी एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की योजना बनाई गई है। शक्तिनगर परियोजना में एन.टी.पी.सी. को केवल उनके अपने इस्तेमाल के लिए एक सीधी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गई है। शक्तिनगर (एन.टी.पी.सी. टाउनशिप को छोड़कर), दुद्धी और चोपन क्षेत्र में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन से पूर्व उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों को देखते हुए यह बताना संभवन नहीं है कि उक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप कब तक आवंटित कर दी जाएगी।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में आरक्षण कक्ष

[अनुवाद]

9906. श्री रामजी लाल सुमन : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कोई आरक्षण कक्ष है और सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 1988 और 1989 के दौरान सम्पर्क अधिकारी को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उनमें से कितनी शिकातों का समाधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) निगम के कार्यालय में एक आरक्षण सैल है जो महा प्रबन्धक की निगरानी में काम करता है। महा प्रबन्धक (कार्मिक) मुख्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हित के लिए जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। हवाई अड्डों पर संबंधित उप महाप्रबन्धकों (कार्मिक और प्रकाशन) को जनसम्पर्क अधिकारियों के रूप में नामांकित किया गया है।

(ग) पदोन्नति, वरिष्ठता, स्थानांतरण और अन्य सेवा से संबंधित मामलों में वर्ष, 1988 और 1989 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से 31 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सभी अभ्यावेदनों पर, केवल एक को छोड़कर जो कलकत्ता से सम्मानित उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़ा है, ध्यान दिया गया है और उनका समाधान किया गया है।

अलकोहल की मांग और निर्यात

9907. श्री राम दास सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में अलकोहल की मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है,

(ख) यदि हां तो इस समय अलकोहल की राज्यवार कितनी मांग है, और

(ग) क्या सरकार का अलकोहल का निर्यात करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, केन्द्रीय शीरा बोर्ड की फरवरी, 89 और फिर फरवरी, 90

में हुई बैठक में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मांग का निर्धारण किया गया है।

(ख) चालू अल्कोहल वर्ष 1889-90 (दिसम्बर-नवम्बर) के लिए अल्कोहल की मांग जैसी केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा बताई गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

		(मात्रा-लाख लीटर में)
आंध्र प्रदेश	—	484-84
असम	—	30.50
बिहार	—	230.00
गुजरात	—	703.07
हिमाचल प्रदेश	—	44.00
जम्मू और कश्मीर	—	46.50
हरियाणा	—	191.00
केरल	—	200.00
कर्नाटक	—	809.56
महाराष्ट्र	—	2220.00
मणिपुर	—	1.30
मेघालय	—	1.50
नागालैण्ड	—	8.00
उड़ीसा	—	34.20
पंजाब	—	452.33
राजस्थान	—	265.00
पाण्डिचेरी	—	39.00
मध्य प्रदेश	—	300.82
सिक्किम	—	40.50

तमिल नाडु	—	640.00
दिल्ली	—	75.00
चण्डीगढ़	—	44.00
गोवा	—	55.00
दादरा और नगर हवेली	—	5.00
प. बंगाल	—	875.00
त्रिपुरा	—	3.56
यू. पी.	—	2365.00
दमन	—	69.00

पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली का संकट

[हिन्दी]

9908. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री आर. एन. राकेश :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1990 के 'स्टेट्समैन' में 'एन. ई. पावर क्राइसिस स्टिल परसिस्ट्स,' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली का भारी संकट है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान इन राज्यों इन राज्यों को कितने प्रतिशत बिजली की सप्लाई की गयी और उनकी मांग कितनी थी; और

(घ) इन राज्यों को बिजली की कम सप्लाई करने के क्या कारण है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) अप्रैल, 1990 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति पर प्रभाव पड़ा था जिसका कारण पारेषण लाइन बन्द होना और असम द्वारा मेघालय की बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप मेघालय द्वारा असम को विद्युत की सप्लाई न किया जाना था। प्रभावित राज्यों को वैकल्पिक मार्गों से यथासम्भव विद्युत सप्लाई की जा रही है।

पिछले तीन माह के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत की मांग और उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विद्युत सप्लाई की स्थिति (फरवरी, 90 से अप्रैल, 90)

(सभी आंकड़े मिलियन मि. यू. में)

	फरवरी, 90	मार्च, 90	अप्रैल, 90
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश			
मांग	7.3	7.5	7.8
उपलब्धता	7.2	7.5	7.8
कमी (%)	0.1 (1.4)	—	—
असम			
मांग	136.2	168.7	133.7
उपलब्धता	124.7	162.3	127.6
कमी (%)	11.5 (8.4)	6.4 (3.8)	6.1 (4.6)
मणिपुर			
मांग	17.6	18.0	15.0
उपलब्धता	17.6	18.0	14.5
कमी (%)	—	—	0.5 (3.3)
मेघालय			
मांग	22.4	20.8	18.0
उपलब्धता	22.4	20.8	18.0
कमी (%)	—	—	—
मिजोरम			
मांग	7.0	7.0	5.2
उपलब्धता	7.0	6.9	2.8
कमी (%)	—	0.1 (1.4)	2.4 (46.2)

1	2	3	4
नागालैण्ड			
मांग	6.0	7.0	6.8
उपलब्धता	5.9	7.0	6.8
कमी (%)	0.1 (1.7)	—	—
त्रिपुरा			
मांग	13.5	14.0	13.5
उपलब्धता	13.2	12.5	10.5
कमी (%)	0.3 (2.2)	1.5 (10.7)	3.0 (22.2)
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
मांग	210.0	243.0	200.0
उपलब्धता	198.0	235.0	188.0
कमी (%)	12.0 (5.7)	8 0 (3.3)	12 0 (6.0)

'मिट अध्ययन में 'एअर इंडिया' पर टिप्पणी

[अनुवाद]

9909. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री हन्नान मौल्लाह :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री सैफुउद्दीन चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित 10 फरवरी, 1990 के 'दी टेलीग्राफ' में छपी उस खबर की ओर दिलाया गया है जो 'मिट' अध्ययन में 'एअर इंडिया' के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 'मिट' ने 1976-1986 की अवधि में विभिन्न विमानों की हुई दुर्घटनाओं

और मृतकों के मामलों का उल्लेख करते समय, दुर्घटना के कारणों की ओर ध्यान दिए बिना अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के सुरक्षा संबंधी पहलूओं की तुलना की थी। तोड़फोड़ के कारण हुई एअर इंडिया के विमान 'एम्परर कनिष्क' की दुर्घटना को आंकड़ों में शामिल किया गया है और ऐसा करके एक गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि एअर इंडिया सबसे अधिक जोखिम वाली एयरलाइन है। एअर इंडिया इस रिपोर्ट के बारे में अमरीका के वकीलों के साथ परामर्श करके उचित कार्रवाई कर रही है। किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनी की तुलना में एअर इंडिया का सुरक्षा रिकार्ड सबसे उत्तम है और इसके दुर्घटना बीमा प्रीमियम में पर्याप्त कमी हुई है।

दामोदर घाटी निगम के गैस टरबाइन सौदे की जांच

9910. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम की 52.48 करोड़ रुपए की गैस टरबाइनों की खरीद सम्बन्धी सौदे पर इस आधार पर आपत्ति की थी कि राज्य बिजली बोर्ड को इन गैस टरबाइनों को चलाने में कठिनाई हुई थी;

(ख) क्या संचालन संबंधी भारी लागत के कारण इन गैस टरबाइन यूनिटों को दामोदर घाटी निगम द्वारा कभी-कभी चलाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इन गैस टरबाइनों का किस प्रकार से उपयोग करने का विचार है;

(घ) क्या इस सौदे की कोई जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस चरण में है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) मैथान में 27,024 329 तथा 57,196,697 अमरीकी डालर की लागत से 3×30 मे. वा. गैस टर्बाइन यूनिटें सप्लाई करने एवं उत्थान कार्य करने के लिये दामोदर घाटी निगम ने 7.4.1987 को मैसर्स जी. ई.यू.एस. ए. के साथ समझौता किया था। निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने के पश्चात् लागत में से विदेशी मुद्रा की राशि के लिये विश्व पोषण एक्जिम बैंक, यू. एस. ए. के द्वारा किया जा रहा है। गैस टर्बाइनों का मुख्य उद्देश्य, व्यवस्तमकालीन मांगों को पूरा करना और/अथवा समय पड़ने पर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करना है। तदनुसार दामोदर घाटी निगम द्वारा मैथान में इन यूनिटों का प्रचालन किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा संबंधी दावों के माध्यम से ए-320 एअर बस के लागत की वसूली

9911. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स हाल ही में बंगलौर सिटी में दुर्घटनाग्रस्त ए-320 विमान की लागत सीधे विमान के बीमा दावों के माध्यम से बीमा कम्पनियों से वसूल करेगी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सौदे में जापानी बंकाय और पट्टा कम्पनी की क्या भूमिका है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सरकार की अनुमति से इंडियन एयरलाइंस जापान लीजिंग कम्पनी के साथ जापानी लचरबुक लीज व्यवस्था के लिए एक करार किया था जो उस एयरबस ए-320 विमान से संबंधित था जो 14 फरवरी, 1990 को बंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बीमाकर्ता द्वारा लीज कम्पनी के सबसे पहले बीमा का भुगतान किया जाएगा जिसका समाधान बाद में लीज करार की शर्तों के अनुसार इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में किया जाएगा।

(ग) बंगलौर में क्षतिग्रस्त हुए एक विमानसहित, इन विमानों की खरीद के लिए धन की व्यवस्था ऋण के उधार की लागत को कम करने के वास्ते 4 एयरबस ए 320 विमानों की लीज वित्त व्यवस्था की गई थी। लीज कम्पनी को अपने देय में विमान के मूल्य ह्रास का लाभ मिलता है। इस कर लाभ के कारण धन उधार लेने की लागत कम हो जाती है।

भारत कोकिंग कोल लि. में नियुक्त ठेकेदार

9912. श्री ए. के राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त किये गए ठेकेदारों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या ठेकेदारों के बिल बढ़ते जा रहे हैं जबकि कम्पनी फालतू श्रमिक होने की बात कहती है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी नियमों और निदेशों का उल्लंघन करते हुए भारत कोकिंग कोल कंपनी द्वारा सहकारी समितियों के स्थान पर गैर सरकारी ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हां। इस संबंध में माननीय सदस्य श्री ए. के. राय से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ङ) भारत कोकिंग कोल लि. से प्राप्त शिकायत में उठाए गए मुद्दों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा गया है।

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली में राजस्थान का हिस्सा

[हिन्दी]

9913. श्री गिरधारी लाल भार्गवा :

श्री जान सिंह जाटव :

डा. किरोड़ी लाल मीणा।

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान ने सिंधु जल संधि तथा बाद में सतलुज, रावी और व्यास नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में किए गए अन्य समझौतों के अनुसार पंजाब की बीन बांध परियोजना, आनन्दपुर साहिब पनबिजली परियोजना, मुकेरिया पनबिजली परियोजना, यू. बी. डी. सी. चरणदो और शाहपुर कंडी पनबिजली परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन में से अपना हिस्सा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक परियोजना में से राजस्थान द्वारा बिजली का कितना हिस्सा मांगा गया है;

(ग) क्या पंजाब को नंगल पनबिजली पैनल से रोपड़ ताप बिजली घर के लिए जल लेने की अनुमति देने, इन परियोजनाओं से प्राप्त बिजली में से राजस्थान के बिजली के हिस्से से संबंधित मामले को उच्चतम न्यायालय को उसकी राय हेतु सौंपा जाना था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(च) केन्द्रीय सरकार का इन विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को उस समय तक बिजली दिये जाने का विचार है जब तक कि उच्चतम न्यायालय की राय नहीं मिल जाती ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान द्वारा इन परियोजनाओं में किसी प्रकार के विशेष हिस्से का दावा नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं केन्द्र सरकार के बीच 10 मई, 1984 को हुए समझौते में यह प्रावधान है कि इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में क्या हरियाणा और राजस्थान का भी हिस्सा है अथवा नहीं इस संबंध में मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा होगा। उच्चतम न्यायालय के विचार जानने के लिए मामले को उनको नहीं भेजा गया है। यह सरकार के विचाराधीन है।

(घ) इन परियोजनाओं से राजस्थान को किसी प्रकार के बिजली का हिस्सा आवंटित किया जा सके इससे पूर्व मामले में उच्चतम न्यायालय के विचार जानने के लिए प्रतीक्षा करना अपेक्षित होगा।

मिट्टी के तेल का उत्पादन

[अनुवाद]

9914. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे तेल शोधक कारखानों में घटिया किस्म के मिट्टी के तेल का उत्पादन भी होता है;

(ख) यदि हां, तो इस उत्पाद का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या इसका देश में विपणन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका किस प्रकार निपटान किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लुइड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट हेतु विकास योजना

9915. **श्री ए. विजयराघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनजिकोडे, पालघाट में फ्लुइड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट एक स्वायत संस्थान है;

(ख) यदि हां, तो फ्लुइड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट की विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संस्थान के लिए कोई विकास योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) फ्लुइड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पालघाट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 का 21 के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी है। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य 'फ्लो' उत्पादों के क्षेत्र में डिजाइन एवं विकास, जांच-परख एवं मूल्यांकन, आदिरूपों आदि को तैयार करना है।

(ग) और (घ) परिकलन सुविधाओं एवं जल निरुपन संयंत्र का विस्तार सामग्री जांच हेतु सुविधाओं को जुटाना 'नॉन रिटर्न वाल्व' की जांच, 'आयल टेस्ट रिग' आदि जैसी अनेक नई विकास योजनाएं विचाराधीन हैं।

कर्नाटक में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र के कारण सुरक्षा को खतरा

9916. श्री जीकांत नरसिंह राजवाडियर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कृष्णरायपुरम् रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित दो रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों के कारण सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को किन्हीं अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं। दोनों एल. पी. जी. बाटलिंग संयंत्र प्रचलित वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बिजली विभाग में दिहाड़ी के मजदूर

9917. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बिजली विभाग में कुल कितने दिहाड़ी मजदूर हैं और वे वहां कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन मजदूरों को बिजली विभाग के अन्तर्गत वर्तमान रिक्त पदों पर नियमित किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली की सप्लाई में रुकावट

9918. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की सप्लाई में रुकावट के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली की सप्लाई कब तक सामान्य हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इस संघ शासित क्षेत्र में विद्युत की कमी का कारण विभिन्न डीजल जनरेटिंग यूनिटों का पुराना होना, कलपुर्जों की प्राप्ति में कठिनाईयां होना, मशीनरी की निर्धारित क्षमता को प्रभावित करने वाली स्थानीय जलवायु परिस्थितियां विद्यमान होना आदि है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्युत की कमी को देखते हुए लोड शेडिंग की जाती है।

(ग) नए डी. जी. सैट तथा कलपोंग जल विद्युत परियोजना के चालू हो जाने से अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में विद्युत की आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षुओं का कोटा

9919. श्री बसन्त साठे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में शिक्षु-अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अनुसार प्रशिक्षुओं का पूरा कोटा लिया जा रहा है, और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कितने-कितने प्रशिक्षु रखे गए;

(ख) यदि इनके द्वारा उक्त अधिनियम द्वारा निर्धारित संख्या से कम प्रशिक्षु लिये गये, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रशिक्षण और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराये जायें यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने वाले हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जामनगर और हापा के लिए शायिकाओं (बर्थ) का कोटा

9920. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर (गुजरात) के चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य संगठनों ने उप-अधीक्षक, राजकोट, बम्बई स्थित पश्चिम रेलवे के मुख्यालय और रेल मंत्रालय को जामनगर और हापा से विभिन्न रेलों के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आरक्षण कोटा में वृद्धि करने के लिए 1 जनवरी, 1987 से 28 फरवरी, 1990 की अवधि के दौरान पत्र लिखा था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदनों में बम्बई, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, कोचिन, हैदराबाद, जम्मू तथा बेंगलूर की ओर जाने वाली विभिन्न गाड़ियों में जामनगर तथा स्टेशनों के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि करने के सुझाव अन्तर्विष्ट हैं। इनकी जांच की गई थी तथा जहां-कहीं औचित्य पाया गया था

नए/अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था कर दी गई है। इस अवधि के दौरान जामनगर स्टेशन के लिए 15 वातानुकूल सीटों तथा दूसरे दर्जे की 103 सीटों का अतिरिक्त/नए कोटे की व्यवस्था की गई थी। हापा स्टेशन के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है।

एयर इंडिया और घरेलू विमान सेवाओं द्वारा विमान ईंधन का प्रयोग

9921. **श्री एम. एम. पल्लम राजू** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू विमान सेवाओं तथा एयर इंडिया द्वारा इस समय आयात किये जा रहे कितने प्रतिशत विमान ईंधन का प्रयोग किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में घरेलू विमान सेवाओं ने कितनी मात्रा में विमान ईंधन की खपत की है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ग) भारत को विमान ईंधन सप्लाई करने वाली कम्पनियों और देशों के नाम क्या है तथा प्रत्येक कम्पनी कितना प्रतिशत ईंधन सप्लाई करती है; और

(घ) विमान ईंधन की सप्लाई करने वाली स्वदेशी कम्पनी का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) विमानन ईंधन का स्वदेशी उत्पादन कुल मिलाकर मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि एच. पी. सी. एल. और ए. टी. एफ के बीच उत्पादन सम्बन्धी समायोजन आवश्यक होने पर समय पर इसकी कुछ मात्रा में आयात किया जाता है।

गत तीन वर्षों में घरेलू एयर लाइनों की विमानन ईंधन की खपत निम्न प्रकार रही है—

खपत (कि. ली.)

	विमानन	ए. वी. गैस
1987-88	578838	नहीं
1988-89	564029	106
1989-90	568844	139

(ग) 1989-90 के ब्यौरे निम्न प्रकार है—

सप्लायर	देश	उत्पादन	मात्रा टन	प्रतिशत
के. पी. सी.	कुवैत	ए. टी. एफ.	296,360	100 प्रतिशत
कुवैत कुल				
सिंगापुर	फ्रांस	ए. वी. गैस	2091	50 प्रतिशत
गोलाकोगुला	फ्रांस	ए. वी. गैस	2097	50 प्रतिशत

(ब) डिग्बोई को छोड़कर सभी स्वदेशी रिफाइनरियों में विमानन ईंधन का उत्पादन किया जाता है। ए. वी. गैस का स्वदेश में कोई उत्पादन नहीं होता है।

कोयले की चोरी

9922. श्री सनत कुमार मंडल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया के कुछ अधिकारियों को भारी मात्रा में कोयले की चोरी में शामिल पाया गया है जैसी कि 1 अप्रैल, 1990 के दिल्ली के "सन्डे वेल" में "धनबाद लूट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं, जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में रोकथाम के क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) "सन्डे वेल" में दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को छपी खबर का सम्बन्ध कोल इंडिया लि. के वरिष्ठ अधिकारियों से है जो कि कोयले की अवैध रूप में बिक्री करने में ग्रस्त हैं तथा उक्त बिक्री का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता और इसके परिणामस्वरूप 450 करोड़ रु. से अधिक की राशि की लूट की गई। हमें इस तरह की लूट की कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को और कोयला कम्पनी के अपने सुरक्षा कार्मिकों को भी कोयला के स्टाक पर निगरानी रखने के लिए तैनात करके उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। भारत कोकिंग कोल लि. ने इसके बाद की कोयले की बिक्री को निर्धारित एक उचित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है और कोयले की सम्पूर्ण बिक्री का उपयुक्त रूप में हिसाब रखा जाता है। इन परिस्थितियों में को. इं. लि. अथवा भा. को. को. लि. के अधिकारियों द्वारा कोयले की बड़ी मात्रा में हेराफेरी किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

बंगलौर और मंगलौर के बीच विमान सेवा का आरम्भ किया जाना

9923. श्री जर्नादन पुजारी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हैदराबाद और बंगलौर के बीच विमान सेवा प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विमान क्षमता की भारी कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बंगलूर-मंगलूर विमान सेवा बन्द कर दी गईथी। विमान क्षमता की कमी आज भी बनी हुई है और इसलिए इंडियन एयरलाइन्स को इस उड़ान को शुरू करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

मंगलौर विमानपत्तन का विस्तार

9924. श्री अर्जुन पुजारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंगलौर विमान पत्तन का विस्तार करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए विमानपत्तन निकट की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं है।

"फ्रेंच एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन का अभ्यावेदन

9925. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या फ्रेंच एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ने भारत सरकार से एयरबस ए-320 की बंगलौर में हुई दुर्घटना के संबंध मे नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय मे दुर्घटना निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

राजस्थान को मिट्टी के तेल का आवंटन

[हिन्दी]

9926. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री गुमान मल लोढ़ा :
क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान राजस्थान को मिट्टी के तेल का कितनी-कितनी मात्रा में आबंटन किया गया;

(ख) क्या राजस्थान की आवश्यकता पूरी करने के लिए यह कोटा पर्याप्त था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त राज्य को मिट्टी के तेल का और अधिक मात्रा में सप्लाई करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान राजस्थान को आबंटित की गई मिट्टी के तेल की मात्रा क्रमशः 2,41,303 टन और 2,55,184 टन थी।

(ख) से (घ) राजस्थान सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का आकलन गत वर्ष किए गए आबंटन में उचित वृद्धि दर जोड़ कर किया जाता है और उसी के अनुसार आबंटन किए जाते हैं। नियमित आबंटनों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, एल. पी. जी. की कमी आदि जैसी विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए तदर्थ आबंटन भी किए जाते हैं।

मौजूदा नीति के अनुसार राजस्थान को किए जा रहे मिट्टी के तेल के आबंटन को जायज उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

विदेशी मुद्रा संबंधी अड़चनों को देखते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जा रही सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त राजस्थान के लिए आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्कला और कन्याकुमारी के बीच रेल सेवा

[अनुवाद]

9927. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों, वर्कला और कन्याकुमारी के बीच रेल सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) वर्कला और कन्याकुमारी के बीच 1081/1082 बम्बई-कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहले से ही उपलब्ध है।

केरल के मालाबार क्षेत्र में रेलवे फाटक और उपरिपुल

9928. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के दक्षिणी जिलों में रेलवे फाटकों की संख्या और रेलमार्ग की लम्बाई के बीच विद्यमान अनुपात की तुलना में वहां के मालाबार क्षेत्र में यह अनुपात कितना है;

(ख) मालाबार क्षेत्र में इस समय कितने उपरिपुल हैं;

(ग) क्या सरकार का मालाबार क्षेत्र में कुछ नये उपरिपुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) मालाबार क्षेत्र में 468 कि. मी. की लम्बाई में 185 समपार हैं और केरल के दक्षिणी जिलों में 516 कि. मी. की लम्बाई में 325 समपार हैं।

(ख) 20 ऊपरी सड़क पुल और 13 निचले सड़क पुल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) कुट्टिपुरम, कालीकट, वडगरा और तेलीचेरी में व्यस्त समपारों के बदले चार ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण कार्य पहले ही मंजूर किया जा चुका है। यदि राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमों के अनुसार इनकी लागत वहन करने/इनमें हिस्सेदार बनने की विधिवत सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किया जाता है तो रेल ऐसे और ऊपरी पुलों के निर्माण पर विचार कर सकती हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स एयरोस्पेस ट्रेड टीम द्वारा भारतीय विमान सेवा की क्षमता के बारे में अध्ययन

9929. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स एयरोस्पेस ट्रेड टीम द्वारा भारतीय विमान सेवा की क्षमताओं का कोई अध्ययन किया जा रहा है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों का अध्ययन करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

रसोई गैस की अवैध बिक्री

[हिन्दी]

9930. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति पुलिस की मिली भगत से लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित झुग्गियों में रसोई गैस भरे सिलिंडरों अवैध बिक्री कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस संबंध में शामिल पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ए-320 विमानों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए ठेका

9931. श्री शंकरसिंह वघेला :

श्री लालकृष्ण आडवाणी :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1990 के जनसत्ता में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें ए-320 विमानों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए ठेका देने में कतिपय अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या कथित अनियमितताओं के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई;

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) इस आशय का समाचार देखा गया है। इसके अन्य बातों के साथ यह कहागया है कि इण्डियन एयरलाइन्स में एयरबस ए-320 विमान की मरम्मत और रख-रखाव के संबंध में, विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गयी थी और एक यूटीए कम्पनी की निविदा स्वीकार की गयी थी क्योंकि यह न्यूनतम निविदा (4.8 करोड़ रुपए) थी और यह भारतीय मुद्रा में देय थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कार्य 14 करोड़ रुपए की लागत पर सूजमे को दिया गया था जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना था जबकि तथ्य यह है कि उक्त कम्पनी की साख अच्छी नहीं थी और उस कम्पनी ने इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा जारी की गयी विश्वव्यापी निविदाओं के उत्तर में केवल एक प्रार्थना पत्र भेजा था।

इसके विपरीत जैसा कि समाचार में बताया गया है, इंडियन एयरलाइन्स ने इस कार्य के लिए निम्नलिखित कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित की थीं :—

(1) मैसर्स एम. बी. बी. जर्मनी।

(2) मैसर्स यू. टी. ए. फ्रांस।

(3) मैसर्स सोगर्मा फ्रांस।

इन्डियन एयरलाइन्स ने तकनीकी उपयुक्तता और लागत संबंधी विषयों का सुचारू रूप से मूल्यांकन करने के बाद यह ठेका मैसर्स सोगर्मा, फ्रांस को दिया था जिसकी निविदा न्यूनतम थी। कम्पनी के साथ एक करार किया गया था जो प्रमुख अनुसूचित रख-रखाव कार्य; फेज-चैक, वारंटी गारन्टी, कार्य सम्पन्न होने में विलम्ब आदि के मामलों में शास्तियां लगाने के बारे में किया गया था।

एयरबस ए-300 बी-2 विमान 16 अगस्त, 1989 को सोगर्मा को भेजा गया था जहां इसका बड़े आधार पर परीक्षण (चेक-2) किया जाना था और इसमें परिवर्तन, बिग टाप स्किन की मरम्मत फ्यूजलेग स्किन ज्वाइन्ट डिलेमिनेशन, विमान बैलि पेनल्स आदि की सम्पूर्ण मरम्मत आदि तथा उसमें दुबारा पेंटिंग करना और केबिन रिफर्बिशमेंट सहित गैर-अनुसूचित किस्म की मरम्मत आदि शामिल थे। तीन तकनीकी कर्मचारियों को कार्य का पर्यवेक्षण करने और उक्त पार्टी द्वारा किये जाने वाले गैर-अनुसूचित कार्य पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिये भेजा गया था।

विमान के आने के बाद इण्डियन एयरलाइन्स मैसर्स सोगर्मा द्वारा किये गए कार्य की गुणवत्ता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

9932. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र के लिए सामान्य पुल से पानी की सप्लाई करने हेतु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच कोई त्रिपक्षीय समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो यह समझौता कब हुआ था; और

(ग) इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र के लिए शीतलन जल की आपूर्ति और आनन्दपुर साहिब जल-विद्युत परियोजना को चालू करने के बारे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच 10 मई, 1984 को एक करार हुआ था। करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र के चरण-I के लिए पहले से प्रतिष्ठापित ओपन कूलिंग वाटर-फ्लो प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नंगल जल-विद्युत नहर से 600 क्यूसेक जल की आपूर्ति की जाएगी। और भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्धारण के अनुसार पंजाब द्वारा नंगल जल-विद्युत नहर से प्राप्त किये जाने वाले शीतलन जल की मात्रा, भाखड़ा बेन साइफन में पंजाब के हिस्से के अतिरिक्त होगी। रोपड़ ताप-विद्युत संयंत्र के लिए शीतलन जल प्रदान करने हेतु नंगल जल-विद्युत नहर पर स्थापित हैड रेगुलेटर का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने के संबंध में सहमति हुई थी और यह भी तय हुआ था कि रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र के चरण-I के लिए शीतलन जल की आपूर्ति संबंधी व्यवस्था के संबंध में इस करार में शामिल पक्षों द्वारा एक वर्ष की अवधि के बाद पुनरीक्षा की जाएगी। तथापि, इस प्रकार की कोई पुनरीक्षा नहीं की गई है।

टिहरी बांध

9933. श्री बसंत साठे : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अप्रैल, 1990 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'टिहरी आल्टरनेटिव नो बैटर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिय है; और

(ग) सरकार ने टिहरी बांध के निर्माण के संबंध में अन्तिम रूप से क्या निर्णय लिया है

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टिहरी बांध परियोजना के विभिन्न विकल्पों का परियोजना प्राधिकारि द्वारा पूरी तरह अध्ययन एवं मूल्यांकन किया गया है और पाया गया है कि सभी दृष्टियों से टिहरं जल विद्युत परियोजना, जिस रूप में इस समय निर्माणाधीन है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है।

सीमेंट में मिलावट

[हिन्दी]

9934. डा. महाबीपक सिंह शाक्य : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सीमेंट निर्माता सीमेंट में चिकनी मिट्टी की मिलावट कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे सीमेंट से बने हुए भवन अधिक समय तक नहीं चल पाते; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट (पी. पी. सी.) बनाने आइ. एस. 1344-1981 के अनुरूप किस्म के क्लिंकर शवले पोजलाना के उपयोग की अनुमति जो आई. एस. 1489-1978 के अनुरूप होना चाहिए।

(ख) आई. एस. 1489-1976 के अनुरूप उत्पादित सीमेंट से बनी ईमारतों के जीवन का में किसी प्रकार की कमी नहीं आती।

(ग) वर्ष 1983 में संशोधित सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 1962 के अधीन 1.7.19 से सीमेंट के लिए ब्यूरो आफ इण्डियन स्टेण्डर्ड (पहले आई. एस. आई.) का मानक चिह्न अनिवार्य हो गया है। ब्यूरो आफ इण्डियन स्टेण्डर्ड (बी आई एस) 11 प्रकार के सीमेंटों पर अ एस आई चिह्न मांकन को अनिवार्य रूप से लागू कर रहा है जिनमें पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट (पी सी) भी सम्मिलित है और यह आई एस : 1489-1976 के अधीन आता है आई एस : 148 1976 के अनुरूप उत्पादित तथा बी. आई. एस. द्वारा प्रमाणित सीमेंट की किस्म संतोषजन होती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को राज्यों की ओर देय धनराशि

[अनुवाद]

9935. श्री मन्नू भाया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उनको दिये ऋणों की अदाय नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से राज्यवार कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी है; और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने ग्राम विद्युतीकरण निगम को देय बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया है।

(ख) अप्रैल, 1990 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से वसूल की जाने वाली ग्राम विद्युतीकरण निगम की बकाया राशियों का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है :—

(1) बिहार	1496 लाख रुपए
(2) उड़ीसा	1837 लाख रुपए
(3) उत्तर प्रदेश	150 लाख रुपए
(4) ग्राम विद्युतीकरण सहकारिताएं	167 लाख रुपए
	3652 लाख रुपए

(ग) बकाया राशियों की वसूली से संबंधित मामले के संबंध में निगम द्वारा उच्च स्तर पर कार्यवाही की गई है।

'कोल ट्रेडर्स ट्राइंग टू रिटेन मोनोपोली' शीर्षक से समाचार

9936. श्री बसंत साठे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च 1990 के 'इकानामिक्स टाइम्स' में 'कोल ट्रेडर्स ट्राइंग टू रिटेन मोनोपोली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) स्टाकयार्ड नेटवर्क के माध्यम से कोयले के वितरण की नीति के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन और स्टाकयार्ड के संचालन में कमियों को दूर करने और इसे इसके संचालनों के लिए अर्थक्षम बनाने और इन स्टाकयार्डों द्वारा जिन उपभोक्ताओं को कोयला वितरित किया जाता है, उन्हें भी यह सस्ता मिले इसके लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) महाराष्ट्र में इस वर्ष कितने स्टाकयार्ड और किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय देश के विभिन्न राज्यों में 51 स्टाकयार्ड कार्यरत हैं। कोल इण्डिया लि. वर्तमान में किसी भी स्टाकयार्ड को बंद करने पर विचार नहीं कर रही है इसके विपरीत इस संबंध में यह प्रयास किए जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक स्टाकयार्ड खोले जाएं।

(ग) स्टाकयार्डों के प्रचलन का विनियमन कोल इण्डिया लि. तथा स्टाकयार्डों के प्रचालकों के बीच हुए संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाता है। कोल इण्डिया लि. ने संविदा की शर्तों पर समीपस्थ मानिटरिंग के जरिए उक्त शर्तों के कड़ाई से अनुपालन का सुनिश्चय किए जाने संबंधी कदम उठाए हैं। स्टाकयार्डों से कोयले की रेल द्वारा आपूर्ति उपयुक्त गुणवत्ता के रूप में की जाती है।

(घ) महाराष्ट्र में कल्याण के स्थान पर कोल इण्डिया लि. का एक स्टाकयार्ड पहले से ही प्रचलन में है। कोयला कम्पनी चालू वर्ष के दौरान नासिक रायसर, अहमदनगर तथा अकोला में स्टाकयार्डों को खोले जाने संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन कर रही है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

9937. **श्री पी. एम. सईद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1990 के दूसरे सप्ताह में "डेसू" कर्मचारी संघ ने "डेसू" मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में 10.4.1990 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए संघ के प्रतिनिधियों के साथ 3.5.1990 को एक बैठक का आयोजन किया जा चुका है। यथोक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को परिवार पेंशन

9938. **श्री पी. एम. सईद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कितने कर्मचारियों की विभिन्न बिजली घरों में कार्य पर रहते हुए मृत्यु हुई;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने ऐसे कर्मचारियों के परिवार को उनकी सहायतार्थ परिवार पेंशन प्रदान करता है, जिनकी कार्य पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी प्रदान करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान 27 कर्मचारियों की ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हुई, जिनमें से 2 कर्मचारी पावर हाउस में कार्यरत थे।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

9939. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तथा उन्हें सिद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद पदोन्नत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन मामलों में आगे और क्या कार्यवाही किए जाने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योग विकास में राज्य मंत्री (श्री ओकार जैना (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 1978 से लेकर अब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध 11 मामले रजिस्टर्ड किए हैं। केवल तीन मामलों में आरोप सिद्ध हो सके थे और संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त दण्ड दिया गया था।

(ग) केवल उन्हीं अधिकारियों की पदोन्नति की गई थी जिनके विरुद्ध उचित जांच के पश्चात कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका था अथवा सक्षम प्राधिकरण/अपील प्राधिकरण द्वारा इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक नीति तैयार करने से राज्यों की जानकारी

9940. श्री सुधीर गिरि : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक नीति तैयार करने में राज्य सरकारों को सम्बद्ध किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भागीदारी के लिए किसी राज्य सरकार ने सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। औद्योगिक नीति बनाते समय राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को तिमाही लाइसेंसिंग समिति (पूर्ण समिति) की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अन्य मामलों के साथ-साथ, इन बैठकों में लाइसेंसीकरण नीति से संबंधित सामान्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योग

9941. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री गुलाबचन्द्र कटारिया :
क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) विभिन्न फार्मों (मे. जे. के सिन्थेटिक्स और मे. राजस्थान पेट्रो-सिन्थेटिक्स) के पास एक्रीलिक फाइबर, सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न, पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, पालिप्रोपिलीन फिलामेंट यार्न आदि की विद्यमान क्षमताओं का विस्तार करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस हैं। इसके अतिरिक्त पालिए-सीटोल रेडिल इंजीनियरिंग प्लास्टिक के विनिर्माण के लिए एक नया आशय-पत्र श्री राम फाइबर्स को जारी किया गया है। अब यह पार्टियों का काम है कि वे आगे आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें और परियोजनाओं का कार्यान्वयन करें।

रेलवे की स्वायत्तता

9942. श्री गुल्लापल्ली राजगोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को और अधिक स्वायत्तता देने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेल बजट को सामान्य बजट के साथ जोड़ने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) रेलों को और अधिक स्वायत्तता देने के बारे में समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। इन सुझावों की गहराई से जांच की गई है। रेलों के सुचारु और कुशल संचालन के लिए महाप्रबंधकों को वित्तीय और प्रशासनिक दोनों मामलों में पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिराज-लातूर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

9943. श्री उत्तम राठौड़ : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिराज-लातूर मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उरी परियोजना

9944. डा. बंगारू सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पन बिजली निगम के माध्यम से उरी पन बिजली परियोजना के कार्यनिष्पादन का ठेका एक विदेशी संघ (कनसोरटियम) को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो कनसोरटियम का नाम, कार्य कितनी धनराशि के लिए सौंपा गया, कार्यनिष्पादन का निर्धारित समय, मूल्य वृद्धि के लिए प्रावधान, विलम्ब के कारण हानि का प्रावधान, कार्यनिष्पादन आदि में कमी के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) (कनसोरटियम) को अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है और जम्मू और कश्मीर में वर्तमान परिस्थितियों में, कार्य रुकने के कारण सरकार/राष्ट्रीय पन बिजली निगम कितनी राशि देने के लिए उत्तरदायी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) उड़ी ज. वि. परियोजना को टर्न-की आधार पर क्रियान्वित किए जाने के लिए रा. ज. वि.

नि. ने एक विदेशी कन्सोर्टियम को, 31.3.1989 के विनिमय दर पर 10 1.149 करोड़ रु. के ठेका दिया है, (जिसका मूल्य 1,913 379,300 स्वीडिश क्रोनर, 43,414,013 स्टरलिंग पाउण्ड, 316, 749,445 स्वीडिश फ्रैंक एवं 1,651,087,514 रु. के बराबर है); इस कन्सोर्टियम में ये अभिकरण समाविष्ट है : मैसर्स स्वेको ए. बी. स्वीडन, उड़ी सप्लाई क्रं. ए. बी; स्वीडन उड़ी सिविल कन्ट्रैक्टर ए. बी; स्वीडन, क्वैरनर बोविंग लि., यू. के, क्वैरनर बोविंग कन्सट्रक्शन लि., यू. के, ए बी बो जनरेशन ए बी, स्वीडन एवं ए बी बी कन्स्ट्रक्शन ए बी, स्वीडन। इस परियोजना को कार्यारम्भ के लिए आदेश दिए जाने की तिथि अर्थात 22-11-1989 से 72 महीने की अवधि में पूरा किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। कन्सोर्टियम द्वारा प्रस्तावित कीमत के अपतटीय संघटक कार्यारम्भ के आदेश की तिथि से 75 माह तक अपरिवर्तनीय है; सिविल ठेके से संबंधित तटीय संघटकों हेतु कीमतें संबंधित ठेके में निहित फामूर्ले के अनुरूप परिवर्तनीय हैं। किसी भी उत्पादन यूनिट के पूरा होने में विलम्ब के लिए ठेकेदारों द्वारा देय निर्धारित क्षतिमूल्य हेतु संविदाओं में प्रावधान किया गया है, परन्तु शर्त यह होगी कि देय निर्धारित कुल क्षतिमूल्य, सभी ठेकामूल्य की कुल राशि एवं की गई वास्तविक अदायगी तथा सभी ठेकों की आकस्मिक खर्चों के कारण बकाया राशि के 5% से अधिक नहीं होगा। विद्युत उत्पादन 480 मेगावाट, जैसा कि गारण्टी दी गई है, न होने पर ठेकेदारों द्वारा, निर्धारित क्षतिमूल्य की अदायगी किए जाने का भी प्रावधान है।

(ग) उड़ी ज. वि. परियोजना हेतु दिए गए ठेकों के लिए रा. ज. वि. नि. विदेशी कन्सोर्टियम को 31.3.1990 तक 195.5 करोड़ रु. का भुगतान कर चुका है परियोजना की आयोजना, अभिकल्प एवं निर्माण संबंधी कार्य तथा वैद्युत एवं यांत्रिकी उपकरण आदि से संबंधित कार्य पहले से ही आरम्भ है और कार्यस्थल के कार्य भी यथासम्भव शुरू कर दिए जाएंगे, कार्य-व्यवधान के लिए अतिरिक्त भुगतान हेतु किसी भी प्रकार की अदायगी की देयता अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं।

दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना

9945. **डा. बंगारी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने किन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैसर्स सीम्यनस को बिना कोई निविदा जारी किए दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आशय पत्र जारी किया;

(ख) सीम्यनस के साथ, लागत सहित, किए गए ठेके, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को आबंटित कार्य की अनुपातिक लागत, कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय और लागत-वृद्धि एवं विलम्ब से हुई क्षति आदि के लिए किये गये प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए अनुबंधित विदेशी सलाहकार शुल्क की राशि और उन्हें आबंटित कार्य के विवरण, निर्माण, देखरेख आदि का ब्यौरा क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है जबकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम स्वयं इस प्रकार की परामर्श सेवा प्रदान करता है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा. ता. वि. नि.) ने दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मैसर्ज सीमन्स ए. जी., पश्चिमी जर्मनी और मैसर्ज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. के गठबंधन को

ठेका दिया है, क्योंकि उनसे प्राप्त प्रस्ताव सरकार द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकार्य पाया गया था।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पश्चिम जर्मनी के परामर्शदाताओं की परियुक्ति ठेके की अपेक्षाओं के अनुसार की गई है। तथापि, परामर्शदाताओं से संबंधित शर्तों के बारे में अंतिम निर्णय, रा. ता. वि. नि. के पास पहले से उपलब्ध जानकारी और सुविज्ञता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग इन कार्यों के लिए करने की परिकल्पना की गई है मुख्य संयंत्र की वेन्डर ड्राइंग्स की पुनरीक्षा करना, कलपुर्जों के चयन में सहायता करना, चालू करने एवं कार्य-निष्पादन तथा गारंटी परीक्षण संबंधी कार्य में भाग लेना, प्रचालन संबंधी प्रणाली के संबंध में व्यापक दस्तावेज तैयार करना। अभी तक प्रत्ययात्मक डिजाइन की पुनरीक्षा से संबंधित परामर्शी कार्य के लिए मैसर्ज एरोप्लान गम्भ, पश्चिम जर्मनी को 110,000/- डी. एम. की फीस के आधार पर ठेका दिया गया है। सेवाओं की कुल अनुमानित लागत (मैसर्ज एरोप्लान गम्भ) को देय फीस सहित) लगभग 107 लाख रुपए है जिसमे कर शामिल नहीं हैं।

विवरण

दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए मैसर्ज सीमन्स ए. जी., पश्चिम जर्मनी और भारत में उनके अधिन्यासी मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (भेल), नई दिल्ली तथा सीमन्स लिमिटेड, बम्बई को दिये गये ठेके का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) कार्यक्षेत्र :	सीमन्स ए. जी. :	भारत में निर्मित न होने वाले (नान इंडियन ओरिजिन) संयंत्र/उपस्कर जैसे गैस टर्बाइन आदि की आपूर्ति करना और इनसे सम्बन्धित भारत मे अनुपलब्ध (नान इण्डियन ओरिजिन) आयोजना, डिजाइन, इंजीनियरी एवं सेवा सुविधाएं प्रदान करना।
	भेल :	भाप टर्बाइन विद्युत उत्पादन सैट, अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी बायलर, यांत्रिक एवं वैद्युत उपस्कर और इनसे सम्बन्धित डिजाइन इंजीनियरी, उत्थापन तथा इनको चालू करने सम्बन्धी सुविधाओं की आपूर्ति करना।
	सीमन्स लिमिटेड :	आयातित उपस्कर की ढुलाई एवं इसका उत्थापन करना, सिविल कार्य करना, ई. ओ. टी. क्रेन, अग्निशमन, संपीडक (कम्प्रैसर) आदि जैसे उपस्करों की आपूर्ति एवं उनका उत्थापन करना तथा उन्हें चालू करना।

(2) अविदा मूल्य :	सीमन्स ए. जी.	311.6 करोड़ रुपये *(65%)
	भेल :	118.0 करोड़ रुपये (25%)
	सीमन्स लि. :	46.4 करोड़ रुपये (10%)
	जोड़ :	476.0 करोड़ रुपये

*उपर्युक्त आंकड़े ठेका देने की तारीख अर्थात 30.9.1989 के समीप की तारीख 27.9.1989 को लागू विनिमय दर पर आधारित है।

(3) कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम :	इस परियोजना की विभिन्न यूनिटों को नीचे दिये अनुसार चालू करने की सम्भावना है :—	
	गैस टर्बाइन यूनिट-1	: सितम्बर, 1991
	गैस टर्बाइन यूनिट-2	: नवम्बर, 1991
	गैस टर्बाइन यूनिट-3	: जनवरी, 1992
	गैस टर्बाइन यूनिट-4	: मार्च, 1992
	भाप टर्बाइन यूनिट-1	: मार्च, 1993
	भाप टर्बाइन यूनिट-2	: जुलाई, 1993
(4) प्रमुख संबंधित प्रावधान :	सीमन्स ए. जी. :	एक्स फैक्ट्री मूल्य, मूल्य में अधिकतम ±21% की घट-बढ़ के अधीन है।
	भेल :	एक्स वर्क्स कीमत, कीमत में अधिकतम ±21% की घट-बढ़ के अधीन है।
	सीमन्स लिमिटेड।	एक्स-वर्क्स कीमत, कीमत में अधिकतम ±20% की घट-बढ़ के अधीन है।
(5) विलम्ब के लिए हर्जाना।	ठेके के अन्तर्गत विलम्ब के लिए निर्धारित हर्जाने की कुल राशि कुल संविदा कीमत के अधिकतम 5% के अधीन है।	

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विदेशी/स्वदेशी सप्लायरों को दिये गये ठेके

9946. डा. बंगाली सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम दादरी स्थित ताप विद्युत परियोजना के मामले में विदेशी/स्वदेशी सप्लायरों को वास्तविक रूप से ठेके देते समय अपने मूल प्रस्तावों में व्यापक परिवर्तन कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को "कूलिंग टावर" के लिए ठेका दिये जाने के मामले में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है; यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का ठेका देने सम्बन्धी प्रस्तावों में परिवर्तन, और भेदभाव और अनुचित पक्षपात को समाप्त करने के लिए ऐसे ठेकों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए, कम से कम विशेषज्ञों की एक उपयुक्त स्वायत्त समिति गठित करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) विभिन्न प्रकार की संविदाओं के लिए तकनीकी विशिष्टियां, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा. ता. वि. नि.) द्वारा परियोजना के लिए दी गई सरकारी अनुमोदन में अन्तर्हित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जाती हैं। उपयुक्त बोली शर्तों सहित व्यापक तकनीकी विशिष्टियां रा.ता.वि. निगम द्वारा संविदाओं निष्पादक औजकरणों के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की जाती है। प्राप्त बोलियों की मूल्यांकन, रा.ता.वि.नि बोली संबंधी कागजातों की शर्तों को पूर्णतया ध्यान में रखकर करता है। यदि बोली, निर्धारित विशिष्टियों से अधिक हटकर होती है तो रा. ता. वि. नि. उसे सामान्यतया स्वीकार नहीं करता है। अधिक लाभकारी पाए जाने पर रा.ता.वि.नि. द्वारा वैकल्पिक प्रस्ताव भी स्वीकार किए जा सकते हैं बशर्ते कि सफल बोलीदाताओं द्वारा किया गया प्रस्ताव, इस प्रकार की बोली का मूल्य, विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कम से कम हो।

(ख) और (ग) दादरी स्थित राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना के लिए 'कूलिंग टावर पैकेज' हेतु दिए गए ठेके के सम्बन्ध में रा.ता.वि. निगम को प्राप्त प्रतिवेदन की उसके द्वारा जांच की गई थी और उस प्रतिवेदन में की गई शिकायतें अतर्कसंगत पाई गई है।

(घ) जी, नहीं।

रेल कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

[हिन्दी]

9947. श्रीमती अमृतबेन नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेल के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें 1974 की हड़ताल के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था और पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया था किन्तु जिन्हें हड़ताल की अवधि का पूरा वेतन अभी तक नहीं दिया गया है; और

(ख) उनको बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिंहरी बांध परियोजना

[अनुवाद]

9948. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
डा. वेंकटेश वावड़े :
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसमे की गयी सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) समिति इस मामले का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने तथा अत्यधिक प्रतिकूल भूकम्प परिदृश्य पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि यथाप्रस्तावित टिहरी बांध सुरक्षित रहेगा, टिहरी बांध परियोजना की आयोजना में भूकम्पीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों को ध्यान में रखा गया है और जलाशय के कारण संभावित भू-कम्पीय परिस्थितियों के बारे में और विचार करना आवश्यक नहीं है।

पारादीप में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स

9949. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक जिले मे पारादीप में एक पेट्रो रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कार्यान्वयन मे विलम्ब होने के क्या कारण है,

(ग) इसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) इस परियोजना के अनुमानत: कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तेल शोधक कारखाना सम्बन्धी परियोजनाएं

9950. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तेल शोधक कारखाना सम्बन्धी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है, जो सातवीं योजना अवधि से लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन तेल शोधक कारखाना सम्बन्धी परियोजनाओं की स्थापना के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) 7वीं योजना अवधि के दौरान शोधन क्षमता में वृद्धि करने की परियोजनाओं में नई रिफाइनरियां और मौजूदा

रिफाइनरियों का विस्तार करना/अड़चनों को दूर करना शामिल है। 7वीं योजना अवधि से लम्बित पड़ी परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए है।

करनाल और मंगलौर में नई रिफाइनरियों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है क्योंकि परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र और परियोजना के प्रौद्योगिकीय और वित्तीय पहलुओं से संबंधित कुछ मामलों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इन मामलों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं। असम समझौता रिफाइनरी के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जो कि इस समय तैयार की जा रही है, सरकार द्वारा प्रथम चरण की मंजूरी दी जा चुकी है।

बोंगाईगांव रिफाइनरी की क्षमता में 2.5 मि. टन प्रतिवर्ष की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

कावेरी बेसिन में 6.5 मि. टन प्रतिवर्ष की क्षमता की क्रूड डिस्टीलेशन सुविधाएं स्थापित करने के लिए मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड ने एक विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसे प्रस्तुत कर दिया है। यह परियोजना सरकार के विचाराधीन है।

उपर्युक्त परियोजना पर शीघ्र कार्रवाई करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयला खानों में माफिया गतिविधियां

9951. **श्री बसन्त साठे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अप्रैल, 1990 को "सन्डे आब्जर्वर" में "माफिया रूल्स तालचेर माइन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) प्रभावित कोयला खान क्षेत्र में बढ़ती माफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये है/उठाने का विचार किया गया है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि तलचर क्षेत्र में कोयले की चोरी में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय है और सा.ई.कोल. के कर्मचारियों पर हमले तथा डराए धमकाए जाने और हिंसात्मक धमकियों की घटनाएं होने की सूचना मिली है। सा.ई.कोल. द्वारा इन घटनाओं के बारे में स्थानीय पुलिस तथा जिला प्राधिकारियों को उक्त घटनाओं को रोके जाने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए सूचना दी जा रही है। सा.ई.कोल. ने इस समस्या के संबंध में गृह सचिव, मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया है। सचिव, कोयला विभाग ने भी उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव से असामाजिक तत्वों द्वारा कोयले की उठाईगीरी तथा कोयला कम्पनी के कर्मचारियों को डराने धमकाने की घटनाओं को रोके जाने

के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। साईकोलि ने भी अपनी आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और इसमें वृद्धि कर दी है।

दिल्ली में बिजली की चोरी

9952. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों की कथित मिली भगत से बिजली की चोरी के मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या पुनर्वास कालोनियों, पुरानी दिल्ली और कुछ ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों में अवैध रूप से बिजली के ऐसे कनेक्शन सर्विस लाइन के उपलब्ध कराए गये है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिजली के अवैध कनेक्शनों का पता लगाने के लिए झुग्गी-झोपड़ियों और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर जाने वाली सभी अधिक विद्युत वाली लाइनों (हाई टेंशन वायर्स) की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार विभिन्न इलाकों में समय-समय पर उनके द्वारा मारे गये छापों के दौरान बिजली की चोरी से सम्बन्धित कुछ मामलों का पता लगाया गया है। इस प्रकार के चोरी के मामलों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के किसी भी कर्मचारी की सहापराधिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पुनर्वास कालोनियों, पुरानी शहर (वाल्ड सिटी) तथा ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को किसी प्रकार के अवैध कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का अपना एक सतर्कता दल भी है जो कि झुग्गियों के समूह तथा औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरने वाली उच्च वोल्टता तारों से अनधिकृत रूप से बिजली प्राप्त करने समेत समय-समय पर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किये जाने की रोकथाम करता है। इन कदमों के परिणामस्वरूप पारेषण और वितरण हानियां जो कि 1988-89 में 24.07% थी घटकर 1989-90 में लगभग 19% रह गई।

नई रेलगाड़ियां चलाना

9953. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :
श्री हरि शंकर महाले :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वर्ष 1990 के दौरान कुछ और नई रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्षा के महीनों में चलाई जाने वाली नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) मई, 90 की समय सारणी से भारतीय रेलों पर निम्नलिखित गाड़ियां चलाई गई हैं :—

1. 6687/6688 जम्मू तवी-मंगलोर/तिरुचिरापल्ली त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. 4245/4246 सूरत-वाराणसी ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन चलने वाली)
3. 8631/8632 हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन चलने वाली)
4. 5651/5652 जम्मू तवी-गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
5. 1147/1148 दादर-मुजफ्फरपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
6. 5049/5050 गोरखपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
7. 5303/5304 गोरखपुर-गोंडा एक्सप्रेस (मीटर लाइन)
8. 5719/5720 कटिहार-सिलीगुड़ी अन्तःनगरीय एक्सप्रेस
9. 3303/3304 धनबाद-चोपन एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
10. 269/270 गुंटूर-माचेर्ला पैसेंजर
11. 263/264 गुंटूर-माचेर्ला पैसेंजर
12. 279/280 गुंटूर-सत्तनपल्ली पैसेंजर
13. 267/268 गुंटूर-सत्तनपल्ली पैसेंजर
14. 253/254 माचेर्ला-नडिकुडे पैसेंजर
15. 19 जे. बी./20 जे. बी. जसीडीह-वैद्यनाथ धाम पैसेंजर
16. 431/432 रामपुरहाट-साहिबगंज पैसेंजर
17. 360/361 बिलासपुर-गेवरा रोड पैसेंजर
18. मिरज होते हुए निजामुद्दीन और वास्को द गामा के बीच एक बड़ी लाइन व मीटर लाइन एक्सप्रेस गाड़ी 16.6.1990 से चलायी जा रही है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान गर्मी के महीनों के लिए निम्नलिखित गाड़ियां चलायी गयी हैं :—

1. बम्बई-पुणे
2. बम्बई वी. टी.-वाराणसी
3. बम्बई वी. टी.-गोरखपुर
4. बम्बई सेन्ट्रल-निजामुद्दीन
5. अहमदाबाद-वाराणसी
6. बम्बई सेंट्रल-अहमदाबाद
7. बम्बई सेंट्रल-हापा
8. बम्बई सेंट्रल-गांधीधाम
9. हवड़ा-दिल्ली
10. हवड़ा-देहरादून
11. मद्रास-तिरुवनन्तपुरम
12. मद्रास-तिरुनेलवेली
13. मद्रास-कालीकट
14. बेंगलूरु-एर्णाकुलम
15. बम्बई वी. टी.-हैदराबाद
16. बम्बई वी. टी.-तिरुवनन्तपुरम
17. हैदराबाद-हवड़ा
18. सिकन्दराबाद-हवड़ा
19. सिकन्दराबाद-तिरुपति
20. मंगलोर-जम्मू तवी

जोलारपोट-बंगलोर रेल लाइन का विद्युतीकरण

9954. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कुल कितनी दूरी तक की रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या जोलारपेट और बंगलौर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब पूरी होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) 38.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 144 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य शामिल है।

(घ) मार्च, 1992.

कर्नाटक में रेल मार्गों को दोहरा करना

9955. श्री सी. पी. बुदाल सिद्दिप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में विद्यमान दोहरे रेल मार्गों की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक में रेल मार्गों को दोहरा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) 1.4.90 को 99 कि. मी.।

(ख) और (ग) 1.4.90 को अर्थात आठवीं योजना के प्रारम्भ में कर्नाटक में निम्नलिखित दोहरी लाइन बिछाने से सम्बन्धित कार्यों की प्रगति इस प्रकार है।—

खण्ड	लम्बाई (करोड़ रुपयों में)	लागत	टिप्पणी
1. तांदूर-मलखेड़रोड	46	35.52	अंशत: आन्ध्र प्रदेश में
2. रायचूर-मटमारी और कोसगी-कुपगल	31	18.66	अंशत: आन्ध्र प्रदेश में
3. मलखेड-रोड-वाडी और वाडी बाई-पास	25	20.03	
4. बानगुंडी-चेगुंटा	43	29.16	

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार

9956. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री जर्नादन पुजारी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री शरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बंगलौर हवाई अड्डे पर मौजूदा टर्मिनल भवन में फेर-बदल करने और विस्तार करने के लिए एक वास्तुविद की नियुक्ति की है। वास्तुविद ने प्रारम्भिक नक्शे राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए हैं। इस प्रयोजन के लिए और भूमि प्राप्त करने के लिए 65,41,513/- रुपये की राशि कर्नाटक सरकार के पास जमा करा दिए हैं। राज्य सरकार ने केवल 1.7 एकड़ जमीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी है। कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपेक्षित भूमि सौंपने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) परियोजना की कुल लागत अभी आंकी जानी है। तथापि, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में 2.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

सारावाड़ी बैराज पन-बिजली परियोजना

9957. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान ओवरसीस इकानामिक कोआपरेशन फंड" द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची में सारावाड़ी बैराज पन-बिजली परियोजना को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री शरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उद्योगों की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

9958. **श्री सुधीर गिरि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय उद्योगों की खामियों का मूल्यांकन किया है;

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1990-91 में निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या विशेष नीति अपनाई है अथवा अपनाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) रुपए के अनुसार, भारत के कुल निर्यात में 1987-88 में 25.4 प्रतिशत, 1988-89 में 30 प्रतिशत तथा 1989-90 (अनन्तिम) में 36.4 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है तथापि विश्व बाजार में अधिकांश भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर लागत अक्षमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों की उच्च लागत, आपूर्ति गतिरोध प्रक्रियात्मक देरी एवं प्रौद्योगिकीय पुरानेपन जैसे कारकों के कारण होता है अमूल्य कारकों जैसे अपर्याप्त आर एवं डी कार्यकलापों तथा गुणवत्ता नियन्त्रण की कमी का भी भारतीय उद्योगों की अप्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान है।

(ग) जबकि इन कमियों को दूर करने के लिए नीति परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण तथा उन्नत लागत कुशलता के जरिए प्रतिस्पर्धा के उन्नयन की ओर निर्दिष्ट सम्पूर्ण नीति प्रणाली में सुधार किया गया है। औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति में शुरू में लाइसेंसीकरण प्रतिबन्धों में छूट देकर तथा क्षमता पुनः पूंजीगत माल द्वारा, लागत कुशलता पर उत्पादन मूल्यवर्धन आर्थिक पैमाना निर्धारित करके, तथा आयात लिंकिंग के जरिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष बल दिया जाता है। चुनिन्दा पूंजीगत माल उद्योगों के लिए तकनीकी विकास निधि और तकनीकी उन्नयन योजना, तकनीकी के विकास तथा उन्नयन के लिए पहले आरम्भ की गयी थी, का लक्ष्य-समय पर विस्तार किया जाता रहा है और उनका क्षेत्र बढ़ाया जाता रहा है। नकद प्रतिपूरक सहायता, शुल्क की कमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त अदायगी सहायता योजनाएं गुणवत्ता एवं मूल्यों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशों तक भारतीय उद्यमों की पहुंच को सुधारने में सहायता करती हैं।

(घ) निर्यात रणनीति की विस्तृत रूपरेखा, उत्पादों, क्षेत्रों और उद्योगों जिनमें हमारे पास एक अच्छी निर्यात सम्भावना है, का पता लगाना है तथा निर्यात विकास को नीति ढांचा की व्यवस्था करना है। विशेष बल की वस्तुओं सहित विभिन्न मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहनों की एक शृंखला शुरू की गई है। कुशल प्रौद्योगिकी उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा कार्य-विधि के सरलीकरण के जरिए निर्यात को वाणिज्यिक रूप से योग्य बनाने के उद्देश्य से इनका विस्तृत रूप से डिजाइन तैयार किया गया है।

आयात तथा निर्यात नीति 1990-93 में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन के लिए अनिवार्य आयातित पूंजीगत माल सहित निरन्तर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आयातित

निवेशों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने हैं और प्रौद्योगिकी की समावेशन और विकास के लिए प्रौद्योगिकीय क्षमता एवं उनकी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमता का निर्माण करने के लिए मान्यता प्राप्त स्वदेशी आर एवं डी संस्थाओं को सहायता देने, की व्यवस्था है। इस नीति में भारतीय उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की भी व्यवस्था है जिससे निर्यात बढ़ेगा।

चावल की भूसी से सीमेंट का उत्पादन

9959. श्री ए. के. राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की भूसी से सीमेंट उत्पादन करने की प्रौद्योगिक विकसित कर ली गई है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) इस प्रौद्योगिकी के आधार पर कितने उद्योग चलाए जा रहे हैं और उनका वास्तविक उत्पादन कितना है, और

(घ) यदि सम्पूर्ण चावल भूसी का सीमेंट उत्पादन के लिए उपयोग किया जाए तो इस उद्योग द्वारा कितना उत्पादन होगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने और तीन अन्य संगठनों अर्थात् केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, आई. आई. टी. कानपुर और बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, रांची से भी राइस हस्क जिसे सामान्यतः राइस हस्क एश मैसनरी बाइन्डर (आर. एच. ए. एम. प्रौद्योगिकी) के रूप में जाना जाता है, से राइस हस्क मैसनरी बाइन्डर बनाने की प्रौद्योगिकी स्वदेशी रूप से विकसित कर ली है। इस प्रौद्योगिकी में मुख्यतः भस्मीकरण की नियन्त्रित शर्तों के अन्तर्गत रिएक्टिव राइस हस्क एश प्राप्त करना और इसे चूना व अन्य योगात्मकों के उचित अनुपात के साथ मिश्रित करना एवम् मैसनरी बाइंडरों का प्राप्त करने के लिए उत्कृष्टता के उचित स्तर पर इसे पीसना शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद के अनुसार इस समय ऐसा कोई एकक कार्य नहीं कर रहा है।

(घ) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि यदि ऐसी मैसनरी बाईन्डर के निर्माण के लिए सम्पूर्ण राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है तो सैद्धान्तिक रूप से आर. एच. ए. एम. बाईन्डर पर आधारित ऐसे चूनें की लगभग 50 लाख मी. टन मात्रा का वार्षिक उत्पादन सम्भव होगा। तथापि व्यवहारिक रूप से यह सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि हस्क और चूनें को अधिक लागत और देश में सीमेंट की सहज उपलब्धता के कारण मौजूदा स्थितियों में ऐसे एकक आर्थिक रूप से जीव्य नहीं होंगे।

पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में व्यवसाय प्रशिक्षु

9960. श्री ए. के. राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे को धनबाद डिवीजन में वर्ष 1990 में अब तक नियुक्त किए गए व्यवसाय प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे का अनुपालन किया गया है;

(ग) रेल कर्मचारियों के पुत्रों को व्यवसाय प्रशिक्षुओं के लिए नियुक्ति करने के सम्बन्ध में रेलवे की नीति क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) सम्भवतः वह प्रश्न प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं की भर्ती से सम्बन्धित है। 1990 के दौरान पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल में भर्ती किये गये प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 235 है। इनमें से 89 अनुसूचित जाति और 78 अनुसूचित जनजाति तथा 68 सामान्य जाति के उम्मीदवार थे।

(ख) जी हां।

(ग) अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ रेल कर्मचारियों के पुत्रों के मामले पर भी विचार किया जाता है और गुण दोष के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का निर्णय किया जाता है। निकटवर्ती रोजगार कार्यालयों और अ.जा./अ.ज.जा. के संगठनों को प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं और रेल कर्मचारियों के आश्रितों से भी आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) कृत्य प्रशिक्षुओं के चयन में कुछ कथित अनियमितताओं के बारे में आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कंफेडरेशन के महासचिव से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस एजेंसियां

[हिन्दी]

9961. श्री हरि शंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में अब तक आवन्टित की गई खाना पकाने की गैस एजेन्सियों की जिले वार संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र के उन जिलों के नाम जहां एल. पी. जी. की एजेंसियां आवंटित की गई हैं :

जिलों के नाम	वितरण केन्द्रों की संख्या
1	2
1. अमरावती	9
2. अहमदनगर	14
3. औरंगाबाद	13
4. अकोला	7
5. बीड	3
6. बम्बई	104
7. बुलधाना	5
8. चन्द्रपुर	5
9. धुलाई	7
10. गढचिरोली	1
11. जलगांव	12
12. कोल्हापुर	12
13. नासिक	27
14. नानदीड	4
15. नागपुर	18
16. ओसमानाबाद	2
17. पुणे	45
18. रायगढ़	12
19. रतनागिरि	3
20. सांगली	8
21. सिंधुदुर्ग	2
22. सातरे	11
23. सोहलापुर	10

1	2
24. थाणे	51
25. यवतमाल	3
26. वर्धा	4
27. भण्डारा	2
28. प्रभानी	1
	395

वर्ष 2000 तक विद्युत की मांग

[अनुवाद]

9962. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययन में वर्ष 2000 तक विद्युत की अधिकतम कितनी मांग का उल्लेख किया है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा, उल्लिखित उपर्युक्त मांग के अनुरूप बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 13वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार देश में सन् 1999-2000 तक अधिकतम मांग 112000 मेगावाट होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना में करीब 38 000 मेगावाट तथा 9वीं योजना में करीब 62,000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की अन्तिम रूप से परिकल्पना की गई है। प्रतिष्ठापित क्षमता का अधिकाधिक उपयोग, विद्यमान विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, कुशल भार-प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे कुछ अन्य उपाय हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन में और सुधार होगा।

दिल्ली में रसोई गैस की एजेंसियों द्वारा गैस स्टोवों की बिक्री

9963. श्री सरफू प्रसाद सरोज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में रसोई गैस की

एजेंसियां रसोई गैस के नए उपभोक्ताओं को गैस स्टोव खुले बाजार की तुलना में अपने यहां से अधिक मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 के दौरान तेल विपणन कम्पनियों को दिल्ली में एल.पी.जी. वितरकों के विरुद्ध लगभग 84 ऐसी शिकायतें मिली थी जिनकी जांच करने पर उसमें से 13 शिकायतों को सही पाया गया। दोषी पाये गये इन वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

रसोई गैस के चूल्हों का निर्माण

9964. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस के चूल्हों का निर्माण करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या बड़ी संख्या में कम्पनियां घटिया स्तर के रसोई गैस चूल्हों का निर्माण कर रही हैं,

(ग) क्या रसोई चूल्हों के निर्माण कम्पनियों पर कोई गुणवत्ता नियन्त्रण लगाया गया है,

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार का उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो गुणवत्ता नियन्त्रण का पालन नहीं कर रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी प्रशासन योजना के अन्तर्गत एल. पी. जी. स्टोवों/बर्नरों/यन्त्रों के विनिर्माण हेतु 204 लाइसेंस जारी किये हैं। ये लाइसेंस स्वैच्छिक रूप से प्राप्त किये गये हैं।

एल. पी. जी. स्टोवों के विनिर्माण पर अनिवार्य गुणवत्ता नियन्त्रण नहीं लगाया गया है। तथापि, क्वालिटी एल. पी. जी. स्टोवों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विभाग) ने एल. पी. जी. वितरकों को केवल आई. एस. आई. मार्क वाले एल. पी. जी. वितरकों से स्टोव नहीं खरीदते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कि उनके पास आई. एस. आई. मार्क वाले स्टोव हैं, एल. पी. जी. कनेक्शन दिए जाते हैं।

मूल्य नियन्त्रण रहित औषधों के मूल्यों में वृद्धि

9965. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मूल्य नियंत्रण रहित औषधों का मूल्य 50 प्रतिशत के 300 प्रतिशत तक बढ़ गया है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधों के नाम क्या हैं और ऐसी प्रत्येक औषध का मूल्य औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1987 के लागू होने से पहले क्या था, 15 मार्च, 1990 को क्या था और प्रत्येक के मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) मूल्य नियन्त्रण-मुक्त दवाइयों के विनिर्माता मूल्यों में संशोधन करने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

(ख) ऐसे सूत्रयोगों की संख्या हजारों में होने के कारण इस कार्य में लगने वाला श्रम और श्रम प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

केरल में द्वितीय ताप विद्युत संयन्त्र की स्थापना

9966. श्री एस. कृष्ण कुमार : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में दूसरा ताप विद्युत संयन्त्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय लिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) केरल सरकार द्वारा 3000 मे.वा. की अधिकतम क्षमता का एक ताप विद्युत केन्द्र चिरक्करीमुख में केन्द्रीय क्षेत्र में लगाये जाने का प्रस्ताव किया गया है । इस समय कायमकुलम सुपर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-I (2×210 मे.वा.) का.ता.वि.नि. द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु हाथ में ले ली गई है । कायमकुलम परियोजना की अधिकतम क्षमता 2420 मे.वा. होने की प्रत्याशा की गई है ।

तेल और गैस भंडारों का पाया जाना

9967. श्री एस. कृष्ण कुमार :

श्री राजबीर सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान देश के विभिन्न भागों में पाए गए तेल और गैस भण्डारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन स्थानों पर तेल की खोज का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि. द्वारा किए गए अन्वेषात्मक सर्वेक्षणों और खोदाई के परिणामस्वरूप वर्ष 1989-90 के दौरान निम्नलिखित संरचनाओं में तेल और गैस का पता चला है—

संरचना का नाम	बेसिन	तेल/गैस
कोरियाघाट	ऊपरी असम	तेल
टेंगाघाट	ऊपरी असम	तेल
अंदादा	केम्बे	तेल/गैस
एस. डब्लू पत्तन	केम्बे	तेल
पालेज	केम्बे	तेल
लिगाला	कृष्णा कावेरी	तेल
अथिक्कयामंगलम	कावेरी	तेल
तनोट (2 और 3)	राजस्थान	तेल
बी-119	पश्चिमी अपतट	तेल/गैस
बी-118	पश्चिमी अपतट	गैस
एसडी-14	पश्चिमी अपतट	गैस
बी. के.-29ए	पश्चिमी अपतट	गैस

इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में तेल और गैस की मात्रा और इन पूलों की वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए क्लोज्ड ग्रिड भूकम्पीय सर्वेक्षण और तीव्र अन्वेषी खुदाई का कार्य जारी है।

पारेषण और वितरण संबंधी हानि

9968. श्री एस. कृष्ण कुमार :

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पारेषण और वितरण होने वाली हानि की प्रतिशतता क्या-क्या है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय औसत क्या है;

(ख) विकसित देशों में ऐसी हानियों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या पारेषण और वितरण संबंधी हानि में काफी हद तक कमी लाने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भारत में पारेषण और वितरण हानियां लगभग 22 प्रतिशत हैं। प्रत्येक राज्य की हानियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विश्व के विकसित देशों में ये हानियां 6-12% के बीच रही हैं।

(ग) हानियों को कम करने के लिए विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आपक हानियों के लिए प्रणालीगत उत्तरदायी घटकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करना, वोलटता संबंधी परिदृश्य में सुधार करने के लिए कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना, प्रणाली को सशक्त बनाने तथा पारेषण एवं वितरण प्रणालियों में सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टेम्पर प्रूफ मीटर लगाने प्रतिष्ठापित करना तथा ऊर्जा की चोरी से सम्बन्धित मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 29 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। पारेषण और हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 से एक प्रोत्साहन स्कीम लागू की गई थी।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत यूटिलिटीज अपनी पारेषण और वितरण प्रणालियों में सुधार करने और इनमें सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें बना रही हैं और सतर्कता दलों का भी गठन किया है। ऊर्जा की चोरी के लिए 1984-85, 1985-86 और 1986-87 की वर्षों के दौरान 19898 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए तथा जुर्माने के साथ दण्डित किए गए अथवा जेल भेजे गए अथवा जुर्माने के साथ-साथ जेल भी भेज गए दोनों रूप से दण्डित किए गए। वर्ष 1987-88 के दौरान ऊर्जा की चोरी के लिए मुकदमे चलाए जाने हेतु 2023 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। 29 प्रमुख शहरी क्षेत्रों के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार कर ली गई हैं तथा ये स्कीमें स्वीकृतियां/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों का वर्ष 1988-89 के लिए प्रतिशत अंतरण पारेषण एवं वितरण हानियां जिसमें चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियां शामिल है (अनन्तिम)

क्षेत्र		राज्य बिजली बोर्ड/ बिजली विभाग	प्रतिशतता
1		2	3
उत्तरी क्षेत्र	1.	हरियाणा	26·30
	2.	हिमाचल प्रदेश	19·11
	3.	जम्मू व कश्मीर	41·00
	4.	पंजाब	17·07
	5.	राजस्थान	23·70
	6.	उत्तर प्रदेश	26·45
	7.	चण्डीगढ़	15·98
	8.	डेसू	28·26

1	2		3
पश्चिमी क्षेत्र	1.	गुजरात	19·73
	2.	मध्य प्रदेश	20·34
	3.	महाराष्ट्र	14.38
	4.	दादरा और नगर हवेली	15·24
	5.	गोवा	25·37
	6.	दमन और दीव	16·38
दक्षिण क्षेत्र	1.	आंध्र प्रदेश	19·03
	2.	कर्नाटक	20·50
	3.	केरल	25·67
	4.	तमिलनाडु	18·50
	5.	लक्षद्वीप समूह	13·11
	6.	पांडिचेरी	19·32
पूर्वी क्षेत्र	1.	बिहार	21·00
	2.	उड़ीसा	24·77
	3.	सिक्किम	22·10
	4.	बंगाल	23·44
	5.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	15·54
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1.	असम	21·20
	2.	मणिपुर	21·58
	3.	मेघालय	9·60
	4.	नागालैंड	15·61
	5.	त्रिपुरा	28·50
	6.	अरुणाचल प्रदेश	23·48
	7.	मिजोरम	28·99
अखिल भारत यूटिलिटिज			21·80

बिजली घरों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

9969. श्री एस. कृष्ण कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली घरों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए राज्य क्षेत्र में बिजली घरों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत केरल में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्री तथा वायर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 1984 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्वीकृत किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 34 ताप विद्युत केन्द्रों को चुना गया है जिनमें 13475 मे.वा. की कुल क्षमता वाले 162 ताप-विद्युत उत्पादन यूनिट शामिल हैं। इस समय केरल में कोई ताप-विद्युत केन्द्र नहीं है।

विद्युत केन्द्रों के नाम एवं निहित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए चयनित ताप विद्युत केन्द्रों के नाम और विभिन्न नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को स्वीकृत अनुमानित लागत का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन/नवीकरण स्कीम	क्षमता (मे.वा.)	जोड़ (लाख रु.)	स्वीकृत अनुमानित लागत	
				सी.एल.ए.के अन्तर्गत (लाख रु.)	एस.पी./जो. आर. के अन्तर्गत (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	एनटीपीसी/बदरपुर	720	2870·60	—	2870·60
2.	डीसू/इन्द्रप्रस्थ	282·5	5380·95	2451·00	2929·95
3.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	415	6255·00	3172·00	3183·00
4.	1. फरीदाबाद	195	4200·00	2200·00	2000·00
	2. पानीपत	220	2055·00	872·00	1183·00

1	2	3	4	5	6
5.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड/पटियाला	440	4401·70	2366·00	2035·70
6.	उ. प्र. राज्य बिजली बोर्ड	2374	18330·00	10039·00	8291·00
	1. पनकी	284	3465·00	2514·00	951·00
	2. ओबरा	1550	6570·00	3830·00	2700·00
	3. हरदुआगंज	540	8295·00	3655·00	4640·00
7.	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	1562·5	6744·18	2227·77	4516·41
	1. कोरबा	540	1714·06	400·00	1314·06
	2. अमरकंटक	300	1044·98	55·03	989·95
	3. सतपुरा	722·5	3985·14	1772·74	2212·40
8.	गुजरात बिजली बोर्ड	1014	7257·98	2425·79	4832·19
	1. गांधीनगर	240	1921·47	1111·87	809·60
	2. धुवारन	534	1948·69	692·79	1255·90
	3. उकई	240	3387·82	621·13	2766·67
9.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	915	4525·05	2959·78	1565·27
	1. कोराडी	480	3329·80	1942·00	1387·80
	2. नासिक	280	847·00	721·00	126·00
	3. भुसावल	62·5	88·50	79·78	8·72
	4. पारस	92·5	259·75	217·00	42·75
10.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	742·5	8348·57	3240·57	5108·00
	1. कोथागुण्डम	680	8051·57	3240 57	4810·00
	2. रामागुडम "बी"	62·5	297·00	—	297·00
11.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	1080	9764·48	3016·78	6185·21
	1. इन्नोर	450	9081.48	3016·78	6064·70
	2. तूतीकरन	630	712·76	592·25	120·51

1	2	3	4	5	6
12.	नेवेली लिग्नाइट निगम/ नेवेली	600	4970·78	—	4970·78
13.	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड तलचेर	250	3615·58	2451·66	1163·84
14.	दामोदर घाटी निगम	1125	8870·20	3267·00	5603·20
	1. चन्द्रपुरा	780	6763·00	1853·00	4810·00
	2. बोकारो	205	1272·00	1088·00	184·00
	3. दुर्गापुर	140	835·20	226·00	609·20
15.	बिहार राज्य बिजली	763.5	6726·00	2580·93	4145·07
	1. पतरात	620	42 2·00	813·00	3449·00
	2. बारौनी	130	1946·00	1273·35	672·65
	3. कारबीगाडिया	13·5	518·00	594·58	23·42
16.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	800	5773·00	2306·82	3466·18
	1. सन्ताडिह	480	2192·00	1188·67	1003·33
	2. बान्डेल	320	3581·00	1118·15	2462·85
17.	डीपीएल/दुर्गापुर	280	3552·00	2166·00	1386·00
18.	असम राज्य बिजली बोर्ड नामरूप	111·5	810·00	246·00	564·00
	जोड़	13475·5	108325·75	45509·35	62816·40

सीएलए : केन्द्रीय ऋण सहायता

एसपी/ओआर : राज्य योजना/स्वयं के संसाधन

पश्चिमी रेलवे के अपराधियों को पकड़ना

[हिन्दी]

9970. श्रीमती अवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के वर्दी संबंधी विनियमों में यह प्रावधान है कि सभी कार्यालयों में कार्यरत चपरासियों को एक सी वर्दी सप्लाई की जाए;

(ख) क्या अन्य कार्यालयों में कार्यरत चपरासियों से भिन्न, पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक के कार्यालय में कार्यरत तथा मंडल अध्यक्षों के साथ कार्यरत चपरासियों को टैरीकाट की वर्दी दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो अन्य कार्यालयों के चपरासियों को टैरीकाट की वर्दी वितरित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम रेलवे के भंडारण विभाग के चपरासियों को वर्दी कब से नहीं दी जा रही है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक के कार्यालय में कार्यरत थोड़े से चपरासियों के मामले में, जो कार्यालय में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों आदि के निकट सम्पर्क में आते हैं, उन्हें कभी-कभी टैरीकाट की वर्दियां सप्लाई की गई थी। तथापि, मंडल मुख्यालयों में कार्यरत चपरासियों को केवल सूती वर्दियां सप्लाई की गई हैं।

(ग) रेलवे वर्दी विनियम में कार्यालयों में नियुक्त चपरासियों को केवल सूती वर्दियों की सप्लाई करने की व्यवस्था है।

(घ) सप्लाई ठेकों के विफल हो जाने के कारण 1989 और 1990 के वर्षों के लिए भंडार विभाग के चपरासियों को वर्दियों की सप्लाई में कुछ विलम्ब हुआ है। इन कर्मचारियों को वर्दियों की शीघ्र सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कपड़े की आपातिक खरीद के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

ठेकेदारों के माध्यम से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन

[अनुवाद]

9971. श्री अशोक पांजा : क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खुले मुहाने की परियोजनाओं में उसके अपने मजदूरों द्वारा तथा ठेकेदारों के माध्यम से कितने-कितने कोयले का उत्पादन किया गया ?

ऊर्जा मन्त्री तथा भारी विद्युत मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : ईस्ट कोलफील्ड्स लि. की ओपेनकास्ट खानों से हुए कोयले के उत्पादन तथा ऊपर के मलबे को हटाए जाने से सम्बन्धी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	विभागीय ओपेनकास्ट से		ऐसी ओपेनकास्ट खानें जिनका ऊपरी मलबा ठेकेदार द्वारा हटाया गया			कुल	
	खान ऊपरी मलबा (एल एम 3)	कोयला (लाख टन)	ऊपरी मलबा (एल एम 3)	कोयला ठेकेदार (लाख टन)	कोयला (विभागीय) (लाख टन)	ऊपरी मलबा (एल एम 3)	कोयला (लाख टन)
1988-89	157·96	83 35	100·97	25·36	28·60	258·93	137·31
1989-90	129·14	50·68	104 14	27·36	19·40	233·28	97·44

एल. एम. 3—लाख क्यूबिक मीटर

विमान पत्तनों का आधुनिकीकरण

9972. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री बालेश्वर यादव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमापत्तन प्राधिकरण और इलेक्ट्रानिकी विभाग के बीच मतैक्य नहीं होने के कारण देश में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए अभिप्रेत संपूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह कौन सी मुख्य समस्या है जिसके कारण विमानपत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाओं का कार्य रूका हुआ है; और

(ग) समस्या को हाल करने तथा देश में प्रमुख विमानपत्तनों का शीघ्र आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं हैं।

कोयले की ढुलाई

[हिन्दी]

9973. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

श्री जनार्दन यादव :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स (कोल इंडिया) की चित्रा कोयला-खान से बंजमिहारी साइडिंग तक कोयले की ढुलाई के लिए दिया गया ठेका मई, 1990 तक वैध था, जिसे रद्द कर दिया गया था और अक्तूबर, 1989 से ऊंची दरों पर एक नया ठेका दिया गया है जिसके कारण कंपनी को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण कंपनी को कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) मई, 1988 में 4 पार्टियों को चित्रा कोलियरी से बंजमिहारी साइडिंग तक कोयले का परिवहन किए जाने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए विभागीय पे लोडर लोडिंग के साथ 57.70 रु. प्रति टन, संविदाकर्ता के पे लोडर लोडिंग के साथ 61.60 रु. प्रति टन तथा विभागीय मैनुअल लेबर लोडिंग के साथ 59.70 रु. प्रति टन की दर से ठेके दिए गए। इसके बाद 5 और पार्टियों को अगस्त, 1988 में इसी

दर तथा इन्हीं शर्तों पर ठेके दिए गए। कोयले के परिवहन किए जाने के लिए ठेकेदारों को पंजीकृत किए जाने के संबंध में खुली निविदा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का कार्य अगस्त, 1989 में पूरा हुआ और 23 पंजीकृत ठेकेदारों का कोयले का परिवहन किए जाने की सलाह दी गई थी। यह पेशकश किए जाने के बाद पहले की इसी दर तथा इन्हीं शर्तों पर 3 और पार्टियों ने ठेके का कार्य लिया। अतः चित्रा कोलियरी से बजमिहारी साइडिंग तक कोयले का परिवहन किए जाने के ठेके का कार्य 12 पार्टियों को दिया गया।

दिनांक 28 अगस्त, 1989 को आमंत्रित की गई खुली निविदा के सम्बन्ध में 3 वर्ष की अवधि के लिए लेटर आफ इन्टेंट दिनांक 14.11.1989 को मेसर्स रूंगटा प्रोजेक्ट लि. को विभागीय लोडर लोडिंग के आधार पर 66/-रु. प्रति टन की दर पर दिया गया। इसे लेटर आफ इन्टेंट को जारी करते समय पूर्व में ठेके पर दिए कार्य की 12 पार्टियों में से 10 पार्टियां कार्यरत थीं। 10 पार्टियों में से 6 पार्टियों के वर्क-आर्डर को रद्द कर दिया गया था था : 4 स्थानांय पार्टियों को मेसर्स रूंगटा प्रोजेक्ट लि., जोकि नई निविदा के आधार पर कार्य कर रहे है, पुरानी निविदा के आधार पर साथ-साथ कार्य को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

अगस्त, 1989 में चित्रा ओपेनकास्ट माइन के उत्पादन में वृद्धि किए जाने का एक निर्णय लिया गया था और कंपनी द्वारा उपयुक्त नियत उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि समान रूप में परिवहन उपलब्ध कराई जा सके।

मेसर्स रूंगटा प्रोजेक्ट लि. ने 66/ रु. प्रति टन की दर पर दिनांक 25.10.1989 से 13.3.1990 तक कार्य किया अर्थात् 8.30 रु. प्रति टन की बढ़ी हुई दर और लगभग 21,000 टन प्रति टन दिन की प्रोसतन दर पर परिवहन किया जिसके कारण प्रतिदिन 17,430रु. का दैनिक अतिरिक्त व्यय हुआ। इस नई पार्टी द्वारा परिवहन के सम्बन्ध में किया गया अधिक व्यय कुल 20.36 लाख रु. की राशि का हुआ।

(घ) मेसर्स रूंगटा प्रोजेक्ट लि. ठेके का कार्य को दिनांक 14.3.1990 से रद्द कर दिया गया है। कोल इंडिया लि. के सतर्कता प्रभाग द्वारा मामले की प्रारम्भिक जांच की गई और यह मामला जांचाधीन है।

परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत सप्लाई

9474. श्री काशीराम राणा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत सप्लाई के बारे में कोई नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलपक्कम विद्युत केन्द्र अपने द्वारा पैदा की गई पूरी बिजली तमिलनाडु को सप्लाई करता है;

(घ) क्या ककरापार परमाणु विद्युत केन्द्र से गुजरात को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) वर्तमान में पश्चिमी विद्युत केन्द्रों से निम्नवत विद्युत का आबंटन किया जा रहा है :—

(1) क्षेत्र में समय-समय पर प्रत्येक राज्य की तात्कालिकता के आधार पर अपेक्षकताओं को पूरा करने के लिए 15% अनाबंटित विद्युत केन्द्र अपने पास रखता है;

(2) जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थित होता है 10% विद्युत उस राज्य को आबंटित की जाती है;

(3) शेष 75% विद्युत को, जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थित है उस राज्य समेत क्षेत्र के सभी भागीदार राज्यों में पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा तथा केन्द्र योजना की सहायता के अनुसार आबंटित की जाती है। कुछ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समुचित रूप से आबंटन के द्वारा भी पूरा किया जाता है।

(ग) कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन को तमिलनाडु समेत दक्षिणी क्षेत्र के सभी भागीदारों में बांट दिया है।

(घ) और (ङ) कक्रापार परमाणु विद्युत केन्द्र से गुजरात समेत भागीदार राज्यों में विद्युत का आबंटन किए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नेत्रवती नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

9975. श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नेत्रवती नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यह प्रस्ताव किस समय प्राप्त किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) नेत्रवती नदी पर सरापडी बैराज परियोजना के बारे में कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (के. पी. सी. एल.) ने जून, 1989 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस स्कीम में नेत्रावती नदी पर 10 मीटर ऊंचे बैराज तथा 40-40 मेगावाट के 3 बल्ब टाइप यूनिटों वाले भू-तल विद्युत केन्द्रों का निर्माण किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जी, नहीं।

महाराष्ट्र में एचडीपी बोरियों के निर्माता

9976. श्री बसंत साठे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र में एच डी पी बोरियों का उत्पादन करने वाले कुल कितने एकक हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है,

(ख) क्या इनमें से अधिकांश एकक गत 2-3 वर्षों के दौरान या तो कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं या बन्द हो गए रुग्ण हो गये हैं क्योंकि पटसन मिलों के हित में नीति में परिवर्तन करके उर्वरक एककों/चीनी एककों और खाद्य निगम एककों के लिए पटसन की बोरियों का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वस्त्र नीति में ऐसा समुचित संशोधन करने का है जिससे कि एचडीपी बोरी निर्माताएककों के हितों की रक्षा सुचारु रूप से हो सके और इस उद्योग में निवेश की गई धनराशि बेकार न जाये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) महाराष्ट्र में एचडीपीई बोरियों के निर्माता लघु एककों की संख्या बहुत है।

(ख) जी, हां।

(ग) कपड़ा नीति में एचडीपीई बोरियों का निर्माण नहीं आता है। किन्तु पटसन की बोरियों के प्रयोग के मामले में पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 है जो सरकार को कुछ प्रतिशत निर्धारित करने का प्राधिकार देता है। एचडीपीई बोरी एककों को उचित बाजार क्षेत्र देने हेतु इन प्रतिशतताओं में उपयुक्त संशोधन करना होगा।

नारियल उद्योग का आधुनिकीकरण

9977. श्री ए. चार्ल्स : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में नारियल उद्योग का आधुनिकीकरण करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या नारियल संबंधी वर्तमान नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामोद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) भारत सरकार का नीति कयर उद्योग को आधुनिक बनाने और उत्पादकता में सुधार करने का है। सहकारिताकरण योजना के अन्तर्गत उपकरणों के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण के लिए सहायता दी गयी है। इस समय वर्तमान नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

टायर उद्योग द्वारा दिया गया तकनीकी शुल्क

[हिन्दी]

9978. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर कंपनियों को तकनीकी शुल्क के रूप में विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में भारी राशि देनी पड़ती है,

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा शुल्क के रूप में प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जाता है, और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ग) टायर का उत्पादन करने वाली कंपनियों सहित विदेशी सहयोग अनुमोदन के किसी प्रस्ताव पर मौजूदा नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। ऐसे अनुमोदन देते समय प्रौद्योगिकी के अंतरण की आवश्यकता, अंतरण की शर्तों की उपयुक्तता, भारतीय कंपनी की प्रौद्योगिकी इत्यादि को खपाने की क्षमता की ध्यान पूर्वक समीक्षा की जाती है। विदेशी प्रौद्योगिकी पर निरन्तर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं को विकसित करने और सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय उद्योग को बढ़ावा देती रही है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय राजसहायता योजना

[अनुवाद]

9979. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में देश के पिछड़े क्षेत्रों तथा राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों के लिए कोई केन्द्रीय राजसहायता योजना शुरू की गई थी,

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का आठवीं योजना में सभी केन्द्रीय राजसहायता योजनाओं को जारी रखने की योजना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (घ) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, 1971, राजस्थान के निम्नलिखित पिछड़े जिलों पर लागू थी :—

"क" श्रेणी

1. जैसलमेर

2. सिरोही

3. बाड़मेर

4. चुरू

"ख" श्रेणी

5. अलवर

6. जोधपुर

7. भीलवाड़ा

8. नागौर

9. उदयपुर

"ग" श्रेणी

10. बांसवाड़ा

11. डूंगरपुर

12. जालोर

13. झुनझुनु

14. झालावाड़

15. सीकर

16. टोंक

यह योजना 1.10.1988 से समाप्त कर दी गई थी। तथापि, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि सरकार का ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग एककों हेतु केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना को पुनः लागू करने का विचार है।

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, कल काश्मीर के मीरवाईज मौलवी मोहम्मद फारूख (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, पहले उन्हें सदन का एक घण्टे का कीमती समय व्यर्थ करने के लिए खेद प्रकट करना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, श्री अजीत पांजा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या प्वाइंटर आफ आर्डर है ?

श्री मदन लाल खुराना : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि कल जिस समय डिप्टी स्पी. कर बैठे हुए थे, इसी मुद्दे पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं दो बातें ही कह पाया था और मेरा प्वाइंट आफ आर्डर हो हुआ था कि (व्यवधान) मेरा कहना यह है कि जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री ए. के. राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : प्र आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं क्योंकि मुझे अध्यक्ष महोदय ने बोलने की अनुमति प्रदान की है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो सोज को बोलने को कहा है। आप कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको बोलने को नहीं कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. ए. के. राय ने जो भी कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इस तरह से कार्यवाही में बाधा नहीं पहुँचा सकते।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. के. राय जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। हां, तो श्री सोज···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप, कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप को यह क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. सोज को बोलने के लिए कहा है। श्री राय आप सभी विधमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री राय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते थे जो कि वह पूछ नहीं सके। (व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मेरा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, आपको क्या हो गया है ? आप कृपया बैठ जाईए। प्रो सोज की बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोज साहब को बुलाया है। आप बैठिये।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : उन्होंने हाऊस का एक घण्टा बर्बाद किया है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रो. सोज को बोलने के लिए कहा है और वह बोलने के लिए हैं। अब आप क्यों दूसरों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री निर्मलकांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, उन्हें खेद प्रकट करना पड़ेगा, अन्यथा आप उन्हें बोलने की अनुमति न दें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आईए, प्रो. सोज की बात सुनते हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, प्रो- सोज जो कह रहे हैं, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा। मैं केवल एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, आपने प्रो. सोज को अनुमति दी है और उन्हें बोलने दीजिए। आप पहले ही उन्हें अनुमति दे चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं केवल एक प्रश्न रख रहा हूं। मैं प्रो. राय द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं। आज, यद्यपि प्रश्न काल को निलम्बित करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, तो भी सारा प्रश्न काल व्यर्थ ही गया। उसके लिए आपको भरपाई करनी होगी। सदस्य, कार्यसूची के अनुसार अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब आप उन्हें किस तरह बोलने की अनुमति दे सकते हैं? (व्यवधान)

श्री जी. एम बनातवाला : महोदय, आपने प्रो. सोज को बोलने को कहा है महोदय उन्हें बोलने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं नेताओं की बैठक बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कल मैंने नेताओं की बैठक बुलाई है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रश्न काल को इस तरह व्यर्थ गवाया जा सकता है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, क्या आपना स्थान ग्रहण करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. सोज को अनुमति दी है। आप कृपया बैठ जाईए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्या उन्होंने खेद प्रकट किया है? अगर उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया है तो उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खेद प्रकट करना या न करना प्रो. सोज पर निर्भर करता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें खेद प्रकट करना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल बाबू, कृपया बैठ जाईए।

श्री मुहम्मद शफी : महोदय, क्या हम इस सदन के सदस्य नहीं है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप कृपया बैठक जाईए। अभी मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोज साहेब को इसलिए बुलाया क्योंकि चन्द्रशेखर जी के सुझाव पर

हमको लगा कि सारा हाऊस इस राय पर सहमत है कि 1 बजे के बाद सोज साहेब जो सवाल कश्मीर के बारे में उठाना चाहते हैं, वह सवाल वह उठायेंगे और प्रधान मंत्री जी उस पर रैस्पोंड करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तब जब प्रश्न काल की कार्यवाही चलने दी जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं सदन में बोल रहा हूं। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : निर्मल बाबू जो प्वाइंट उठा रहे है कि सोज साहेब को माफी मांगनी चाहिए उसके बारे में मेरा कहना यह है कि मामला सोज साहेब पर छोड़ देता हूं कि सोज साहेब अन्तर्मुखी हो कर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव हो कर फैसला करें। यह मामला मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं। अब मैं सोज साहेब को बुला रहा हूं। मिस्टर सोज।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष सदन में बोल रहा है।

[हिन्दी]

मैं आपका रूल 350 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

[अनुवाद]

"जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो अध्यक्ष द्वारा उसका नाम पुकारा जायेगा। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह पुकारा जाये, उसी को बोलने का हक होगा।"

कृपया मुझे शान्ति पूर्वक सदन की कार्यवाही चलाने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सतोष मैं बोल रहा हूं। कृपया आप बैठिए। श्री संतोष आप एक नए सदस्य हैं। मैं आपको यह चेतावनी देता हूं कि जब मैं सदन में बोल रहा हूं तो आप खड़े न हों। मैं माननीय सदस्य श्री सोज को फिर बार दिलाना चाहूंगा कि अगर वे विभंग प्रश्न के विरुद्ध सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह श्री सोज पर निर्भर करता है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, कल··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष नहीं है। जो सदस्य बोल रहा है, उसकी बात में बाधा मत डालिए। कृपया अपनी जगह बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष, यह सदन में व्यवहार करने का शोभनीय तरीका नहीं है। कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, कल श्रीनगर मे मौलवी मीर वाईज की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। वह एक प्रसिद्ध राजनैतिक तथा धार्मिक नेता थे। प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष यह जानता है कि उनकी पूरी सुरक्षा नहीं की गई। तीन आदमी सीधे उसके ड्राईंग रुम में गए और उसे मार दिया। तब उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। शोक संतप्त लोग तथा उनके अनुयायी एक जलूस की शक्ल में उनके पार्थिक शरीर को उनके पैतृक स्थान राजौरी कदाल ले जाना चाहते थे। राज्यपाल ने कर्फ्यू लगाना उचित समझा। ऐसे समय पर कर्फ्यू कैसे लगाया जा सकता है। (व्यवधान) कर्फ्यू उल्लंघन की आड़ में अर्ध सैनिक बलों ने शोक प्रकट करने वालों पर गोली चलाई और 27 लोग वहीं पर ही मारे गए जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल हैं। परन्तु कल रात्रि 11.00 बजे तक 60वां व्यक्ति अस्पताल में मर चुका था। कल 6.00 बजे तक 60 लोग मारे जा चुके थे और 300 लोग जख्मी थे। सभी निचले क्षेत्रों मे कर्फ्यू लगा दिया गया है। बी. बी. सी. तथा अन्य ऐजेन्सियों के अनुसार इससे भी अधिक लोग मारे गए हैं। इसलिए मैं यह मामला सदन में उठाना चाहता हूं और यह बड़े दुख की बात कि यह सदन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा। अन्त मे मुझे आपके पास ही जाना है। अन्यथा, मैं और कहां जा सकता हूं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, सदन इस विषय में काफी चिंतित है। इसीलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, उन्हें मेरे दुख में शरीक होना चाहिए। मैं सदन के बीचों-बीच कभी नहीं गया क्योंकि यह शोभनीय नहीं है। परन्तु कश्मीर की परिस्थितियां ऐसी है कि वह जल रहा है। वहां पर मौत और विनाश की सी स्थिति है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाना चाहता हूं* कि कश्मीर में वही कर रहा जो श्री टिक्का खान ने बंगला देश में भी नहीं किया था।

महोदय, आप उनकी तुलना हिटलर से कर सकते हैं। मैं प्रधानमन्त्री के समक्ष यह मामला उठाना चाहता हूं*...काश्मीर को भारत की एक कालोनी समझ रहे हैं। क्या आप ऐसा होने देंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाम मत लीजिए। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। श्री सोज, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अपने सैनिक बलों द्वारा कल और इससे पहले शोक व्यक्त करने वाले निर्दोष लोगों पर गोली चलाने की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक अथवा उससे अधिक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन करने की पहल करें।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने तथा जगमोहन और उनके बलों द्वारा किए गए अत्याचारों को जानने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय शिष्ट मण्डल वहां भेजने की पहल करें। उन्हें खड़े होकर मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी हो लें। मैंने श्री आडवाणी को बुलाया है।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : काश्मीर की समस्या ज्वलंत समस्या है। यह आपकी देन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ बाबू।

श्री सोज, आपको सभा में शोभनीय आचरण करना चाहिए।

श्री बिपलब बाबू अपनी जगह पर बैठ जाइए। क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

श्री एस. एम. कृष्ण कुमार (विलोन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : आपने कहा है कि श्री सोज के बाद प्रधान मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप श्री आडवाणी को हस्तक्षेप करने की अनुमति किस प्रकार दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद शफी : आपने प्राइम-मिनिस्टर को बोलने के लिए कहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं मैंने सोज को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठे जाइए। यह कोई तरीका नहीं है। मैंने श्री सोज को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी[

प्रो. सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसका डाल्यूशन हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी : प्राइम-मिनिस्टर साहब को बुलाइए, आडवाणी साहब इस बारे में हमको क्या बताएंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आडवाणी जी के बाद साठे जी को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, उस दोपहर को यह खबर यहां पर पहुंची कि मौलवी फारुक साहब की हत्या हो गई है, तो इस सदन में सभी को बहुत अफसोस हुआ। जो मौलवी फारुक साहब के विचारों से सहमत नहीं थे, उनको भी लगा कि हत्यारे यहां तक पहुंच गए कि एक धार्मिक नेता, जिसकी वहां पर लोग बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, उसको घर में जाकर 3 लोगों ने इस प्रकार से मार दिया। मेरी जानकारी में यद्यपि यह बात साफ थी कि जो उग्रवादी थे, उन्होंने हत्या की और जिसका जिक्र कल गृह मंत्री जी ने सदन में किया।

मेरी जानकारी में श्रीनगर में इस हत्या के थोड़ी देर बाद इन उग्रवादियों में से कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि सी आर पी एफ के लोगों ने मौलवी साहब की हत्या कर डाली है और कि सी. आर. पी. एफ. के लोगों ने मौलवी साहब की हत्या कर डाली है और उसी के कारण श्रीनगर में ऐसी स्थिति पैदा हुई। यह मेरा अनुमान है, पूरे तथ्य प्रधान मंत्री और गृह मंत्री देंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसी के कारण, स्थिति को नोटिस में लेकर वहां के गवर्नर को कर्फ्यू लगाना पड़ा। मैं मानता हूं कि उन्होंने सही कदम उठाया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अधिकार है। उनको भी बोलने का अधिकार है।

श्री मोहम्मद शफी : क्या वह सरकार की ओर से बोल रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सोज साहब ने अपने भाषण में सारी बातें कहीं, लेकिन उन तीन हजारों की भी हत्यारा नहीं कहा, उग्रवादी नहीं कहा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : वह अपनी बात मुझसे कहलवाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद शफी : अखबारों से पता चला है कि मरने वाले मौलाना फारुख की लड़की ने कहा कि कश्मीरियों ने उन्हें नहीं मारा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं बड़े ध्यान से सोज साहब का भाषण सुन रहा था। मैं सोचता था कि इस बात का जिक्र वे स्वयं करेंगे कि जो अफवाह फैल गयी है कि सी. आर. पी. एफ. के लोगों ने हत्या की है। तो उसके कारण वहां पर आग लग सकती थी। इस कारण राज्यपाल ने फैसला किया है कि वहां पर कर्फ्यू लगाया जाए। यह उचित फैसला किया सही फैसला किया।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : वहां पर लोग मर रहे हैं और आप तालियां बजा रहे हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सैफुद्दीन सोज, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। सभा में प्रत्येक सदस्य को बोलने की स्वतन्त्रता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अपनी जगह पर बैठने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। आप आदेश नहीं दे सकते। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि जब किसी दुःखद घटना के बारे में सदन में मैम्बरान जिक्र कर रहे हैं तो किसी को भी ताली नहीं बजानी चाहिए : जिसने भी ताली बजायी, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

12.30 म. प.

इस समय श्री मोहम्मद शफी सभा भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

इस समय प्रो. सैफुद्दीन सोज आए और सभा पटल के निकट बायें पर बैठ गए.

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बशीर मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। अध्यक्ष····मैं इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं,। आप अध्यक्ष को आदेश नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, आप मुझे इस प्रकार मत बताइये। अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस प्रकार आदेश नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

उसके बाद में साठे साहब को बुलाऊंगा फिर चौधरी साहब को और उसके बाद प्रधान मंत्री जी को।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) नियम 352 के अन्तर्गत आप किसी सदस्य के विरुद्ध अपमान जनक टिप्पणी नहीं कर सकते। यह टिप्पणी की गयी है कि नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्य, जो इस मामले को उठा रहे हैं, वह पाकिस्तानी हैं। यह एक आरोप है (व्यवधान)

आपको यह कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ?

12.33 म. प.

इस समय प्रो. सैफुद्दीन सोज अपने स्थान पर वापस चले गये।

(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं श्री सोज की बात का जवाब दूंगा। तदोपरान्त जैसा आप कहेंगे मैं अपनी टिप्पणी करूंगा। क्या मैं कह सकता हूं कि नेशनल कांफ्रेंस एक राष्ट्रवादी ताकत है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ? अपनी जगह पर बैठ जाइए। प्रधान मन्त्री बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कम से कम प्रधान मंत्री का सम्मान करना चाहिए। [हिन्दी] आप फिर खड़े हो गये, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नेशनल कांफ्रेंस के बारे में हमारा बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि कि यह एक राष्ट्रवादी ताकत है। किसी सदस्य तथा उनकी देशभक्ति के संबंध में हमें कोई संदेह नहीं है। इस समय वे हमारे साथ हैं। इसके बारे में कोई शक नहीं है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो शब्द मैं प्रयोग करता हूं उसके प्रति मैं बहुत सचेत हूं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मुझे विश्वास है कि आप प्रधान मन्त्री की इस बात से सहमत हूं कि यहां का प्रत्येक व्यक्ति देश भक्त है। (व्यवधान)..... आप अपने शब्दों से क्षमा मांगने के लिए कह सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ? मैंने श्री कुरियन को नहीं बल्कि श्री आडवाणी को बुलाया है। वह अपनी जगह पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, कल की घटनाओं का हम जिक्र कर रहे थे और मैं समझता हूं कि यदि उग्रवादी किसी की हत्या करे या पुलिस की गोलियों से उसकी मृत्यु हो जाये तो

यह अफसोस की बात है, दुःख की बात है। इस संबंध में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं। इसलिए कल की घटनाओं से··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : आप अपने सदस्यों से क्षमा मांगने के लिए कहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं है ····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपनी जगह पर बैठ जाइये। मैंने श्री आडवाणी को बुलाया है। उनकी बात सम्मान और धैर्य के साथ सुनी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि श्री आडवाणी की बात धैर्य और सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरों की बात भी इसी प्रकार सुनी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए उनके मन में सम्मान है और आपको भी उन्हें सम्मान देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये क्या आप चाहते हैं कि श्री साठे के बोलते समय भी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चाल्र्स जी मैंने आपको अनुमति नहीं दी है : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। जब अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं तो आप आदतन खड़े हो रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री ए. चाल्र्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहूँगा कि इस सभा में क्या कोई माननीय सदस्य का पात्र है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ यह कहा कि जब आप अन्य सदस्यों के भाषण को शान्ति पूर्वक सुनेंगे तो आपकी बात भी शान्ति पूर्वक सुनी जायगी और आपको अन्य सदस्यों द्वारा सम्मान मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री के इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस सदन के सभी सदस्य सम्मानित सदस्य हैं जिनकी देशभक्ति पर किसी को प्रश्नचिह्न करना उचित नहीं है। मैं इसलिए सोज साहब से निवेदन करूंगा कि ·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस मामलों में नहीं जाना चाहता हूं कि आज यहां पर इतनी ज्यादा उत्तेजना क्यों हुई ? आज अगर यहां पर किसी ने आग्रह किया कि सोज साहब पहले अपोलोजाईज करें। उसके बाद बोलें, वह गलत था। गलत इसलिए था कि यहां पर अध्यक्ष जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 12.0 बजे सोज साहब बोलेंगे। लेकिन आपको भी उस बात को स्वीकार करना चाहिए था ··(व्यवधान)—इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए था कि इस सदन में सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का एक मूलभूत अधिकार प्राप्त है और दो दिनों से लगातार इस अधिकार को छीना जा रहा है और किसी न किसी बहाने इस हाउस में क्वैश्चन-आवर को नहीं होने दिया जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) सभा के समक्ष यह मुद्दा है कि अभी कश्मीर में क्या हो रहा है। इस मुद्दे पर सिर्फ प्रो. सोज को बोलने की अनुमति दी गयी थी। (व्यवधान) श्री आडवाणी जी ने बोलना चाहा और आपने उन्हें सिर्फ इस मुद्दे पर ही बोलने की अनुमति दी। अब वे इस मुद्दे से हटकर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे मुझे देखना है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : अब वे प्रश्न काल की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं·····

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इस बात पर आ रहा हूं। वे पुनः उसी बात को कह रहे हैं कि प्रश्न पूछने के मौलिक अधिकार से सदस्यों को वंचित कर दिया गया है।

महोदय, हमें नियम 388 के अन्तर्गत नियम को निलम्बित करने का अधिकार है क्योंकि पूरा देश हरियाणा के मुद्दे पर उत्तेजित हो रहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं बैठिये कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस सदन के किसी सम्माननीय सदस्य को पाकिस्तानी आदि कहना बहुत गलत बात है···(व्यवधान)··· अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मैं चाहूंगा कि आप उसे कार्यवाही में से निकाल दें, एक्सपंज कर दें।

अध्यक्ष महोदय : वह तो जाहिर है कि निकाला जाएगा। कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं कह सकता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सम्भव है किसी ने बीच में ऐसा कहा होगा लेकिन सोज साहब का सारे सदन ने अपने कानों से यह कहते सुना कि हिन्दुस्तान के श्रीनगर में, हमारी अस्मिता के, हमारी सोवरैनिटी के प्रतिनिधि के रूप में, जो भी शासनतंत्र है, सरकार है, जो वहां इस बात को प्रस्थापित कर रहे हैं, उस राज्यपाल के लिये उन्होंने टिक्का खां कहा, यह बड़ी गलत चीज है। (व्यवधान) आप बोलिए, आप बताइए, उस पर किसी ऊपर के हमारे साथी ने कुछ बोला ··(व्यवधान) - वहां आज पूरे हिन्दुस्तान की अस्मिता दांव पर लगी हुई है और ये उन्हें टिक्का खां कहते हैं, बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान) उनके संबंध में यदि माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव सदन में लाते कि राज्यपाल को वहां से रिकॉल किया जाए···(व्यवधान)···

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं आपको बताऊंगा बाद में। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बिना किसी नियम के, राज्यपाल को या किसी को ऐसा कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हर चीज के लिए नियम बने हुए हैं। (व्यवधान) आप हिन्दुस्तान के, श्रीनगर के राज्यपाल के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करें, यह कितने अफसोस की बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : कश्मीर में नरसंहार हो रहा है। इसके लिए राज्यपाल जिम्मेदार है। उन्हें हटाया जाना चाहिये। मैं सभा के बहिर्गमन कर रहा हूं।

12.45 म. प.

तत्पश्चात प्रो. सैफुद्दीन सोज सभा-भवन से बाहर चले गये।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मौलवी फारुक की हत्या, यह बहुत गम्भीर बात है। मैं, तो अपने इन सोज साहब और नेशनल कान्फ्रेंस के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वे आ जाएं, बहस में भाग लें। आएं नहीं। (व्यवधान)

आप सही बात को तो सही कहें। अगर मेरे किसी व्यक्ति ने उनको पाकिस्तानी कहा है, तो गलत कहा है। इसी प्रकार से आपको भी कहना चाहिए कि वहां राज्यपाल को टिक्का खां कहना गलत है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कुमार मंगलम जी, कश्मीर के मामले में हम एक दूसरे से राजनीति न खेलें, जो बात गलत है, वह गलत है, कश्मीर और देश की एकता।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार मंगलम : उन्होंने आरोप लगाया है। इसके लिये मुझे कठोर बनना पड़ेगा। उन्होंने मेरा नाम लिया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समाप्त करता हूं अपनी बात, क्योंकि मुझे लगता है कि कल और आज, या एक प्रकार से शुक्रवार से लेकर लगातार इस सदन में जिस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, (व्यवधान)

देखिए मौलवी फारुक की हत्या या मेहम का प्रकरण, ये तो बहाने मात्र हैं। असली उद्देश्य संसद की संस्था को खत्म करना है। (व्यवधान)

आज हरेक को पता है, कांग्रेस के मेरे मित्रों को भी पता है कि संसद के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने हैं। लोकपाल विधेयक, प्रसार भारती विधेयक आना है। दिल्ली को राज्य दर्जा दिये जाने का विधेयक आना है। ये चाहते हैं कि कोई विधेयक यहां प्रस्तुत न हो सके, पास न हो सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : भूमि सुधार के सम्बन्ध में संविधान (संशोधन) विधेयक समेत।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : भूमि सुधार के बारे में हम कुछ कानून लाना चाहते हैं। भूमि सुधार के वे कानून भी ये पास नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री वी. एन. गाडगिल (पुणे) : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं बैठ रहा हूं ताकि श्री गाडगिल अपनी बात कह सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप इस प्रकार से चुप नहीं हो सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं इसमें चुप होने की क्या बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गाडगिल जी, क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री वी. एन. गाडगिल : महोदय, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नव निर्माण आंदोलन के समय 1974 में उन्होंने क्या किया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैंने उनके लिए अपनी बात समाप्त की है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आपने मुझे बुलाया लेकिन मुझे चुप रहने का अधिकार है।.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, कृपा करके आप बतायेंगे कि आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : मुझे चुप रहने का अधिकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। कुरियन जी, मुझ से झगड़ा मत कीजिए। आपने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है और मैंने आपको बुलाया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं एक माननीय वरिष्ठ सदस्य के लिए चुप हो गया हूं। ताकि वह अपनी बात कह सकें।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का कोई नियम नहीं है कि आप दूसरों के लिए व्यवस्था के प्रश्न पर चुप हो जायें। आप कहिए आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे कुरियन : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य प्रो. सोज जी ने कश्मीर में हो रही हत्याओं का मुद्दा उठाया जिस पर कि हम सभी चिन्तित हैं और प्रधान मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया। आपने श्री आडवाणी जी को सिर्फ उस विषय के बारे में बोलने की अनुमति दी थी..... (व्यवधान) लेकिन वे अपने विषय से हट गये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा को मुझे चलाना है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : अपने विषय से हटकर उन्होंने हमारे विरुद्ध आरोप लगाया... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : कश्मीर का मुद्दा उठाने के हमारे उद्देश्य पर उन्होंने संदेह किया है। पूरी गम्भीरता पूर्वक हमने यह मुद्दा उठाया और हम सब इसके प्रति चिन्तित थे, लेकिन वे कहते

हैं कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है (व्यवधान) उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। आप उनसे इसे वापस लेने के लिए कहिए। हमारे उद्देश्यों पर वे संदेह कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री बबनराव ढाकणे (बीड) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन का काम-काज आपके हुकुमत से चलता है और हम देख रहे हैं कि आप इस सदन के कुछ नियम और परम्पराओं को सामने रखकर काम-काज चला रहे हैं। इस वजह से जब आप बोलने का मौका देते हैं हम उसी समय खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। लेकिन दो दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत से सीनियर सदस्य इस सदन के नियम और परम्परा तोड़कर इस सदन में बात कर रहे हैं। आप जिसको बोलने का मौका देते हैं उसको बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप पाइन्ट आफ आर्डर बोलिए।

श्री बबनराव ढाकणे : मैं उसी के बारे में डेवलप कर रहा हूं। जब प्रधान मंत्री या सीनियर सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है तो यह जिम्मेदारी ओपोजीशन के मेम्बर्स की है कि उसको सुनें और बोलने का मौका दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां सब विद्याहीन हो रहे हैं और कुछ देख नहीं रहे हैं। (व्यवधान) हमें भी बोलने का मौका देना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो इन्हें हमें भी जिम्मेदारी से सुनना चाहिए। लेकिन ये बोलने नहीं देते हैं। इसके बारे में कोई नियम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ सहमत हूं लेकिन इसमें कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं बहुत बोलना नहीं चाहता हूं सिवाए इसके कि मुझे खुशी हुई जब प्रात: काल आपने हमारे किसी साथी को इधर से या उधर से कहा कि अगर आप व्यवस्था नहीं रखेंगे और मेरे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ आपको नेम करूंगा, आपको सदन से बाहर कर दूंगा। मुझे बहुत खुशी है। मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 दिनों की कार्यवाही को देख करके अगर हम सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहते हैं तो आपको इस अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा—(व्यवधान)—मैं इतना जानता हूं कि सदन की कार्रवाई को बिगड़ने के लिये 10 लोग भी काफी हैं, यहां तो 190 हैं—(व्यवधान)—मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 दिनों में जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को देखा होगा, उनको पहचान हो गई है कि सदन को बदनाम करने के लिये उन्होंने यहां शोर-शराबा किया। जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जब इस काम को इनक्वायरी करने के लिये नियुक्त हो गया है और उस पर बहुत सी कार्रवाई हो गयी है तो ठंडे हो गये। इनको तो कोई बहाना मिलना चाहिये। कभी तो नेशनल कांफ्रेंस को आगे करके इस सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देते और क्वश्चन आवर नहीं होने देते। ये सब तय करके पहले से ही आते हैं। आप जो इस सदन के संरक्षक हैं और हमारे राइट्स के कस्टोडियन हैं, हम चाहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि कल से क्वश्चन आवर ठीक प्रकार से चले। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या पार्सल एलीगेशन है ?

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने आपका नाम लिया है ?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : जी हां, उन्होंने विशेषरूप से मेरा नाम लिया है । श्री आडवाणी जी ने विशेष रूप से मेरा नाम लिया और कहा कि मैं कश्मीर में राजनीतिक चाल चल रहा हूं । मैं समझता हूं यह (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम जी आप अपनी बात कहिए ।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं नहीं कह सकता हूं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने नाम लिया था ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है ।

[अनुवाद]

"कश्मीर में राजनीति चाल मत चलिए ।"

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : उन्होंने मेरा नाम लिया ।

मैंने यह सब सभा के ध्यान में यह बात लाने के लिए किया कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को, जो नेशनल कांफ्रेंस से संबंध रखते हैं, पाकिस्तानी कहा गया था और मैंने कहा कि यह गलत है और इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए । मेरी बातों से सहमत हो कर माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इस सभा के किसी भी सदस्य को उसकी राष्ट्रनिष्ठा के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है । श्री आडवाणी जी भी उनसे सहमत हो गये । मुझे आश्चर्य है कि ऐसा कह कर क्यों उन्होंने अनावश्यक रूप से आरोप लगाया कि अक्सर कश्मीर में हम राजनीति चाल चलते रहते हैं । कश्मीर का मुद्दा बहुत ही गंभीर है । हम इस बात से चिन्तित हैं क्योंकि एक बोक्स बाम्ब पर गोली चलायी गयी थी और कफ्यू घोषित कर दिया गया था । यह एक गम्भीर बात है । मैं समझता हूं कि इस सभा में हर किसी को इस बात का उल्लेख करने का अधिकार है कि जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है, राज्यपाल शासन लागू है, इस प्रकार का कार्य कुमार्गपूर्ण है क्योंकि बाहर मरने वाले लोग मर रहे हैं और वह भी एक या दो नहीं बल्कि 12,000 लोगों में से 90 लोग मर रहे हैं । मैं समझता हूं उन्हें अपना वापस लेना चाहिए । यह सच नहीं है कि हम राजनीतिक चाल चल रहे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मुझे एक मिनट दे दीजिये, मुझे एक निवेदन करना है। क्योंकि इन्होंने हमारे साथियों पर चार्ज लगाया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे (वर्धा) : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ। अगर उनका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो वह बीच में नहीं बोल सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इन्होंने चार्ज यह लगाया है कि हमारे कुछ साथियों ने मोजूदा सदन को पाकिस्तानी कहा—(व्यवधान)—आप मेरी बात सुन लीजिए—(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चाल्सं, आप कृपया अपनी जगह पर बैठिए। श्री साठे, आप उन्हें बताएं कि इस प्रकार से व्यवहार करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, यह बहुत खेदजनक स्थिति है आखिरकार···(व्यवधान)

1.00 म प.

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रो. सोज ने कश्मीर का मसला उठाकर सही कार्य किया है और माननीय प्रधानमंत्री ने भी उस विशिष्ट मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। हम सब इससे सहमत हैं। हम सब, जो यहां है, इसके प्रति बहुत गम्भीर हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को भी किसी अन्य की देश भक्ति, या संसद अथवा देश के प्रति उसकी कर्तव्य भावना पर संदेह नहीं करना चाहिए।

हमारे सामने मुद्दा कश्मीर का है जहां एक महत्वपूर्ण नेता को उसके घर में ही गोली मार दी गई और उनकी रक्षा नहीं की गई। क्या आज हम ऐसी स्थिति में है, क्या हम ऐसी अवस्था में पहुँच गए हैं कि चुनावों में प्रत्याशियों, कश्मीर के मौलवी फारूक, जैसे महत्वपूर्ण नेता के बारे में किसी भी गृह मन्त्री या किसी अधिकारी द्वारा यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने सुरक्षा की मांग नहीं की थी ? कृपया इस पर ध्यान दें। इस बारे में यह तर्क दिया गया है कि प्रत्याशियों ने सुरक्षा की मांग नहीं की थी। पर्याप्त सुरक्षा थी। जो सुरक्षा दी गई थी उसे चाहे के लिए वह दिया गया था।

यहां यह कहा गया है कि चूंकि मौलवी फारूक ने सुरक्षा की मांग नहीं की थी, इसलिए

उन्हें सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए और लोगों को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे उनके घर में घुसकर मार डालें। केवल यही नहीं। अब, मैं यह जानना चाहूँगा : "क्या सरकार की ओर से श्री आडवाणी गृह मन्त्री की भूमिका निभा रहे हैं ?"

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : आप उनका अपमान कर रहे हैं। "प्रधान मंत्री" कहिए। कृपया अपनी बात में सुधार करें।

श्री बसंत साठे : मैं हैरान हूं। मैं हैरान हूं कि कश्मीर में क्या हुआ था। यदि मौलवी फारूख, जो कश्मीर के जाने माने धार्मिक नेता है, को दिन दहाड़े कायरतापूर्ण और नृशंस तरीके से गोली मारी जाती है, तो क्या होगा ? इस सरकार ने—मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि इसका प्रभारी कौन है—शोक मनाने वाले व्यक्तियों पर कर्फ्यू लगा दिया है। क्या इससे भी अधिक बदतर और शर्मनाक बात कोई हो सकती है ? केवल यही नहीं। मैं मुफ्ती साहिब से यह जानना चाहूँगा वे एक धार्मिक मुसलमान है—कि जब शोक मनाने वाले व्यक्ति जुलूस में जा रहे हों तो क्या उन पर कर्फ्यू लगा देंगे ? क्या आप उन पर कर्फ्यू लगाकर उन शोक मनाने वाले व्यक्तियों पर गोली चलायेंगे ?

श्री एम. ओ. अकबर (किशनगंज) : मृत शरीरों पर तथा ताबूतों पर गोली।

श्री बसंत साठे : क्या अब देश में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं रहनी चाहिए ? आप कहते हैं कि आप कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कश्मीर घाटी के लोगों को मुख्यधारा में लाने का यह तरीका है ? क्या हम इस स्थिति पर आ रहे हैं ? जब ऐसा मुद्दा उठाया जाता है, तो इस पर गम्भीरता से विचार करने के बजाए, आप उनके विरुद्ध हैं, अपने सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाते हैं।

यह अच्छा है कि आडवाणी जी ने कहा है कि जो भी यह करता है। वह गलत है। मैं प्रधान मन्त्री को भी अवश्य धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तुरन्त इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को दलगत दृष्टिकोण से न देखे लेकिन यह हैरानी की बात है कि राष्ट्रीय दल, माफ कीजिये, राष्ट्रीय मोर्चे के कुछ सदस्य··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीय साम्प्रदायिक दल।

श्री बसंत साठे : वे संसद में, खुले-आम कुछ सदस्यों के विरुद्ध, वे सदस्य जिनकी जान को खतरा है, आरोप लगाते हैं। ये सदस्य भारत की राष्ट्रीयता के लिए अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के. मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बसंत साठे : महोदय, जब तक वे नियम नहीं बताएंगे, मैं नहीं बैठूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चण्डेलवाल, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री के. मानवेन्द्र सिंह : कांग्रेस के सदस्यों ने अभी इस सदन में राष्ट्रीय मोर्चे को कम्युनल

माइन्डेड कह कर पुकारा। इनसे पूछा जाए कि कम्युनल कौन है ? राष्ट्रीय मोर्चे को अभी इन्होंने कम्युनल कहा है, इसकी कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री गंगाचरण लोधी (हमीरपुर) : राष्ट्रीय मोर्चे के किसी भी सदस्य ने लोन साहेब को पाकिस्तानी एजेंट नहीं कहा।

श्री के. मानवेन्द्र सिंह : सर, इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री बसंत साठे : इससे बड़ा देशभक्ति और राष्ट्रीयता का सबूत क्या हो सकता है ? दो सदस्य, हमारे साथी, जो भारत की एकता और अखण्डता के पक्ष में राष्ट्रीय रुख अपनाकर अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं, और कोई व्यक्ति अपने घटियापन में यह कहता है कि वे पाकिस्तानी हैं (व्यवधान)। भारत के राष्ट्रवाद की इससे अधिक बेइज्जती नहीं हो सकती। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, कृपया समाप्त कर।

श्री बसंत साठे : मैं समाप्त करूंगा। आज देश बहुत ही गम्भीर स्थिति में है। प्रधानमंत्री की केवल हरियाणा में ही नहीं अपितु अब कश्मीर में भी हत्या हो रही है। और, इसलिए, मैं सोचता हूं कि इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि ऐसे मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो आप किस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ? यह आरोप लगाना कि हम कार्यवाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक घटिया प्रयास है, यह कुछ विशेष लक्ष्यों के विरुद्ध एक प्रकार का गैर-जिम्मेदारी का आरोप लगाना है। (व्यवधान) इसलिए, महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं, कि कृपया प्रो. मोज द्वारा प्रस्तुत किया स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी और प्रधान मंत्री, दोनों ने कहा है कि वे उतने ही देश-भक्त हैं जितना कोई अन्य है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मोरवंज मोरवी कांड की कायरता पूर्ण की गई हत्या पर कल पूरे सदन ने चिन्ता और दुःख प्रकट किया था। हमें सबसे अधिक चिन्ता इस बात की है कि न केवल एक कीमती जान का नुकसान हुआ है अपितु उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। हम सबने देख लिया है कि कश्मीर घाटी में क्या हो सकता है। हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है किन्तु

हमें कहीं न कहीं एक रेखा खींचनी है, तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर सोचना है ताकि कश्मीर में विद्यमान ऐसी स्थिति का मुकाबला किया जा सके।

आप जानते हैं कि आरम्भ में हमारे दल ने श्री जगमोहन को राज्यपाल बनाये जाने का विरोध किया था। किन्तु हमने श्री जगमोहन को हटाने पर जोर नहीं दिया था ताकि स्थिति खराब न हो जाए। हम यह भी चाहते थे कि हममें से कोई भी राज्यपाल की नियुक्ति को साम्प्रदायिक रंग न देने पाये। किन्तु देश में कुछ आवाजें सुनाई दी थीं कि वह हमारे साथ है; उससे भी स्थिति सुधारने में कोई मदद नहीं मिली। जब मौलवी फारुख की हत्या कर दी गई तो लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जुलूस निकाला था। अब उस जुलूस में शामिल लोगों की हत्या भी एक प्रकार का धक्का है और इससे लोगों में पृथक्करण की भावना और बढ़ है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी है। सदन में दो बार हस्तक्षेप करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में था। उन्होंने यह कहा कि वे अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि एक दल के रूप में नेशनल कांफ्रेंस राष्ट्र-विरोधी दल नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणी काफी उत्साहवर्धक है। एक या दो या तीन सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्र-विरोधी गुट से जोड़ा जा सकता है, शायद उनका ऐसा कोई सम्बन्ध हो, मैं नहीं जानता। इस संबंध में जांच की जा सकती है। किन्तु आपको कश्मीर के लोगों के दिमाग से इस प्रकार का डर हटाने के लिए यह बताना होगा कि शोक मनाने वाले व्यक्तियों पर सुरक्षा दलों को गोलियां क्यों चलानी पड़ी थीं। हमें बाहर लोगों को एक अच्छा संकेत देना है। कभी-कभी यहां को हमारी चर्चा से लोगों को खराब संकेत भी मिलते हैं। हम कश्मीर घाटी में हो रही गतिविधियों के बारे में कुछ भी कह सकते हैं—पाकिस्तानी षड्यन्त्र, पृथक्करण, राष्ट्र-विरोधी तत्व, इत्यादि। हमारी सलाहकार समिति काफी कार्य कर रही है। जब हमने पिछली 12, 13 और 14 तारीख को वहां का दौरा किया था तो हम सब पूर्ण रूप से सहमत थे कि कश्मीर में साम्प्रदायिकता नहीं है। भगवान के लिए, स्थिति को साम्प्रदायिक बनाने की कोशिश मत कीजिए। तब हमारे लिए चर्चा में भाग लेना और किसी प्रकार का सुझाव देना बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक गम्भीर विषय है। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इसका ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि लोगों के मन में शोक मनाने वाले व्यक्तियों पर गोली चलाने और उनकी हत्या किए जाने संबंधी जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर किया जाए और यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे स्थिति को समझने में कुछ समय लगता है। इतने समय पश्चात् मैं अब आपको समझ चुका हूं। यदि मैं गलत हूं तो आप मेरी गलती बता सकते हैं। इस समय हम यह चर्चा श्री. सैफुद्दीन सोज के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के समर्थन और विरोध में कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कल जो दुःखद और भर्त्सना पूर्ण घटनायें हुई हैं, उनके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं, क्योंकि हमारे साथ समस्या यह है कि हमारे पास प्रेस रिपोर्टों और सदन में श्री. सैफुद्दीन सोज द्वारा दिये गये वक्तव्य के अलावा और कोई सूचना नहीं है और इन्हें अन्तिम सत्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। मैं श्री सोज की भावनाओं का सम्मान करता हूं। अतएव मेरा ऐसा मानना है कि इस विषय पर चर्चा से पूर्व हमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी सुनना चाहिए कल जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सरकारी दृष्टिकोण को अभी तक हमने नहीं सुना है।..... (व्यवधान)...आप चाहें उसके टुकड़े करें, चाहे उस पर विश्वास या अविश्वास करें, जो चाहें आप करें। लेकिन क्या सरकार को इस सदन में वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है? कल सभा स्थगित होने से पूर्व गृह मंत्री ने सभा में यह कहा था कि 4.00 म. प. पर वह एक विस्तृत वक्तव्य देंगे; यह

इस कारण नहीं हो सका क्योंकि सदन को स्थगित कर दिया गया था। कल 4.00 म. प. के पश्चात् श्रीनगर में भी बहुत सी घटनायें हुई हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकार अब इस स्थिति में है कि जो भी तथ्य उनके पास हैं उन्हें सदन के सम्मुख रख सके। अतः हमें सरकार के अधिकारिक वक्तव्य की जानकारी होनी चाहिए और केवल प्रेस रिपोर्ट और श्री सोज के वक्तव्य को ही सही नहीं मान लेना चाहिए। उसके पश्चात् इस पर चर्चा की जानी चाहिये। मैं चर्चा के पक्ष में हूं क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ है, उसकी निश्चित रूप से भर्त्सना की जानी चाहिए। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। और इसके लिए कौन उत्तरदायी है, दोषी का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिये इन बातों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। हम चर्चा कर सकते हैं, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिये। हम पहले ही बिना कोई कार्य किये आज ढाई घण्टे बरबाद कर चुके हैं। मैं कोई दोष नहीं लगाना चाहता हूं। पहली बार ही सदन में ऐसा घटा हो रही है। हालांकि कई बार प्रश्न काल को स्थगित किया गया है। लेकिन आज इसे स्थगित ही नहीं किया गया बल्कि इसे उड़ा दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा तो कल भी हुआ था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे उड़ा ही दिया गया था। और जब हम यह कहते हैं कि सदस्यों को सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार है तो लोग हमारा उपहास करते हैं। अब इन बातों की कोई परवाह ही नहीं करता... (व्यवधान)...बहरहाल, जो भी हो गया, वह हो गया और हमारा समय नष्ट किया गया है। (व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : आपने भी ऐसा ही किया है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आपने सुनने से इन्कार कर दिया।... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, हम ही दोषी हैं।... (व्यवधान) हमने गलत परम्परा डाली है·· (व्यवधान)

अतः मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस चर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकलना है, जिसमें हम सब की रुचि है, हमें पहले सरकारी पक्ष को सुनना चाहिए। मैं नहीं समझता कि 11.00 म. पू. से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मात्र हमें देखने के लिए यहां बैठे हैं और हमारे बोचारोपण को सुनने के लिए बैठे हैं। वे यहां सरकार की ओर से बोलने के लिए आये हैं। उन्हें बोलने की और वक्तव्य देने की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें गृह मंत्री की बात सुननी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री मधु दंडवते) : श्री इन्द्रजीत गुप्त, आपका धन्यवाद।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

1.18 अ. प.

21 मई 1990 को श्रीनगर में मौलवी फारूक की हत्या

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय मैं, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को कश्मीर के मीरवाइज मौलवी फारूक की कल हुई अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुःखद मृत्यु और उसके बाद श्रीनगर में हुई घटनाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में सूचित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्य तथा पूरे देश के सभी लोग इस वीभत्स अपराध की निन्दा करने और शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करने में मेरा साथ देंगे।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 21.5.1990 को लगभग 11.15 बजे पूर्वाह्न 3 कश्मीरी युवक मौलवी फारुक के नागनबाग निवास पर आये और उनसे मिलना चाहा। युवकों ने गेट पर तैनात चौकीदार श्री गुलाम कादिर शूफी से कश्मीरी भाषा में बात की। उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने मौलवी फारुक से मुलाकात का समय लिया हुआ है। मौलवी फारुक को सूचित किया गया और उनकी अनुमति पर युवकों को मकान के अन्दर जाने की इजाजत दी गई। वे लगभग 15 मिनट तक मौलवी फारुक के साथ रहे तभी गोली-बारी की आवाज सुनाई दी। चौकीदार तत्काल मकान के अन्दर गया और उसने वहां से भाग रहे एक हत्यारे को दबोचने की कोशिश की लेकिन वह उसे भागने से नहीं रोक सका। उसने पाया कि मौलवी फारुक को गोली मार दी गई है और गोलियों के कारण वे कई जगह जख्मी हो गये। मौलवी फारूक को तत्काल शेरा के चिकित्सा संस्थान में ले जाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

मौलवी फारुक कश्मीर घाटी के सर्वाधिक आदरणीय धार्मिक नेताओं में से एक थे। उनके अनेक अनुयायी थे। उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। आतंकवादियों के इस आपराधिक कृत्य से कश्मीर के लोगों की भावनाओं को गहरी चोट लगी है। कश्मीर विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर के अपहरण और हत्या के बाद, एक बहुत आदरणीय तथा जाने-माने धार्मिक विद्वान की हत्या किए जाने से कश्मीर घाटी के आतंकवादियों की आपराधिक और सूझबूझ रहित गतिविधियों का पता चलता है, जिनका उद्देश्य उन माननीय व्यक्तियों और नेताओं को खत्म कर देना है, जो आतंकवादियों की हिंसक और विघटनकारी गतिविधियों से सहमत नहीं होते। जिन गतिविधियों को सीमा पार से समर्थन मिल रहा है।

मौलवी फारुक के शव को एक जलूस के साथ मीरवायज मंजिल ले जाया गया। रास्ते में, इस्लामिया कालिज के निकट भीड़ में से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों की एक चौकी पर हमला किया। स्थिति का लाभ उठाते हुए, आतंकवादी उपद्रवी भीड़ के साथ मिल गए तथा उन्होंने ए. के. 47 राइफलों तथा अन्य शस्त्रों से सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। सुरक्षा बलों के कार्मिकों को आत्म रक्षा के लिए गोलियां चलानी पड़ीं। निकट के अन्य स्थानों में भी सुरक्षा बलों पर उपद्रवी भीड़ तथा उग्रवादियों ने हमले किए। कुछ चौकियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 27 व्यक्ति मारे गए तथा घायलों की संख्या तकरीबन 100 बताई गई। सुरक्षा बलों का एक कमान्डेन्ट तथा 10 जवान घायल हुए हैं।

सरकार इस प्रकार के अन्य अपराध करने वाले अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। श्रीनगर में स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है तथा वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेज दिया गया है।

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह सरकारी पक्ष बनत है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जो भी जानकारी दी गई है, वह सत-प्रतिशत सही है।..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिये।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मौलाना मीरवाइज फारुख की हत्या पर मैं अपना गहरा शोक व्यक्त करना चाहूंगा। यह सारे सदन की भावना है। वह बहुत ही सम्मानित धार्मिक नेता थे। वह आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुये, यह स्पष्टतः आतंकवादियों के इरादों को दर्शाता है। और हम यह पाते हैं कि वे लोग उनका शिकार हुये हैं जो या तो उदारवादी थे या राष्ट्रवादी। राजनैतिक रूप से पुलिस या अर्ध सैनिक बलों के अलावा ये आतंकवादियों का शिकार हुये हैं। अतः हमें समझना चाहिये कि राजनैतिक रूप से गोलियों का निशाना कौन है। जो हमारे पास सूची है उसमें गुलाम मुस्तफा मीर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अब्दुल सत्तार रंचूर एक स्वतन्त्रता सेनानी, शेख मन्सूर विधायक, गुलाम नबी खुस्सर, डा. फारुख अब्दुल्ला का जीवन भी खतरे में है। मैं यह कहूंगा कि नेशनल कान्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस के लोग भी आतंकवादियों का शिकार हुये हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी हमले हुये हैं हैं।...(व्यवधान) ऐसे क्षेत्र हैं। यहां तक कि एक श्रमिक भी महत्वपूर्ण हैं (व्यवधान) रावत जी, क्या यह व्यवधान डालने का समय है ? आप अन्य विषयों पर मेरी सीट आलोचना कर सकते हैं, ऐसे 101 विषय हैं। हमें इस मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये। मेरा यह कहना है कि सभी लोगों और दलों ने अपनी देश भक्ति उस खून से सिद्ध की है जिसे उन्होंने इस देश के लिए बहाया है। और ये वे ताकतें हैं जिन्हें हमें एक साथ मिलाना है। इसका निर्णय कैसे किया जाए, यह एक मुख्य बात है। यह वह विभाजक रेखा है जहां हमें देखना है कि कौन अलगाववाद के समर्थक हैं और कौन देश के हित में हैं। इस संबंध में कोई और विभाजक रेखा भी हो सकती है। लेकिन हमें उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अतः धार्मिक आस्था आदि पहलू भी हो सकते हैं लेकिन यह विभाजक रेखा है। लक्ष्य भी यही है और यह सुनिश्चित करना भी हमारी समान रूप से जिम्मेदारी है कि ये ताकतें एक साथ आगे आयें और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और इस चुनौती को हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तथा यह हमारा कर्तव्य भी है। श्री साठे ने कहा था कि चाहे एक नागरिक सुरक्षा के लिए कहता है या नहीं यह मुद्दा नहीं है। यह सरकार का कर्तव्य है कि चाहे कोई कहे या नहीं कहे सरकार को उसे पूरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर निश्चित रूप से, जब सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की जाती है तो यदि सुरक्षा को स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन यदि यह पेशकश स्वीकार नहीं की जाती है इस मामले में पेशकश की गई थी परन्तु स्वीकार नहीं की गई फिर भी सरकार की जिम्मेदारी रह जाती है और उसे इससे छुटकारा नहीं मिलता है। जहां तक गृह मन्त्री के कहने की बात है जैसे कि श्री सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि तथ्यों की जांच की जा सकती है। अब चाहे कोई भी तथ्य हमारे सम्मुख आये हों लेकिन मौलवी फारुख के शरीर को मीरवाइज मंजिल तक एक जलूस में ले जाया गया। कफ्यू का

कोई उल्लेख नहीं है। रास्ते में इस्लामिया कालेज के निकट भीड़ के एक वर्ग ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इसका फायदा उठाते हुए उग्रवादी, भीड़ में मिल गये और सुरक्षा बलों पर ए.के.47 और अन्य हथियारों से गोली चलाने लगे। अतः इससे पता नहीं चलता है कि भीड़ पर गोली चलाई गयी लेकिन यही वह स्थिति थी जब आपस में गोलियां चलीं। वैसे यह सच है कि जब आपस में गोली चली तो जहां से गोली चल रही थी वहां लक्ष्य भेद किया गया था लेकिन अन्य लोग भी हताहत हुये। और हमें ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ए. के. 47 राईफलों का सामना करते वक्त ऐसी स्थिति में उनकी यह प्रतिक्रिया होनी लाजमी थी कि इसको कैसे विफल किया जाये : मुख्य मुद्दा तो कश्मीर के लोगों का है और अन्ततः इसका समाधान कश्मीर के लोगों से आना चाहिए। हमारी नीति स्पष्ट है और हमें इनके दुखों के निवारण में लगना चाहिए और यदि उनकी कोई सही शिकायतें हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए तथा उन्हें विकास और अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में संतुष्ट करना चाहिए। इसी वजह से मैं समझता हूं कि कश्मीर के लोगों को शामिल किये बिना कोई समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही हमें सीमा के पार चल रहे गहरे षडयन्त्र को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे देश में अलगाववाद फैलाने और छिन्न-भिन्न करने के लिए दुर्भावना पूर्ण षडयन्त्रकारी योजना चल रही है। सीमा के पार शिविर लगे हैं, शिविर खोले जा रहे हैं तथा देशों की विभिन्न राजधानियों के लोगों को भी यह लग रहा है कि यह सब वहां चल रहा है। इस बात का हमें सामना करना है। पंजाब में भी यही स्थिति है। मुख्य विषय तो यही है। यह तो पंजाब की सुरक्षा तथा जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा का ध्यान रखने की बात है। हमारी सुरक्षा और अखंडता को होने वाले खतरे को देखते हुए हमें इसका कड़ाई से मुकाबला करना चाहिए और हम यह करने के लिए कृत संकल्प हैं। इस संबंध में हम बहुत स्पष्ट हैं।

एक माननीय सदस्य : सीमाओं को सील करने के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, हमने यह बात कही है। सरकार ने अपनी पूरी क्षमता से सीमाओं को सील करने का विचार किया है। साथ ही हमें मानव अधिकारों, मानवीय पहलू लोगों की समस्याओं तथा लोगों को शामिल करने के सम्बन्ध में संवेदनशील होना चाहिए। मैं समझता हूं इस मिलेजुले दृष्टिकोण के प्रति कोई विवाद नहीं है और सरकार इस संबंध में पूरा न्याय करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है और मैं कहूंगा कि सदस्य अन्य नोटिस दे सकते हैं तथा कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार कर सकती है ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रधानमंत्री जी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, कल सभा में महम का मुद्दा उठाया गया था.....
(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दवाडवाला, हमें प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को बुलाया है.....

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (जोगेश्वरी) : स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दी है। मैंने कहा था कि नोटिस दिये जा सकते हैं तथा उन पर कार्यमंत्रणा समिति विचार करेगी...

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बसंत साठे : महोदय प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 376 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जब तक एक विषय पूरा नहीं होता है तब तक दूसरा नहीं लेंगे। अब यही स्थगन प्रस्ताव है... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने कहा था कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए अपनी सम्मति नहीं दी थी वो और नोटिस दिये जा सकते हैं तथा कार्य मंत्रणा समिति सदस्यों द्वारा दिये गये नोटिसों के आधार पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस पर विचार कर सकती है...

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, यह प्रक्रिया नहीं है। मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के के लिए जोर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए इजाजत नहीं दी है...

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, नियम 376 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि आपको मेरा स्थगन प्रस्ताव रद्द करना था तो मुझे 11 म. प. तक प्रश्न काल से पहले बताना था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यह कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष जायेगा। स्थगन प्रस्ताव आज तक सम्बन्धित है। अतः आपको अभी निर्णय लेना चाहिए। मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए जोर दे रहा हूं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको कहा था कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सम्मति नहीं दी है...

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह कार्य मंत्रणा समिति को नहीं जा सकता है। मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के लिए कह रहा हूं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा था कि आप नये नोटिस दे सकते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव नहीं। मान लिया कि आप नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस देते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव रद्द कर दिया है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : लेकिन आपने मुझे कारण भी नहीं बताया। मुझे इस प्रकार सूचित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा अन्तिम विनिश्चय है। हां, प्रधान मन्त्री महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, अब हमें प्रधान मन्त्री को सुनना चाहिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

शर्मा जी, आप बैठ जायें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइए।

1.34 म. प.

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

हरियाणा में हाल की घटनाएं

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, कल महम का मुद्दा उठाया गया था। विपक्ष के नेता ने यहां सभा में कहा था कि सरकार का निर्णय यहां और अभी बताया जाये। इन शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने फिर कहा था कि मैं इस मामले को मंत्रिमंडल में उठाऊंगा और फिर आज पुनः सभा में आऊंगा। यह मेरा वक्तव्य है कि मैं सभा में आऊं और रिपोर्ट दूं। महोदय, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि जनता दल अध्यक्ष, श्री बोम्बई ने हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला से आग्रह किया है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए उन्हें इस पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए और उन लोकतान्त्रिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए जिनके प्रति जनता दल वचन बद्ध है मुख्य मंत्री पद से हट जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने उन्हें कहा

या कि दल के एक अनुशासित सदस्य के नाते वह दल के अध्यक्ष की सलाह पर चलेंगे और तत्काल पद छोड़ देंगे, मुझे आगे बताया गया कि श्री बोम्मई को श्री चौटाला का त्यागपत्र प्राप्त हुआ है और वह इसे हरियाणा के राज्यपाल के पास भेज रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया कि नये नेता को चुनने के लिए कल जनता दल की हरियाणा शाखा की बैठक होगी और कल हरियाणा में नयी सरकार होगी। हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री चौटाला और जनता दल ने सार्वजनिक जीवन की उच्च परंपराओं को बनाये रखने के लिए और वहां बहुसंख्या में होने के बावजूद तथा इस बात के बावजूद कि वह चुने गये हैं और निश्चित रूप से पांच साल तक पद पर बने रह सकते हैं लेकिन लोकतान्त्रिक परंपराओं को बनाये रखने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया और मैं समझता हूं कि हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान) इसलिए महोदय, जनता दल अध्यक्ष श्री बोम्मई की अपील पर उन्होंने यह सब किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे प्रधान मंत्री नहीं बन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री साठे जी, मैं आपके उत्साह को जानता हूं। इसे तब तक रोक दीजिए जब तक कि इसे प्रयोग में लाया जाए। मैं जानता हूं कि इसका सदुपयोग होगा, यद्यपि ऐसा इस समय नहीं हो सकता परन्तु ऐसा होगा। बात यह है, कि जहां तक किसी कार्यवाही आदि का सम्बन्ध है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जांच कर रहे हैं और सभी जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच आरम्भ कर दी गयी है। जहां तक किसी कार्यवाही का सम्बन्ध है, वास्तव में, इसकी जानबीन हो रही है। (व्यवधान)

यह मुद्दा राजनैतिक और नैतिक था। मैंने पहले दिन ही इस में कह दिया था कि यदि एक भी लोकतान्त्रिक आदर्श को बनाए रखने का प्रश्न आता है तो हम उस आदर्श की स्थापना की बजाय सत्ता छोड़ने को तैयार हैं। हम उन राजनैतिक परम्परा के नहीं है कि सरकार को सरकार रखने के लिए सभी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को छोड़ दें, जैसा कि हमने विगत पांच वर्षों में देखा है। (व्यवधान)

महोदय, मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुभाषिनी अली, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। श्री शर्मा बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं। (व्यवधान) कृपया मुझे भाषण समाप्त करने दीजिए। मैं केवल कुछ ही शब्द कहना चाहता हूं।

मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं। यदि हमारे अन्दर व्यवस्था को बदलने और मूल्यों पर आधारित व्यवस्था कायम करने का साहस है तो इसके लिए हमें केवल एक सरकार में रहकर ही नहीं बल्कि अनेक सरकारों में रहकर भी परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः ये परिवर्तन और सुधार के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और हम उस साहस को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं। हमारे अन्दर साहस है क्योंकि हम जनता से निकलकर आये हैं। हमने लड़ाई की है, संघर्ष किया है और तब आये हैं। और यदि यह इन मूल्यों के रास्ते में आता है तो हम पुनः जनता

के खाने जायेंगे, संघर्ष करेंगे और वापिस सत्ता में आकर इस व्यवस्था को कायम करेंगे। अतः हम किसी अभाव में नहीं है कि हम यहां चिपकू व्यक्तियों की तरह चिपके रहेंगे। (व्यवधान) चिपकने वालों के दिन बीत गये हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों के प्रति जागरूक हो गयी है यहां कोई भी चिपकू नहीं है। (व्यवधान)

वस्तुतः, विपक्ष को चाहिए इस सरकार को खतरा नहीं है, भले ही आपकी इच्छा पूरा भी हो। परन्तु हम अपने सिद्धान्तों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार है। (व्यवधान) यह एक तथ्य। श्री साठे और अटलजी आप भी अपने अन्तर झांककर देखिए। पिछली बार जब आप खड़े हुए थे तो कहा था, 'कि अमेठी के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से क्यों न कराई जाए?' मैं पूछता हूं कि जैसे श्री चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है वैसे ही अमेठी की हिंसा के लिए श्री राजीव गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और पुनः चुनाव लड़ना चाहिए। इसके लिए आगे आइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं। अध्यक्ष खड़े है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं इस सभा में सभी विपक्ष के नेता से जवाब चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप सभी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं अब आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया यहां न चिल्लाएं । कृपया बैठ जाएं । श्री साठे, बैठ जाओ ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2.50 म. प. पर पुनः समवेत होगी ।

1.49 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.50 म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

2.51 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.51 म. प. पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री जनार्दन पुजारी (बंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कहिए आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ।

श्री जनार्दन पुजारी : सभा को मध्याह्न भोजन से पूर्व अकस्मात स्थगित कर दिया गया था । उससे पहले सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने मध्याह्न पूर्व की सभा में आरोप लगाया और कहा था कि विपक्ष के माननीय नेता श्री राजीव गांधी एक '...' है । (व्यवधान)

महोदय, इसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में मुझे पता नहीं है कि यह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल है । यदि यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित होगा तो इसे निकाल दिया जाएगा ।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : मैं अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आया हूं । इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री रमेश चेन्नीथाला, जोकि भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं; और युवक कांग्रेस के चार अन्य कार्यकर्ताओं को आज सुबह दिल्ली पुलिस ने बुरी तरह पिटाई की है । मैंने श्री रमेश चेन्नीथाला को एक्सरे मेज पर लेटे देखा था डाक्टरों अथवा डाक्टर ने मुझे बताया कि वे उसकी कपाल, छाती, श्रोणि और टांगों के एक्सरे कर रहे हैं । श्री तलविन्दर साहत चार दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया था । उनकी पीठ, टांगों, बाजुओं और कपाल पर प्रहार किये गए थे । अब प्रत्येक को चूना निकाल रहा है ।

यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे । (व्यवधान) इसे हल्के में न लीजिए । यह अत्यधिक निन्दनीय है । इससे सरकार के फासिस्टवादी चरित्र का पता लगता है । महोदय, सरकार के कुछ के दिलों में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन की बहुधा होती थी । लोग प्रदर्शन करते थे और पुलिस आकर प्रदर्शनकारियों से निपट लेती थी । परन्तु अब इसमें बहुत गलत बदलाव आ गया है । इसका तात्पर्य यह है कि इस डांवाडोल सरकार ने, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं है, युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटने के लिए पुलिस को निर्देश दिये हैं । मैं इस घटना के लिए अपना जबरदस्त विरोध व्यक्त करता हूं । एक माननीय सदस्य को इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि उसके कपाल, छाती, श्रोणि और टांगों के एक्सरे किये जाने हैं । मैं समझता हूं कि यह बहुत कष्टदायक बात है । यह मंत्री अथवा यह सत्ता मंत्री को जाकर एक वक्तव्य देना चाहिए । मैं दो अधिकारियों को

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अजय कुमार और श्री सिद्दीकी का नाम लेना चाहता हूं। ये दोनों सहायक पुलिस आयुक्त थे। श्री सिद्दीकी श्री अजय कुमार को भड़का रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं। मैं इन दो अधिकारियों का नाम बता रहा हूं। लड़कों ने इन दो अधिकारियों का नाम लिया है। इन दो अधिकारियों ने अकारण ही शांत प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाईं। मैं इसकी निंदा करता हूं और गृह मंत्री से इस पर ध्यान देने तथा एक वक्तव्य जारी करने की मांग करता हूं। एक संसद सदस्य भी इस मामले जुड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इसी ए. सी. पी. ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर भी लाठी चलाई थी।

[अनुवाद]

श्री वी. शंकरानन्द (चिक्कोड़ी) : यह आपके साथ भी हो सकता है (व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आपको सहानुभूति नहीं है तो कृपया शांत रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम, कृपया आपस में बात न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपकी रुचि केवल व्यवधान उत्पन्न करने में ही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसे मेरी जानकारी में ला दिया और मैं समझता हूं कि आप यह जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। बिना किसी परिणाम के केवल बोलते रहने में कोई तुक नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। जब सदन के किसी सदस्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है या उन पर बाहर कहीं प्रहार किया जाता है, तो सदन मामले सच्चाई जानने के लिये प्रयत्नशील होगा। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसको नोट कर लिया है। आप इस मामले की जानकारी देंगे। इससे संबंधित रिपोर्ट आप माननीय अध्यक्ष को भेजें और वे उस पर तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : सदन स्थगित होने से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य देने की कृपा की कि वह··· (व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : वह किस मुद्दे पर बोल रहे हैं ?

श्री बसंत साठे : मैं अध्यक्ष पीठ की अनुमति से बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, कृपया आगे बोलें।

श्री बसंत साठे : उन्होंने पहले कहा है और प्रधानमंत्री कल के उस वक्तव्य के प्रत्युत्तर में आज एक वक्तव्य लेकर आए हैं। लेकिन वह पूरा नहीं था क्योंकि हम दो मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना चाहते थे : (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विचाराधीन विषय क्या हैं, चूंकि

जब तक इसकी जानकारी न हो हम नहीं जान पाएंगे कि विचारधीन विषय क्या है और क्या मेहम की घटना के मामले में न्याय होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि हम संतुष्ट नहीं हैं। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि हमारी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जाए कि हम चौटाला को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात से सहमत नहीं हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री केदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है। हम यह देख रहे हैं कि सदन की परिपाटी दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। एक ही आदमी दिनभर बोलता रहे और हम लोग मुंह सी कर बैठ जाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री बसंत साठे : हरियाणा में नये नेता के चुनाव में किस सरकार की हार होने जा रही है इस पर तो हम केवल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं और क्या वह लोगों में विश्वास पैदा कर सकता है चूंकि सारी बातें प्रजातंत्र से जुड़ी हैं और इसलिये हम अपनी पक्ष की ओर से चाहते हैं कि हमारी बातें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जाएं कि हम केवल त्यागपत्र देने के हथकंडे से संतुष्ट नहीं हैं। अंत में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घटिया टिप्पणी जिसमें विपक्ष के नेता से त्यागपत्र की मांग की है, का हम विरोध करते हैं। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि यदि प्रधानमंत्री में दम है तो जो कुछ भी पंजाब, कश्मीर, हरियाणा और सभी जगह हो रहा है उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। (व्यवधान)

3.00 म. प.

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप लोग चुप बैठ जायेंगे तो मैं हाउस को कंट्रोल कर सकता हूं। अब आप चुप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चिदम्बरम की चिंता का सह-भागी हूं। (व्यवधान) इसलिए हम सभी बहुत चिंतित है। मैं श्री चिदम्बरम की चिंता का सह-भागी हूं। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि एक इस सदन के एक माननीय सदस्य घायल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि उनका उचित चिकित्सा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और सरकार जो उन बातों पर ध्यान देगी जो आपने कहा है।

दूसरी बात, मैं प्रधान मंत्री को उनके मध्याह्न भोजन के पूर्व दिये गये वक्तव्य के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि लोकतंत्र तथा लोकतंत्र से संबंधित मामलों में पूर्ववर्ती सरकार के रवैये

की तुलना में इस सरकार के रवैये में हम काफी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे इन मामलों को उठाया जाय। जब मेहम के प्रश्न पर शुक्रवार को स्थगन प्रस्ताव हमने पेश किया था और सदन तुरंत सहमत भी हो गया परन्तु सरकार ने कोई विरोध नहीं किया लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता श्री वसंत साठे द्वारा की गई मांगों जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इस मामले की जांच करवाने की मांग भी थी को सरकार ने मान लिया और अन्य कोई मांग नहीं की गई थी।

श्री वसंत साठे : क्या आप विचाराधीन विषय के बारे जानना चाहते ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : और अचानक कल हमने यह पाया कि यह मांग की गई कि विधान- सभा भंग कर दी जाए और वसंत साठे भी नजर नहीं आए। वे कल कहीं भी नजर नहीं आए। शुक्रवार के कांग्रेस के प्रवक्ता के संतुष्ट होने के बावजूद जिसकी मांग उन्होंने स्वीकार भी की थी लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया और दूसरी मांग कर दी। मैं चाहता हूं कि मेरी बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाए कि राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने जैसी मांग हमारे सभी संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के भी विरुद्ध हैं। हम खुश नहीं इसे हमने मेहम में घटित घटना की कड़ी निंदा की है। हमने स्थगन प्रस्ताव में भाग लेते हुए भी है। काफी स्पष्ट कर दिया था। यह मांग करना कि एक मौत या दो मौत या हत्याओं के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करना काफी गंभीर मामला है। यह केवल उन दर्दों को व्यक्त करता है जो पिछली सरकार का अनुच्छेद 356 के बारे में था। देश में कभी भी संविधान के किसी भी अन्य अनुच्छेद का इतना दुरुपयोग नहीं हुआ जितना कि अनुच्छेद 356 का पिछली सरकार द्वारा किया गया है। और यहां तक कि सरकारिया आयोग ने कई पृष्ठों में इस बारे में लिखा है कि राजनीति से प्रेरित आधारों पर (व्यवधान)

श्री वी. शंकरानन्द : वर्ष 1977- 9 के दौरान क्या हुआ था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए हमें खुशी है कि लोकतंत्र की उच्च परम्पराओं का पालन किया गया है और मैं प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों तथा जनता दल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतांत्रिक रुख अपनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी देश में इसी तरह कार्य किया जाएगा। और हमारी भी यह मांग है कि जांच का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। जनता इस मामले में किसी भी तरह के संदेह अथवा भ्रम की स्थिति में जा रहे किसी को किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए हमारा यह कहना है कि एक न्यायिक जांच जल्द-से-जल्द शुरू की जानी चाहिए ताकि लोग सच्चाई को जान सकें। लेकिन हम राष्ट्रपति शासन को लागू किये जाने के विरुद्ध हैं। मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने इस मामले में सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अपनाया है।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार ने इस मेहम के मामले में जो प्रत्युत्तर दिया है, वह हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं आदर करना है। राजनीतिक दृष्टि से आदर करते हुए उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं को टूटने नहीं दिया। (व्यवधान)

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि परसों जब मैंने प्रधानमंत्री जी का यह बयान सार्वजनिक

रूप से अखबारों में पढ़ा कि इस मामले में राष्ट्रपति शासन की बात भी सोची जा सकती है, तब मुझे मन में चिंता हुई। मुझे लगा कि मेहम की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और महम की घटना का ठीक नोटिस लेकर वहां पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन की दिशा में सोचना बहुत गलत परंपरा पैदा करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 में बहुत सीमित परिस्थितियों के लिए है और जिनके बारे में जैसे सोमनाथ जी ने कहा, सरकारिया कमीशन को बहुत विस्तार से लिखना पड़ा है कि कितना उसका दुरुपयोग हुआ है और अगर मान लो कल इस प्रकार का, जिस प्रकार का उत्तेजनात्मक वातावरण खड़ा किया था विपक्ष ने एक ही मांग को लेकर घंटा भर प्रलाप करते रहे कि राष्ट्रपति शासन लागू करो, वी वांट प्रेसीडेंट रूल, वी वांट प्रेसीडेंट रूल, मैं समझता हूं कि और अपेक्षा करता हूं कि और अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसे इस समय सारे हिन्दुस्तान में विपक्षी दलों के लिए अलग-अलग विधानसभाओं में एक आदर्श बनाना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि इस प्रकार का आचरण उसको कहां लेकर जाएगा। सदन की कार्यवाही और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अच्छी व्यवस्था तब होगी जब सरकार रेसपोंसिव हो और अपोजीशन रेसपांसिबल हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. शंकरा नन्द : महोदय, यह कांग्रेस शासित प्रदेशों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी गई है।

श्री आलकुन्न आडवाणी : नहीं, ऐसा नहीं है। (व्यवधान) कोई धमकी नहीं दी गई है। हम धमकी नहीं देते हैं। (व्यवधान) मैं चुप नहीं हो रहा। (व्यवधान) मैं श्री शंकरानन्द की बात सुनने को तैयार नहीं हूं।

[हिन्दी]

मैं समझता था कि पूर्व विधि मंत्री कम से कम मेरी वैधानिक बात को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। (व्यवधान)

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस मामले में संविधान का उपयोग न करते हुए और अपने दलीय अनुशासन की व्यवस्था के आधार पर उन्होंने समस्या का निपटारा किया है। यद्यपि मैं समझता था कि जिस मामले को इन्होंने शुक्रवार से उठाया, उसके बारे में जिस समय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की एकदम सहयं कहेंगे और मानेंगे कि हमने कुछ उपलब्धि पा ली है, लेकिन लगता था कि उस समय एक निराशा सी छा गई। (व्यवधान)

यह जो घोषणा हुई और हो सकता है कि जैसे शुक्रवार को सही प्रत्युत्तर मिलने के बाद उस समय तो एक सांत्वना हुई, समाधान हुआ और मुझे लगा कि साठे जी के साथ साथ सब लोग प्रसन्न होकर गए, लेकिन फिर जा कर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शनिवार-इतिवार को, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि सोमवार को साठे जी तो वहां पर उपस्थित नहीं हुए और उनकी जगह पर आए हुए लोगों ने कहा कि नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, वहां पर तो राष्ट्रपति शासन लागू हो, उसके बिना काम नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रातःकाल बात कही थी, जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला कि सदन के सामने बचे हुए शेष दिनों में काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाकी है, महत्वपूर्ण विधेयक हैं और

एक समय पर सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, जो मेम्बर उपस्थित थे, उन्होंने कि मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कमिट नहीं करता हूँ। कमिटमेंट न करने का परिणाम यह है कि आज मंगलवार का दिन है और पूर्व सूचना के अनुसार सदन शुक्रवार तक चलेगा, लेकिन सदन में बाकी जो महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं, वे आएंगे या नहीं आएंगे, दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा प्रसार भारती द्वारा आकाशवाणी को आटोनामस बाडी बनाया जाएगा या नहीं, इन सब चीजों से हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हमें कुछ पता नहीं है। इसका कारण है कि अभी तक जो हमको अपेक्षा थी, कंस्ट्रक्टिव अपोजीशन की, उनकी कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का कोई परिचय हमको नहीं मिला। वह एप्रोच मिलनी चाहिए। मैं साठे जी से अपील करता हूं, विपक्ष के नेता तो नहीं हैं, लेकिन साठे जी कम से कम यह बताएं कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक हैं-भूमि सुधार विधेयक, प्रसार भारती विधेयक, लोकपाल विधेयक और दिल्ली को राज्य दिये जाने का विधेयक है, वे इन विधेयकों को समर्थन देंगे या नहीं। इनको पारित करवायेंगे या नहीं। इस दृष्टि से सरकार का जो प्रस्ताव है कि सदन की कार्यवाही कम से कम चार दिनों के लिए बढ़ाई जाए, उसका वे समर्थन करते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब केवल एक या दो सदस्यों को ही इस विषय पर बोलने की अनुमति दी जाएगी। इस विषय पर लम्बा-चौड़ा बहस नहीं करनी चाहिए। अब श्री दिनेश सिंह बोलें।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने सत्तारूढ़ जनता दल अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी है। उन्होंने हमें बताया कि जनता दल अध्यक्ष के कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। इस बात से निश्चय ही आडवाणी जी और उनकी पार्टी को प्रसन्नता हुई है चूंकि उनकी पार्टी की यही मांग थी, जैसा कि हमने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा कि श्री चौटाला को त्यागपत्र दे देना चाहिए। हमें श्री चौटाला से व्यक्तिगत तौर पर कोई मतलब नहीं है, हम हरियाणा की घटनाओं से चिंतित हैं। राष्ट्रपति शासन की हमारी मांग का उद्देश्य श्री चौटाला से छुटकारा पाने का नहीं है चूंकि अब प्रश्न उनसे छुटकारा पाने का नहीं है। हरियाणा में जो राजनीतिक स्थिति है वह महत्वपूर्ण है। कल के वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि वह मंत्रिमंडल में स्थिति पर चर्चा करेंगे और सदन को बतायेंगे। उन्होंने अपने आज के वक्तव्य में मंत्रिमंडल के साथ हुई चर्चा की किसी बात का उल्लेख नहीं किया है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : वह कैसे बता सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी न तो बच्चे ही हैं और न ही ऐसी बात है कि उन्हें सरकार की केबिनेट प्रणाली का अनुभव न हो। वह काफी समय से सरकार में रह रहे और उन्हें मालूम है कि केबिनेट बैठक की कौन सी बातों को बताया जा सकता है और कौन सी नहीं। मैं उनके अपने वक्तव्य की बात कर रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि उन्हें क्या बताना चाहिए। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि चर्चा के बाद वह सदन को सूचित करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : उन्होंने ऐसा कहा है (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : आडवाणी जी, जब आप बेकार की बातें कह रहे थे तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने स्वयं कहा था कि वह सदन को क्षुब्ध करेंगे। मैंने सदन को क्षुब्ध करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने यह नहीं बताया कि कैबिनेट में क्या निर्णय लिया गया है और यही मुद्दा है। मैं बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूं। हरियाणा के वर्तमान राजनीतिक वातावरण से हम चिन्तित हैं और वहां निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए हमारे अनुरोध का मुख्य यही आधार है। 'पारिवारिक शासन' जो वहां चल रहा है उसके अलावा भी यह शासन होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अब यह बेकार की बातें कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : महोदय, आप इसे आप इसे कम से कम इस बकवास का अभिहास चर्चित कीजिए। महोदय, कृपया अपना विनोदय दीजिए।

श्री दिनेश सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि सभी उत्तेजनाओं के बाद सदन को परिहास के लिए कुछ मिला है और मेरी वजह से ऐसा हुआ है। इसकी मुझे खुशी है। लेकिन, श्रीमान श्रीलाल की अथवा दूसरे आदमी को बदलना ही मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। इससे हरियाणा की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए, मैं प्रधानमंत्री जी से अभी भी अनुरोध करूंगा कि वह गौर करें कि यह जांच कैसे की जाये क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में की गई न्यायिक जांच को निरर्थक होगी। अगर राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलता और वहां की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सहयोग की कोई संभावना भी नहीं है और इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि जांच को सार्थक बनाने के लिए, हमें स्पष्ट करना चाहिए कि यह जांच कैसे की जायेगी और इस बात का क्या आश्वासन है कि जांच निष्पक्ष की जायेगी (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके सहयोग पर अन्य विवेचक पारित करना निर्भर करता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सदन की अन्य कार्यवाही चलेगी। यह बहुत गम्भीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरी आशंका की पुष्टि हुई है कि मेहम कश्मीर और डीएसपी डाबर की हत्या तो केवल बहाना मात्र है।

[अनुवाद]

श्री के. मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं आपको एक मौका दूंगा। वह किस प्रकार का उल्लंघन कर रहे हैं व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मदन लाल।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ मीन प्रकाश चौटाला का इस्तीफा

लेने से ही मामला हल नहीं हुआ है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में न बोलें। हरियाणा प्रदेश में इतना भयंकर वातावरण बना हुआ जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से भी कि दिल्ली हरियाणा से दूर नहीं है आप हरियाणा में जाकर देखिये कि वहां हालात क्या हैं। वहां प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज लोकतन्त्र बचाने का सवाल है। आज चौटाला हार जावे तो पिता मान जायेगा इससे मसला हल होने वाला नहीं है। जनता के सामने दुबारा जाकर जनता से फैसला लेना चाहिए कि वहां की जनता क्या चाहती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल : आपको भी मौका मिलेगा आप तब अपनी बात कहें। दूसरी समस्या जो सामने आने वाली है, आडवाणी जी ने कहा कि 356 का दुरुपयोग हुआ है, मैं उनसे जानना चाहता हूं जो सरकार उनकी मदद से अभी बैठी है उस ने एक समय राज्यपाल की क्या हालत की, कैसे उनको हटाया और कैसे नियुक्त किया, क्या यह पावर का दुरुपयोग नहीं किया गया ? किस प्रकार कश्मीर असेम्बली को भंग किया गया ? मैं आडवाणी जी से जानना चाहता हूं आज कहते हैं सच्चा हो गया, फरवरी में चुनाव हुआ था, फरवरी के बाद आडवाणी जी ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बाद में ये इस पाइंट पर आ गये कि चौटाला को सपोर्ट करेंगे, उसको मदद भी करेंगे और उसकी मदद भी लेंगे। वह कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मदद है। यह इल्जाम लगाया कि दो-तीन दिन से हाउस नहीं चलने दिया। हाउस के सामने कितना अहम् मसला है प्रजातंत्र नहीं होगा तो इस मुल्क का क्या होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रदेश की असेम्बली को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जावे ताकि दुबारा चुनाव हों और जिनको लोग अपना फैसला दें उस दल की सरकार बने। दड़बा कलां से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। अब सारी की सारी ओन बिग्रेड और उसके आदमी दड़बा कलां में पहुंच गये हैं, सहम से बुरी हालत दड़बा कलां में होने वाली है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं उम्मीदवार कहते हैं कि हमारी जिन्दगी सेफ नहीं है। हमें बाकायदा बंद कर रखा है। वहां एक कमेटी जाये और जाकर यह जायजा ले कि दड़बा कलां में क्या होने वाला है ? इसलिए मेरी प्रार्थना है इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार से कि बाकायदा सैन्ट्रल के नीचे और इलेक्शन कमीशन की देखरेख में, भारत सरकार की पुलिस और उसके अधिकारियों के नीचे वहां चुनाव होने चाहियें वरना हालत दड़बा कलां में इससे भी बुरी होने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस फैसले से हमारी संतुष्टि नहीं है। वहां असेम्बली भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करके दुबारा चुनाव कराये जायें।

श्री मदन लाल खुराना : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह इस हाउस के अन्दर होम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली स्टेट को राज्य का दर्जा दे दिया जावेगा। तो क्या ये लोग इस मामले में को-आप्रेशन दे रहे हैं या नहीं ? यह बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल जैन) : माननीय, माननीय प्रधानमन्त्री के बयान के बाद कुछ ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं थी कम से कम हमारी तरफ से। अगर साठे साहब ने कुछ मुद्दे नहीं उठाये होते। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल

बात नहीं कहना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि महुम के सिलसिले में ही नहीं बल्कि देश के अन्य मुद्दों पर भी इस सदन में बहस हुई है और जितने इशूज इन्वाल्व थे, किसी भी समझदार आदमी को पूरी तरह से सैटिसफैक्शन हो जाता है, उस काम को आज हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने किया है। श्रीमन्, लेकिन लोकतन्त्र सिर्फ हमारे चलाने से चलने वाला नहीं है। देश में मर्यादायें सिर्फ इस पक्ष के कायम करने से नहीं होने वाली है। निवेदन यही है कि महुम जैसे या महुम के बाहर जो घटनायें हुई हैं, प्रधानमन्त्री का जो क्षेत्र रहा हो, जहां संजय सिंह जैसे आदमी पर जान लेवा हमला हुआ हो, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तीसरी पीढ़ी के आदमी को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया हो और जहां पिछले चार चुनावों में और यह कांस्टीट्वन्सी जो 100 साल पुरानी पार्टी के नेता 90-100 एमपीज के नेता थे, प्रधानमन्त्री की कांस्टीट्वन्सी हो, उसके लिए हमने जवाब दे दिया है देश को। अब देश के लोग तय करेंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है ? इस सिलसिले में देश के लोग मानते भी हैं और चाहते हैं कि अमेठी को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लिया जाय या चोटाला की तरह इस्तीफा देकर मामले को जनता के सामने लायें। और इसी प्रकार का निवेदन हमारे माननीय सदस्य श्री आडवाणी जी ने भी किया है। आखिर मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश में ऐसी बहुत सी चीजें होती रही हैं। हम लोगों को आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सदन के जो बुनियादी काम हैं, सदन में जो बातें उठती हैं, जो बिल आते हैं, खासतौर से ऐसे मामले जिनका हिन्दुस्तान के भविष्य से ताल्लुक है, लोकपाल बिल है, जमीन सुधार का मामला है। हमसे जो आपको शिकायतें हों, आप बैठें, आपको आदर के साथ बुलायेंगे और इस मामले पर लड़िये लेकिन कम से कम एक कमिटमेंट तो करिए। सारे लोग यही चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि उन बिलों को पास करने में हमें आपका सहयोग चाहिए, यही बात मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे अर्थात् सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री बसंत साठे : महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री साठे। आपकी पार्टी के दो माननीय और वरिष्ठ सदस्यों को बोलने की अनुमति दे चुका हूँ। इन सभी पार्टियों के एक-एक सदस्य बोलेंगे और फिर मन्त्री जी।

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सहमत हो गए हैं इसका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक वे हमें इनके विचारार्थ विषय नहीं बताते। मैं जानना चाहता हूं कि विचारार्थ विषय क्या है और वे इन्हें कब बताने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : लेकिन उससे पहले हम यह चाहते हैं कि आप हमारी मांग जो अमेठी के सिलसिले है, उसको मानें, तो जब जांच होगी तो यह भी किया जायेगा।

श्री बसंत साठे : यह ब्लैकमेल है।

श्री सत्यपाल मलिक : नहीं, यह ब्लैकमेल नहीं है। हम चाहते हैं कि आप गुड सेंस शो करें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

3.25 म.प.

आटोमोबाइलों पर उप-कर लगाने के बारे में अधिसूचना, कोयर बोर्ड, कोचीन भारतीय रबड़ विनिर्मिति अनुसन्धान एसोसिएशन, पुणे, आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अजित सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 की उपधारा (1) अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 247 (अ), जो 22 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें आटोमोबाइलों पर उप-कर लगाने के बारे में आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 952/90]

(2) (एक) कोयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ;

(दो) कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 953/90]

(3) (एक) भारतीय रबड़ विनिर्मिति अनुसंधान एसोसिएशन, पुणे के वर्ष 1989-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रबड़ विनिर्मित अनुसंधान एसोसिएशन, पुणे के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 954/90]

(4) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 955/90]

नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1988-89 का और वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षा

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : मोहम्मद खां के स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शरीफ मोहम्मद खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 956/90]

(ख) (एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गये। देखिये संख्या एल. टी. 957/90]

(ग) (एक) टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 958/90]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 956/90 से 958/90]

(3) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजाब राज्य

विद्युत बोर्ड, पटियाला के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 697 से 959/90]

(5) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण (1987-88-वास्तविक व्यय), 1988-89 (बजट/पुनरीक्षित प्राक्कलन) तथा 1989-90 (बजट प्राक्कलन) सहित।

(दो) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखने के उद्देश्य और कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण का सारांश तथा उस पर पंजाब सरकार की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 960/90]

(ख) (एक) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण 1988-89—वास्तविक व्यय), 1988-89 (बजट/पुनरीक्षित प्राक्कलन) तथा 1990-91 बजट प्राक्कलन सहित)।

(दो) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर न रखने के उद्देश्य और कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय विवरण का सारांश तथा उस पर पंजाब सरकार की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 961/90]

(6) उपर्युक्त मद (5) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 962/90]

(7) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में डा. महादीपक सिंह शाक्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8836 के 15 मई, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 963/90]

भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 930/90]

अखिल भारत सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और बोस संस्थान, कलकत्ता तथा सेंटर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलाजी, श्री नगर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि :

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मतलब बेहेरा) : मैं, श्री एम. जी. के. मेनन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर की सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1990, जो 7 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1990, जो 7 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (ग्रुप बीमा) संशोधन नियम, 1990, जो 20 मार्च,

1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना, संख्या सी.सी.ई. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 931/90]

(2) (एक) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रख गये। देखिये संख्या एल. टी. 932/90]

(3) (एक) सेंटर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेकनोलाजी, श्री नगर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेकनोलाजी, श्री नगर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 933/90]

(5) (एक) सेंटर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेकनोलाजी, औरंगाबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलाजी, औरंगाबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 934/90]

(7) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 955/90]

बाल भवन सोसायटी (इंडिया) और भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षाएं इत्यादि

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) बाल भवन सोसायटी (इंडिया) के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाल भवन सोसायटी (इंडिया) के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाल भवन सोसायटी (इंडिया) के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी. 936/90]

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 937/90]

(5) प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिये संख्या एल. टी. 938/90]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 939/90]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल. टी. 940/90]

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 941/90]

(पांच) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल टी. 942/90]

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 943/90]

(7) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 944/90]

(9) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 945/90]

(11) (एक) सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालारजंग संग्रहालय बोर्ड हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 946/90]

(13) (एक) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 947/90]

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वर्ष 1989 के संख्या 8, 9 तथा 10)-संघ सरकार (वाणिज्यिक)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भारत गोयनका) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 8)-संघ सरकार (वाणिज्यिक)—कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का सारांश तथा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 948/90]

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 9)—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—अलग-अलग विषयों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 949/90]

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1989 का संख्या 10)—संघ

सरकार (वाणिज्यिक)—एयर इंडिया में उड़ानों का समय-निर्धारण—हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के इलेक्ट्रिक टाइपराइटर प्रोजैक्ट की विफलता।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 950/90]

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीतकुमार पांजा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक (प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(2) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्याएस. टी. 951/90]

3·24 म. प.

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

महासचिव : मैं 1 जून, 1989 से 27 नवम्बर, 1989 तक की अवधि से सम्मानित संसदीय समितियां (वित्तीय समितियों को छोड़कर) कार्य का सारांश' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

3·24½ म. प.

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : ये विचारणीय विषय कब आएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत सकारात्मक और दृढ़ता से यह बात कही है। मेरे विचार से यहां मंत्रियों ने उसे नोट कर लिया है और संभवतः आज न सही—जब भी वे चाहें, इसका समुचित उत्तर दिया जाएगा। परन्तु उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह कार्यवाही—वृतांत का एक भाग है। अतः उससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : आप टर्म्स आफ रेफरेंस के बारे में तो कुछ बता दीजिए। हम आपको समर्थन देने को तैयार है। (व्यवधान) हम तो आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आप हमें कल तक टर्म्स ऑफ रैफरेंस बता दीजिएं। (व्यवधान) ठीक है, हम आपको इन्तजार करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मैं विधेयकों के बारे में जानता हूं। वह इस बारे में नहीं कर रहे हैं ? वह पिछली समस्याओं के बारे में कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस में क्यों पड़ते हैं ? उसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति करेगी। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : विधेयक पारित करने आदि से हमारा भी उतना ही सम्बन्ध है। परन्तु मूल प्रश्न यह है। हमारी आशंका यह है कि यदि हरियाणा में वर्तमान राजनीतिक स्थिति जारी रहती है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराना निरर्थक होगा। मैं भी सहम गया था। साक्ष्य देने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। वहां की राजनीतिक स्थिति और वातावरण को देखते हुए साक्ष्य देने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। यह बहुत महत्व-पूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, यह आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम निवास पासवान) : जो केस आप हार चुके हैं, उसकी फिर से बकालात क्यों करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें पहले ही कही जा चुकी है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी को यह जानना चाहिए। हरियाणा में यदि वर्तमान राजनीतिक स्थिति और वर्तमान विधान सभा जारी रहती है तो वहां साक्ष्य देने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए यदि आप एक निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो यह राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत होनी चाहिए। मैं केवल यह बात दर्ज कराना चाहता हूं कि हमारी आशंका यह है कि वहां के वर्तमान वातावरण को देखते हुए वहां निष्पक्ष जांच होना असम्भव है। मुझे यही कहना है। दूसरे, यह विधेयकों के बारे में कह रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? इस सत्र में इस पर चर्चा की जानी है। अब अगला कार्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री छोटा।

3·28 म· प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में बढ़ते हुए तनाव के समाचार

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : मैं निम्नलिखित लोक महत्व के अविलम्बनीय मामले की ओर मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें—

"जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों में बढ़ते हुए तनाव के समाचार तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और यह उन सिद्धान्तों के अध्ययन को प्रोन्नत करने का प्रयास करता रहा है जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल के दौरान कार्य किया। ये हैं—राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, जीने की लोकतन्त्रात्मक पद्धति, अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना और समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पिछले 24 वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश में एक प्रमुख विश्व विद्यालय बनकर उभरा है।

माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अशान्ति का एक काल रहा और 1983 में हिंसक घटनाएं और उपद्रव हुए। विश्वविद्यालय में शान्ति बनाए रखने के लिए अनेक शैक्षिक और प्रशासनिक उपाय किए गए थे। इनके परिणामस्वरूप विश्व-विद्यालय में पिछले सात वर्षों के दौरान शान्ति रही है और विश्वविद्यालय प्रगति कर रहा है। तथापि, इस वर्ष फरवरी में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अपनी कुछ मांगों के संबंध में एक पखवाड़े तक आन्दोलन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की मुख्य मांगें इस प्रकार थीं :

— अस्थायी दाखिलों को पुन: बहाल करना;

— पुरानी प्रवेश नीति की प्रगतिशील विशेषताओं को पुन: बहाल करना;

— शैक्षिक परिषद, कार्यकारी परिषद और वित्त समिति में छात्रों का प्रतिनिधित्व;

— महिला छात्रावासों में पुरुष छात्रों के प्रवेश और इसी प्रकार मुख्य छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश का निषेध करने वाले छात्रावास नियमों को निरस्त करना;

— पुस्तकालय जुर्मानों को तर्कसंगत बनाना; और

— भोजनालय नियमों को उदार बनाना।

3·30 म. प.

[डा. लक्ष्मी चुरे पीठासीन हुए]

मैं माननीय सदस्यों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति में परिवर्तनों की पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहूँगा। 1974-75 से 1983-84 तक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले योग्यता के आधार पर दिए गए थे। वंचित वर्गों अथवा क्षेत्रों के लोगों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है और अनु. जा त/अनु जन जाति, आदि को उचित आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। तथापि, यह महसूस करने पर कि शैक्षिक रूप से योग्य छात्रों के प्रवेश में कमी हो रही थी, विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद नई प्रवेश नीति अनुमोदित की जो 1984-85 के शैक्षिक सत्र से लागू की गई और अभी भी लागू की जा रही है। अब एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में निर्धारित योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाते हैं। यद्यपि, आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय वंचनों के महत्व को दूर कर दिया गया है, तथापि, अब से अनु. जातियों के लिये 15 प्रतिशत तथा अनु. जन जातियों के लिए 7½ प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने 14.3.90 को आयोजित अपनी बैठक में पुरानी प्रवेश नीति को पुन: बहाल करने की मांग पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और यह संकल्प व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति और कार्य विधियों की समय समय पर हर चार वर्ष में समीक्षा की जाए। चूंकि पिछली समीक्षा 1986 में शुरू की गई थी, अत: एक नयी समीक्षा 1990 में शुरू की जाए। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश नीति को इसके सभी पहलुओं में समीक्षा के प्रश्न को प्रवेश से संबंधित स्थायी समिति को इसके विचारार्थ और इस वर्ष सितम्बर तक शैक्षिक परिषद को प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया है। प्रवेश से संबंधित स्थायी समिति की सदस्यता का विस्तार किया गया है, ताकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अथवा उनके नामजद व्यक्तियों को शामिल किया जा सके।

विश्वविद्यालय ने उन कठिनाइयों को समाप्त करने के भी उपाए किए है जिनका सामना उन उम्मीदवारों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें अस्थायी प्रवेश दिया जाता है परन्तु वे पंजीकरण के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख, अर्थात 14 अगस्त, तक विश्वविद्यालय को आवश्यक दस्तावेज भेजने में असमर्थ होते है। यह निर्णय किया गया है कि शैक्षिक वर्ष 1990-91 के लिए उन उम्मीदवारों को, जिनका नाम योग्यता सूची में है, और जो 14 अगस्त तक अंतिम परीक्षा की अंकसूचियां प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, प्रवेश परीक्षा में फिर से बैठे बिना आगामी शीतकालीन सत्र अथवा अगले शैक्षिक सत्र में प्रवेश दिया जाए, बशर्ते कि उनके मामलों की केन्द्र तथा सम्बन्धित स्कूल द्वारा सिफारिश की जाए।

माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि पुरुष छात्रावासों में छात्राओं तथा महिला छात्रावासों में पुरुष छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की नीति, उस समाज के सांस्कृतिक स्वरूप के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें हम रहे हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार के प्रवेश पर उचित प्रतिबंध लगाया है। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकारी छात्र छात्राओं द्वारा एक दूसरे के छात्रावासों में अप्रतिबंधित प्रवेश के लिए छात्र संघ की मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

विश्वविद्यालय प्राधिकारी, पुस्तकालय और भोजनालय जुर्मानों के सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ द्वारा बताई गई कठिनाइयों के प्रति भी सहानुभूति दिखाते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष को अन्तर-हाल प्रशासन की सलाहकार समिति के लिए नामजद किया गया है, जहां छात्रावास मामलों पर चर्चा की जाती है। अन्तर हाल प्रशासन ने भोजनालय बिलों और जुर्मानों का भुगतान करने और भुगतान न करने वाले छात्रों के निष्कासन से संबंधित नियमों को उदार बनाने की छात्रों की मांग मान ली है। इसी प्रकार, पुस्तकालय समिति ने पुस्तकालय जुर्मानों के भुगतान सम्बन्धी प्रावधानों में छूट दी है और पाठ्यपुस्तकों की फीरोक्स प्रतियां तैयार करने को सुकर बनाने के उपाय किए हैं। छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तकालय समय में संशोधन किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद और स्कूल अध्ययन बोर्डों में छात्रों का प्रतिनिधित्व है। जबकि अध्ययन के प्रत्येक स्कूल अध्ययन बोर्ड में चुने हुए छात्र हैं, शैक्षिक परिषद में दो योग्य छात्र होते हैं जो प्रत्येक अध्ययन स्कूल द्वारा इसमें चुने जाते हैं। किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और वित्तीय समिति में छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कार्यकारी परिषद ने 8.3.90 को हुई अपनी बैठक में कार्यकारी परिषद में छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए मांग पर विचार किया। उसका यह विचार था कि यह एक एक नीति का मामला है, जिससे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धित हैं और सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान आधार पर विचार कर सकते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि छात्रों की शिकायतों के निवारण के अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रशासन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ जो विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, से सम्पर्क में है। विश्वविद्यालय के कुलपति तथा वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर इन संघों के पदाधिकारियों से मिलते रहे हैं, ताकि उनकी शिकायतों के निवारण तथा पारस्परिक हित के मामलों पर विचार का आदान-प्रदान किया जा सके। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति को एक पत्र में 15.2.1990 को कुलपति और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के बीच पिछली बैठक के निष्कर्षों पर सन्तोष व्यक्त किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्टाफ संघ के महासचिव ने 13.2.1990 को कुलपति को लिखे एक पत्र में विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों की शिकायतों पर कुलपति द्वारा निष्ठापूर्वक और समुचित विचार करने के लिए अपने संघ की ओर से प्रशंसा भी व्यक्त की है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षक, छात्र, और गैर शिक्षक कर्मचारियों की मांगों के प्रति

सहानुभूति दिखाई है और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाता रहा है। मार्च के मध्य में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा आंदोलन वापिस लेने के बाद, परिसर में वातावरण शांति पूर्ण रहा है और परिक्षाएं ठीक प्रकार से आयोजित की गई हैं। विश्वविद्यालय अब अगले शैक्षिक सत्र के लिए छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

विश्वविद्यालय आज व्यापक और जटिल संगठन है और गतिशील परिवर्तन से उत्पन्न बहुआयामी समस्याओं का सामना करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे विविध और बहु संख्यक समाज की एक छोटी दुनिया के रूप में ये बाहर के दबाव और तनाव से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। जबकि हमें विश्वविद्यालयों के लोकतांत्रिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता की पूरी जानकारी है, हमें यह भली भांति याद होगा कि हमने ही विश्वविद्यालयों को स्वायत दर्जा प्रदान किया है ताकि वे अपने कार्यकरण में बिना किसी हस्तक्षेप के उच्च शिक्षा की चुनौतियों का सामना कर सकें। मैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को बनाए रखने और साथ ही उन्हें समाज के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इस सरकार की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करता हूं।

श्री भवानी शंकर होठा: विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कायम रखने के लिए इस सरकार की वचनबद्धता के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने न केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अपितु उन सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया है जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन है। साथ ही उन्होंने इस विश्वविद्यालयों को मात्र या सरकार के प्रति और ज्यादा इन उत्तरदायी बनाने की दिशा में प्रयत्न करने का आश्वासन भी दिया है। मेरे विचार से यह एक बहुत ही संदेहास्पद स्थिति है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रही है उससे मेरे इस सन्देह की पुष्टि होती है कि क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अधिकारीगण इस देश या समाज में किसी अन्य के प्रति जवाबदेह हैं, या नहीं।

सर्वप्रथम, जैसा कि सही कहा भी गया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय एकात्मकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जीवन की लोकतांत्रिक पद्धति, अन्तर्राष्ट्रीय समझबूझ और सामाजिक समस्याओं में प्रति युक्ति संगत दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में इन सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये की गई थी जिनके लिये पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवन पर्यन्त कार्य करते रहे। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है विगत 24 सालों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। यह सच है। कम से कम इस दृष्टि से तो यह एक सत्य है कि 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च के औसत के समक्ष जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रति छात्र औसतन खर्च 35,000 रुपये है जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विज्ञान स्कूल में प्रति छात्र वार्षिक खर्च 50,000 रुपये है जो कि देश के अन्य प्रतिष्ठित विज्ञान-संस्थाओं से दुगुना है।

जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, प्रति छात्र वार्षिक खर्च 35,000 रुपये है जबकि विज्ञान स्कूलों में प्रति छात्र वार्षिक खर्च 50,000 रुपये है। देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में यह स्थिति है। ऐसी यहां की कार्यप्रणाली है। इस विश्वविद्यालय को जिस उद्देश्य को लेकर स्थापना की गई थी क्या उसी उद्देश्य से यहां विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं न तो कुछ कहना चाहता हूं और नहीं कुछ कहने के लिए सक्षम हूं।

यहां पर मैं कुलपति द्वारा हाल ही में एक प्रेस-सम्मेलन में एक समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार का उल्लेख करना चाहूंगा :

[हिन्दी]

"छात्रों का कहना है कि 1983 के बाद उस परिसर के अकादमिक स्तर पर आई गिरावट का कारण प्रशासन द्वारा छात्रों पर थोपे गये दमनकारी कानून एवं कुलपति का अमानवीय व्यवहार"

[अनुवाद]

यही प्रश्न था और कुलपति का यही उत्तर था :

[हिन्दी]

"सारे के सारे आरोप गलत है। छात्र खुद ही पढ़ने में इंटरस्टेड नहीं है।"

[अनुवाद]

छात्रों की पढ़ने में रुचि नहीं है।

[हिन्दी]

अपनी अक्षमताओं के लिए हमें दोष ठहराते हैं।"

[अनुवाद]

इस प्रकार कुलपति ने यह स्वीकार किया है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, जिन पर राष्ट्र 35,000 रुपये प्रति छात्र खर्च करता है, अपने अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं। यह कुलपति का बयान है। अपने साक्षात्कार के दौरान उन्होंने यही बात कही है। हो सकता है, यह एक टेप किया हुआ साक्षात्कार था।

ऐसा क्यों हुआ है ? छात्रों की अध्ययन में रुचि क्यों नहीं है ? स्थिति क्या है ? 1983 में क्या हुआ था ?

उनकी कुछ मांगे थीं। जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इनकी पहली मांग अस्थायी प्रवेश की प्रथा पुनः शुरू करने की थी। ये अस्थायी प्रवेश क्या थे ? उनकी दूसरी मांग पुनः लागू करना था। उनकी तीसरी मांग, पुरानी प्रवेश नीति की प्रगतिशील बातों को छात्रों के प्रतिनिधियों को शिक्षा परिषद, कार्यकारिणी परिषद और विभागीय समिति में शामिल करना था।

महोदय मैं पुनः आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य छात्रों में जीवन की लोकतांत्रिक पद्धति का शिक्षा देना था, इसके अनेक लक्ष्यों में से यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अब छात्रों की कोई नयी सुनवाई नहीं है, शिक्षकों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि कहीं उनका प्रतिनिधित्व है तो वहां उनके अधिकारों को कम कर दिया जाता है। गैर-शिक्षक कर्मचारी विश्वविद्यालय व्यवस्था का एक आधारभूत अंग होते हैं, परन्तु विश्वविद्यालय के कार्यकरण में उनका किसी भी स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। परिषद या विश्वविद्यालय-व्यवस्था किसी उच्च-स्तरीय निकाय में छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसी कारण वे इन मांगों के लिए लड़ रहे हैं तथा मूल शिक्षा नीति को

पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत पिछड़े राज्यों, पिछड़े क्षेत्रों, अल्प-विकसित क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुसंख्यक छात्र प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। हमें पुनः विश्व विद्यालय के इस मूल उद्देश्य की ओर बढ़ना होगा जिस के लिए इसकी स्थापना की गई थी अर्थात पिछड़े तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों के लोगों को योग्य छात्रों को पहचान छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना होगा। यह प्रक्रिया वर्ष 1983 से बन्द कर दी गई थी। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया था? मैं उस विशेष स्थान पर मौजूद था जहां एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने कुछ शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को आमंत्रित किया था। मैं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का महासचिव होने के कारण, जो मैं अब भी हूं, उस विशेष बैठक में सम्मलित हुआ था जहां जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को प्रगतिशील चरित्र को समाप्त किए जाने के लिये व्यापक चर्चा हुई थी। निश्चय हुआ, उस बैठक में यद्यपि यह एक अनौपचारिक बैठक थी—यह निर्णय किया गया था कि यदि पिछड़े राज्यों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के प्रवेश पर नियंत्रण किया जाय और महानगरीय छात्रों को इसमें प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाय तो हो हम विश्वविद्यालय के प्रगतिशील चरित्र और छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकार का यह एक सुनियोजित और षड़यंत्र से भरा प्रयत्न था जिससे कि प्रवेश नीति को संकुचित किया जा सके और मूल प्रवेश नीति को उल्टा जा सके जिससे कि पिछड़े अल्प-विकसित क्षेत्रों के छात्रों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को इसमें प्रवेश से वंचित किया जा सके। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को इस विश्वविद्यालय में अपेक्षित प्रतिशत प्रवेश नहीं दिये जा रहे हैं। अब नियम यह है कि विभिन्न स्कूलों और कालेजों में अनुसूचित जातियों के छात्रों को 15% और अ. ज. जा. के छात्रों को 7½ प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जासके। लेकिन वास्तविक व्यवहार में अनुसूचित जातियों के मात्र० प्रतिशत छात्र ही विश्वविद्यालय में हैं। बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों के छात्र इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित रखे जाते हैं।

ऐसे अनेक मामले है जिनमें विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं और वे खुद अनेक भ्रष्टाचारों के मामले में लिप्त है। विश्वविद्यालय के 30 सेवानिवृत्त प्राध्यापकों में से 28 को दुबारा नौकरी में ले लिया गया है। उच्च श्रेणी के 6 अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात विश्वविद्यालय में पुनः नौकरी में से लिया गया है। यह सेवानिवृत्त अधिकारियों और प्राध्यापकों का अड्डा बन गया है।

1500 फर्नीचर वस्तुएं लापता है। 2 लाख 32 हजार रुपये की अंकन मशीन और डाक शुल्क के गबन का पता चला है। लेखा-परीक्षा के दौरान इस बात का पता चला और विश्वविद्यालय को इसकी जांच करने के लिए कहा गया। लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी लगाये हुए है: यद्यपि यह एक आपराधिक मामला है, लेकिन उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कोई प्राथमिक सूचना रपट आज तक दर्ज कराई है। वे अभी भी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि दो वर्ष की अवधि में केवल एक अधिकारी सेवा-निवृत होने वाला था। लेकिन उस अधिकारी को सेवानिवृत्त की वास्तविक तारीख से 2 वर्ष पूर्व, उसको 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए सेवा में विस्तार किया गया था उसे विश्वविद्यालय में पुनः नौकरी में ले लिया गया। यह विश्वविद्यालय में काम करने का ढंग है। शीर्षस्थ अधिकारी, जो विश्वविद्यालय में अन्य व्यक्तियों

के लिए एक मार्गदर्शक होना चाहिए, का जून 1988 का टेलीफोन का बिल 89000 रुपये का है। आप रजिस्टर, कुलपति, विशेष कार्य अधिकारी के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में इन सभी ने करीब-करीब एक गुट सा बना लिया है और ये सभी विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों का दमन करते हैं तथा इन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं।

महोदय, माननीय मन्त्री जी ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के बारे में कहा है। हम भी स्वायत्तता का सम्मान करते हैं लेकिन विश्वविद्यालय प्रणाली का लोकतंत्री करण किये बिना विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं है। अतः मेरी मांग है कि सरकार को केवल जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही नहीं अपितु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस प्रक्रिया को आरम्भ करना चाहिए ताकि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय में लोकतंत्रीकरण प्रणाली हो। यह प्रणाली 1982 से पश्चिम बंगाल के 7 विश्वविद्यालयों में विद्यमान है। अतः इस प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने, भ्रष्टाचार को रोकने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रभावी उपाय करें ताकि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को पूर्णरूप से खत्म किया जा सके जिससे समाज और योग्य विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए इस विश्वविद्यालय की उत्पत्ति न्यायसंत हो।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक, विद्यार्थी और गैर शिक्षक के बीच में तनाव चल रहा है, वह अभी की बात नहीं है बल्कि बहुत दिनों से तनाव चल रहा है। वहां पर यह तनाव या झगड़ा क्यों होता है, इसका क्या कारण है ? यह यूनिवर्सिटी जब 1956 में बनी थी तो उस समय सरकार की यह मंशा थी कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी हमारे हिन्दुस्तान में भी बनाई जाये ताकि हिन्दुस्तान के सबसे अच्छे-अच्छे लड़के पढ़ कर वहां से निकलें जो देश के लिये कुछ कर सकें, उनका देश के लिये कुछ कंट्रीब्यूशन हो। यही सब बातें सोच कर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई ताकि देश के अन्दर जितने भी अच्छे-अच्छे शिक्षक हैं उनको वहां पर शिक्षित किया जा सके। इसी वजह से सारे हिन्दुस्तान में इसका आज नाम है और हिन्दुस्तान के बाहर भी इस यूनिवर्सिटी का नाम है।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां से कुछ अच्छे-अच्छे युवक पढ़ कर निकलते हैं, वे देश के लिए, हमारे लिए और खास करके इस नयी पीढ़ी के लिये आशाजनक सिद्ध होंगे। लेकिन अभी ये तनाव, झगड़े और गड़बड़ियां वहां क्यों हो रही हैं ? क्या आपके पास ऐसे कुछ मुद्दे हैं या ऐसा कोई उत्तर है, जिससे हमें यह पता चल सके कि यह सब वहां क्यों हो रहा है ? आजकल यही तो हो रहा है। मान लीजिये हमारी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी जब सरकार में आती है तो वह यह देखती है कि उनके आदमी वहां पर शिक्षक हों और उन्हीं का ही वह वहां पर एपाइंटमेंट करते हैं, ऐसा मुझे मालूम है। पहले जो सरकार थी, उनको जो अच्छा लगता था, उसी को वहां लाकर एपाइंट करता थी और शिक्षक भी वे ऐसे चुनकर लाते थे, चाहे उनमें योग्यता हो या न हो, चाहे वे अच्छे पढ़े-लिखे हों या न हों क्योंकि वे चाहते थे कि अगर ऐसे आदमी वहां रखेंगे या इस प्रकार के जो विद्यार्थी आयेंगे तो कम से कम वे हमारी बातों को तो मानेंगे और हमारी मंशा के मुताबिक आगे जाकर काम करेंगे, इसी वजह से ये सब हो रहा, ऐसा मुझे मालूम है।

इस संबंध में मुझे थोड़ा-बहुत यह भी मालूम है कि जो शिक्षक नियुक्त होता था, जो वाइस चांसलर नियुक्त होता था वे आदमी ऐसे रखते थे ताकि वे सरकार की मानकर चलें, लेकिन ये तो हम लोगों की बातों है। यह सबसे अच्छी दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी है और वहां पर इस प्रकार से सरकार की मंशा चलेगी तो वहां से अच्छे लड़के पढ़ कर नहीं निकल सकते हैं, जिनकी कि इस देश को जरूरत है। आज सवाल यह है कि क्या यह तनाव बन्द होगा या नहीं होगा ?

तनाव क्यों होता है, तनाव तब होता है जब सारी चीजों का लोगों को पता चल जाता है। जब तक लोगों को देश का का, दुनिया का, सरकार के हालात का पता नहीं चलता, किस तरह से वहां पर शोषण होता है, किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्लाइट किया जाता है, इन चीजों का जब तक लोगों को पता नहीं चलता तब तक लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब पता चल जाता है तब तक कोई चुप नहीं रहता। तब लोग कहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, उनकी मांगों को माना जाना चाहिए, उनकी मंशा पूरी की जानी चाहिये। इन चीजों को वे प्रकट करना चाहते हैं और तब तनाव पैदा होता है। आज जो तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं, इन्हीं चीजों का परिणाम हैं। जब वहां पर नौजवानों को पता चला कि यहां पर कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, किस तरह से लोगों को एक्सप्लाइट किया जा रहा है, कितना करप्शन हो रहा है, इन चीजों के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, तब यह सारी चीज पैदा हुई।

सभापति महोदय, यह करप्शन कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, यह नहीं कि 6 महीने पहले आई सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह 24 सालों से वहां पर चल रहा है और इसके बारे में इस सदन में कई बार हम इन चीजों को उठा चुके हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इन चीजों को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। आज हमको इस सरकार से, श्री वी. पी. सिंह की सरकार से आशा है कि वह इस व्यवस्था में परिवर्तन करेगी और वहां की गड़बड़ी है, उसको दूर किया जाएगा। इसके लिए सरकार को शीघ्र ही कुछ करना चाहिए।

मेरे साथी ने कुछ बातें बताईं, मैं भी 2-3 बातें कहना चाहता हूं और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, क्यों वहां पर असंतोष का वातावरण है।

यह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमेटी की संयुक्त लोकसभा की रिपोर्ट है, वाल्यूम नंबर 39, इसमें कहा गया है कि साढ़े 12 परसेन्ट शेड्यूल कास्ट के लिए और 5 परसेंट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन इसको वहां पर पूरा नहीं किया गया, वहां पर 6.64 शेड्यूल कास्ट के लिए और 5.35 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन पूरा किया गया। इसके लिए कई बार कहा गया कि एजूकेशन डिपार्टमेंट ने जितना रिजर्वेशन तय किया है, 15 परसेंट शेड्यूल कास्ट के लिए और साढ़े 7 परसेंट शेड्यूल ट्राइब के लिए, कम से कम उसको तो पूरा किया जाए, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया गया। इसी तरह से यू जी सी द्वारा लिखा गया था कि अनुसूचित जाति और अनजाति के प्रत्याशियों के लिए पी एच डी में 55 परसेंट की योग्यता को आधार माना जाए, लेकिन वहां पर 58-59 परसेंट कर दिया गया।

सभापति महोदय, इस तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं, और भी दूसरी तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं, तभी यह सब झगड़ा पैदा हुआ है। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को अविलम्ब इस ओर ध्यान देना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ये चीजें न हों।

इस विश्वविद्यालय में हर जगह पर हेराफेरी हो रही है, यहां तक कि वाइसचांसलर भी हेराफेरी में लगे हुए हैं तो फिर वहां का वातावरण अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि सिर्फ जे एन यू ही नहीं, बल्कि जहां भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सब जगह एक एक मिनिस्ट्रेटर रख दीजिए, जो वहां के डे टू डे अफेयर्स को देखे और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कर्मचारियों को एक ही काडर दे दीजिए, ताकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजा जा सकें। इसके अभाव में लोग 20-25 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहते हैं, जिससे उनके हेराफेरी करने के चांसेज बढ़ जाते हैं, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अन्त में एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो सारी अव्यवस्था है, इसके कारणों को जानने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने के लिए मंत्री महोदय की ओर से एक कमेटी का गठन कर दिया जाए, ताकि इस विश्वविद्यालय का नाम पहले की तरह देश के अंदर ऊंचा हो सके।

4.00 म.प

श्री गोपाल पचेरवाल (टोंक) : सभापति महोदय, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपना बयान दिया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और सदन का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज जो शिक्षा जगत में गुरु और शिष्य के बीच में मतभेद उभर रहा है और पहले जो गुरु का देश में सम्मान था, एक शिष्य गुरु के प्रति सम्मान और आदर रखता था, आज वह देश में नहीं है। हमें इस संबंध में विचार करना पड़ेगा कि गुरु के प्रति शिष्य का आदर भाव क्यों नहीं है। इस बारे में विचार और चिन्तन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है वैसा दुनियां के किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से टेलीफोन का बिल, 15-15 सौ फर्नीचरों का गायब होना, 2 लाख 32 हजार रुपये पोस्टेज के नाम पर धन का दुरुपयोग करना, इन सारे मुद्दों पर हमें सोचना पड़ेगा। आज जो छात्र आन्दोलित होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मैं उन छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन छात्रों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नाम से जिसका सम्मान देश में है, शिक्षण संस्थाएं, जो पवित्रसंस्थाएं होती हैं जब उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा और वहां का विद्यार्थी उसके खिलाफ आंदोलन करेगा तो मैं उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और उन विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा। जहां पर भ्रष्टाचार की लड़ाई विद्यार्थी लड़ रहा हो उसे सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी और कुलपति के आवास और सुरक्षा के नाम पर और आवास की साज-सज्जा के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं और धनका दुरुपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, आज कितने छात्र बैकवर्ड इलाके से आते हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, माइनोरिटी के लोग आते हैं, जो गरीब वर्ग से संबंधित हैं उनको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। 1983 में जो आन्दोलन हुआ, संघर्ष का जो काल रहा, वहां के विद्यार्थियों के सवालों को लेकर वहां आंदोलन किया कि पिछड़े क्षेत्र से जो लोग आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग आते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर वहां प्रवेश दिया जाना चाहिए। लेकिन इन्दिरा गांधी के जमाने में, 1983 में उन पर रोक लगायी गयी, उन लोगों के प्रवेश

को वर्जित किया गया। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा और मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जो पिछड़े, दलित और शोषित लोग हैं, जो पिछड़े इलाकों से आते हैं, अविकसित क्षेत्रों से आते हैं उनको वहां प्रवेश मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा सरकार से निवेदन है कि, हमारे यहां कल्याण मंत्री जी बैठे हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी की नीति है कि पिछड़ों को आगे लाने का काम किया जाना चाहिए। यह काम पिछले 40 सालों में पिछली सरकार के द्वारा नहीं किया गया। क्या मंत्री जी बतायेंगे और मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नेहरू विश्वविद्यालय में एक परसेंट भी आरक्षण की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है। हमारे पिछड़े, दलित शोषित के लिए जो आरक्षण का कोटा है उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। आज एक परसेंट भी उनकी नियुक्ति नहीं की गयी। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय जवाब दें कि चपड़ासी से लेकर लैक्चरार और प्रोफेसर तक किसी भी आरक्षित कोटे की पूर्ति क्यों नहीं की गयी? शिक्षा जगत में जब भेदभाव होगा, शिक्षा जगत में पिछड़ों की उपेक्षा होगी तो हम पिछड़ों को आगे कैसे लायेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी आए दिन पिछड़ों को आगे लाने की बात कर रहे हैं और शिक्षण संस्थाएं, जो पवित्र संस्थाएं मानी जाती हैं वहां पर उन लोगों की उपेक्षा होगी तो उस वर्ग के साथ घोर अन्याय होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दें कि जो वहां पर भ्रष्टाचार है क्या उसकी जांच करवायेंगे? मकानों और आवास की साज-सज्जा के नाम पर जो लाखों का गबन हो रहा है, क्या उसकी जांच करवायेंगे? वहां हजारों रुपये टेली-फोन का बिल एक अधिकारी के नाम पर आता है, क्या उसकी जांच करवायेंगे? 2 लाख 32 हजार रुपये का अवैध खर्चा और गबन किया गया है, क्या उसकी जांच करवायेंगे?

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा मंत्री जी आरक्षण के सवाल पर मुझे जवाब दें कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या आरक्षण के कोटे की पूर्ति करवायेंगे?

श्री बृज भूषण तिवारी (दुमरियागंज) : माननीय सभापति महोदय, आज जो शिक्षा मन्त्री द्वारा इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में बयान दिया गया वह बयान बहुत अस्पष्ट है और सारे तथ्यों को ठीक तरीके से नहीं दर्शाया गया है, बल्कि बहुत से तथ्य छिपा लिए गये हैं। जहां तक पहला पैरा है, जिसमें इस विश्व विद्यालय स्थापना के उद्देश्य के सम्बन्ध में कहा गया है, वह विश्व विद्यालय इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि हिन्दुस्तान के मैरी-टोरियस विद्यार्थी हैं, मेधावी छात्र हैं उन छात्रों को उच्च स्तर की उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस संकल्प के लिये, इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर उसकी प्रवेश नीति की दो विशेषताएं थीं—एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र और दूसरा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है उसमें हमारा नार्थ-ईस्ट का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां से जो विद्यार्थी आते हैं उनको भी वेटेज मिलता था और उसके साथ-साथ बैकवर्ड क्लास के, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आते थे उनको भी वेटेज मिलता था। और उस आधार पर उनका दाखिला होता था, मगर 1983 के बाद जो नई प्रवेश नीति लाई गई उसका यह नतीजा हुआ कि विश्वविद्यालय में कुल संख्या 3500 विद्यार्थियों की थी वह घटकर 2500 हो गई और जो इसका अखिल भारतीय चरित्र था वह नष्ट हो गया माननीय सभापति महोदय, मैं यह तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 70 फीसदी कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली के छात्र हैं। जिनकी कुल आबादी वाले हिन्दुस्तान के 492 जिले हैं वहां के छात्रों को दाखिला नहीं मिलता। जहां-तक इसके अकेडमिक स्तर की बात है, खोज नहीं हो रहे हैं। यह रिपोर्ट में है कि एक-एक विषय पर कई खोज

कराई गई और जो वहां के छात्रों के बारे में कल्पना थी कि वह विद्वान निकलेंगे, विषयों के विशेषज्ञ निकलेंगे, बहुत से आई. ए. एस. में आते थे, अब वह उसमें भी नहीं आ रहे हैं। वह केवल मल्टी नेशनल कम्पनीज, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जा रहे हैं और वहां लाइजनिंग का काम कर रहे हैं। इतना खर्च करने के बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की यह स्थिति है। वहां के शिक्षक संघ, और कर्मचारी संघ में व्यापक असंतोष है। यह बात वहां पर गलत कही गई है कि जो वहां के उप-कुलपति हैं। वे विद्यार्थियों, अध्यापकों से और कर्मचारियों से मिलते हैं, बिलकुल नहीं मिलते हैं। उनका रवैया बहुत ही तानाशाही पूर्ण है। वहां के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने उप-कुलपति के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की है और वहां के वरिष्ठ अध्यापकों को उसका समर्थन प्राप्त है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में उनका क्या कहना है ? क्योंकि उन्होंने अपने बयान में इस तथ्य को नहीं दर्शाया है।

लड़के-लड़कियों के आपस में छात्रावास में, सार्वजनिक स्थानों में मिलने की बात पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। 1966 से लेकर 1975-76 तक एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें यह पाया गया हो कि लड़कों ने लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया हो या उनके साथ छेड़खाड़ की हो। पहले इनके बारे में जो नीति थी उसमें यह नहीं था कि वह एक कमरे में साथ-साथ रहें, बल्कि यह था कि कांफ्रेंस हाल में, लाज में और डाईनिंग हाल में वे सार्वजनिक रूप से मिलें और एक आदर्श स्थापित करें जहां विभिन्न स्थानों से विभिन्न जातियों के विद्यार्थी आते हैं। लेकिन जब उनके मिलने पर रोक लगाई गई तब से कुछ घटनायें ऐसी सुनने को मिली हैं। वहां जो वित्तीय भ्रष्टाचार है जिसके बारे में हमारे साथियों ने चर्चा की, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन में वित्तीय गोलमाल और ग्रंथालय से लगभग 10 लाख रुपये की पुस्तकों का नुकसान दिखाया गया है।

[हिन्दी]

पुस्तकालय में जब फिजीकल वेरीफिकेशन हुआ, लाखों की किताबें गायब हो गई। वहां के विद्यार्थियों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रो. एम. जी. के. मेनन से सम्पर्क किया और वहां के प्रतिनिधि मण्डल ने वर्तमान प्रधान श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से भी मुलाकात की, सब जगह उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इसलिए मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस वर्तमान उप-कुलपति से कहिए कि वह छुट्टी पर चले जायें। विजिटर द्वारा सारे आरोपों की जांच करायें। अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाएं और उस बैठक में टर्म्स आफ रेफरेंस निश्चित हों और तब आकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का मामला नहीं है, जितने भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जैसे काशी विश्वविद्यालय है वहां पर भी जबर्दस्त भ्रष्टाचार है। इनको आर्डिनेंस के तहत चलाया जा रहा है। इनका जो जनतांत्रिकरण है वह समाप्त हो गया है। इसमें विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की हिस्सेदारी हो, अगर आप तानाशाही तरीके से भ्रष्टाचारी आचरण से विश्वविद्यालयों को चलायेंगे तो शिक्षा को समाप्त करेंगे ही जो हरिजनों के लिए आरक्षण की बात कही गई है वह भी फ्राड साबित होगी। एक अध्यापक ने हरिजन छात्र के साथ

दुर्व्यवहार किया। पुलिस केस रजिस्टर्ड हुआ और मामला सदन में उठाया गया। यह 1983 की बात है लेकिन आज तक उस पर कोई कारवाई नहीं हुई। यह एक रिजर्वेशन की बात कही जाती है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों आदिवासियों आदि के नाम पर जो अंग्रेजी परस्त लोग हैं और जो अंग्रेजी तेज बोलते हैं, उन हरिजनों का नाथ ईस्ट के लोग हैं खानापूरी करने के लिए उनको भर्ती कर लिया जाता है, उत्तर प्रदेश का हरिजन, बिहार का हरिजन, मध्यप्रदेश का हरिजन, आदिवासी इलाके का हरिजन, उसका दाखिला नहीं होता है। केवल अंग्रेजीदां लोग, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स और केवल बड़े व्यापारी परिवारों के लोगों का होता है तो यह एक एलिटिस कल्चर है और जो व्यवस्था है वह शिक्षा को सीमित करने की है। इसलिए यह विश्वविद्यालय अपने परम उद्देश्य से हट रहा है। लिहाजा इसकी जांच करना बहुत आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री चिमन भाई मेहता : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव मेरे लिए अत्यन्त लाभदायक रहे हैं और सम्बन्धित लोगों अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उन्हें दिये गये अभ्यावेदनों का मैंने पूर्णतया अध्ययन किया है।

अब वास्तविकता यह है कि इसमें लोकतन्त्रीकरण किये जाने के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सम्मिलित हैं और हम सब यही चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लोकतन्त्रीकरण की जरूरत है क्योंकि उनकी नियुक्ति विजिटरों, महत्वपूर्ण निकायों द्वारा की जाती है और विश्वविद्यालय की वर्तमान संरचना में निम्न स्तर पर पर्यवेक्षण तथा जांच और उत्तरदायित्व उपलब्ध नहीं है। अनेक विश्वविद्यालयों में ऐसा हो रहा है और हम केवल जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं अपितु अन्य विश्वविद्यालयों में भी हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हम इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और हमने इस बात को समझ लिया है विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम में कैसे लोकतन्त्रिक बनाया जाए ? हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के सहयोग से इस मामले में कुछ कर सकेंगे और समाज में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः हम उन सबसे परामर्श करेंगे और दीक्षा समीक्षा समिति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को समीक्षा और पुनरीक्षण करने के लिए गठित की गई है, भी इस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में माननीय सदस्यों के अभ्यावेदन भी आमंत्रित किये जाते हैं और इस प्रकार समिति में सभी वर्गों को उचित रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अब जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण का संबंध है, हमारे उपबन्धों में की गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लगभग पन्द्रह प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण किया गया है। परन्तु प्रवेश के लिए पात्रता पर भी पुनः विचार करना आवश्यक है। आजकल प्रवेश परिक्षा होती है और यह सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। परन्तु विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के मामले में परीक्षा सफल होने के लिए 45 से 60 प्रतिशत तक अपेक्षित न्यूनतम अंकों में छूट दी गई है। परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना पड़ता है अर्थात पास होना आवश्यक है। इन विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में अन्य विद्यार्थियों के अंकों की अपेक्षा पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। बाईस प्रतिशत आरक्षित कोटे में से आज आरक्षण लगभग साढ़े चौदह प्रतिशत पहुंच चुका है। हम चाहते हैं कि इसमें और वृद्धि हो यह कैसे की जा सकती है, क्या परीक्षा से पहले

कुछ विवरण आदि दिया जा सकता है एक तरीका तो यह हो सकता है। यदि समीक्षा समिति कोई अन्य तरीका सोचती है तो उन्हें अपना सुझाव देने की छूट है। परन्तु समीक्षा समिति के सभी सुझाव यहीं आएंगे तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारे संसद सदस्यों की अहम् भूमिका होगी। अन्ततः आपने ही यह निश्चय करना है कि किस सीमा तक छूट दिये जाने की आवश्यकता है तथा किस सीमा तक उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि वर्ष 1983 तक पिछड़े क्षेत्रों, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छूट थी तथा उन पर विचार करते समय उन्हें बीस प्रतिशत की छूट दी गई थी। तब विश्वविद्यालय को यह पता चला कि छात्र-समुदाय का शिक्षा का आम स्तर गिरता जा रहा है। उन्होंने यह टिप्पणी की थी। (व्यवधान)

श्री बृज भूषण तिवारी : क्या इसका कोई मूल्यांकन किया गया था ?

श्री चिमन भाई मेहता : विश्वविद्यालय ने हमें यही सूचित किया है। (व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं, जिनका सूची में नाम है। यह कोई तरीका नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरी अनुमति के बिना आप इसे नहीं उठा सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जो भी उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री चिमन भाई मेहता : मैंने उस मत को बता दिया है जो विश्वविद्यालय ने व्यक्त किया है तथा इन सभी पहलुओं पर वे विचार कर रहे हैं क्योंकि स्पष्टतः विद्यार्थियों की योग्यताओं के बारे में मापदण्डों में कुछ गिरावट तो आई ही है तथा इन सभी का स्तर गिरा है। इस सीमा तक विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। निश्चय ही उस पर विचार किया जाएगा : हम उसका ध्यान रख सकते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, हम भ्रष्टाचार के पक्ष में बिलकुल नहीं हैं। माननीय सदस्यों ने टेलीफोन के बिलों, भाई-भतीजावाद पक्ष-पात, पुनः रोजगार देने के तरीकों तथा अन्य कई बातों के सम्बन्ध में यह तथ्य पेश किये हैं। हम निश्चय ही इन पर विचार करेंगे। हम भी यह मानते हैं कि विभाग द्वारा ऐसी बातों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इसीलिए, इससे वे समझ सकते हैं कि ऐसे मामलों में हम क्या कर सकते हैं।

मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि छात्रावास में प्रवेश के बारे में सदस्य इसके पीछे क्यों पड़े हैं। सामान्यतः उनके अनुसार मैंने सभी विश्वविद्यालय छात्रावासों की जांच नहीं की है— लड़कियों तथा लड़कों के छात्रावासों में प्रवेश पर कुछ प्रतिबन्ध हैं। अन्य सदस्य इस बात को नहीं उठा रहे। परन्तु कुछ बातें दिन के चांदने में नहीं हो सकतीं लोगों की अपनी प्रतिष्ठा तथा अन्य बातें होती हैं। परन्तु हमें सामाजिक स्वरूप तथा अन्य बातों पर विचार करना है। यह नहीं कि उनको विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुलने-मिलने नहीं दिया जाता किन्तु छात्रावासों में केवल किसी विशेष समय में प्रतिबन्ध होता है। वे इन कालेजों में एक साथ अध्ययन करते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज भूषण तिवारी : यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया ? क्या कोई शिकायत थी या विद्यार्थियों की मांग थी ? इस प्रतिबन्ध को लगाने के क्या आधार थे ?

श्री चिमन भाई मेहता : जैसा कि आप बार-बार कह रहे हैं हम इस पर विचार करेंगे। मैंने सोचा था कि यह वाद-विवाद का मुद्दा नहीं होगा।

स्टैम्पों तथा फीस के गबन का मामला जब हमारे ध्यान में आया तो हमने स्वयं ही पूछा था कि मामले के बारे में तुरन्त पुलिस अधिकारियों को बताना चाहिए था तथा कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु इस गबन में शामिल व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कुछ तथ्य हैं। उन्हें मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। दो वर्ष के पश्चात यह पता चला कि लगभग 2½ लाख रुपये या इसके बराबर मूल्य की स्टैम्पों का गबन किया गया है। परन्तु हमने अपनी राय बना दी थी कि मामले को तुरन्त पुलिस को बता देना चाहिए था। उन्होंने कानूनी सलाहकार की कानूनी राय ली है जिसने कहा कि ऐसे मामले में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

कुछ और भी मुद्दे हैं। कुलपति के वेतन के बारे में मामला उठाया गया था इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में भी उठाया गया था। एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया था।

श्री बृज भूषण तिवारी : आगन्तुकों की पूछ-ताछ के बारे में क्या विचार हैं ?

श्री चिमन भाई मेहता : मैं समझता हूं कि आगन्तुकों की पूछताछ का मामला एक बहुत ही गम्भीर मामला है। सभी तरह के पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। विभिन्न किस्म से तथ्य एकत्रित करने पड़ेंगे। इसीलिए, इस मुद्दे पर हम वचन नहीं दे सकते। हमें बताया गया है कि कुछ पहलुओं पर वे विचार करने जा रहे हैं।

श्री भवानी शंकर होडा : मैं जो भी कुछ जानता हूं उसे बताना चाहता हूं, चाहें वह गलत है या ठीक है। पहली बात तो यह है कि उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण के बारे में कोई राय प्रकट नहीं की। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि वे इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे तथा इस पर अन्ततः सरकार ही विनिश्चय करेगी। दूसरे मैं पीछे जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। परन्तु मैं आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जो भविष्य में हो सकता है। तीन दिन पहले विश्वविद्यालय पुस्तकालय का मुख्य द्वार गिर गया था तथा एक महीना पहले पर्यावरण संबंधी विज्ञान खंड के भवन का एक हिस्सा गिर गया था। पुस्तकालय भवन के बारे में प्रामाणिक रिपोर्ट यह कहती है कि पुस्तकालय भवन में कोई अग्निशमन उपकरण नहीं है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है तथा तब हम उसके लिए पंजाब या कश्मीर के आतंक वादियों को दोषी बताएंगे। यह वही आदमी है जिसने यह प्रमाण-पत्र दिया था कि अग्निशमन उपकरण सही तरीके से नहीं लगा था तथा यह वही आदमी है जिसे अब विश्वविद्यालय की देख रेख करने के लिए अधिकारी के रूप नियुक्त किया गया है। यह सब कुछ हो रहा है।

श्री चिमन भाई मेहता : हम उन सभी मुद्दों की जांच करने जा रहे हैं जो माननीय सदस्य ने यहां उठाए हैं। इसका अर्थ है कि सम्बन्धित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हम मामले की जांच करेंगे। जब मैं यह कहता हूं कि हम इसकी जांच करेंगे तो वास्तव में इसका कुछ अर्थ है। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। नियुक्ति, स्थानांतरण तथा

विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में माननीय सदस्यों के साथ हमें कभी कठोर रवैया अपनाना पड़ता है। इसीलिए माननीय सदस्यों ने जो भी कठिनाइयां बताई हैं उन्हें हम वास्तव में गम्भीरता से लेने के लिए आबद्ध हैं। निश्चय ही हम उनकी जांच करेंगे।

समापति महोदय : अब सभा अगले मद अर्थात मद संख्या 13 पर विचार करेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक*

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

समापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसेकुरा) : इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए मैं मन्त्री महोदय को हार्दिक बधाई देती हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : श्री राम विलास पासवान जी मेरे बहुत अच्छे गम्भीर मित्र हैं। मैं उनका बड़ा आदर और अदब करता हूं। लेकिन जो बिल यहां पर वे लेकर आए हैं, हमें उम्मीद थी कि एक ऐसा बिल लेकर आएंगे जो वास्तव में महिलाओं के कल्याण के लिये, महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिये एक कारगर साधन बन सकेगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, यह देखकर तकलीफ होती है कि इस बिल के अन्दर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह उन सारी आशाओं को पूरा कर सकेगा, सिर्फ एक बात के कि सरकार को जो आशा इसके साथ जुड़ी हुई है पब्लिसिटी की, पोलीटिकल माईलेज लाने की, राजनीतिक फायदा उठाने की, वह जरूर सरकार को मिल जाएगी। किसी और से यह उम्मीद हो सकती थी, राम विलास पासवान जी से यह उम्मीद नहीं थी। इस बिल के चैप्टर 2 में कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार एक निकाय का, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग कहा जाएगा, गठन इस अधिनियम के प्रयोजन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए करेगी।"

*दिनांक 22 मई, 1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो खण्ड-दो में प्रकाशित।

4.28 प. प.

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

[हिन्दी]

लेकिन आपको ताज्जुब होगा आपने शायद इस बिल का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया अन्यथा आपके संघर्ष के इतिहास को, आपकी मानसिकता को, आपके छोटे भाई के रूप में जितना समझता हूं, आप पहली सदस्या होतीं जो इसके इन्ट्रोडक्शन को प्रोपोज करतीं कि हो सकता है आपकी नजर में आ पाया हो क्योंकि इस बिल के अन्दर सब कुछ है, सारा पब्लिसिटी मैटिरियल है ऐक्सैप्ट कमीशन को कोई पावर नहीं दी गई है. कमीशन के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, केवल एक उम्मीद कमीशन से की गई है, वह उम्मीद इस बात की की गई है कि यह कमीशन फंक्शन करेगा। कैसे फंक्शन करेगा ? जो शिकायतें मिलेंगी, उनको देखने का काम करेगा। मन्त्री के रूप में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि मन्त्री चाहे हमारी तरफ के रहे या उनकी तरफ के मन्त्रीगण रहे हों, जब भी सदस्य लोग लिखते थे तो कहते थे कि शिकायतों की तफ्तीश करेंगे हम दिखवा लेंगे और इस मामले को देखा जा रहा है। यह कमीशन भी यही काम करेगा। यह केवल शिकायतों को देखने का काम करेगा क्योंकि शिकायतों के ऊपर एक्ट करने के लिये इस कमीशन के पास कोई पावर नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय जब अपने चन्द शब्द कहें तो उस समय मेहरबानी करके इस सदन की ओर इस सदन के माध्यम से इस देश को बताने का कष्ट करें, कि जो महिलाओं के प्रति शिकायतें महिलाओं को होती हैं, उन शिकायतों को दूर करने के इस कमीशन के पास पावर कहां पर हैं ? इस कमीशन के पास ऐसा आर्गनाइजेशन कहां पर है कि यह उन शिकायतों के ऊपर कोई ऐक्शन ले सके। आपने केवल एक स्क्रीनेटन बनाया है जिस में 5-7 लोगों को रखेंगे, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है।

मेरे मित्र चिदम्बरम कह रहे थे कि उसमें कुछ रिटायर्ड डिफिटिड पालिटिशन्स को रखने का करेंगे। यह हो सकता है कि उन लोगों को वहां लगा कर आपकी सरकार की जिम्मेदारी और आंख बच जाये लेकिन क्या इससे महिलाओं के कल्याण के लिये कोई काम हो सकेगा ? ऐसा हम को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ इस सम्बन्ध में काम करें। मेरा कहना यह है कि यह बिल महिलाओं की अभिलाषाओं को पूरा करने में एक प्रकार का पूर्ण-विराम लगाता है। एक प्रकार से उनके साथ यह ज्यादती है। केवल राजनीतिक उद्देश्य से पब्लिसिटी ग्रहण करने के लिये यह बिल यहां लाने की चेष्टा की गई है। यह एक प्रकार से सदन की अवमानना करना है और सदन के समय की बर्बादी है। इसलिये मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूं और इस संकल्प के साथ कि मेरे मित्र के द्वारा पेश किया गया यह बिल है, दिल से नहीं चाहता कि इसको अपोज करूं लेकिन अपोज कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्योंकि इस समय मैं पीठासीन हूं इसलिए मैं नियमानुसार ही कार्य करूंगी।

श्री चिदम्बरम ने इस विधेयक का विरोध करने के लिए सूचना दी है। नियमों के अनुसार जिन्हें वे जानते हैं, उनकी सूचना 10 बजे तक मिलनी चाहिए थी ताकि वे इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध कर सकते।

श्री पी चिदम्बरम (शिवगंगा) : कोई बात नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें उनके इस महिला विरोधी दृष्टिकोण पर आपत्ति है। उन्हें इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग (बेतूल) : मैं भी इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह समय पर नहीं आया है।

[अनुवाद]

समापति महोदय : श्री हरीश रावत पहले ही बोल चुके हैं और जब विधेयक पर नियमित रूप से वादविवाद होगा तब श्री चिदम्बरम को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उन्होंने यह लिखा है कि उनका विरोध सवैधानिक आधार पर है? इस चरण पर केवल सवैधानिक आधार पर विरोध किया जा सकता है।

समापति महोदय : मैंने नियमानुसार पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : तकनीकी बातों में क्यों उलझ रहे हैं? कृपया अनुमति दे दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : समापति महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। रूल्स आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनस इन लोक सभा 72 (1) अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि बिल को अपोज करने के मैम्बरों के पास सारे के सारे अधिकार हैं, लेकिन उसमें यह लिखा है कि :

[अनुवाद]

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान सूत्रपात करता है जो समा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा :"

[हिन्दी]

प्रश्न यह है कि जो हरीश रावत जी ने बात उठायी है कि अधिकार नहीं मिले हैं, ये बातें बाद में भी उठायी जा सकती हैं। मैं अभी बिल का इंट्रोडक्शन मंत्री की हैसियत से कर रहा हूं। अगर उस इंट्रोडक्शन में कोई लैजिस्लेटिव खामी रह गई है या फिर कानूनी दृष्टिकोण से कोई उसकी पूर्ति नहीं हुई है तो उसको यहां उठाया जा सकता है। जो प्वाइंट्स उन्होंने यहां उठाये हैं; उनको टच करने की अभी स्टेज नहीं है। जब इस विषय पर डिसकसन होगा तब उनको ये सब कहने का पूरा अधिकार होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपत्ति स्वीकार की जाती है क्योंकि इस सत्रावसान पर इस विधेयक के पुन:स्थापन का विरोध किया जा सकता है।

अध्यक्ष पीठ द्वारा उन्हें अनुमति मिल गयी है लेकिन नियमों के अनुसार स्थिति यही है। इसलिए आपत्ति स्वीकार की जाती है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदया, यह आपत्ति श्री रावत के बोलने से पहले की जानी चाहिए थी। क्योंकि आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है इसलिए श्री चिदम्बरम को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आपत्ति स्वीकार की जाती है और यह अध्यक्ष पीठ द्वारा दी गयी व्यवस्था है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मन्त्री विधेयक को पुर:स्थापित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक*

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

संघ श्री हरीश रावत

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह गवर्नमेंट इन वायदों के साथ सत्ता में आयी थी कि हम

*दिनांक 25.5.1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2 में प्रकाशित।

वरिष्ठ लोगों, बेरोजगार लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। लेकिन हम जो इस बिल में देख रहे हैं मैं इस बात को समझता हूं कि कई इसमें अच्छी बातें हैं जिनका कि मैं स्वागत करता हूं लेकिन

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदया, उनका नाम व्यानाकर्षण में नहीं है इसलिए वे प्रत्येक विधेयक पर बोल रहे हैं।

श्री हरीश रावत : महोदया, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के पदचिह्नों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। वे मेरे अग्रज हैं।

सभापति महोदय : यह विचार बुरा नहीं है।

श्री हरीश रावत : किन्तु मैं उनके पीछे इस ढंग से नहीं चलूंगा जिस ढंग से वे प्रतिक्रियावादी सरकार की ओर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इंट्रोडक्शन के लिए माननीय मिनिस्टर साहब के पास यह बिल आया तो उन्होंने इस बिल को ठीक तरह से देखा नहीं। मुझे दिनेश गोस्वामी जो कैसे समझदार आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह जिस आदमी की जेब में चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते उसकी मेम्बरशिप फीस को 250 रुपये से बढ़ा कर 750 रुपये कर दिया जाए। एक जो ऐडवोकेट जो अपना जीवन प्रोफेशन शुरू करने जा रहा है उसके ऊपर यह दबाव डालना मैं ठीक नहीं समझता हूं। अधिष्ठाता महोदय, एज ए सोशलिस्ट, अब तो आप कम्युनिस्ट नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट नहीं हैं क्योंकि क्लास में परिवर्तन आ रहा है।

[अनुवाद]

महोदया, समाजवादी होते हुए भी आप इस विधेयक का समर्थन कभी नहीं करेंगी।

सभापति महोदय : इसमें संवैधानिक बात क्या है ?

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मैं अध्यक्ष पीठ के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि पीठासीन व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं।

[हिन्दी]

दादा सोमनाथ जी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं श्री दिनेश गोस्वामी जी से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें जो 250 रुपये से बढ़ा कर 750 रुपये रुपये फीस को कर दिया है, यह ठीक नहीं है। जीवन प्रोफेशन के ऊपर एक अनसेसरी बर्डन है। मेहरबानी कर के इस बिल को रिप्यु कराइये ताकि इस पर विचार के समय हमें इसका विरोध न करना पड़े। मेरे विचार में मन्त्री जी की नजर में यह खतरनाक क्लाज नहीं पड़ पायी है। मेहरबानी करके इस खतरनाक क्लाज को दूर करने की कोशिश करें।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदया, जो भी विधेयक हम लाते हैं उस पर आपत्ति करने की हरीश रावत द्वारा स्वयं को प्रकाश में लाने के उनके सभी प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। परन्तु मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि भारत की बार काउंसिल ने कुछ सुझाव दिये थे और भारत की बार काउंसिल द्वारा दिये गये उन सुझावों पर बड़ी गंभीरता से विचार करने के बाद हमने यह विधेयक पुरः स्थापित किया है। इस विधेयक के सभी उपबंधों पर बाद विवाद किया जायेगा और बाद विवाद के दौरान सदस्यगण अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं और हम उस समय उन पर विचार करेंगे। इस समय ऐसा करना उचित नहीं होगा। इस समय आपत्तियां भी उचित नहीं हैं।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : महोदया, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस समय स्पष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : एक ऐसी बात है जिसे हम जानना चाहते हैं। क्या सरकार ने इस विधेयक को सोच-विचार करने के बाद प्रस्तुत किया है या वैसे ही कि जो कुछ मुझे भारतीय बार काउंसिल ने सुझा दिये हैं उन्हीं को शामिल करके यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं आपको बता दूं कि यह विधेयक पूरी तरह सोच-विचार के बाद लाया गया है। यहां तक कि भारतीय बार काउंसिल द्वारा दिये गये कुछ सुझावों को स्वीकार भी नहीं किया गया है और न ही उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इस बात पर पूरी तरह से विचार कर लिया गया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

4.44 म. प.

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) रोगों के उन्मूलन के लिए तथा जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने वाले हेतु उपाय उठाये जाने की मांग के विषय

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (मद्रास दक्षिण) : "युद्ध के विरुद्ध युद्ध" के साथ-साथ विकासशील देशों को "बीमारियों के विरुद्ध युद्ध" आवश्यक है क्योंकि, टी. बी. जैसी घातक बीमारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी तत्काल करनी चाहिए। निर्धनता से पीड़ित करोड़ों लोगों को इस मामले में

तत्काल सहायता की आवश्यकता है। अपनी स्वतन्त्रता के पिछले 40 वर्षों के दौरान हमने अपने देश में निःसन्देह ही चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई हैं। आज भी निर्धन व्यक्ति भी सरकारी अस्पतालों में अच्छे से अच्छे इलाज के लिए जा सकता है। परन्तु समस्या तब पैदा होती है जब उसे अत्यावश्यक जीवन रक्षक दवायें भी नहीं मिल पातीं। इस क्षेत्र में कुछ संस्थायें बेहतरीन सेवायें उपलब्ध करा रही हैं। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सरकार इस बात के महत्व को समझे कि सैंकड़ों जीवन रक्षक औषधियां निशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जब सरकार ऐसी सभी संस्थाओं को जो इस क्षेत्र में काम कर रही हों खुले रूप में सहायता उपलब्ध करायें तथा उन सभी महानुभावों का सम्मानित करे जो इस पावन कार्य में लगे हुए हैं।

(दो) बिहार में बिजली की कमी दूर करने के लिए कदम उठाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण विषय को नियम 377 के अधीन सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

बिहार राज्य में बिजली का घोर अभाव है जिसके कारण राज्य का विकास ठप्प सा हो गया है। बिहार के केवल 6 प्रतिशत लोग ही बिजली का लाभ उठा पा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिजली के ऊपर करीब 8 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 2.93 प्रतिशत राशि ही खर्च की गई थी। बिजली बोर्ड, बिहार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990-91 में बिहार को 2456 मेगावाट बिजली की न्यूनतम जरूरत है, लेकिन बिहार में बिजली का उत्पादन मात्र 300 मेगावाट हो रहा है और 200 मेगावाट बिजली राज्य से बाहर से प्राप्त की जा रही है। कुल 500 मेगावाट बिजली में 2456 मेगावाट बिजली की जरूरत की पूर्ति जिस तरह से हो रही है, इससे बिहार के बिजली संकट को कुछ हल्का करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से बिजली की मांग की थी, किन्तु 96 करोड़ की राशि राज्य पर बकाया रहने के कारण बिजली देने से इन्कार कर दिया।

अतएव मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार-वासियों को बिजली की अनुपलब्धता से मुक्त करने के लिए अविलंब ठोस कार्यवाही करें।

(तीन) इंदौर मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदया, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं—

इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। इन्दौर की जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। इंदौर के पास पीथमपुर देवास जैसे कई औद्योगिक नगर हैं।

फिलहाल इंदौर में दो दूरभाष केन्द्र हैं जिनकी क्षमता 26000 है। जिसमें से एक नेहरू मार्ग स्थित है, जिसकी तीनों यूनिट अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रही हैं। दूसरा एक्सचेंज लसूडिया केन्द्र की क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है। खेलों ग्रह को लाईटों के अंतर्गत 1982 की प्रतीक्षा सूची चल रही है तथा सामान्य वर्ग में 1982 की प्रतीक्षा सूची चल रही है, जिनकी कुल संख्या

27000 से अधिक है। इंदौर शहर से करीबन 9.8 करोड़ रुपए का राजस्व शासन को प्राप्त होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नया इलेक्ट्रानिक उपकरण जो इंदौर ट्रांसपोर्ट नगर शाखा के लिए स्वीकृत है, वह उपकरण तुरन्त लगाया जाए, ताकि इंदौर के हजारों नागरिकों को सुविधा का लाभ मिल सके और अनेक्षा खत्म समाप्त हो।

(चार) राजस्थान में बीकानेर के उदासर ग्राम के 130 किसानों को, जिनकी भूमि रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की गई है मुआवजा दिये जाने की मांग

श्री गोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : सभापति महोदया, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

बीकानेर के निकटस्थ ग्राम उदासर में सन 1983 में भारत सरकार ने रक्षा कार्य हेतु उप-निवेशन विभाग बीकानेर के मार्फत 6203 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस में 2856 बीघा 17 बिस्वा भूमि 130 गरीब काश्तकारों की, जिनमें 80 फीसदी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग हैं, को बेदखल कर दिया है जो आज तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 6203 बीघा भूमि का 30 करोड़ रुपया मुआवजा भारत सरकार के रक्षा विभाग को सन् 1983 में वसूल कर लिया मगर काश्त करने वाले 130 गरीब किसानों को किसी तरह का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। गरीब काश्तकारों द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त करने पर भी रक्षा विभाग ने अपने निर्माण कार्य को चालू कर रखा है तथा राजस्थान सरकार के इन गरीबों द्वारा अनेक कोशिशों व प्रार्थना पत्रों के दिए जाने के बाद भी आज तक न मुआवजा दिया गया न कोई अच्छी भूमि काश्त के लिए दी गई। ऐसी परिस्थितियों में मेरा रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को फौरन इन गरीब काश्तकारों को मुआवजा दिए जाने के लिए आदेश करें ताकि सैकड़ों गरीब काश्तकार अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

(पांच) कच्छ, गुजरात के लिए विकास बोर्ड स्थापित किये जाने की मांग

श्री बाबू भाई मेघ जी शाह (कच्छ) : सभापति महोदया, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं —

संविधान की धारा 371 (2) के अनुसार कच्छ को विकास बोर्ड (डेवलपमेंट बोर्ड) जैसे की व्यवस्था की गई है। वर्षों से कच्छ की जनता कच्छ के विकास के लिए विकास बोर्ड स्थापित करने की मांग कर रही है। सन 1976 में भारत सरकार ने कच्छ को विकास बोर्ड देने की बात लोक-सभा में कही थी, किंतु आज तक यह विकास बोर्ड गठित नहीं किया गया।

कच्छ हमारे देश का सीमावर्ती क्षेत्र है तथा पिछड़ा हुआ इलाका है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि संविधान की धारा 371 (2) के अनुसार कच्छ के लिए विकास बोर्ड तुरन्त स्थापित किया जाए।

4.50 अ. प.

नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वहां के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के संबंध में अपनाई गई नीति के लिए वहां के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करती है।

महोदया, आप को ज्ञात है कि नागालैंड बहुत ही नाजुक क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदिवासी लोगों के अपने ही आदिवासी मूल्य हैं और वे ईमानदारी, अखण्डता और सच्चाई के कार्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अपनी राजनीति के लोकतांत्रिक कार्यचालन के माध्यम से ही हम उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। यदि सरकार के लोकतांत्रिक कार्यचालन में उनका विश्वास टूट जाता है तो इसकी बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया हो सकती है। हम इस मामले को यहां इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हमारे दल की सरकार को वहां बर्खास्त कर दिया गया है और एक दूसरी सरकार की स्थापना कर दी गई है। हमने कई बार अपनी सरकारों को बर्खास्त होते और विपक्षी दलों की सरकारों को सत्तारूढ़ होते देखा है। परन्तु नागालैंड की यह घटना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं गृहमंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसे दलगत मुद्दा न बनाये बल्कि विशेषरूप से देश में बढ़ती हुई विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण वे इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें यदि राज्य जो सीमा पर स्थित है, भारतीय पद्धति में अपना विश्वास खो देते हैं तो हमें बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर में पहले से ही गड़बड़ चल रही है, पंजाब में गड़बड़ है, असम में गड़बड़ पैदा हो रही है तथा जब तक सरकार ईमानदारी से कार्य करती हुई न लगे तब तक सभी उत्तरी राज्य किसी न किसी प्रकार की समस्या में उलझे रहेंगे।

इसीप्रकार, तमिलनाडु में समस्याएं उभर रही हैं। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री इस महत्वपूर्ण राज्य की ओर ध्यान दें। मैं जानता हूं कि हमने उनको कई-कई घंटों तक सदन में रोके रखा है और इसीलिए गृह मंत्री को इस मामले पर विचार करने के लिए अधिक समय नहीं मिला हो परन्तु मैंने पिछले सप्ताह ही उनसे कहा था कि हम पूरे सप्ताह सदन में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे जिस पर उन्हें तत्काल ध्यान देना पड़े और इस प्रकार मंत्रालय में अपना कार्य देखने के लिए उनके पास पर्याप्त समय रहेगा। हमने अपना वायदा निभाया। मुझे आशा है मुझे आशा है कि आप इसे मानते हैं।

परन्तु, हम क्या कर सकते हैं ? जब आपकी सरकार हर समय हर प्रकार की समस्याएं उठाते रहती है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि इस सभा में आएं और इस मंच से सभा में इसका उल्लेख करें कि इससे आपका ध्यान आकर्षित होगा और संभवतः आप

नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वहां के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव

इस सरकार की मूल्य-आधारित राजनीति और मूल्य आधारित कार्य की इस धारणा पर पुनः विचार करें। महोदया यदि हम मूल्य आधारित राजनीति की बात पर गौर करें तो आपने देखा है कि दिल्ली से लगे एक राज्य में क्या हुआ है और विपक्ष के भारी प्रयासों से ही यह संभव हुआ कि कुछ मूल्य आधारित भावना का प्रदर्शन हुआ और मुख्य मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। यह कार्य भी सभा का काफी समय खर्च होने के पश्चात किया गया। यह बहुत पहले भी किया जा सकता था परन्तु इस मूल्य आधारित राजनीति के कारण हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मैं गृह मंत्री से इस पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं कि क्या मूल्य आधारित राजनीति के बजाए पुनः सिद्धान्तवादी राजनीति अपनाना उचित नहीं होगा क्योंकि इस मूल्य आधारित राजनीति में से मूल्य तो लगता है गायब हो गया है और इस प्रकार इसका आधार ही समाप्त हो गया है।

जहां तक नागालैंड का सम्बन्ध है, वहां न केवल सरकार को ही उखाड़ा गया है बल्कि संविधान के साथ एक धोखा भी हुआ है। मैं आपको संक्षेप में घटनाक्रम बताता हूं। नागालैंड में कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों को पार्टी से निकाला गया। उसके पश्चात और दस सदस्यों को कांग्रेस पार्टी छोड़ने और विपक्ष में शामिल होने के लिए फुसलाया गया। अब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा ताकि आप स्थिति को समझ सकें। कांग्रेस के 36 सदस्य थे। विपक्षी दल एन. पी. सी. के केवल 23 सदस्य थे। अब 12 सदस्यों को तोड़कर विपक्ष ने अपना बहुमत बनाने की कोशिश की और अपनी संख्या 35 कर ली। अब इन 12 सदस्यों कांग्रेस को पार्टी से निकाल दिया गया और एन. पी. सी. को उन्हें अपने पक्ष में नहीं करने दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के 24 सदस्य थे और और एन. पी. सी. के 23 सदस्य थे और इस प्रकार कांग्रेस का बहुमत था। मुख्य मंत्री श्री जमीर लगातार से कहते रहे कि "मुझे सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने दें, मुझे एक या दो दिन का समय दें, यथाशीघ्र विधान सभा की बैठक बुलाए और मुझे यह सिद्ध करने का मौका दें कि सभा में मेरा बहुमत है।" राज्यपाल ने उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए मात्र दो दिन का समय भी नहीं दिया। उल्टे उन्होंने एक मात्र गैर कानूनी सरकार की स्थापना कर दी और उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 30 दिन का समय दे दिया। आप देख सकते हैं कि राज्यपाल ने कितने पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य किया और उन्होंने किस प्रकार संविधान और दल परिवर्तन विरोधी कानून का मखौल उड़ाया।

दल परिवर्तन विरोधी कानून में क्या कहा गया है? आपको याद दिलाने के लिए मैं इसका एक खंड पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यह संख्या 3 है—दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का कानून पार्टी विभाजन के मामले में लागू नहीं होगा। यहां इसी आधार को लिया गया है। इसमें कहा गया है :

"जहां सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है कि वह और उसके विधान दल का कोई अन्य सदस्य ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है जो उसके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और ऐसे समूह में ऐसे विधान दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य हैं वहां वह निरर्हित नहीं होगा।"

इसमें अनिवार्य बात यह कही गई है कि मूल पार्टी में विभाजन हुआ होना चाहिए। इस मामले में मूल पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ था। इसलिए ये सदस्य निरर्हता के दायरे में आते हैं। और अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया है कि ये सदस्य निरर्ह हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : यही तो सम्भव है।

श्री दिनेश सिंह : यही तो मैं कह रहा हूं। इस मामले में राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्णय को निरस्त कर दिया है।

[अनुवाद]

राज्यपाल ने पहले अध्यक्ष को अपनी राय पर पुनर्विचार करने को कह कर उन्हें धमकाने का प्रयास किया। अध्यक्ष द्वारा लिखे गये पत्र के रूप में समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है, मैं उसे संक्षेप में उद्धृत करना चाहूंगा। 16 मई, 1990 के "दि स्टेट्समेन" समाचार पत्र में छपा था :

> "अध्यक्ष ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि राज्यपाल श्री थामल द्वारा उन्हें बुलाये जाने के पश्चात उन्हें दल परिवर्तन विरोधी कानून के अन्तर्गत 10 विधायकों को निरर्हता कानून के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा गया। मुझे आपको बताते हुए दुःख हो रहा है कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है कि किसी राज्यपाल ने किसी छोटे आदिवासी राज्य के अध्यक्ष पर दबाव डालकर उसको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा हो।"

5.00 अ. प.

नागालैंड में क्या हो रहा है ? अध्यक्ष पर अपने विनिर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उनकी अपनी पसन्द का राष्ट्रपति होने की स्थिति में किसी दिन केन्द्र सरकार के साथ भी ऐसा हो सकता है और वे अध्यक्ष को वे बातें करने को कह सकते हैं जो असंवैधानिक हो और सरकार की इच्छानुसार कार्य करने के लिए अध्यक्ष पर दबाव डाला जा सकता है। वास्तव में यही कुछ हो रहा है। मुझे एक बार सभा में एक माननीय सदस्य का एक अत्यंत रोचक भाषण सुनने का अवसर मिला जब नागालैंड में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। भाषण इस प्रकार था :

> "अतः जो कुछ हुआ है वह इस सरकार और एहसान करने वाले राज्यपाल की सांठ गांठ से संविधान के साथ धोखा करने के अलावा कुछ नहीं है। वे आगत के स्पष्ट संकेतों को भले ही न देखें, किन्तु नियति वे अपने तेवर दिखाने आरम्भ कर दिए हैं।"

यह अंश मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी, जो आज इस सरकार के घोर समर्थक हैं, द्वारा दिये गये भाषण के हैं उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसके अंतिम भाग पर जोर देना चाहूंगा वे आगत के स्पष्ट संकेतों को भले ही न देखें, किन्तु नियति वे अपने तेवर दिखाने आरम्भ कर दिए हैं।" (व्यवधान)

सरकार ने क्या किया ? मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यह प्रश्न पूछा गया है। सरकार ने किसी गैर कानूनी सरकार की स्थापना नहीं की। सरकार ने विधान सभा को भंग कर दिया और चुनाव कराये। यह सैद्धान्तिक राजनीति थी। यह मूल्यों पर आधारित राजनीति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सदैव आपका प्रशंसक रहा हूं और आज मुझे सभा में उन शब्दों को उद्धृत करने का मौका मिला है जिन्हें आपने अनेक वर्षों पहले कहा था···(व्यवधान) हमने कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं सहमत नहीं हुआ। आज जो कार्य किया गया है वह गैर कानूनी है (व्यवधान)

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : यदि सभा मुझे इजाजत दे तो मैं बताना चाहूंगा कि राज्यपाल की इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल की कार्रवाई गैर कानूनी है और अब यह मामला उच्चतम न्यायालय में है। हमने जो कुछ किया है हम उसका समर्थन करेंगे। उस समय श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा था और उस समय मैंने जो कुछ कहा था उसका हम आज भी समर्थन करेंगे।

श्री विनेश सिंह : मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय विधि मंत्री ने भी उसी बात का समर्थन किया है जिसे मैं कह रहा हूं और जिसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि यह कार्रवाई गैर-कानूनी है (व्यवधान)। मैं समझता हूं कि वह राज्यपाल की गैर कानूनी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। आपने कहा है कि न्यायालय ने पहले ही यह निर्णय किया है कि (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पहले यही था।

श्री विनेश गोस्वामी : दुर्भाग्य से आपने उस समय कोई प्रक्रियाएं निर्धारित नहीं किये थे। यही कठिनाई है कि (व्यवधान)।

एक माननीय मंत्री : उन्हें श्री सोमनाथ चटर्जी की बात समझने में कुछ समय लगा।

श्री विनेश सिंह : मैं केवल उन बातों का स्मरण करा रहा हूं जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने उस समय कही थी जब वह विपक्ष में बैठे थे। वह जो अब कह रहे हैं, मैं उसे उद्धृत नहीं करना चाहूंगा। अतः मैं केवल इसी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं। यह केवल नागालैंड की बात नहीं है अपितु यह इस देश की बात है। समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या राज्यपाल अध्यक्षों पर सरकार की इच्छानुसार कार्य करने के लिए दबाव डाल रहे हैं या अध्यक्ष को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जा रही है? अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में क्या किया है? उन्होंने विनिर्णय दिया है कि इन दस लोगों को निरर्हित किया जाता है क्योंकि निरर्हता कानून के अन्तर्गत एक दल से दूसरे दल में उनके जाने को दल का विभाजन नहीं माना जा सकता। मैं कहूंगा कि उनका विनिर्णय पूर्ण तथा तर्क संगत है। दो व्यक्तियों को कांग्रेस दल से पहले ही निकाला जा चुका है। अतः हमें उन दो व्यक्तियों को गणना नहीं करनी होगी। हमें उन व्यक्तियों की गणना करनी होगी। वह व्यक्तियों से एक तिहाई सदस्य नहीं बनते हैं। और मैंने पहले भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मूल पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। वे लोग, जिनको दल बदलने पर लाभ मिलना था दल बदल चुके हैं। और महोदया मैं आपको बता दूं कि इन सभी को नई सरकार में शामिल कर लिया गया है। यह रोचक बात है कि आज गैर-कानूनी मुख्य मंत्री श्री के. एल. चोंजो ने स्वयं सभी पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ लिखा है और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने

वर्तमान वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। वे राज्यपाल से मिले और उन्होंने राज्यपाल को बताया कि वे भ्रष्ट हैं और वे बनाये गये सामान्य मानदंडों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और तब वे अचानक उनको वापस ले लेता है—वही व्यक्ति जो उस समय वित्त मंत्री था। और जिसके विरुद्ध उसने भारत के वित्त मंत्री को लिखा था। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मधु दण्डवते यहां उपस्थित हैं। उन्हें याद होगा कि जब वे नागालैण्ड में विपक्ष के नेता थे तब उन्हें श्री चिशी का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें नागालैण्ड के वित्त मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें पुनः वित्त मंत्री बना दिया गया है (व्यवधान)

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : जब वे कांग्रेस में थे।

श्री विनेश सिंह : हां, और अब जनता दल में आने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है··· (व्यवधान)

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : यहां कोई जनता दल या राष्ट्रीय मोर्चा नहीं है··· (व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : यह कोई निजी पत्र नहीं है।

श्री विनेश सिंह : यह आपका कोई निजी पत्र नहीं है। यह पत्र आपको लिखा गया था और उन्होंने इसकी एक प्रति कांग्रेस अध्यक्ष को भी भेजी थी क्योंकि वह इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि आप इस पर कोई कार्यवाही करेंगे।

5.08 अ. प.

[डा. तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

इसीलिए वह चाहते थे कि मैं यह मुद्दा यहां उठाऊं और इसी कारण मैं इसे यहां उठा रहा हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं यह पत्र भी यहां पढ़ सकता हूं। लेकिन सदन के समय का सदुपयोग करने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। अतः गृह मंत्री से मैं यह आशा करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि राज्यपाल गैर कानूनी ढंग से कार्यवाही न करें, तथा वे अध्यक्ष महोदय को झमकाने का प्रयत्न न करें: मेरे मित्र विधि मंत्री श्री गोस्वामी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यपाल के समर्थन में किसी तरह से लोक धन का अपव्यय न हो तथा इस विषय पर जब कि राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से कार्य किया हो उसके विरुद्ध कोई मामला हो तो राज्यपाल का बचाव लोक-धन व्यय कर न किया जाए। महोदय, मैंने इसी आशा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सरकार इन अंतिम क्षणों में उचित कदम उठाकर परिस्थिति को बदल देगी या विधान सभा को भंग करेगी। वे विधान सभा को भंग करने के लिए अनिच्छुक हैं क्योंकि वे जनता का सामना नहीं करना चाहते। मैं इस बात को समझता हूं। हरियाणा के संबंध में आज सुबह हमने यही देखा। लेकिन इसके बावजूद मैं आशा करता हूं कि वे एक बहुत ही संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र के हित में अपने मूल्यों पर आधारित राज- नीति के ढांचे को कायम रख सकेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के संबंध में अपनाई गई रीति के वि वहां के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

श्री धुवराम (कटिहार) : सभापति महोदय, श्री विनेश सिंह जी ने नागालैंड के संबंध सदन में जो मोशन प्रस्तुत किया है उसमें इन्होंने कहा है कि वहां के राज्यपाल ने अनकांस्टीट्यूशन तरीके से काम करके लोकतंत्र की परम्पराओं को कलंकित किया है। मैं उनकी इस राय से सहम नहीं हूं। मेरा आप से और सदन से यह निवेदन होगा कि नागालैंड में यह कलह बहुत ही पुरा है और दल-बदल कराने के काम का हमेशा कांग्रेस संस्था ने इस देश में मार्गदर्शन किया है। इ सदन में 1979 में जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी थी, तो अनकांस्टीटयूशनल सपोर्ट देक स्व. इन्दिरा गांधी, जब वे अपोजीशन की नेता थी, तो सरकार बनाने में सहयोग दिया और 3 दिन का समय राष्ट्रपति महोदय ने दिया था कि आप अपनी इतने दिन के अन्दर मैजोरिटी प्रू कीजिए और जब वे मैजोरिटी प्रूव नहीं कर सके, तो इस देश में लोक सभा का विघटन हुआ औ वह केयरटेकर गवर्नमेंट बनी रही। इतना ही नहीं, हाल ही में गुजरात में जब जनता दल क शासन कायम हुआ, तो चिमनभाई पटेल को भी 30 दिन का वक्त दिया गया अपनी मैजोरिट प्रूव करने के लिए। इसी प्रकार से राजस्थान में भी यही हाल हुआ और बिहार में भी श्री लालू प्रसा यादव जब मुख्य मंत्री बने, तो उन्हें भी 30 दिन का ही समय दिया गया। इन तमाम लोगों मैजोरिटी प्रूव की, लेकिन नागालैंड में कोई राष्ट्रीय पार्टी की सरकार नहीं बनी है, वहां तो रिज की सरकार बनी है, उसको भी 30 दिन का वक्त दिया गया है। 30 दिनों के अन्दर वे अपनी मैजो रिटी प्रूव करेंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दल-बदल का काम तो इस देश कांग्रेस ने किया है और दल-बदल निरोधक कानून इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि अगर एक तिहा से कम सदस्य दल-बदल कर लें, तो यह बात होती, लेकिन वहां 12 सदस्यों ने किया। इनका य कहना है कि दो सदस्य जो विधान सभा के थे, वे इनके दल से निकाल दिए गए थे। इन्होंने दल से तब निकाला जब इनकी मैजोरिटी समाप्त हो गई थी और वहां बैठकर गुलाम नबी आजाद ने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजीव गांधी, उन्होंने अनुशासन-कमेटी में बैठकर यह पास किया। अगर पहले यह बात होती, और उस समय यह घटना घटती, तो यह बात कही जा सकता थी कि दो सदस्य हमने निकाल दिए हैं। यह तो मैनीपुलेशन हुआ।

सभापति महोदय, राज्यपाल श्री एम. एम. थामस ने सही कदम उठाया है और 30 दिनों का वक्त देकर एक मौका दिया है कि जो नई सरकार गठित हुई है वह अपना बहुमत प्रमाणित करे। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 14 मई को 12 सदस्यों ने जो कांग्रेस विधायक दल के सदस्य थे, इन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और इसके बाद इन्होंने एक रीजनल पार्टी बना ली और जो नागालैंड पीपुल्स पार्टी थी, जो अपोजीशन की पार्टी थी, इन लोगों ने मिलाकर स्थानीय विधायक दल बनाया और इन लोगों ने वहां अपनी गवर्नमेंट बना ली। हम यह चाहते हैं कि जो मामला कोर्ट में है, तो इसके बारे में तो चटर्जी बताएंगे कि कानूनी मुद्दा क्या है। मैं इतनी बात जानता हूं कि जो सरकार संदिग्ध समझी जाती है, उसका 30 दिन का समय दिया जाता है। यह ठीक कदम उठाया गया है। यदि बहुमत होगा तो वे उसको प्रमाणित

कर देंगे और सरकार प्रदेश में चलेगी। लेकिन दल-बदल का काम और इसका मार्गदर्शन का काम इस देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है और इतना किया है कि आज जो कश्मीर का संकट है, वह दल-बदल का कारण है। त्रिपुरा का संकट भी इनकी दल-बदल का ही कारण है। सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं को तोड़ने का काम इस देश में कांग्रेस ने किया है। एक कहावत है कि 'भैंसों की लूती मियां के सिर' जब पड़ने लगी तब इनको पता लगा कि बड़ी भारी भंयकर भूल हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : सभापति महोदय हम नागा लोग यह विश्वास करते हैं कि हमारा एक अलग समुदाय है। नागा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जून, 1947 में महात्मा गांधी से मिला था और उनसे नागा लोगों पर किये जाने वाले अत्याचारों तथा उनकी हत्याओं के बारे में शिकायत की थी। महात्मा गांधी ने बहुत उदारता पूर्वक हमारे प्रतिनिधियों से कहा था कि जब किसी भी नागा की हत्या किये जाने से पहले वे स्वयं कोहिमा आएंगे और पहले वे स्वयं मरने के लिए तैयार रहेंगे उनके ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने नागाओं की समस्याओं को समझा और हमारे लिए एक पृथक राज्य देकर हमारी पहचान बनायी। उन्होंने हमारा सम्मान किया था। उसके बाद इन्दिरा गांधी भी नागाओं से बहुत प्यार करती थीं और उनका ध्यान रखती थीं तथा उनकी समस्याओं के प्रति सजग थीं और आज हम इस महान देश के नागरिक हैं। सौभाग्यवश राजीव गांधी के रूप में हम एक ऐसा नेता मिला जिसने नागाओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया और हम उनके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे। नागा लोगों ने उनकी पार्टी, कांग्रेस (आई) को वोट दिया और वहां पर हमारी सरकार थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई और विशेषकर जब जनता दल की सरकार यहां बनी इसके तुरन्त बाद ही हमने देखा कि जनता दल के कुछ माननीय सदस्य बार-बार कोहिमा का दौरा करने लगे और कांग्रेस के विधायकों को साजिश करने लगे। मैं नागालैंड का होने के कारण वहां कि स्थिति को अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपने राज्य में कांग्रेस दल का अध्यक्ष हूं, इसलिए इन समस्याओं से मेरा प्रत्यक्ष रूप से सरोकार हुआ है। मैंने वहां की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है। श्रीमती वे बार-बार कोहिमा का दौरा कर रहे थे और विधायकों को यह अफवाह फैलाकर तोड़ की साजिश कर रहे थे कि नागालैंड में यदि कांग्रेस (आई) के सदस्य उनकी तरफ नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस (आई) की सरकार के विरुद्ध सी. बी. आई. द्वारा जांच कराई जायेगा और इस प्रकार कोहिमा में सी बी. आई. का हौवा खड़ा किया गया। इसके पश्चात जनता दल की सरकार ने नागालैंड में आर्थिक संकट पैदा करने की नीति अपनाई। दुर्भाग्यवश हमारे वित्त मंत्री चले गये हैं, यह उनकी किस्मत है कि वे यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने नागालैंड सरकार को वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया। हमें केवल कुछ करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी और आपकी केन्द्रीय सरकार ने यह धनराशि न देकर नागालैंड को वित्तीय संकट में डाल दिया है। यह संकट पैदा किया गया और मार्च के अन्त में भुगतान को रोक दिया गया। वहां होने वाले विकास कार्य रुक गए। यह धमकी दी जा रही थी कि जब तक कांग्रेस

के विधायक केन्द्र में बनी नयी सरकार से नहीं मिल जाते तब तक उन्हें धन नहीं मिलेगा और वहां के विकास कार्य रुके रहेंगे। यह बातें सर्वविदित हैं।

श्रीमन्, मुख्य मंत्री एस. सी. जमीर की हत्या करने का प्रयास किया गया और लोगों में अनिश्चितता की भावना उत्पन्न की गयी। ऐसी स्थिति इसलिए पैदा की गयी ताकि वहां के कांग्रेस के विधायक उनकी पार्टी में मिल जायें और दुर्भाग्यवश 14 मई की सुबह 12 माननीय विधायकों को कोहिमा में एक बंगले में बन्द कर दिया गया और उन्हें उनके परिवारों, उनकी पत्नी तथा बच्चों से अलग कर दिया गया। उन्होंने स्वयं को कांग्रेस (आर) घोषित किया। दो विधायकों, श्री टी. ऐ. म्युली और श्री छुबा हेमलेन को दल विरोधी गतिविधियों के कारण 14 मई को हमारी पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन वे 12 अन्य विधायकों के साथ मिल गये और उन्होंने कांग्रेस रीजिनल के नाम से एक दल बना लिया। 14 मई की शाम को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एस. सी. जमीर राज्यपाल के पास गए और उन्हें नवीनतम स्थिति से अवगत कराया और बताया कि दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। इसलिए शेष दस विधायकों से कुल संख्या का एक तिहाई नहीं बनता। अध्यक्ष इस बात से सहमत थे कि पार्टी में विभाजन नहीं हुआ और यह केवल दल परिवर्तन है। वास्तव में कांग्रेस के एक भी सदस्य ने इस ग्रुप के पक्ष में स्वाम पत्र नहीं दिया इसलिए अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने दस विधायकों को निरर्हित कर दिया। उसी दिन शाम को छतीस विधायक राज्यपाल से दो बार मिले और उन्होंने उनसे कहा कि मुख्य मंत्री को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये कहा। उन्हें कुछ विधायकों ने समर्थन देने का आश्वासन भी दिया था। इसलिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के समक्ष स्थिति स्पष्ट की और यह मांग की कि उन्हें सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाये। लेकिन राज्यपाल ने इस बात से इन्कार कर दिया और इसके बजाय चौदह तारीख की शाम को उनसे शपथ लेने के लिए कहा। 15 मई को भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट तथा श्री एस. एस. आहलूवालिया को कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में नागालैंड भेजा गया। उन्होंने राज्यपाल से मिलना चाहा परन्तु राज्यपाल ने इतना भी नहीं किया कि उनसे मिलकर कुछ बात करें। उन्हें राज्यपाल से मिलने की अनुमति नहीं मिली। मैंने भी राज्यपाल को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें यह मांग की कि मुख्यमंत्री को सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाये परन्तु माननीय राज्यपाल ने इस पत्र का उत्तर देना भी उचित नहीं समझा। इस घटना के बाद उन्होंने अध्यक्ष को कोहिमा के राज्य भवन में बुलाया और दस विधायकों को निरर्हित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जिसके अध्यक्ष ने मना कर दिया। इसके बाद क्षणभर का इंतजार किये बिना सरकार ने श्री एस. सी. जमीर को बर्खास्त करने का पत्र दिया और श्री के. एन. चिशी तथा दल परिवर्तन करने वाले उन विधायकों को शाम सात बजे अपने पद की शपथ लेने के लिए बुलाया। 15 मई को शाम को सात बजे उन्हें शपथ दिलाई गयी। लेकिन इस नयी सरकार ने सात दिन के बाद भी अभी तक मंत्रियों के विभागों का निर्धारण नहीं किया है। यह सरकार दल परिवर्तन करने वालों ने बनायी है और अभी तक विद्यमान है। लेकिन वह कोई काम नहीं कर रही है। इस प्रकार केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने दल परिवर्तन करने वालों से दोस्ती की है।

नागा लोगों को शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में बहुत समय लगा है। आज हम इस स्थिति में हैं कि लोकतांत्रिक मानदंडों तथा प्रक्रियाओं से

विश्वास करते हैं। कम से कम राज्यपाल को तो निष्पक्ष होना चाहिए था। हमें आशा थी कि वह निष्पक्ष रहेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संरक्षण प्रदान करेंगे। लेकिन इन सभी कार्यों में वे निष्फल रहे और उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य किया। हमारी जनता का इस राज्यपाल में कोई विश्वास नहीं रह गया है। हमें राज्यपाल की ईमानदारी पर संदेह होने लगा है। जब हमारा विश्वास इस राज्यपाल से उठ गया है तो हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, उनको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा तथा देश के उस भाग में लोकतंत्र को सुचारु रूप से चलाना कौन सुनिश्चित करेगा :

नागालैंड एक छोटा जन जातीय राज्य है। आप भलिभांति जानते हैं कि नागालैण्ड राज्य को दिया जाने वाला धन पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिसमें 90 प्रतिशत सहायता अनुदान और 10 प्रतिशत लम्बी अवधि का ऋण होता है। हम केन्द्रीय सरकार की सहायता पर आश्रित हैं। यदि आप हमारा दमन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम जनजातीय लोग हैं और हमारे पास अपना कोई साधन नहीं है। अत: आपको जनजातीय लोगों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का ध्यान रखना होगा जिनके बारे में आप इतनी बातें करते हैं। आपके काम करने और बात करने का तरीका भिन्न है। मुझे यह जानकर अत्याधिक निराशा हुई है कि आप लगातार ऐसा भाषण कर रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों। लेकिन आप जनजातीय लोगों के प्रति विशेषकर सीमावर्ती राज्यों के जनजातीय लोगों के प्रति उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम धन के लिए पूर्णतया केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करते हैं। लेकिन यदि पूर्वी राज्यों के वर्मा सीमा पर रहे जनजातीयों लोगों की देखभाल करने में आप असफल रहते हैं तो देश के उस भाग में आपको करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे। देश के उस अन्तिम छोर पर रहने वाले लोग सतर्क हैं और वे हमारे राष्ट्र के उस भाग की सीमा की रक्षा कर रहे हैं।

आज आपने नागालैंड में एक नया राज्यपाल नियुक्त किया है। आपको इस बात की बधाई देता हूं कि अपने पद संभालने के दस दिनों के भीतर ही उसने श्री एस. सी. जमीर कांग्रेस की सरकार, को बर्खास्त कर दिया। जनता दल के गृह मंत्री को भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनके राज्यपाल ने पहली बार नागालैंड सरकार को बर्खास्त किया है। इस संबंध में आप इतिहास देख सकते हैं। 26 सालों के इतिहास में पहली बार किसी विधिवत निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया गया है। इसके फलस्वरूप हमारे राज्य में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरे विचार से आप सही नहीं हैं। जब जनरल कृष्णा राव वहां के राज्यपाल थे तब भी उन्होंने वहां की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उन्होंने तो विधान सभा में उन्हें अपना बहुमत भी सिद्ध करने नहीं दिया था।

श्री सिकिहो सेमा : यह पहले की बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपने समय में उन्होंने राष्ट्रपति शासन की वकालत नहीं की।

श्री सिकिहो सेमा : हमारा आज का प्रस्ताव आज की सरकार के लिए है और पहले जो हुआ वह हुआ।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : माननीय मंत्री महोदय तमिलनाडु में भी यही कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही करते हैं।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : आपने आंध्र प्रदेश के बारे में कहा जबकि हमने तमिलनाडु के बारे में कहा था।

श्री सिकिहो सेमा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप इस पर नजर रखने जा रहे हैं या कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं। एन. पी. सी. के अधिकतर सदस्यों ने दल परिवर्तन किया है। आप कृपया उनका जीवन-परिचय देख सकते हैं। अपने मूल्यों पर आधारित राजनीति के अन्तर्गत, आप उनसे भिन्नवत् व्यवहार कर रहे हैं। राज्यपाल ने 24 घंटे के भीतर ही उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलवाई। अब, सात दिनों से यह सरकार वहां बरकरार है और विकास संबंधी कार्य स्थगित है। वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति कुछ और दिनों तक जारी रहेगी। क्या आप सरकारी कार्यों को स्थगित होते देखते रहना चाहते हैं या क्या आप लोगों के विश्वास को बहाल करने जा रहे हैं या आप कोई निर्णय करने जा रहे हैं? अपने भाषण के अन्त में मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप उस छोटे राज्य में प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यपाल लोकतांत्रिक मानदण्डों और कार्य प्रणाली की सुरक्षा करे। अन्यथा, लोकतंत्र और राष्ट्रीय अखंडता के हित में उसे वापस बुला लेना चाहिए जिससे कि नागा लोगों की प्रतिष्ठा और हमारे सम्मान को बचाया जा सके। आपको शीघ्र राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सम्मानीय सभापति महोदय, आज सदन के सम्मुख दल-बदल के प्रश्न को लेकर के और नागालैंड में सत्ता परिवर्तन की भर्त्सना करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। उसमें एक विशेष बात यह है कि राज्यपाल द्वारा की गयी कार्यवाही की भर्त्सना करने का भी सुझाव है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यह प्रस्ताव वे लाये हैं जो दल-बदल के मास्टर हैं।

श्री गुमान मल लोढा : एक चिर-परिचित कहावत है—

"फिजिशियन हील दाईसेल्फ"

जिन व्यक्तियों ने जीवन पर्यन्त दल-बदल को बढ़ावा दिया और जी इतना कि शायद ही भारत में ऐसा कोई प्रदेश हो जहां कि विपक्ष में बैठे हुए आज के लोगों ने दल-बदल न किया हो। आज जो माननीय सदस्य दल-बदल का प्रस्ताव लाए हैं वे स्वयं 1977 में दल-बदल कर जनता पार्टी में गये। इस कारण से वे राज्य सभा में भेजे गये।

नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वहां के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव

22 मई, 1990

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 1952 से लगातार कभी लाखों रुपये दे करके, कभी मंत्रीपद का लालच दे करके दल-बदल होते रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा चुनाव रहा हो जिसमें कि दल-बदल न हुआ हो। कांग्रेस के द्वारा यह दल-बदल प्रोत्साहित होते रहे हैं। इसमें देखने की यह बात है कि जैसा कि सोक्रात ने कहा था कि इस चोर को वही पत्थर मार सकता है जिसने जीवन पर्यन्त पाप न किया हो।

यह बहुत हास्यास्पद बात है कि जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के संध्याकाल में हमारे मित्र हमें यह बताने के लिए आये हैं कि राजनीति में आदर्श क्या होता है, दल-बदल क्या होता है। वह व्यक्ति जिन्होंने पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आया राम, गया राम के रूप में हरियाणा के अन्दर दल-बदल कर लिया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जिसके कारण भारत का हमेशा के लिए सिर झुक गया, आज वही यह बता रहे हैं यह बुरा है।

सभापति महोदय : मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे चिर-परिचित व्यक्ति हैं। उनके बारे में सब जानते हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है। उनके नाम नये कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोगों की सूची में रखे जाएं तो भी कम है। आश्चर्य की बात है कि आज वही इस बात के लिए बोल रहे हैं।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि नागालैंड विधान सभा में 60 सदस्य हैं। यह बात भी डिस्प्यूट में नहीं है कि 36 सदस्यों से यह नयी सरकार वहां बनी है। इनमें केवल 12 सदस्य ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने एक नया दल बनाया और नया दल बना करके यह कहा कि हमें अपने पुराने दल में विश्वास नहीं है। जब वे इधर आ गये तो उनके द्वारा बनाये गये दल और विपक्ष के दूसरे सदस्यों को मिला कर के एक नया सत्ता परिवर्तन वहां हुआ। प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्यपाल के सामने जो तथ्य प्रस्तुत किये गये उनमें राज्यपाल को स्पष्ट बताया गया।

सभापति महोदय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है कि राज्यपाल के पास में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये, राज्यपाल के पास में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है, माननीय राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में और अन्य प्रकार से 14-5-90 को राज्यपाल के पास में 12 बजे दिन में, ये 12 विधायक सब के सब उनके पास गये, यह कहने के लिये कि हमने कांग्रेस को छोड़ दिया है, हमारा कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं, यह स्प्लिट शब्द है, जिसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, दूसरी ओर से कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस पर जोर दिया है, इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि आपस में जो दल एक बना हुआ है, उस दल में आपस में अन्तर होने के कारण से, भेद होने के कारण से, उस दल के टुकड़े हो जाते है।

सभापति महोदय, यदि 12 व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं और 36 व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति कांग्रेस के आ जाते हैं तो यह तो ऐसा स्पष्ट मैथेमैटिक्स है कि उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि बन चुके (1/3) व्यक्ति इधर आ गये और बन चुके व्यक्ति जब इधर आ गये तो उसमें किसी प्रकार से एंटी डिफेक्शन ला लागू नहीं होता और वह भी ये क्लेम नहीं करते हैं। उनका केवल कहना मात्र इतना है कि विधान सभा के स्पीकर के द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया तो उस निर्णय को बदलने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। यह बात सही है कि हमारे विधायी क्षेत्र में स्पीकर का बहुत बड़ा महत्व होता है और मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब्बर के

बुन में हाउस आफ कामन्स के अन्दर, उस समय का जो स्पीकर था, उसने चार्ल्स के बारे में सारजेंट भेजे थे कि चार ऐसे व्यक्ति हैं जो हाउस आफ कामन्स के अन्दर, इनको गिरफ्तार करने के लिए, जिन्होंने वहां के सदस्यों के खिलाफ उस समय अपने बयान दिये थे कि उनको गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया जावे, वहां पर जो स्पीकर था उसने उस समय जो शब्द कहे, जो भाषा दी वह चिरन्तन रूप में अजर अमर है—उसने कहा सम्राट के कोई भी आंखें नहीं होंगी, मेरे स्वयं की कोई आंख नहीं है, मेरे स्वयं के कोई कान नहीं है और मेरे स्वयं के कोई हाथ नहीं हैं। केवल इस महान सदन के अन्दर बैठे हुए जो मेरी आंख है वही मेरे हाथ हैं, वही मेरी जिह्वा है और इसलिये उसने सारजेंट को वापिस लौटा दिया और वह इतिहास के अन्दर हमेशा स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, जब कभी स्पीकर का प्रसंग आता है। हमारा यह दुर्भाग्य है कि जहां तक ये बताया गया, यदि ये तथ्य है, हमारे मंत्री महोदय बतायेंगे : कि क्या गवर्नर महोदय ने स्पीकर को लिखित रूप में या जबानी उसने निर्णय को किसी भी प्रकार से रिकांसीडर करने के लिये आदेश दिये। यदि ऐसा आदेश दिया है तो उचित होता कि वह ऐसा आदेश न देते।

सभापति महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि एक विधिवत प्रान्त में क्या होता है, एक सरकार बनती है, बिगड़ती है, एक दल के साथ में उसको साथ मिलता है, नुकसान होता है, लेकिन जब हम पूरे राष्ट्र के अन्दर संवैधानिक परम्पराओं का निर्माण करते हैं तो यह अवश्य है कि स्पीकर को अपने कार्य के अन्दर राज्यपाल को दखल नहीं करना चाहिये। राज्यपाल को चाहिये कि वह अपना कार्य करे, राज्यपाल का विधिवत रूप से, क्योंकि नागालैंड के अन्दर जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब कभी किसी व्यक्ति ने दल-बदल किया उसके बारे में दखल किया है वह डिसक्वालीफाइड होता है या नहीं, इसके लिये यहां नियम बने हुए हैं। उन नियमों का उद्धरण देकर आपके सामने कहना चाहूंगा कि उन नियमों के अन्दर जो व्यक्ति डिसक्वालिफाई करता है और जो शिकायत होती है, जिसने डिफेक्शन किया है, उसको नोटिस दिया जाना चाहिये, यह प्राकृतिक सिद्धांत भी है, रूल आफ नेचुरल जस्टिस है, जो सिद्धान्त सब कानूनों के ऊपर है और उसको नोटिस देने के बाद में क्या तुमने दल-बदल किया है, क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ दल-बदल कानून है, उस गवर्नमेंट एक्ट में कार्यवाही की जाये, यह नोटिस देने के बाद में उसको अपने बचाव पक्ष रखने के लिये समय दिया जाना चाहिये, वह समय दे करके उनको सुन करके अथोरिटी, अवसर, शो-काज नोटिस, उसके पश्चात उसके दल के लोगों को भी, नेता को भी, नियम 7 के उन नियमों के अन्दर नोटिस देने के पश्चात पूरी कार्यवाई करने के पश्चात यदि स्पीकर इस नतीजे पर पहुंचता है कि मुझे इस पर कुछ जांच करनी है तो वह उसके बारे में इंक्वायरी बिठा सकता है, जांच करवा सकता है और उसके पश्चात ही वह कोई निर्णय दे सकता है। सभापति महोदय, मुझे जहां तक तथ्यों की जानकारी है, इस तरह की कोई प्रणाली नागालैंड के स्पीकर ने नहीं अपनाई।

सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह प्राकृतिक सिद्धांतों, नैसर्गिक सिद्धांतों, प्रिंसीपल आफ नेचुरल जस्टिस का यहां के स्पीकर ने हनन किया हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही की हो स्वतः उसका जो भी आदेश है, किस प्रकार का भी आदेश है, वह प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध होने के कारण बेअसर हो जाता है, किसी प्रकार से भी कानून में बैध नहीं बिना जा सकता। अतः राज्यपाल के सामने क्या उपाय था, क्या हमारे मित्र यह चाहते हैं

कि वह अल्पमत में आने के बाद भी उनको कहता कि आप राज्य को चलाते रहिए। सरकार का खजाना खाली हो चुका था, बैंकों ने पैसा देने से मना कर दिया था, क्या आप चाहते हैं कि धारा 356 के अधीन विधानसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहिए था, क्या आप चाहते हैं कि अल्पमत की सरकार को अवसर दिया जाता। सभापति महोदय, राज्य पाल ने यह बहुत अच्छा किया, उसने एक माह का समय दिया है, 30 दिन के समय में शक्ति - परीक्षण कीजिए।

सभापति महोदय, नई सरकार का बहुम वे भी मानते हैं, उस समय के मुख्य मंत्री, जिनका बहुमत समाप्त हो चुका था, अपनी बातचीत के अन्दर उन्होंने राज्यपाल से दावा भी नहीं किया है कि 12 व्यक्ति जो हमारे कांग्रेस दल में से चले ग थे, उनमें से 2 वापिस आ गए हैं या 2 या 4 फिर से उनके साथ नहीं हैं जब उन्होंने दावा ही नहीं किया, क्लेम ही नहीं किया मेजारटी होने का, तो राज्यपाल के पास क्या आधार था, जिस पर वह अल्पमत की सरकार को चलाता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वैधानिक तरीके से राज्यपाल ने कार्य किया है, यह वैधानिक कार्य है, राज्यपाल के विरुद्ध किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप किसी भी रूप में नहीं लगाया जा सकता।

मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से यह भी कहना चाहूंगा कि क्या वे दिन भूल गए जब इन्हीं क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में रातों-रात सत्ता परिवर्तन करवाए जाते थे, बूटा सिंह जी जाते थे और कभी रात के 2 बजे, कभी रात के 12 बजे शोथ दिलवाई जाती थी। कभी त्रिपुरा में, कभी नागालैंड में, कभी मिजोरम में, कभी कहीं, एक साथ कई जगहों पर सत्ता परिवर्तन की शृंखला केवल सत्ता के लालच से बंध कर की गई थी, क्या उन लोगों को यह शोभा देता है। उस समय श्री बूटासिंह जी द्वारा जो सत्ता परिवर्तन करवाए गए थे और राजेश पायलट जो आज वहां भेजे गए हैं पोस्टमार्टम करने के लिए, इन लोगों ने दल-बदल को कितना बढ़ावा दिया। रातों रात सत्ता परिवर्तन करवाए गए और कभी रात को 2 बजे, कभी रात को 12 बजे शोथ दिलवाई गई, यह सब कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के लोगों पर इतिहास में कालिख के रूप में है और आज ये हमको शिक्षा देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव के पक्ष में कोई भी व्यक्ति जो नागालैंड की स्थिति को जानता हो, उन स्टेट्स की स्थिति को जानता हो, वह अपना मत कभी नहीं दे सकता, क्योंकि राज्यपाल के पास कोई अवसर नहीं था, कोई चारा नहीं था। अत: मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित न किया जाए। इस प्रस्ताव को लाकर इन्होंने एकमात्र यह प्रयास किया है कि 40-42 साल तक सारे देश में ये लोग जिस तरह से सत्ता परिवर्तन करवाते रहे, डिफेक्शन करवाते रहे, उन पर पर्दा डाल कर अपने पापों का प्रायश्चित न करके, उल्टे आरोप लगाकर, "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" वाली कहावत को चरितार्थ, केमोफ्लाज करना चाहते हैं। अपने पापों को छिपाने के लिए यह प्रस्ताव यहां पर लाया गया है। मैं समझता हूं कि संविधान के अनुरूप राज्यपाल के ऊपर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठाई जा सकती। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी का शासन था, नागालैंड में धारा 356 लागू कराकर जो सरकार गिराई गई थी, उसके विरुद्ध असम हाईकोर्ट का फैसला है, गोहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां लोकतंत्र का खून

हुआ था। इस प्रकार लोकतंत्र का खून करने वाले, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले, उस भूमि पर, उसी पवित्र ब्रह्मपुत्र की भूमि पर जिन्होंने इस तरह का खिलवाड़ किया, कई राज्यों में किया, केवल त्रिपुरा में ही नहीं बल्कि नागालैंड में, मिजोरम में, पूरे ईस्ट के अन्दर सब जगह इस प्रकार से किया, लोकतंत्र से खिलवाड़ किया और आज ये हमको शिक्षा देना चाहते हैं। (व्यवधान)

नागालैण्ड के बारे में मजमेंट विधि मंत्री जी आपको पढ़कर सुनाएंगे। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके द्वारा किया गया। आसाम के पूर्वभाग और पूर्वी प्रदेश के अन्दर ब्रह्मपुत्र के चारों ओर सत्ता लोलुपता के कारण वहां के विधायकों को बार-बार विभिन्न प्रकार से बदल-बदल करवाया। आपका खुला दस्तावेज कलंकित करने वाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं, इसे अस्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबनियांग (शिलांग) : सभापति महोदय, श्रीमान, श्री दिनेश सिंह द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम सभी ने, इस माननीय सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का पालन करने की सपथ ली है। अतः हम सब यहां इस महान देश के महान संविधान के सभी अनुच्छेदों का सम्मान करने के लिये उपस्थित हैं। श्रीमान्, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान का संरक्षक होता है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हमारे संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों के अनुसार, सही समय पर सही निर्णय देना होता है। यह देखते हुए कि राज्यपाल संविधान का संरक्षक होता है उसे संविधान के अनुकूल ही कार्य करना होता है मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि नागालैंड के राज्यपाल का यह कार्य अवैध है तथा भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है। श्रीमान, संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-परिवर्तन निवारण संबंधी कानून दिया गया है। राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा करे। उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची का भी संरक्षक समझा जाता है। लेकिन यहां हमने देखा है कि जब विधान सभा के अध्यक्ष ने दल विधायकों को निरर्हित कर दिया तब राज्यपाल ने नेता को सरकार बनाने के लिये बुलाया और उन्होंने विधायकों को मंत्रियों के रूप में सपथ भी दिलाई। राज्यपाल का यह कार्य अवैध तथा असंवैधानिक था। पहले के वर्षों के बारे में कुछ कहना व्यर्थ है। हमें याद रखना चाहिये कि भारत की जनता ने परिवर्तन के लिये मतदान किया है, यह परिवर्तन सिद्धान्तों के लिए या मूल्यों पर आधारित राजनीतिक के लिए है, परन्तु यह परिवर्तन देश की भलाई के लिए है न कि बुराई के लिए। यदि आप बुराई के लिये परिवर्तन करना चाहते हैं तो निःसंदेह आपको पूर्ववर्ती गलत उदाहरणों को अपनाना चाहिये। लेकिन यदि आप बेहतरी के लिये परिवर्तन चाहते हैं तब आप उन सिद्धान्तों को नहीं अपना सकते जिन्हें स्वयं आप एक समय गलत मानते थे। यहां ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो संविधान का संरक्षक है और जिससे यह आशा की जाती है कि वह संविधान के अनुच्छेदों का सम्मान करेगा। इस व्यक्ति ने एक अवैध सरकार को सपथ दिलाई है, ऐसी सरकार को जो दल बदलुओं की सरकार है। जैसा कि मैंने कहा है, जनता ने परिवर्तन के लिए मतदान किया है। इस परिवर्तन के कारण ही आप यहां विराजमान है। लेकिन यह परिवर्तन उन्नति के लिए है या अवनति के लिए ? पूर्वोत्तर के सभी राज्य संवेदनशील हैं। पूर्वोत्तर के राज्य विशेषकर इस लिए बनाए

गए हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। विशेषकर नागालैण्ड। नागालैण्ड में बहुत खून बहा है और अब धीरे-धीरे वहां के लोग मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं। यदि कानून तथा संविधान के संरक्षकों का यही दृष्टिकोण है, संकीर्ण दृष्टिकोण दर्शाना मात्र ही उनका उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध केवल नफरत प्रदर्शित करना ही उनका ध्येय है, तो हमें इसके लिए बहुत खेद है। आप नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी भारत में कहीं भी विद्यमान रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी आपके आने से पहले विद्यमान थी। नागालैण्ड में कांग्रेस की सरकार आपके सत्ता में आने से पहले विद्यमान थी।

मेघालय को ही ले लीजिए। एक समय वहां श्री ए. ए. रहीम राज्यपाल थे। मैं इस संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आप जानते हैं कि जब वहां की सरकार गिराई गई थी तब क्या स्थिति हुई थी। लेकिन केवल एक मामला मैं सभा के और विशेषकर माननीय गृह मन्त्री के लिए करना चाहता हूं। कांग्रेस के 22 विधायकों में से केवल एक दूसरों के साथ मिला था। याद रखिए कि केवल एक विधायक था। याद करें वह केवल एक सदस्य था, न कि एक तिहाई। केवल श्री एच. बी. दास थे। श्री ए. ए. रहीम ने उन्हें मन्त्री पद की शपथ दिलाने से इन्कार कर दिया और क्या हुआ? भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के प्रति आप में जो चुनौती है आप उसे देखें। श्री ए. ए. रहीम का त्यागपत्र ईद के महान पर्व से एक दिन पूर्व स्वीकार किया गया पूरे भारत को पता चल गया कि मेघालय का राज्यपाल बदल दिया गया है। क्या आप इतनी चुस्ती करते हैं कि इस सीमा तक जा सकते हैं? मुझे आशा है कि नए राज्यपाल श्री एच. बी. दास को एक मंत्री के रूप में शपथ नहीं दिलाएंगे। वे दल बदलू हैं।

भारत की जनता ने परिवर्तन के लिए मत दिया था, और वह भी एक अच्छे परिवर्तन के लिए, इसलिए नहीं दिया था कि आप इस सीमा तक चुस्ती दिखाएं कि राज्यपाल को शपथ उस सम्प्रदाय के महान पर्व से एक दिन पूर्व करें। जरा सोचिए, एक व्यक्ति को खातिर, मेघालय में नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। दो माह तक कुछ नहीं किया गया परन्तु उनके महान पर्व से केवल एक दिन पूर्व त्यागपत्र स्वीकार किया गया।

जनता मूल्य-आधारित राजनीति के लिए, सिद्धान्तों के लिए परिवर्तन चाहती थी। मुझे आशा है कि आप नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल को हटा देंगे और मेघालय के राज्यपाल को दल-बदलकर दूसरे पक्ष में जाने वाले विधायक श्री एच. बी. दास को मेघालय में एक मंत्री के रूप में शपथ दिलाने देंगे। मुझे आशा है कि आप मेघालय के राज्यपाल से इस व्यक्ति को शपथ न दिलाने के लिए कहेंगे। परिवर्तन होना चाहिए बेहतरी के लिए, परिवर्तन होना चाहिए सही दृष्टिकोण के लिए परिवर्तन होना चाहिए भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए। हम सभी के संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त की है।

डा. विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय हम नागालैंड के राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई से अधिक खुश नहीं है। और हम इस प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं कर सकते है क्योंकि जिन हाथों ने इस प्रस्ताव को सभा पटल पर रखा है वे अशुचित हैं। हम रोज ही जो आवाज आज सुन रहे हैं वह नकली है और ढोंग है। अतः इसलिए हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं

करते। इसके साथ-साथ मेरा यह भी मत है कि हमें आज नागालैंड पर, बीते कल गोवा पर, उससे पहले दिन मेघालय पर या आगामी कल किसी और पर केवल चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। कार्य करने का तरीका यह नहीं है। हमें पूरी स्थिति का जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि हमारी भारतीय राजनीतिक प्रणाली का विश्व में मजाक उड़ाया जा रहा है ? ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है। सभा को इस पर विचार करना चाहिए ताकि कोई दीर्घावधि समाधान ढूंढा जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस बात से सहमत हैं।

डा. विप्लव दासगुप्त : अब आप इससे सहमत हैं परन्तु पहले आप इससे सहमत नहीं थे।

राज्यपाल की भूमिका क्या है ? उसे राज्य और केन्द्र के बीच मध्यस्थ माना जाता है। उसे एक मित्र, दार्शनिक और एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। उसे एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिससे परामर्श किया जाना चाहिए, जिसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और जिसे प्रोत्साहन देने का अधिकार है। राज्यपाल की यह भूमिका है। परन्तु हो क्या रहा है ? गत समय से राज्यपालों का प्रयोग सत्ताधारी दल के घिनौने कार्यों के लिए किया जाता रहा है।

यदि आप सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन देखें तो पाएंगे कि 1947 और 1985 के बीच राज्यपाल के पद पर कुल नियुक्तियों में से 60 प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तियां थीं। उनमें से अनेक तो राज्यपाल का पदभार संभालने से एक दिन पूर्व भी राजनीति में सक्रिय थे। सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1981 के बाद से ऐसे राज्यपालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्यपाल के पद का यह दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक प्रयोग है कि उन्हें जोड़-तोड़ करने के लिए इस्तेमाल किया गया न कि उस कार्य के लिए जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है अर्थात उद्देश्यपूर्ण कार्य करना और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना।

सरकारिया आयोग ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं कि सभा में बहुमत के बारे में कोई विवाद हो तो क्या करना चाहिए। पहले, यदि सभा का सत्र चल रहा हो, तो सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि सभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो मौजूदा सरकार को सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। और यह बहुमत 30 से 60 दिन के भीतर सिद्ध करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, गत समय में भी ऐसे नियमों का उल्लंघन किया है और इस विशेष मामले में भी।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा कल 11-00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 अ. प.

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 23 मई, 1990/2 ज्येष्ठ, 1912 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6

वी० एल० एस० 48/6/46/90 (एल०)
210

© 1990 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।